त्रयोदश माला, खंड 6, अंक 29

FOR REFERNCE ONLY.

गुरुवार, 4 मई, 2000
14 वैशाख, 1922 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. D 61
Date 8-12-215

सत्यमेव जयते

(खण्ड 6 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
प्रधान मुख्य सम्पादक

केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

जे०एस० वत्स
सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

अरूणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

उर्वशी वर्मा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 6, तीसरा सत्र, 2000/1922 (शक)]

अंक 29, गुरुवार, 4 मई, 2000/14 वैशाख, 1922 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	541 और 544	1-24
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	545 और 560	25-39
अतारांकित प्रश्न संख्या	5900 से 6079	39-165
सभा पटल पर रखे गए पत्र		165-168
राष्ट्रपति से संदेश		168
राज्य सभा से संदेश		168-169
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति		
पांचवां प्रतिवेदन		169
कार्य मंत्रणा समिति		
आठवां प्रतिवेदन		169
मोटर यान (संशोधन) विधेयक – *पुरः स्थापित*		206
नियम 377 के अधीन मामले		
(एक)	बिहार में डुमरिया-अरेराज-छपवा राज्य मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री राधा मोहन सिंह	207
(दो)	पंजाब के गुरदासपुर जिले के कतिपय कस्बों/गांवों में रसोई गैस विक्रय केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता	
	श्री विनोद खन्ना	207
(तीन)	मध्य प्रदेश की लखुन्दर नदी परियोजना को शीघ्र स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री थावर चन्द गेहलोत	207
(चार)	घरेलू उद्योगों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता	
	श्री भेरू लाल मीणा	208
(पांच)	आवासीय इकाइयों में आवश्यक छोटा-मोटा परिवर्तन करने की अनुमति देने के लिए भवन निर्माण उप-नियमों में संशोधन करने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन को सलाह दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री पवन कुमार बंसल	208

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कॉलम

(छह) पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में केन्द्रीय सहायता से एक चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री मोइनुल हसन 209

(सात) हैदराबाद-कोच्चि एक्सप्रेस को बरास्ता गुण्टक्कल पुनः चलाए जाने तथा गुण्टक्कल और तिरुअनन्तपुरम के बीच बरास्ता बंगलौर एक नई रेल गाड़ी भी चलाए जाने की आवश्यकता

श्री कालवा श्रीनिवासुलु 209

(आठ) राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की कमियों को दूर करने की दृष्टि से इस अधिनियम की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री धर्मराज सिंह पटेल 210

(नौ) महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में रोटेगांव (वैजपुर) रेलवे स्टेशन पर तपोवन एक्सप्रेस को ठहराए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्रकान्त खैरे 211

(दस) तमिलनाडु में तिरुनेलवेली रेलवे जंक्शन पर नए उपरिपुल के निर्माण के लिए सड़कों को बन्द किए जाने के कारण यात्रियों को हो रही असुविधाओं को दूर किए जाने की आवश्यकता

श्री पी०एच० पांडियन 211

(ग्यारह) जम्मू और हरिद्वार के बीच सीधी रेल गाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता

वैद्य विष्णु दत्त शर्मा 211-212

मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्रीलंका में स्थिति

श्री अजीत कुमार पांजा 212-213

वित्त विधेयक, 2000

विचार करने के लिए प्रस्ताव 213

श्री यशवन्त सिन्हा 214-234

खंड 2 से 118 और 1 235-265

पारित करने के लिए प्रस्ताव 266

लोक सभा

गुरुवार, 4 मई, 2000/14 वैशाख, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

ऊर्जा परियोजनाओं के संबंध में समान मानदंड

+

*541. श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों से अपारंपरिक ऊर्जा परियोजनाओं के संबंध में रियायती अवसंरचना, प्रोत्साहन और बिक्री कर व अन्य करों से छूट जैसे प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्तावों से बचने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार पहले भी इस तरह के दिशा-निर्देश जारी करती रही है;

(ग) ऐसे प्रोत्साहन देने वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या राज्य सरकारें ऊर्जा परियोजनाओं को रियायतें देने के बारे में समान मानदंड रखने पर सहमत हो गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा है।

विवरण

(क) और (ख) पवन विद्युत जनरेटरों, लघु पनबिजली संयंत्रों, बायोमास कम्बस्टन और सह-उत्पादन आदि जैसे अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए एक समान नीति के संबंध में वर्ष 1993-94 और वर्ष 1994-95 में सभी राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। इन दिशा-निर्देशों में विद्युत बोर्डों अथवा तीसरे पक्ष द्वारा विद्युत की व्हीलिंग, बैंकिंग, खरीद, मूल्य में वार्षिक वृद्धि आदि सहित राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा ऐसी परियोजनाओं के लिए ग्रिड इंटरफेसिंग और सुविधाओं के प्रावधान संबंधी पहलू शामिल हैं। इन दिशा-निर्देशों में ऐसी परियोजनाओं के लिए, बिक्री-कर लाभों और अन्य रियायतों तथा उपयुक्त अवसंरचना सुविधाओं के प्रावधान का सुझाव भी दिया गया।

(ग) से (ङ) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन के लिए 14 राज्यों ने नीतियों की घोषणा कर दी है। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। ये नीतियां राज्य दर राज्य के संबंध में भिन्न-भिन्न हैं। जहां कहीं भिन्नताएं हैं, संबंधित राज्यों से इन दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही नीतियों को बनाने का अनुरोध किया गया है ताकि संपूर्ण देश में एकरूपता बनी रहे। अन्य राज्यों से इन दिशा-निर्देशों के अनुसार नीतियां आरंभ करने का अनुरोध किया गया है। गुजरात सरकार द्वारा घोषित की गई नीति 31 मार्च, 1998 को समाप्त हो गई और इसका अभी नवीकरण किया जाना है।

श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी (कुडप्पा) : माननीय मंत्री महोदय ने वक्तव्य में कहा है कि सभी राज्यों को दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं। लेकिन अनेक राज्य गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन के लिए अपनी नीतियां अपना रहे हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : हमें भी मौका दें।

अध्यक्ष महोदय : आज पीछे बैठने वालों को मौका दिया जाएगा। क्या आप पीछे बैठना पसंद करेंगे?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री आदि शंकर : महोदय, यह तमिलनाडु को प्रभावित करने वाला एक गंभीर मुद्दा है। श्रीलंका की सरकार और हमारी सरकार के बीच कुछ गोपनीय बातचीत चल रही है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम शून्य-काल के दौरान इस मुद्दे को उठाएंगे, न कि अभी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझिए। आप मेरे पास आए और मैंने आपको इस बारे में बताया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्नकाल के बाद यह मामला उठा सकते हैं, अभी नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको शून्य-काल में अनुमति दूंगा, अभी नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(इस समय, श्री आदि शंकर तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा-पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं। कृपया अपने स्थानों पर वापस जाएं।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

(इस समय श्री आदि शंकर और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया समझिए। सभा की एक प्रक्रिया है। आप इस तरह से बात नहीं कर सकते हैं और आप जो चाहें, वह नहीं कर सकते हैं। कृपया पहले अपने स्थानों पर वापस जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी के अनुपूरक प्रश्न के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

*(व्यवधान)**

श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी : राज्य सरकारें रियायती अवसंरचना प्रदान किए जाने के लिए आंदोलन कर रही हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री आदि शंकर, आपने कोई नोटिस भी नहीं दिया है। कृपया समझिए। कृपया अपने स्थानों पर जाएं। आप मुझसे प्रश्न-काल समाप्त करने के लिए कह रहे हैं।

श्री आदि शंकर : हमने पहले ही नोटिस दे दिया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर जाएं। बहुत हो गया।

श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी : बिक्री-कर व अन्य करों में छूट के रूप में जो प्रोत्साहन दिए गए हैं, वह यह दर्शाते हैं कि केन्द्र सरकार द्वारा कोई ठोस दिशा-निर्देश नहीं अपनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, वह विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव अथवा निवेश से निवेशकर्ताओं को संरक्षण प्रदान करने की भी पेशकश कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री एम० कन्नप्पन : अनुपूरक प्रश्न अभी पूरा नहीं हुआ है।

श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी : मैं यह मामला आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

मैं इस तथ्य की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान ने एक हाई रेट डाइजेस्टर विकसित किया है...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, मैं सभा के माननीय सदस्यों की चिंता की सराहना करता हूं...*(व्यवधान)*

डा० एस० जगतरक्षकन : हमें किसी सराहना की आवश्यकता नहीं है।

श्री प्रमोद महाजन : यदि आपको किसी सराहना की जरूरत नहीं है तो ठीक है।

डा० एस० जगतरक्षकन : आप कृपया जारी रखें...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, मुझे एक वाक्य को शब्दों में अभिव्यक्त करना है। मैं 'जी हां' कहकर बैठ नहीं सकता हूं।

मैं श्रीलंका की स्थिति तथा हमारे प्रधानमंत्री और श्रीलंका के विदेश मंत्री के बीच बातचीत के संबंध में माननीय सदस्यों की चिंता की सराहना करता हूं। आज, दिन के समय विदेश मंत्री इस स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य देंगे, जिसके बारे में माननीय सदस्य पूछ रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय, वह पहले ही अनुपूरक प्रश्न पूछ चुके हैं।

श्री एम० कन्नप्पन : नहीं, महोदय। अनुपूरक प्रश्न अभी समाप्त नहीं हुआ है।

श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी : सभी प्रोत्साहनों और करों में छूट के अतिरिक्त कुछ निवेशकों को विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव से भी संरक्षण दिया जा रहा है।

गैर परंपरागत ऊर्जा में काफी क्षमता है। यहां तक कि टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान ने अपशिष्ट पदार्थ निपटान उद्योग में क्रांति लाने के उद्देश्य से शहर के कूड़ा-करकट के लिए एक हाई-रेट डाइजेस्टर विकसित किया है। इन यूनिटों से उत्पन्न बायो-गैस, जिसमें लगभग 70 प्रतिशत मिथेन होती है, को या तो ताप विद्युत के उत्पादन में प्रयोग के लिए अथवा विद्युत उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय गौण इस्पात प्रौद्योगिकी संस्थान ने रि-रोलिंग मिल्स में विद्युत की मांग के संरक्षण के संबंध में एक कार्यशाला आयोजित की है। संयुक्त राज्य अमरीका व्यापार तथा ऊर्जा निकास निदेशालय ने दक्षिण एशिया में 40 परियोजनाओं का पता लगाया है जिसमें से 24 परियोजनाएं भारत की हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए विभिन्न राज्यों से संबंधित कौन से एक-समान दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह एक-समान दिशा-निर्देश कौन से हैं?

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री एम० कन्नप्पन : माननीय अध्यक्ष महोदय, समान दिशा-निर्देशों को पहले ही सभा-पटल पर रख दिया गया है।

दूसरा, वर्ष 1993-94 और 1994-95 में मंत्रालय द्वारा दिशा-निर्देश जारी करने के बाद से मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ निरंतर अनुवर्ती कार्यवाही कर रहा है। उन राज्यों के संबंध में जिन्होंने पहले ही नीति संबंधी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं, उनके दिशा-निर्देश एम०एन०ई०एस० के दिशा-निर्देशों से कुछ भिन्न हैं। उनसे अपनी नीतियों को संशोधित करने का अनुरोध किया गया है ताकि सभी राज्यों में एकरूपता बनी रहे। वर्ष 1996 में सचिव स्तर पर और वर्ष 1997 में एम०ओ०एस० (एन०ई०एस०) स्तर पर सभी राज्यों को पत्र भेज दिए गए थे और उनके द्वारा घोषित नीतियों के प्रावधानों में भिन्नताओं को ठीक करने के लिए वर्ष 1998 और 1999 में आठ प्रमुख राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ एन०ई०एस० के सचिव स्तर पर उच्च स्तरीय बैठकें आयोजित की गई थीं। दिल्ली में 23-24 मई को आयोजित होने वाली मुख्य सचिवों की बैठक में इस पर फिर चर्चा की जाएगी।

श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी : गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास राज्य सरकारों की नीतियों में बार-बार के परिवर्तनों और केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए दिशा-निर्देशों द्वारा प्रभावित हुआ है। देश-भर में एक-समान दिशा-निर्देशों को अपनाने के लिए राज्य सरकारों के साथ उपयुक्त समन्वय की आवश्यकता है ताकि उत्पादन का स्तर एक-समान रहे।

अध्यक्ष महोदय : अनुवर्ती कार्यवाही क्या है?

श्री एम० कन्नप्पन : मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी राज्य नीति संबंधी दिशा-निर्देश जारी कर दें, केन्द्र सरकार द्वारा अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है। मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश अनिवार्य नहीं हैं, लेकिन यह केवल अनुशंसात्मक हैं। इसलिए यह दिशा-निर्देश विभिन्न राज्यों में उनकी स्थितियों जैसे संसाधनों की उपलब्धता और विद्युत की मांग पर निर्भर करते हुए विभिन्न तरीकों से जारी किए गए हैं।

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्य विद्युत बोर्डों से नियमित विद्युत आपूर्ति के दबाव को कम करने की नीति के एक भाग के रूप में सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए काम में लाई जा रही इमारतों में सौर ऊर्जा से चलने वाले वॉटर हीटर लगाने के लिए विनियमों और उपनियमों का मसौदा तैयार कर, राज्यों को परिचालित कर दिया है? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या केन्द्र ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को इन्हें अपनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि शहरी स्थानीय निकाय अपने बिल्डिंग उप-नियमों को संशोधित करे और शीघ्र से शीघ्र विनियमों के मसौदे में निहित प्रावधानों को शामिल करें जिससे निर्धारित मानदंडों के अनुसार सौर ऊर्जा हीटर लगाए जा सकें?

श्री एम० कन्नप्पन : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है। उन्हें एक पृथक प्रश्न के लिए नोटिस देने दीजिए।

श्री वसुदेव आचार्य : अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की हमारे यहां पर्याप्त संभाव्यता है। हमारे यहां 45,000 मेगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है किंतु हम इस क्षमता को केवल थोड़े से भाग का ही दोहन कर रहे हैं। पिछले वर्ष हमने 100 मेगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया था किंतु हम केवल 56 मेगावाट का उत्पादन कर सके। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है और उन्हें पर्याप्त सहायता नहीं दी जा रही है। सीमा-शुल्क की भी विभेदक दर है। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को अपारंपरिक ऊर्जा के क्षेत्र में रियायत देने के लिए कह रही है जबकि केन्द्र सरकार उत्पाद शुल्क में वृद्धि कर रही है। केन्द्र सरकार ने सोलर सेल और सोलर सेल सामग्री के विनिर्माण में प्रयुक्त सिलिकन सामग्री और सिलिकन वैफर्स पर उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया है। पहले यह आठ प्रतिशत था जिसे अब बढ़ाकर 16 प्रतिशत कर दिया गया है।

क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि क्या वे इस मुद्दे को वित्त मंत्री जी के साथ उठाएंगे ताकि (क) पवन चक्की और अन्य अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में अपेक्षित संयंत्र और मशीनों पर सीमा-शुल्क कम किया जाए; (ख) पवन चक्की के अनुरक्षण में अपेक्षित अतिरिक्त कल-पुर्जों पर सीमा-शुल्क कम किया जाए; और (ग) सिलिकन सामग्री और सिलिकन वैफर्स पर उत्पाद शुल्क कम किया जाए? इससे स्वदेशी विनिर्माताओं को प्रोत्साहन मिलेगा। वर्तमान में हम भारी संख्या में संयंत्रों और मशीनों का आयात कर रहे हैं फलतः यह लागत प्रभावी नहीं है।

क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या वे इस मुद्दे को वित्त मंत्री जी के साथ उठाएंगे ताकि सीमा-शुल्क और उत्पाद-शुल्क में कमी की जाए?...*(व्यवधान)*

श्री विलास मुत्तेमवार : महोदय, क्या इस प्रश्न के लिए अलग से सूचना की आवश्यकता नहीं है?

श्री एम० कन्नप्पन : महोदय, बढ़ता मूल्यह्रास पवन ऊर्जा उत्पादन में ऐसी कंपनियों द्वारा निवेश के लिए प्रमुख प्रोत्साहन रहा है। वर्ष 1997-98 के दौरान इसकी धीमी गति के मुख्यतया निम्नलिखित कारण हैं :

* सामान्य आर्थिक और औद्योगिक कार्यकलापों में मंदी;
* न्यूनतम वैकल्पिक कर शुरू करना;
* निगमित कर में कमी;
* बढ़ते मूल्यह्रास से प्राप्त होने वाला लाभ;
* प्रमुख संभाव्य क्षेत्रों में अपर्याप्त विद्युत प्रदाय सुविधाएं;
* भूमि आबंटन में विलंब;
* वन-विभाग से स्वीकृति; और
* अन्य कई विभागों से स्वीकृति।

मैं इस मामले को माननीय वित्त मंत्री के साथ उठाऊंगा ताकि वे न्यूनतम वैकल्पिक कर के बारे में विचार करें और सीमा-शुल्क और अन्य करों में कुछ राहत दे सकें। वे करों में कमी करने पर विचार कर सकते हैं।

श्री विलास मुत्तेमवार : महोदय, मैंने उनसे अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के बारे में एक प्रश्न पूछा था और वे मुझे अलग से प्रश्न पूछने के

लिए कह रहे हैं। अलग प्रश्न पूछने की क्या आवश्यकता है? यह इसी मंत्रालय के अधीन आता है। आप हमें संरक्षण दें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने डा० सी० कृष्णन को प्रश्न पूछने के लिए कहा है।

(व्यवधान)

डा० सी० कृष्णन : देश में पुन:प्रयोज्य ऊर्जा स्रोतों की अनुमानित संभाव्यता और उपलब्धियां क्या हैं?...*(व्यवधान)*

श्री एम० कन्नप्पन : महोदय, देश में पुन:प्रयोज्य ऊर्जा स्रोतों की अनुमानित संभाव्यता और कुल उपलब्धियां इस प्रकार हैं : पवन ऊर्जा, संभाव्यता–20,000 मेगावाट, उपलब्धि–1,2000 मेगावाट; सोलर फोटोवोल्टैइक, संभाव्यता–20 मेगावाट, उपलब्धि–43.5 मेगावाट; बायोमास, संभाव्यता–17000 मेगावाट, उपलब्धि–222 मेगावाट... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी के उत्तर के सिवाय कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री एम० कन्नप्पन : बायोगैस आधारित उप-उत्पादन, संभाव्यता–3500 मेगावाट, उपलब्धि–34 मेगावाट; लघु पन विद्युत, संभाव्यता–10,000 मेगावाट, उपलब्धि–217 मेगावाट...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई बात है तो आप मेरे पास आकर इस बारे में चर्चा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री एम० कन्नप्पन : अपशिष्ट से विद्युत उत्पादन, संभाव्यता–1700 मेगावाट, उपलब्धि–15 मेगावाट। यह स्थिति 31.3.2000 की है।

पूर्वाह्न 11.17 बजे

(इस समय श्री विलास मुत्तेमवार सभाभवन से बाहर चले गए।)

श्री लक्ष्मण सिंह : महोदय, माननीय मंत्री ने उनके प्रश्न का सटीक उत्तर नहीं दिया है। इसलिए वे सभाभवन से बाहर चले गए।

श्री अर्जुन सेठी : क्या मैं मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि देश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से राज्यवार विद्युत उत्पादन कितना है? विगत वर्षों में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित विद्युत का प्रतिशत कितना है?

श्री एम० कन्नप्पन : महोदय, जिन राज्यों में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के बारे में नीति की घोषणा की गई है, उनके नाम और इन राज्यों में इन स्रोतों से विद्युत उत्पादन इस प्रकार है : आंध्रप्रदेश–156 मेगावाट; गुजरात–174 मेगावाट; हरियाणा–0.1 मेगावाट; हिमाचल प्रदेश–12 मेगावाट; कर्नाटक–104 मेगावाट; केरल–6 मेगावाट; मध्य प्रदेश–40 मेगावाट; महाराष्ट्र–99 मेगावाट; उड़ीसा–21 मेगावाट; पंजाब–21 मेगावाट; राजस्थान–7 मेगावाट; तमिलनाडु 870 मेगावाट; उत्तर प्रदेश–83 मेगावाट; और पश्चिम बंगाल 8 मेगावाट। जिन राज्यों में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के बारे में नीति की घोषणा नहीं की गई, उनके नाम और उन राज्यों में इन स्रोतों से विद्युत उत्पादन इस प्रकार है : अरुणाचल प्रदेश–21 मेगावाट; असम-2 मेगावाट, बिहार-0.1 मेगावाट; गोवा–0.1 मेगावाट; जम्मू-कश्मीर–9 मेगावाट; मणिपुर–9 मेगावाट; त्रिपुरा–1 मेगावाट...*(व्यवधान)*

सरदार बूटा सिंह : महोदय, मंत्री जी ने उनके प्रश्न का ठीक उत्तर नहीं दिया है। आपको हमें संरक्षण देना चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति : हमारे देश ने अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में अधिक प्रगति नहीं की है।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए। श्री आदि शंकर कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति : महोदय, हमारे देश ने अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों विशेष रूप से पवन ऊर्जा के क्षेत्र में अधिक प्रगति नहीं की है। हालांकि केन्द्र सरकार ने आयकर में रियायत और अन्य रियायतें देने का निर्णय किया है किंतु अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है। विभिन्न स्थानों की पहचान की गई किंतु पवन ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, आप टीका-टिप्पणी क्यों कर रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति : कृपया मुझे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने दीजिए।

पवन ऊर्जा हमारे देश में ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है... *(व्यवधान)* पवन ऊर्जा के दोहन के लिए अनेक स्थानों की पहचान की गई है...*(व्यवधान)*

सरदार बूटा सिंह : महोदय, आप मंत्री जी को संरक्षण क्यों दे रहे हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह, आप इस सभा के वरिष्ठ सदस्य हैं। आप सभा में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। कृपया बैठ जाइए। बहुत हो गया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मूर्ति के प्रश्न के सिवाय कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नही किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति : महोदय, पवन ऊर्जा हमारे देश में ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। बंगाल की खाड़ी से लगे पूर्वी तट के साथ पवन ऊर्जा के दोहन के लिए अनेक स्थानों की पहचान की गई है। यह हमारे देश के लिए विद्युत का प्रमुख वैकल्पिक स्रोत हो सकता है। आंध्र प्रदेश में अनेक स्थानों की पहचान की गई है किंतु अब तक पूर्वी तट पर 1 मेगावाट पवन ऊर्जा का भी उत्पादन नहीं किया गया। क्या माननीय मंत्री राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की तर्ज पर एक राष्ट्रीय ग्रिड बनाने के बारे में विचार करेंगे ताकि पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में पवन ऊर्जा का दोहन किया जा सके।

श्री एम० कन्नप्पन : महोदय, आंध्र प्रदेश में पवन ऊर्जा संभाव्यता 2200 मेगावाट है और उपलब्धि 88.04 मेगावाट है... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, उन्होंने विशिष्ट प्रश्न पूछा है। आपको यह बात समझनी चाहिए। आपको समग्र उत्तर देना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री एम० कन्नप्पन : महोदय, सातवीं योजना के दौरान आंध्र प्रदेश को अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन के लिए 6.52 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए थे। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पुन:प्रयोज्य ऊर्जा कार्यक्रम के लिए 46.27 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए थे। नौवीं पंचवर्षीय योजना में 31.12.2000 तक 18.41 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं।

देश में स्मारक

*542. **श्री प्रभुनाथ सिंह** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे स्मारकों का ब्यौरा क्या है जो विदेशी और भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करते हैं;

(ख) इन स्मारकों की मरम्मत और उचित रखरखाव पर स्मारक-वार कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ग) घरेलू और विदेशी पर्यटकों से कितनी-कितनी वार्षिक आय होती है;

(घ) इन महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों से आय में वृद्धि करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) ऐसे स्थानों पर घरेलू पर्यटकों के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (ङ) एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) पर्यटक देश के अनेक स्मारकों को देखने आते हैं जिनमें केन्द्र द्वारा संरक्षित टिकटों वाले 72 स्मारक भी शामिल हैं।

(ख) देश के स्मारकों की मरम्मत और रख-रखाव के लिए, पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खर्च की गई धनराशि के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

1997-98	2339.39 लाख रुपए
1998-99	2437.34 लाख रुपए
1999-2000	2848.00 लाख रुपए

(ग) और (घ) केन्द्र द्वारा संरक्षित टिकटों वाले 72 स्मारकों में प्रवेश शुल्क की पुनर्संरचना की वजह से वार्षिक आय बढ़ी है। पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्जित आय के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

1996-97	3,21,08,515 रुपए
1997-98	4,77,90,139 रुपए
1998-99	5,02,55,834 रुपए

(ङ) पर्यटक स्थलों पर उपयुक्त मार्ग, संकेतक, प्रकाश, कैफेटेरिया, जन-सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में रखरखाव पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा दिया है, लेकिन वह उपयुक्त नहीं है। हम आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि जिस तरह से वे अन्य मामलों में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दे रहे हैं, क्या वे रखरखाव और विकास के मामले में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना चाहते हैं? इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000 में विदेशों में प्रचार के लिए जो धनराशि खर्च की गई है, उस धनराशि को खर्च करने से विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ने का अनुपात क्या है?

[अनुवाद]

श्री अनन्त कुमार : महोदय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का विकास करने और इसका उन्नयन करने के लिए हमने राष्ट्रीय संस्कृति कोष नामक एक कोष बनाया है। इस कोष के माध्यम से, हम निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों से धनराशि जुटाते हैं। हमें बहुत अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है। राष्ट्रीय संस्कृति कोष दाताओं पर आधारित है। इसे आयकर से 100 प्रतिशत छूट प्राप्त होती है तथा यह दाता, राष्ट्रीय संस्कृति कोष एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रतिनिधियों के संयुक्त प्रबंधन की व्यवस्था करता है।

दाता इसका उपयोग निगमित विज्ञापनों के लिए भी कर सकते हैं। महोदय, मुझे इस प्रतिष्ठित सभा को सूचित करते हुए प्रसन्नता होती है कि हमने आगा खां फाउंडेशन, ओबराय होटल तथा भारत-ब्रिटेन 50वीं वर्षगांठ न्यास के माध्यम से नई दिल्ली के हुमायूं मकबरा के परिसर का विकास एवं उन्नयन कार्य पूरा कर लिया है। पुणे चिंचरी नगर निगम, शानिवार वाड़ा परियोजना के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से हम मुंबई के निकट कन्हेरी गुफाओं एवं वसेन किले के सौंदर्यीकरण, रादक मठ के संरक्षण, चेन्नई में बुद्ध विहार की स्थापना तथा नई दिल्ली में जंतर-मंतर का कार्य शुरू कर रहे हैं। समूची सभा के लिए एक और

प्रसन्नता की बात यह है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड 25 करोड़ रुपए के आबंटन के साथ इंडिया ऑयल फाउंडेशन का गठन करने का प्रस्ताव किया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का राष्ट्रीय संस्कृति कोष के बीच भागीदारी है और उनके बीच एक समझौता ज्ञापन हुआ है। 25 करोड़ रुपए के अलावा हम उन्हें प्रत्येक वर्ष 10 करोड़ रुपए देंगे। देश के आठ महत्वपूर्ण विरासत स्थानों को सम्मिलित किया गया है, ये हैं : कर्नाटक में हम्पी; उत्तर प्रदेश में सारनाथ, दिल्ली में कुतुब मीनार; कन्याकुमारी, तमिलनाडु में वट्टाकोटी; पाटन, गुजरात में रानिचि; महाराष्ट्र में एलिफेन्टा गुफाएं; बिहार में नालन्दा तथा मध्य प्रदेश में खजुराहो स्मारक समूह।

विभिन्न देशों में भारत सरकार के 16 पर्यटन कार्यालय क्या कर रहे हैं, इससे संबंधित माननीय सदस्य के अनुपूरक प्रश्न के दूसरे भाग के संबंध में मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि विभिन्न विज्ञापनों तथा विदेशों में भारत सरकार के पर्यटन कार्यालयों के रख-रखाव पर हम लगभग 16 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। पिछले वर्ष, 2.36 मिलियन विदेशी पर्यटक भारत आए, जो 5.2 प्रतिशत की वृद्धि थी। हमने 12.52 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित की, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8 प्रतिशत की वृद्धि है। ऐसा कारगिल युद्ध तथा भारत में चुनावों के बावजूद हुआ।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, स्थाई समिति ने अपने 37वें प्रतिवेदन में, वर्ष 1999-2000 में जटीय प्रावधान 20 प्रतिशत और बढ़ाने के लिए कहा था लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार पहले जो प्रावधान था, इस बार उससे कम किया गया है। हम यह जानना चाहते हैं कि मंत्री जी घरेलू पर्यटकों की सुविधाएं कैसे बढ़ाएंगे, उन्हें कैसे सुविधा मुहैया कराएंगे। इसके साथ ही 37वें प्रतिवेदन में स्थाई समिति ने एक सुझाव दिया है कि देश में जो बहुत से तीर्थस्थल हैं, उनके पास अगर पर्यटन केन्द्र का विस्तार किया जाए तो उनसे हमारी आय का स्रोत बढ़ेगा। मंत्री जी ने उत्तर में बताया है कि हमने ऐसी आठ जगहों का चयन किया है, मैं जानना चाहता हूं कि इनके चयन की प्रक्रिया क्या है? अगर मंत्री जी तीर्थस्थलों का विस्तार करना चाहते हैं, और मुंबई, दिल्ली और कर्नाटक की चर्चा करते हैं, हम यह जानना चाहते हैं कि बिहार में वीवीगंज के पास जो गौतम ऋषि का स्थान सरजू नदी के किनारे है, क्या आप उसे इसमें शामिल करना चाहेंगे?

श्री अनन्त कुमार : हमने सिर्फ मुंबई और बंगलौर को इसमें शामिल नहीं किया है। मैंने कहा है कि हम्पी कर्नाटक में, सारनाथ उत्तर प्रदेश में, वट्टाकोटि कन्याकुमारी में और नालन्दा बिहार में...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : आप गौतम ऋषि के स्थान के बारे में बताइए।

श्री अनन्त कुमार : आपने जो गौतम ऋषि के स्थान के अपग्रेडेशन के बारे में सुझाव दिया है, उस पर हम ध्यान देंगे।

डा० गिरिजा व्यास : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के माध्यम से लगता है कि पूरे सदस्यों की भावना उत्तर में पूरी तरह से उभरकर नहीं आई है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से दो-तीन बातें पूछना चाहती हूं, क्योंकि राजस्थान टूरिज्म के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अधिक अग्रणी प्रदेश है।

मैं आपसे जानना चाहती हूं कि भारत में, पिछले तीन वर्षों में विदेशी तथा देशी पर्यटकों की संख्या कितने प्रतिशत तक पहुंची? जहां तक नये पर्यटन के स्थानों का प्रश्न है, आर्क्योलोजिकल डिपार्टमेंट ही उनके लिए सबसे ज्यादा मुश्किलें पैदा कर रहा है। हम टॉयलैट और कैफीटेरिया जिन स्थानों पर देते हैं, देखा यह गया है कि 80-90 प्रतिशत तक वहां न तो टॉयलैट और न ही कैफीटेरिया की सुविधाओं की परमिशन आपका डिपार्टमेंट दे रहा है। वहां तक पर्यटक पहुंचने के लि.ए आप एयरलाइंस, सड़कों और रेलवे की सुविधा के लिए क्या बातचीत कर रहे हैं जिससे देशी और विदेशी पर्यटक वहां तक पहुंच सकें।

मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में टूरिज्म के संबंध में कोई बात नहीं कही गई। सूचना टैक्नोलॉजी के बारे में और बहुत सी दूसरी बातें तो कही गई लेकिन टूरिज्म के बारे में कुछ नहीं कहा गया। अगर कोई देश को आगे बढ़ा सकता है तो वह टूरिज्म ही बढ़ा सकता है। अध्यक्ष जी, इसलिए आपसे आग्रह है कि इस पर आधे घंटे की चर्चा के लिए सदन को अनुमति दें।

[अनुवाद]

श्री अनन्त कुमार : महोदय, मैं माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिंता से सहमत हूं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास सूची में कम से कम 29 नाम हैं। क्या इस पर आधा घंटे की चर्चा करने पर आपको कोई आपत्ति है?

[हिन्दी]

श्री अनन्त गंगाराम गीते : अध्यक्ष जी, इस पर पहले कुछ प्रश्न तो होने दीजिए, उसके बाद आधा घंटे की चर्चा हो जाए तो ठीक है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनन्त कुमार : मैं आधा घंटे की चर्चा के लिए तैयार हूं। परंतु मैं उनके प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं।

पहले, भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में 5.2 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई है तथा यह अब 2.37 बिलियन है।

दूसरे, एक वर्ष में समूचे देश में घरेलू पर्यटकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जो 168 मिलियन से बढ़कर 175 मिलियन हो गए हैं। यह विश्व में पर्यटकों की आवाजाही की तुलना में सबसे अधिक है।

तीसरे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की कार्यकरण के संबंध में बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। मैं माननीय सदस्य से पूरी तरह सहमत हूं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत आने वाले विभिन्न स्मारकों, जिनकी संख्या लगभग 3606 है, के पुरातत्वीय सर्वेक्षण के अनुरक्षण एवं उन्नयन के लिए 28 करोड़ रुपए का बजट बहुत ही कम है। हाल में, मैंने सुविख्यात पुरातत्वविदों की एक पुनरीक्षण समिति गठित की है जिसके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संगठन का पुनर्गठन, पुरातत्व संस्थान का पुनर्गठन, समूह 'क' अधिकारियों के भर्ती नियमों की पुनरीक्षा करना, तकनीकी एवं शैक्षणिक क्रियाकलापों के कार्यकरण में सुधार के

उपायों की सिफारिश करना तथा अन्य मद विचारार्थ विषय हैं। पद्म भूषण प्रो० बी०बी० लाल, श्री एम०एम० देशपांडे, डा० एस०आर० राव, डा० एस०पी० गुप्ता तथा श्री ओ०पी० अग्रवाल इस समिति के सदस्य हैं। इनमें से तीन सदस्य विश्व-विख्यात पुरातत्वविद तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के भूतपूर्व महानिदेशक हैं। प्रबंधन गुरु श्री एम०बी० अत्रे, सी०आई०आई० के डा० एन०एस० राजाराम, डा० ए० सुन्दर, श्री रवि बूथलिंगम तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक श्री आर०सी० अग्रवाल को समिति में शामिल किया गया है। मैंने कहा है कि वे मेरे पास वापस आएं...*(व्यवधान)*

डा० गिरिजा व्यास : समिति की बैठक कब-कब होगी?

श्री अनन्त कुमार : मैंने कहा है कि उनकी नियुक्ति के दो माह के भीतर वे रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें।

[हिन्दी]

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : अध्यक्ष जी, आधा घंटे की चर्चा माननीय मंत्री जी ने स्वीकार कर ली है लेकिन इस पर कुछ प्रश्न हो जाते तो अच्छा होता।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वे इस पर आधा घंटे की चर्चा के लिए सहमत हो गए हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त की गई उपलब्धियां

*543. **श्री विजय गोयल** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1999-2000 के दौरान जे०जी०एस०वाई०, आई०ए०वाई०, ई०ए०एस० और एस०जी०एस०वाई०—ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत प्राप्त की गई उपलब्धियां, 1998-1999 की तुलना में बहुत कम रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो उपलब्धियों में कमी आने के क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबाष महरिया) : (क) और (ख एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

1 अप्रैल, 1999 से ग्रामीण रोजगार सृजन योजनाओं को पुनर्गठित किया गया था। पूर्ववर्ती जवाहर रोजगार योजना (जे०आर०वाई०) को पुनर्गठित करके जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे०जी०एस०वाई०) तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी०), ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम (ट्राइसेम), ग्रामीण महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम (डबाकरा), गंगा कल्याण योजना (जी०के०वाई०), ग्रामीण कारीगरों को उन्नत औजार किटों की आपूर्ति (सिट्रा) तथा दस लाख कुओं की योजना (एम०डब्ल्यू०एस०) की पूर्ववर्ती योजनाओं के स्थान पर स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की गई है।

2. 1998-1999 के दौरान जे०आर०वाई०, आई०आर०डी०पी०, सुनिश्चित रोजगार योजना (ई०ए०एस०) तथा इंदिरा आवास योजना (आई०ए०वाई०) के अंतर्गत कार्य-निष्पादन की तुलना में 1999-2000 (केवल जनवरी-फरवरी, 2000 तक), के दौरान जे०जी०एस०वाई०, एस०जी०एस०वाई०, ई०ए०एस० तथा आई०ए०वाई० की योजनाओं के अंतर्गत वास्तविक उपलब्धियों में कुछ गिरावट दिखाई दी।

3. यह उल्लेखनीय है कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के लिए ग्राम पंचायतें कार्यान्वयन एजेंसियां हैं तथा राज्यों/ग्राम पंचायतों के लिए यह योजना अपेक्षाकृत नई है। इन एजेंसियों को पुनर्गठित कार्यक्रम से पूरी तरह से अवगत होने के लिए कुछ समय लेना आवश्यक है। सुनिश्चित रोजगार योजना 31.3.1999 तक मांग आधारित योजना थी तथा इसके लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते थे। योजना को आबंटन आधारित बनाने के लिए इसे 1.4.1999 से पुनर्गठित किया गया है। वास्तविक कार्य-निष्पादन (1999-2000 में) के आंकड़े राज्य सरकारों से जनवरी/फरवरी 2000 तक प्राप्त प्रगति रिपोर्टों पर आधारित हैं। 1999-2000 के पहले छह महीनों के दौरान संशोधित दिशा-निर्देशों को तैयार करने और उनके परिचालन में लगे समय और लोक सभा चुनावों की घोषणा के बाद अक्टूबर, 99 तक, नये कार्य शुरू करने में असमर्थता जैसे कारणों की वजह से रोजगार सृजन की गति अपेक्षाकृत धीमी थी। स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना भी एक नई योजना है जिसके कार्यान्वयन हेतु दिशा-निर्देशों को तैयार करने तथा संबंधित विभिन्न एजेंसियों को जागरूक बनाना आवश्यक था।

4. इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 1999-2000 (फरवरी, 2000 तक) में कार्य-निष्पादन में 1998-99 की तदनुरूपी अवधि की तुलना में सुधार दिखाई दिया है।

श्री विजय गोयल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, मुझे उस पर बहस इसलिए नहीं करनी है क्योंकि मेरे पास परफौर्मेंस बजट है। मैंने जो प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर और परफौर्मेंस बजट का उत्तर अलग आया है। मंत्री जी ने जवाब दिया है कि वास्तविक उपलब्धियों में कुछ गिरावट दिखाई दी है जबकि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में 1998-99 में 16.77 लाख परिवारों को लाभ मिला था तो दिसंबर 1999-2000 तक केवल 2.40 लाख लोगों को लाभ मिला। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में 1998-99 में जहां 376 मिलियन श्रम दिन का लाभ हुआ, वहीं 1999-2000 में केवल 122 मिलियन श्रम दिन का लाभ हुआ, इंदिरा आवास योजना में जहां 1998-99 में 8.36 लाख मकान दिए गए, वहां 1999-2000 में दिसंबर तक केवल साढ़े चार लाख मकान दिए गए। माननीय मंत्री जी का जवाब था कि वास्तविक उपलब्धियों में केवल कुछ गिरावट दिखाई दी है जबकि प्रफौर्मेंस बजट में कुछ और ही दिया गया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है? क्या उसमें इलेक्टिड एम०पीज० या एम०एल०एज० की कोई भागदारी है? आपका बजट सात हजार करोड़ रुपए के लगभग ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए जाता है। उसमें एम०पीज० की भागीदारी होनी चाहिए। विभिन्न कमेटियों के चेयरमैन संसद सदस्य बनने चाहिए और एम०एल०एज० की अनवाल्वमेंट होनी चाहिए, इसके बाद मंत्री जी से इफेक्टिव मॉनिटरिंग होगी। राजीव गांधी जी के समय में 10 या 15 प्रतिशत नीचे तक जाता था, अब भ्रष्टाचार के रहते कितना जाता है? इलेक्टिड आदमियों की भागीदारी के लिए मंत्री जी ने क्या सोचा है?

श्री सुभाष महरिया : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने पूछा है कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में जो ग्राम पंचायतों को सीधे तौर पर दी गई है...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, पटवा साहब ने जो सदन में घोषणा की, उसके बारे में इन्हें बताना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री सुभाष महरिया : यह योजना 1.4.99 को शुरू की गई थी। यह हमारे लिए नई योजना थी। रोजगार सृजन में कमी आने का कारण इसका पुनर्गठन था। इस योजना के लिए 1999-2000 के लिए... *(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : इतने महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देने के लिए पटवा साहब को सदन में आना चाहिए।

श्री सुभाष महरिया : 1998-99 में 4279.26 लाख श्रम दिनों का रोजगार सृजित किया गया था। 1999-2000 के दौरान सृजित रोजगार 2024.74 लाख श्रम दिन था। 1999-2000 के लिए वार्षिक निष्पादन के आंकड़े राज्य सरकार द्वारा इनकी मासिक रिपोर्ट में मद्य जनवरी-फरवरी 2000 तक सूचित आंकड़ों पर आधारित हैं।...*(व्यवधान)* स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पूर्ववर्ती समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ट्राइसेम, सिट्रा, डवाकरा, गंगा कल्याण योजना और दस लाख कुओं की योजना को मिलाकर शुरू की गई थी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के उत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : मंत्री जी इतना बता दें कि क्या इलेक्टिड आदमियों की भागीदारी पर विचार किया जा रहा है?

श्री सुभाष महरिया : माननीय विजय गोयल जी ने जो पूछा, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं कि कार्य की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं—चाहे वे कार्यक्रम राज्य सरकार के हों या हमारी निगरानी कमेटियां हों, चाहे जिला या खंड स्तर की समितियां हों या सतर्कता समितियां हों, उनमें संसद सदस्यों को बराबर बुलाया जाता है, उनकी राय ली जाती है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है? मंत्री महोदय को उत्तर देने दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मंत्री महोदय की कोई बात नहीं सुनना चाहते हैं? यह क्या है?

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यप्रणाली नहीं है। यदि आप इससे संतुष्ट हैं, तो मैं अगले प्रश्न पर विचार-विमर्श शुरू करूंगा। कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। आप मंत्री महोदय की बात नहीं सुन रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री सुभाष महरिया : अध्यक्ष महोदय, जहां तक सांसदों और एम०एल०एज० की भागीदारी का सवाल है, इस कार्य में उनको विस्तृत भूमिका दी गई है। सांसद राज्य स्तरीय समितियों और जिला स्तरीय निगरानी समिति के स्थायी सदस्य हैं। हमारे पार्लियामेंट द्वारा जो पैसा दिया जाता है, उसमें एम०पी० की जहां डिजायर होती है, उसके आधार पर सारा पैसा राज्य सरकार की जिला सतरीय समितियों पर खर्च होता है...*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा प्रश्न पूछने से पहले कहना चाहता हूं कि यू०आर०डी० ग्रांट्स की जो रिपोर्ट थी, उसमें कहीं यह मैंशन नहीं है कि इलैक्टेड एम०पीज० का मौनिटरिंग कमेटीज में कहीं कोई रोल होगा, कैसे उस पर मानिटरिंग होगी। श्री पटवा जी ने पिछली बार सदन में आश्वासन दिया था कि जहां तक डी०आर०डी०ए० के चेयरमैन और बाकी समितियों का सवाल है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपका अनुपूरक प्रश्न क्या है?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुभाष महरिया : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने डी०आर०डी०ए० की चेयरमैनशिप के बारे में पूछा है, इस भूमिका के बारे में मामला विचाराधीन है और इस पर कार्यवाही की जाएगी।. ..*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो गया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर आप इसी प्रकार आचरण करते रहेंगे, तो प्रश्नकाल का संचालन करना बहुत कठिन हो जाएगा। अगर आपको कोई शंका है, तो आप मंत्री महोदय से उसका स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि एम्पलायमेंट एश्योरेंस स्कीम गांव के गरीबों के लिए चलाई जाती है और आपने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि दिल्ली और चंडीगढ़ के अंदर ग्रामीण गांव नहीं है। मेरा कहना है कि आज दिल्ली के अंदर 195 ग्रामीण गांव हैं। मेरा प्रश्न यह है कि क्या आप दिल्ली और चंडीगढ़ के इन गांवों को एम्पलायमेंट एश्योरेंस स्कीम में शामिल करेंगे?

श्री सुभाष महरिया : अध्यक्ष महोदय, सुनिश्चित रोजगार योजना पूरे देश के ग्रामीण इलाकों के लिए चलाई गई है। जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि यदि दिल्ली और चंडीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र इसमें शामिल नहीं हैं तो इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करके उन्हें निश्चित रूप से इस योजना में शामिल किया जाएगा।

श्री मणि शंकर अय्यर : अध्यक्ष महोदय, यह बड़े दुख और अफसोस की बात है कि...*(व्यवधान)* मैं सवाल कर रहा हूं जिसका आपके मंत्री जवाब देंगे, आप तशरीफ रखिए। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही दुख और अफसोस की बात है कि जिस हमारी स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सर्वसहमति से तैयार की थी, उसे पेश करने के तीन हफ्ते बाद मंत्री महोदय ने ऐसा जवाब दिया है जिसका मतलब बनता है कि वे स्थानीय समिति को ठुकरा रहे हैं। यह सारा काम सर्वसहमति से तैयार किया गया था और उसमें कहा था कि ये सारे कार्यक्रम जिनका जिक्र इस जवाब में दिया गया है, पिछले साल के मुकाबले कहीं आधा ही काम हुआ है, कहीं एक-तिहाई हुआ है, कहीं एक-चौथाई हुआ है, लेकिन सर्वसम्मति से कहीं नहीं हुआ है। श्री गीते यहां बैठे हैं, उनकी अध्यक्षता में हमने यह रिपोर्ट पेश की है, लेकिन यह गुस्ताखी सदन में चल रही है और कहते हैं कि थोड़ा बहुत कुछ कम हुआ है, जो हमें गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं केवल उत्तर दे रहा हूं। मेरा अनुपूरक प्रश्न इस प्रकार है। अनुपूरक प्रश्न पूछने से पहले मुझे तथ्य प्रस्तुत करना है। हमें गुमराह किया जा रहा है कि इंदिरा आवास योजना के सिलसिले में पिछले साल के मुकाबले इस साल हम आगे बढ़े हैं। क्योंकि हमारी स्थानीय समिति में इनके सचिव महोदय ने हमें बताया था कि पिछले साल 8.5 लाख मकान बनाए गए थे जबकि नवंबर के अंत तक केवल 4.5 लाख मकान बनाए गए और इस साल में एक लाख से ज्यादा नहीं बना सकते हैं जो कुल मिलाकर 5.5. लाख होंगे। इसलिए मेरा सवाल यह है कि क्या मंत्री महोदय ने स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी है या नहीं पढ़ी है?

श्री सुभाष महरिया : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि श्री मणि शंकर अय्यर जी ने पूछा है इंदिरा आवास योजना में...*(व्यवधान)* हमने पूरी रिपोर्ट पढ़ी है...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : इन्होंने स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट नहीं पढ़ी है, उत्तर क्या देंगे...*(व्यवधान)*

श्री सुभाष महरिया : इंदिरा आवास योजना में 6,00,532 मकानों का निर्माण किया गया था।...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : पर्ची मंगा लीजिए, रिपोर्ट पढ़ी नहीं है, क्या जवाब देंगे।...*(व्यवधान)*

श्री सुभाष महरिया : सर, हमने रिपोर्ट पढ़ी है और उसी के आधार पर हम जवाब दे रहे हैं...*(व्यवधान)* सन् 1999-2000 में फरवरी तक इंदिरा आवास योजना में 6,55,769 मकानों का निर्माण किया गया ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर : उन्होंने सभा को गंभीर रूप से गुमराह किया है। सर, इंदिरा आवास योजना के बारे में परफारमेंस बजट का पृष्ठ सत्ता देखिए और उसका मुकाबला इन आंकड़ों के साथ कीजिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुभाष महरिया : सन् 1999-2000 के फरवरी तक...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वे नहीं मान रहे हैं। उन्हें अपनी बात समाप्त करने दें।

[हिन्दी]

श्री सुभाष महरिया : सन् 1999-2000 के फरवरी तक छः लाख 56 हजार मकानों का निर्माण किया गया...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर : आपको इसे विशेषाधिकार समिति को सौंप देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : यह क्या जवाब दे रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री सुभाष महरिया : सर, 1999-2000 की रिपोर्ट आनी बाकी है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात समाप्त करने दें। मंत्री महोदय, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

[हिन्दी]

श्री सुभाष महरिया : सर, 1999-2000 की रिपोर्ट आनी बाकी है, जो रिपोर्ट पुरानी थी, उसी के आधार पर आपके पास रिपोर्ट दे रहे हैं। जैसा माननीय सदस्य ने पूछा है कि इंदिरा आवास के लिए ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आपने रिपोर्ट पढ़ी है या नहीं?

श्री सुभाष महरिया : जो पुरानी रिपोर्ट है, वह हमारे पास है, आप सुनने की कोशिश कीजिए...*(व्यवधान)* हमने रिपोर्ट पढ़ी है, रिपोर्ट पढ़ने के बाद ही हम बता रहे हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने पहले ही उत्तर दे दिया है कि उन्होंने रिपोर्ट को पढ़ा है।

[हिन्दी]

श्री सुनील खां : अध्यक्ष महोदय, यह गहरे दुख का कारण है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझने की कोशिश करें कि उन्होंने यह स्पष्ट तौर पर कहा है कि उन्होंने रिपोर्ट को पढ़ा है और तभी उन्होंने जवाब दिया है।

[हिन्दी]

श्री सुनील खां : अध्यक्ष महोदय, देश भर में रूरल डेवलपमेंट का सरकार ने वायदा किया था, वह पूरा नहीं किया गया। इस बारे में हमारा कहना है कि जो हमारा देश इस दिशा में आगे बढ़ रहा था वह थम गया। इसकी प्रगति वर्ष 1998-99 के मुकाबले 1999-2000 में घट गई।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सुनील खा के अनुपूरक प्रश्न के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सुनील खां : चूंकि आई०आर०डी०पी० कार्यक्रम को स्वर्ण जयंती मनाने के बाद चेंज किया जा चुका है, पहले जो 12 या 15 हजार रुपये लोन इनडिविजुअल को मिलता था, वह आज ग्रुप में मिलता है और ग्रुप बनाना गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल है।

इसीलिए जितने गरीब आदमी हमारे देश में हैं, उनको लोन नहीं मिल रहा है और उनको जितना आगे बढ़ना चाहिए था 1999-2000 में, वे पीछे हो गएग।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपका अनुपूरक प्रश्न क्या है?

श्री सुनील खां : मेरा अनुपूरक प्रश्न है कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जिसे पहली सरकार द्वारा शुरू किया गया था, के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए माननीय मंत्री द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? मौजूदा सरकार ने समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को पहले ही समाप्त कर दिया है तथा ग्रामीण जनता को ग्राम पंचायतों से कोई भी वैयक्तिक ऋण प्राप्त नहीं हो रहा है। हमारे समाज के कमजोर वर्गों की सहायता के लिए महोदय द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे?

[हिन्दी]

श्री सुभाष महरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को सीधे काम देने के लिए सभी योजनाओं में 1.4.1999 के बाद जो पुनर्गठन किया है, उकसा इंप्लीमेंटेशन बराबर चल रहा है और इस पुनर्गठन के बाद जो गिरावट आई है, उसका कारण बीच में चुनाव होना रहा है। लेकिन बावजूद इसके सभी योजनाओं में श्रमिकों की संख्या को पूरा करने के लिए हमारी ओर से पूरे प्रयास किए गए हैं। चाहे वह योजनाएं हमारे युवाओं संबंधी ग्राम समृद्धि योजनाएं हों या स्वर्ण जयंती ग्राम समृद्धि योजना हो। इसी प्रकार दूसरी जो योजनाएं हैं, जैसा कि आप पूछ रहे हैं, उन योजनाओं में राज्य सरकार द्वारा जैसा हमें स्थिति से अवगत कराया गया है, उस स्थिति के अनुपात में हमने केन्द्र सरकार की ओर से राशि देने का प्रावधान रखा है।

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यक्रम

\+

***544. श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील :**
श्री सी० श्रीनिवासन :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा इकोनोमिक कन्सल्टेंसी सर्विस को 1997 में देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से चोरी-छिपे अन्यत्र ले जाए गए खाद्यान्नों, चीनी और खाद्य तेलों की मात्रा का आकलन करने का कार्य सौंपा गया था;

(ख) यदि हां, तो टाटा इकोनोमिक कन्सल्टेंसी सर्विस द्वारा किए गए आकलन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले और और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शान्ता कुमार) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खाद्यान्नों, चीनी और खाद्य तेलों के विपथन (डाइवर्जन) की सीमा का आयजा लेने के लिए अध्ययन करने हेतु वर्ष 1997 में टाटा इकानामिक कंसल्टेंसी सर्विस की सेवाएं ली गई थीं। राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं में 36 प्रतिशत, चावल में 31 प्रतिशत, चीनी में 23 प्रतिशत और खाद्य तेलों में 55 प्रतिशत विपथन होने का अनुमान लगाया गया है।

टाटा इकानामिक कंसल्टेंसी सर्विस के अध्ययन में विपथन के प्रमुख कारणों की पहचान की गई थी और विपथन रोकने के लिए उपचारात्मक उपाय सुझाए गए थे। अध्ययन में विपथन होने के मुख्य कारणों का उल्लेख गोदामों से बल्क में विपथन, राशन कार्डों में फर्जी यूनिटों विभिन्न स्तरों पर कम तुलाई, उपभोक्ताओं की अशिक्षा, उचित दर दुकानों के मालिकों के लिए लाभ का कम मार्जिन, पलायन करने वाली आबादी, जाली वितरण एजेंसियां, आपूर्ति की अनुपलब्धता/अनियमितता और पात्रता में भिन्नता तथा विजातीय तत्वों वाले घटिया गुणवत्ता के खाद्यान्नों के रूप में किया गया है। अध्ययन में विपथन को रोकने के लिए मासिक

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

आबंटनों में भिन्नता को दूर करना, भंडारण एवं मार्गस्थ हानियों को दूर करना, उचित दर दुकानों से अन्य एजेंसियों द्वारा वितरण किए जाने से बचना, राशन कार्डों में फर्जी यूनिटों/फर्जी राशन कार्डों की छंटाई करना, भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों/उचित दर दुकानों के बीच संचार में सुधार करना, उचित दर दुकानों के लाभ के माध्यम में वृद्धि करना, धीरे-धीरे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे से सम्पन्न वर्ग को बाहर करना जैसे कुछ उपचारात्मक उपाय भी सुझाए थे।

(ग) सार्वजनिक तिवरण प्रणाली केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन चलाई जाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की वसूली, भंडारण और केन्द्रीय गोदामों तक उनकी ढुलाई करना तथा इन्हें राज्यों को उपलब्ध करना, केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है। उचित दर दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को खाद्यान्नों का वितरण करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रशासन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों की है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के विपथन का मामला राज्य सरकारों के साथ उठाया गया था। अधिकांश राज्य यद्यपि अध्ययन में उल्लेख किए गए विपथन से सहमत नहीं थे लेकिन उन्होंने इस बात को मान्यता दी है कि 'लीकेज' होता है। खाद्यान्नों में 'लीकेज' और विपथन को रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(i) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे उचित दर दुकानों और अन्य स्तरों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कड़ी मानीटरिंग करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन से पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से वितरण करने की व्यवस्था करें। राज्य सरकारों पर इस बात के लिए भी जोर दिया गया है कि वे उचित दर दुकानों को किए आबंटन के बारे में स्थानीय संचार माध्यमों के जरिए प्रचार करें। उचित दर दुकानों से यह भी कहा जाए कि वे इतिशेष बकाया सहित उस माह के लिए प्राप्त हुए आबंटन को सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करें। उनसे जाली राशन कार्ड जारी करने और चूककर्ता उचित दर दुकान के मालिकों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अधीन कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है।

(ii) राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि वे उचित दर दुकानों के मालिकों द्वारा सूचना प्रदर्शित करने के संबंध में प्रक्रिया का उल्लंघन करने पर दंड देने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अधीन जिम्मेदारी का प्रावधान कर सकती है। उचित दर दुकान सभी निर्दिष्ट दिनों में खोली जानी चाहिए और कार्य समय के दौरान दुकान बंद रहने की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। प्राधिकारियों द्वारा राशन कार्ड समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से जारी किए जाने चाहिए और इस संबंध में प्रशासनिक प्रणाली को लोक निकायों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। राज्य में जाली राशन कार्डों की छंटाई करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए।

(iii) भारत सरकार ने सार्वजनिक वितरण विभाग में सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित विभाग के कार्य-निष्पादन के किसी भी पहलू के संबंध में प्राप्त शिकायतों को हल करने के लिए लोक शिकायत निपटान सैल की स्थापना की है। लोक शिकायत निपटान सैल में अलग से टेलीफोन, फैक्स और ई-मेल सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इसके अलावा लोक शिकायतें प्राप्त करने के लिए विभाग ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को जहां कहीं आवश्यक हो, तत्काल और तत्पर जांच करने के लिए उड़न-दस्ते के सदस्यों के रूप में भी नामित किया है। भारत सरकार ने विपथन की शिकायतों सहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण की मानीटरिंग करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों हेतु क्षेत्राधिकारी भी तैनात किए हैं।

[अनुवाद]

श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में यह कहा है कि टाटा इक्नॉमिक कंसल्टेंसी सर्विस ने यह स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सभी आवश्यक वस्तुओं, विशेष रूप से गेहूं का 36 प्रतिशत, चावल में 31 प्रतिशत, चीनी में 23 प्रतिशत तथा खाद्य तेलों का 55 प्रतिशत राष्ट्रीय सतर पर अन्यत्र उपयोग किया गया है। मंत्री महोदय ने यह भी माना है कि यह प्रणाली राज्यों के साथ समन्वय से चलाई जाती है। केन्द्र सरकार की जिम्मेवारी केवल वस्तुओं की खरीद, भंडारण तथा ढुलाई की है। अत: अधिकांश जिम्मेवारियों राज्य सरकारों की ही हैं। केन्द्र सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम अथवा जन-शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के अंतर्गत कतिपय शिकायतों के माध्यम से केवल निगरानी तथा समन्वय का कार्य देखती है। यदि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में इतनी अधिक चोरी के मामले प्रकाश में आए हैं, तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उल्लंघन के मामले हुए हैं तथा उनमें से कितने व्यक्तियों को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत दंडित किया गया है।

[हिन्दी]

श्री शान्ता कुमार : अध्यक्ष महोदय, हमने कहा है कि यह सिस्टम जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। उसका अर्थ यह हरगिज नहीं है कि इसमें यदि कोई कमी है तो यह कहकर केन्द्र सरकार अपने आपको बिल्कुल अलग करने की कोशिश करे, यह भावना बिल्कुल नहीं है लेकिन जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। केन्द्र और प्रदेश सरकारों को मिलकर इस डाइवर्शन को, चोरी को रोकना होगा। उस दिशा में हमने बहुत से कदम उठाए हैं जो पहले ही सदन के सामने मैंने रखे हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में क्या कार्रवाई सेक्शन 3 के अंतर्गत की है? प्रदेश सरकारें निश्चित रूप से कार्रवाई करती हैं और प्रदेशों में कुल कितने केसेज इस बारे में हुए, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है लेकिन हमने अपने यहां कुछ दिनों से एक ग्रीवियैन्स सेल बनाया है। उसमें हमारे पास प्रदेशों से अभी तक लगभग 32 शिकायतें आई हैं। लेकिन मुख्य शिकायतें इस बारे में प्रदेशों में आती हैं और मुख्य शिकायतों का निपटारा प्रदेश स्तर पर होता है। इसके अलावा हमने यहां भी एक शिकायत निवारण कक्ष बनाया है। थोड़े दिनों से उसमें भी शिकायतें

आनी शुरू हुई हैं, लेकिन मुख्य रूप से इन शिकायतों का निपटारा प्रदेश स्तर पर होता है। उनकी पूरी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है।

[अनुवाद]

श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील (इरन्दोल) : महोदय, मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि केवल 32 मामले ही ऐसे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाश में आए हैं। यह संख्या बहुत ही कम है। वास्तव में, जैसाकि पूर्व प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए बहुत सी धनराशि दी गई है। लेकिन केन्द्र तथा राज्यों के बीच कोई समन्वय अथवा निगरानी प्रणाली नहीं है। मैं यह अनुभव करता हूं कि इसके कारण ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन में बहुत सी चोरियां हुई हैं। अत: मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित की जाने वाली योजनाओं के संबंध में संसद सदस्यों को जिम्मेवारी प्रदान करने के बारे में विचार कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री शान्ता कुमार : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की चिंता इस डाइवर्शन और चोरी के बारे में स्वाभाविक है। यह सदन पहले भी इस पर चिंता प्रकट कर चुका है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि डाइवर्शन रुके। उसके लिए पूरे देश के पांचों जोन के अंदर मीटिंग करके प्रदेशों से बातचीत की गई है। कुछ नये निर्देश जारी किए गए हैं। उन निर्देशों में राइट ऑफ इनफॉर्मेशन भी शामिल है ताकि सूचना गांवों के गरीब आदमियों तक पहुंचे। उन निर्देशों में महत्वपूर्ण बात यह भी की गई है कि फेयर प्राइस शॉप्स के बाहर नोटिस बोर्ड लगाकर यह सूचना देना अनिवार्य होगा कि इस गांव की राशन की दुकान के लिए इस महीने कितना सामान आया और इसको ऐसेन्शियल कमोडिटीज ऐक्ट के सैक्शन तीन के अंतर्गत लाया जाए ताकि बाध्यता हो और गांवों के गरीबों तक सूचना मिले। मैंने पहले कहा कि यह सारी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम प्रदेश सरकारों से मिले हैं, उनसे बातचीत की है, प्रदेशों को विश्वास में ले रहे हैं। जहां तक लोक सभा के सदस्यों का सवाल है, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में लोक सभा के सदस्य भी आते हैं, सब आते हैं। इस विषय पर सरकार सोच रही है कि इस सिस्टम को स्ट्रैन्थेन करने के लिए, रीस्ट्रक्चर करने के लिए और एक भी दाना उसमें से चोरी न हो, इसके लिए और क्या किया जाए, उसमें माननीय सदस्यों की भूमिका क्या हो, उनसे कैसे सहयोग लेना है, इस बारे में भी सरकार विचार कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे भी निवेदन किया था कि इस सारे विषय पर एक बार यहां चर्चा हो। उसका आश्वासन भी दिया गया था। मैं चाहूंगा कि एक बार खुली चर्चा हो और माननीय सदस्यों के सुझाव आएं तो इसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

श्री सतपाल सिंह वर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही गंभीर मामला है और प्रारंभ से ही पी०डी०एस० में इतना भ्रष्टाचार है जो हर जगह व्याप्त है, चाहे किसी भी प्रदेश में किसी भी पार्टी की सरकार हो। आज इसमें कोई आमूल-चूल परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी का यह कहना कि एक भी अनाज का दाना चोरी न हो, हम इस पर विचार कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि यह विचार ही न करें तो अच्छा है। विचार करने में समय बरबाद होगा क्योंकि चोरी रुक नहीं सकती, भ्रष्टाचार रुक नहीं सकता। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कैरोसीन आयल की बात हो या चीनी की बात हो, कैसे इनकी चोरी रुके क्या ऐसे सिस्टम पर सरकार विचार कर रही है जिसमें जितनी सब्सिडी हम दे रहे हैं, गरीब को तो वह मिल नहीं रही है, क्या गरीब को वह सब्सिडी कैश में हम दे सकते हैं और उसको फ्री छोड़ सकते हैं कि वह बाजार से चीजें खरीदे, क्या ऐसी योजना पर सरकार विचार कर रही है? अगर कर रही है तो जो माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इस विषय पर पूरी चर्चा होनी चाहिए क्योंकि यह भ्रष्टाचार का अड्डा है, इससे सरकार और अधिकारी बदनाम होते हैं, इस बारे में भी क्या चर्चा करने के लिए आप समय दे रहे हैं?

श्री शान्ता कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस हद तक फ्रस्ट्रेट और निराश न मैं हूं और न मेरी सरकार है। इसे रोका नहीं जा सकता, यह मैं मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं। यदि हम सबमें इच्छाशक्ति होगी तो हम इसे रोक सकते हैं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो नये निर्देश जारी किए हैं, प्रदेशों के साथ जो सलाह-मशविरा किया है सैक्शन 3 को उसमें लागू करने की बात हमने की है।

मध्याह्न 12.00 बजे

अध्यक्ष महोदय, ये सारे निर्देश जब प्रदेश स्तर पर लागू होंगे, तो डायवर्शन रुकेगा, भ्रष्टाचार रुकेगा। इसे रोका जा सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है।

माननीय सदस्य ने जो अन्य सुझाव दिए हैं उन पर विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री संतोष मोहन देव, आपको एक प्रासंगिक प्रश्न पूछना है।

श्री संतोष मोहन देव : क्या सच है कि सूखे से प्रभावित राज्यों के अत्यंत निर्धन लोगों के लिए किया गया मूल आबंटन रोक दिया गया है? यदि ऐसा है, तो इसके क्या कारण हैं?

[हिन्दी]

श्री शान्ता कुमार : अध्यक्ष महोदय, वैसे मूल प्रश्न से इसका संबंध नहीं है, लेकिन वास्तविकता यह है कि ड्राउट पड़ने पर, अकाल पड़ने पर स्थिति नॉर्मल नहीं रहती। नॉर्मल स्थिति में बी०पी०एल० और ए०पी०एल० में हम डिस्टिंक्शन करते थे और एबव पावर्टी लाइन के लोगों को सब्सिडी नहीं देते, फूड फार वर्क एवं कम्युनिटी किचन के लिए भी सब्सिडी नहीं देते। चूंकि अब स्थिति एबनार्मल है इसलिए इस स्थिति में नया प्रावधान किया गया है जिसे विथड्रा करने का कोई सवाल नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्नकाल समाप्त हो गया है। मंत्री महोदय बाद में माननीय सदस्यों को उत्तर भेज दें।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

काठमांडू विमानपत्तन पर सुरक्षा मानदंड

*545. डा० एस० वेणुगोपाल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काठमांडू विमानपत्तन अंतरराष्ट्रीय नगार विमानन संगठन द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानदंडों को किसी सीमा तक पूरा करता है;

(ख) क्या भारत सरकार ने इंडियन एयरलाइंस विमान का अपहरण कर कंधार ले जाए जाने से पूर्व कभी भी नेपाल सरकार से यह पूछा था कि क्या काठमांडू अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन उक्त मानदंडों को पूरा करता है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) किसी दूसरे देश की राजधानी में स्थित हवाई अड्डे के सुरक्षा उपायों पर टिप्पणी करना समीचीन नहीं होगा। तथापि, काठमांडू में त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बढ़ी हुई सुरक्षा और आप्रवासन नियंत्रण की आवश्यकता इंडियन एयरलाइंस द्वारा अपेक्षित सुरक्षा उपायों पर भारत सरकार द्वारा महामहिम नेपाल सरकार (एच०एम०जी०एन०) के साथ अनेक मौकों पर उठाई गई। एच०एम०जी०एन० ने हमें विश्वास दिलाया है कि त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कदम उठा रहे हैं।

ऊंची पहाड़ियों पर युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों का मुकाबला करने का अभियान

*546. श्री आर०एल० भाटिया :
श्री अब्दुल हमीद :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान लड़ाकू विमानों के लिए भूमिगत शेल्टर, एक लंबा एयर बेस बना रहा है और उत्तरी क्षेत्रों में पाकिस्तानी सेना को ऊंची पहाड़ियों पर युद्ध का प्रशिक्षण दे रहा है जैसा कि दिनांक 13 मार्च, 2000 के 'द हिन्दू' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस विषय पर एकत्र की गई जानकारी का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयास का सामना करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) पाकिस्तान द्वारा उत्तरी क्षेत्रों में वायुयानों के लिए भूमिगत शेल्टर बनाए जाने और हवाई अड्डों को बड़ा किए जाने के बारे में कोई पक्की रिपोर्ट नहीं हैं।

यद्यपि, उपर्युक्त समाचार में पाकिस्तानी सैनिकों को ऊंचे स्थानों पर युद्ध-पद्धति में प्रशिक्षण दिए जाने का उल्लेख नहीं किया गया है लेकिन ऐसा प्रशिक्षण एक सतत् रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। इस संबंध में कोई असामान्य गतिविधि नहीं देखी गई है।

भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाली सभी घटनाओं पर लगातार नजर रखी जाती है और पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहसिक प्रयास को विफल करने के वास्ते समुचित रक्षा तैयारी बनाए रखने के लिए समय-समय पर आवश्यक कदम उठाए जाते हैं।

आधारभूत अवसंरचनाओं में सुधार

*547. श्री सुबोध मोहिते : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु आधारभूत अवसंरचनाओं के सुधार के लिए कुछ चुनिंदा शहरों को एक करोड़ रुपया प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस अनुदान के अंतर्गत निष्पादित कार्यों की समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटक केन्द्रों/तीर्थ केन्द्रों के समेकित विकास के लिए राज्य/संघ राज्य सरकारों से अपने-अपने राज्य-संघ राज्य के पर्यटक केन्द्र तथा तीर्थ केन्द्र प्रत्येक के विकास संबंधी परियोजना प्रस्ताव भेजने को कहा गया, जिसके लिए 50.00 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता वर्ष 1998-99 के दौरान तथा 50.00 लाख रुपए वर्ष 1999-2000 के दौरान दी जानी थी बशर्ते कि राज्य/संघ राज्य सरकारें भी उतना ही योगदान करें।

(ख) वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान इस योजना के तहत् विनिर्दिष्ट 51 पर्यटक केन्द्रों तथा तीर्थ केन्द्रों पर आधारभूत अवसंरचना के विकास के लिए 1917.01 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।

(ग) और (घ) परियोजना/योजनाओं की समीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है। परियोजनाओं का कार्यान्वयन संबद्ध राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा किया जाता है।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों पर आयात शुल्क

*548. श्री शंकर सिंह वाघेला :
डा० सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गेहूं, चावल और फलों इत्यादि पर आयात शुल्क बढ़ाकर 80 प्रतिशत तक कर दिया है ताकि इन वस्तुओं के आयात को हतोत्साहित किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या आयातित खाद्यान्नों के आयात शुल्क के लगाने से महंगे हो जाने की संभावना है और इस प्रकार उपभोक्ता भूमंडलीकरण के लाभों से वंचित रह जाएंगे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शान्ता कुमार) : (क) निम्नलिखित खाद्यान्नों और फलों पर लगने वाले आयात शुल्क (मूल+अधिभार) में वृद्धि की गई है :

(i) ताजे अंगूर, 27.5 प्रतिशत से 38.5 प्रतिशत पर

(ii) सेब, 38.5 प्रतिशत से 50 प्रतिशत पर

(iii) गेहूं, 'मुक्त' (फ्री) से 50 प्रतिशत

(iv) गेहूं (स्पेल्ट), 'शून्य' से 50 प्रतिशत

(v) मक्का (कार्न) बीज, शून्य से 50 प्रतिशत

(vi) भूसीयुक्त चावल (धान अथवा रफ), मुक्त से 80 प्रतिशत

(vii) भूसीरहित (ब्राउन) चावल, मुक्त से 80 प्रतिशत

(viii) अर्ध मिल्ड अथवा पूर्ण मिल्ड चावल, चाहे पालिश अथवा चमक लाई गई हो अथवा नहीं, मुक्त से 70 प्रतिशत

(ix) टोटा चावल, मुक्त से 80 प्रतिशत

(x) ग्रेन सोरघम, मुक्त से 50 प्रतिशत

(xi) मिलेट, मुक्त से 50 प्रतिशत

यद्यपि वित्त मंत्रालय द्वारा गेहूं पर 1.12.1999 से शुल्क लगाया गया था तथापि, अन्य वस्तुओं पर 5.4.2000 से शुल्क लगाया अथवा इसमें वृद्धि की गई थी।

(ख) और (ग) आयात शुल्क लगाने से गेहूं और चावल का आयात महंगा हो गया है। गेहूं का अधिक स्टाक (पहली अक्तूबर 1999 को स्थिति के अनुसार 116 लाख टन के बफर मानदंडों की तुलना में 205 लाख टन) होने और चावल का अच्छा स्टाक (पहली अप्रैल, 2000 को स्थिति के अनुसार 118 लाख टन के बफर मानदंड की तुलना में 149.29 लाख टन) होने की दृष्टि से खाद्यान्नों पर आयात शुल्क लगाया गया है। ऐसा घरेलू उत्पादकों को सुरक्षा प्रदान करने और खाद्य सुरक्षा बनाए रखने के समूचे हित में किया गया है।

रेलवे स्टेशनों का विकास

*549. श्री बृज लाल खाबरी :
श्री ए० वैंकटेश नायक :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में लगभग 114 रेलवे स्टेशनों का आदर्श स्टेशनों के रूप में विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह योजना यात्री सुविधाओं को सुधारने हेतु आधुनिकीकरण कार्यक्रम का एक हिस्सा है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे रेलवे स्टेशनों के राज्यवार/जोनवार नाम क्या हैं;

(घ) इसके लिए कितनी धनराशि नियत की गई है और प्रत्येक स्टेशन पर अनुमानत: कितना व्यय होने की संभावना है;

(ङ) विकास कार्य के कब तक आरंभ हो जाने और पूरा हो जाने की संभावना है;

(च) क्या सरकार अन्य रेलवे स्टेशनों को आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित करने पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार/जोनवार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) से (ग) स्टेशनों पर यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अभी तक 123 स्टेशनों को आदर्श स्टेशनों के रूप में चुना गया है। स्टेशनों के रेलवे-वार नाम दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है। इन स्टेशनों पर सुधार के लिए चिह्नित मुख्य कार्यों में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं :

(i) संकेत चिह्नों, राष्ट्रीय गाड़ी पूछताछ प्रणाली (एन०टी०ई०एस०), स्वचालित वैंडिंग मशीनों, मॉड्यूलर खानपान स्टॉल तथा स्वत: मुद्रण टिकट मशीनों की व्यवस्था करना।

(ii) प्रतीक्षालयों, विश्राम गृहों, बुकिंग कार्यालयों तथा शौचालयों में सुधार करना।

(iii) परिचलन क्षेत्र का विकास करना।

(iv) मूलभूत सुविधाओं/यात्री सुविधाओं की कमियों को दूर करना।

(v) ऊपरी पैदल पुलों को परिचलन क्षेत्र तक बढ़ाना; और

(vi) शिकायतों का कंप्यूटरीकरण किया जाना।

(घ) प्रत्येक आदर्श स्टेशन के लिए निधियों का अलग से कोई आबंटन नहीं किया जाता है क्योंकि विशिष्ट सुविधाओं की व्यवस्था, ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार की जाती है। 'यात्री तथा अन्य रेल उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाएं' तथा 'कंप्यूटरीकरण' योजना शीर्ष के अंतर्गत निधियों के कुल आबंटन में से बेहतर यात्री सुविधाओं की व्यवस्था करने के प्रयोजन से रेलों को धन खर्च करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(ङ) रेलों द्वारा चुनिंदा आदर्श स्टेशनों पर उन्नत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वस्तुत: संकेत चिह्न, राष्ट्रीय गाड़ी पूछताछ प्रणाली (एन०टी०ई०एस०), शिकायतों का कंप्यूटरीकरण, मॉड्यूलर खानपान स्टॉल आदि जैसी सुविधाएं पहले ही बहुत से स्टेशनों पर उपलब्ध करा दी गई हैं।

(च) और (छ) यह प्रस्ताव है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान स्टेशन संकल्पना की परिधि में 'क' श्रेणी के 63 और स्टेशनों को लाया जाए (विवरण-II) जिससे आदर्श स्टेशन के रूप में चुने गए स्टेशनों की कुल संख्या 186 हो जाएगी। इसके साथ ही, 'क' श्रेणी के सभी स्टेशन आदर्श स्टेशन की योजना में शामिल हो जाएंगे।

विवरण-I

आदर्श स्टेशनों के रूप में विकास के लिए चुने गए स्टेशनों की रेलवे-वार सूची

रेलवे	स्टेशनों के नाम
मध्य	आगरा छावनी, भोपाल, भुसावल, फरीदाबाद, जबलपुर, झांसी, मुम्बई, छ०शि०ट०, नागपुर, पुणे, सोलापुर।
पूर्व	आसनसोल, बंडेल, बर्धमान, धनबाद, गया, हवड़ा, मालदा टाउन, मोकामा, नालंदा, पटना, सोनारपुर, सियालदह।
उत्तर	इलाहाबाद, अंबाला छावनी, अलीगढ़, अमृतसर, आनंदपुर साहिब, अयोध्या, बीकानेर, चंडीगढ़, दिल्ली, देहरादून, फिरोजपुर, हरिद्वार, हजरत निजामुद्दीन, जम्मू तवी, जालंधर सिटी, जोधपुर, कालका, कानपुर सेंट्रल, लुधियाना, लखनऊ, मुरादाबाद, नई दिल्ली, शिमला, वाराणसी।
पूर्वोत्तर	बरौनी, छपरा, दरभंगा, गोरखपुर, काठगोदाम, मुजफ्फरपुर, सोनपुर, मोतीहारी।
पूर्वोत्तर सीमा	न्यू अलीपुरद्वार, धर्मनगर, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, कटिहार, कोकराझार, न्यू जलपाईगुड़ी, न्यू तिनसुकिया, न्यू बोंगाईगांव, सिलचर।
दक्षिण	बेंगलूरू, चेन्नई, चेन्नई एगमोर, कोयम्बतूर, एर्णाकुलम, मंगलोर, मैसूर, मदुरै, पालघाट, शिमोगा, त्रिचूर, तिरुच्चिरापल्ली, तिरुवनंतपुरम।
दक्षिण मध्य	गुंटूर, गुंतकल, हैदराबाद, हॉसपेट, हुबली, मडगांव, नांदेड़, राजमंड्री, सिकंदराबाद, तिरुपति, विजयवाड़ा, वारंगल।
दक्षिण पूर्व	भुवनेश्वर, बालासोर, बरहमपुर, बिलासपुर, बैरी, बड़ाखांडिता, कटक, ढेनकनाल, दुर्ग, गोलंथरा, कपिलास रोड, खड़गपुर, खोरधा रोड, मिदनापुर, पुरी, रहामा, रांची, रायपुर, राउरकेला, सुरला रोड, टाटानगर, विशाखापत्तनम।
पश्चिम	अजमेर, अहमदाबाद, भावनगर, चित्तौड़गढ़, दादर, इंदौर, जयपुर, कोटा, राजकोट, सूरत, उदयपुर, वडोदरा।

विवरण-II

आदर्श स्टेशनों के रूप में प्रस्तावित चुने जाने वाले श्रेणी 'क' के स्टेशनों की सूची

रेलवे	स्टेशनों के नाम
मध्य	थाणे, कल्याण, सतना, मथुरा जंक्शन, दादर, कुर्ला, चन्द्रपुर, हबीबगंज, ग्वालियर, नासिक रोड, अकोला जंक्शन, कटनी जंक्शन, गुलबर्गा।
पूर्व	दुर्गापुर, मुगलसराय, दानापुर, भागलपुर।
उत्तर	सहारनपुर, पठानकोट, बरेली, फैजाबाद, मेरठ सिटी, बठिंडा।
पूर्वोत्तर	बस्ती, समस्तीपुर, इज्जतनगर जंक्शन, मंडुआडीह, गोंडा जंक्शन, देवरिया सदर, सिवान जंक्शन, हाजीपुर जंक्शन, रावतपुर, मऊ जंक्शन।
पूर्वोत्तर सीमा	कामाख्या, लमडिंग, अलीपुरद्वार जंक्शन, दीमापुर।
दक्षिण	सेलम, कोल्लम, कन्याकुमारी, कोट्टायम, चेंगान्नूर, तिरुत्तानी, कण्णनोर, पांडिचेरी, कालीकट, चेन्नई बीच, माम्बलम।
दक्षिण मध्य	नेल्लोर, वास्को-डि-गामा, काचीगुडा।
दक्षिण पूर्व	चक्रधरपुर, संबलपुर, आद्रा।
पश्चिम	वापी, बांद्रा, भरूच, वलसाड, मुंबई सेंट्रल, रतलाम, आगरा फोर्ट, गांधीधाम, बादशाह नगर।

[अनुवाद]

ग्रामीण सड़कों का विकास

*550. **श्री कृष्णमराजू** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'रोड्स इन स्पेशल एरियाज' और 'रूरल कनेक्टिविटी थ्रू आल वेदर रोड्स' योजनाओं का विलय करके उनके अंतर्गत धनराशि नियत करने संबंधी प्रस्ताव को आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार जैसे नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में लागू किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण सड़कों का विकास किए जाने पर विचार नहीं करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या प्राथमिकता के आधार पर ग्रामीण सड़कों के विकास हेतु कोई नई केन्द्र प्रायोजित योजना आरंभ की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) से (ङ) केन्द्र सरकार वर्तमान में एक राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क

कार्यक्रम (एन०आर०आर०पी०) तैयार कर रही है जिसके लिए एक राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास समिति गठित की गई है। विशेष समस्या वाले क्षेत्रों (नक्सलवाद संभावित क्षेत्र सहित) के लिए निधियों का एक हिस्सा आवंटित करने के प्रश्न पर प्रस्तावित कार्यक्रम में विचार किया जाएगा।

पिछड़े जिले

*551. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अधिकांश पिछड़े जिले मराठवाड़ा, रायगढ़, कालाहांडी, बोलनगीर, कोरापुट, बीदर, गुलबर्गा, रायचूर और तेलंगाना क्षेत्रों में स्थित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन क्षेत्रों के पिछड़ेपन के कारणों तथा इसके परिणामों का विश्लेषण किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा पिछड़े क्षेत्रों के विकास तथा उत्थान हेतु अब तक क्रियान्वित किए गए कार्यक्रमों के वांछित परिणाम नहीं निकले हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार इन क्षेत्रों में पिछड़ेपन को समाप्त करने हेतु समयबद्ध कार्य योजनाओं की शृंखला शुरू करने जा रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) से (छ) अन्य बातों के साथ-साथ देश में 100 सर्वाधिक पिछड़े/सबसे गरीब जिलों की पहचान के लिए 1997 में एक समिति (प्रधान सलाहकार, योजना आयोग की अध्यक्षता में) गठित की गई थी। पिछड़ेपन के कारणों का विश्लेषण करने के लिए समिति द्वारा अपनाए गए व्यापक मानदंडों में दरिद्रता (गरीबी अनुपात) के सूचकांक और सामाजिक तथा आर्थिक ढांचागत सुविधाएं शामिल थीं। समिति द्वारा पहचाने गए 100 सर्वाधिक पिछड़े/सबसे गरीब जिलों में बिहार में 38 जिले, मध्यप्रदेश से 19 जिले, उत्तर प्रदेश से 17 जिले, महाराष्ट्र से 10 जिले, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल से 4-4 जिले, राजस्थान तथा सिक्किम से 2-2 जिले तथा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक तथा दादरा एवं नगर हवेली से 1-1 जिले शामिल थे।

2. ग्रामीण विकास मंत्रालय अन्य बातों के साथ-साथ गरीबी उपशमन, रोजगार सृजन, ढांचागत सुविधाओं का विकास, वाटरशेड योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा और भूमि सुधार से संबंधित कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके और गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की सहायता की जा सके। इन कार्यक्रमों की निगरानी की जा रही है और समय-समय पर मूल्यांकन किया जा रहा है। पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कार्यान्वित किए गए कार्यक्रमों से इन क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार लाने में सहायता मिली है।

रेलवे भूमि पर अतिक्रमण

*552. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में और इसके आसपास रेलवे भूमि के एक बड़े हिस्से पर अतिक्रमण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो अनधिकृत व्यक्तियों/फर्मों द्वारा गैर कानूनी ढंग से हथियाई गई रेलवे भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन अतिक्रमणकारियों से उक्त भूमि वापस लेने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली क्षेत्र में लगभग 425 हेक्टेयर रेलवे भूमि अतिक्रमणाधीन है।

(ग) और (घ) रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने का काम एक सतत् प्रक्रिया है, जो राज्य सरकार की सहायता से मौजूदा नियमों के अनुसार किया जाता है।

इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली क्षेत्र में विभिन्न स्थानों से लगभग 4,000 अतिक्रमण हटाए गए हैं।

रेलकर्मियों को सम्मानित करने की योजनाएं

*553. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग ने पात्र रेलकर्मियों को सम्मानित करने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसके लिए क्या पुरस्कार और सम्मान प्रारंभ किए गए हैं;

(ग) क्या यात्रियों के साथ व्यवहार करने वाले रेलकर्मी भी ऐसे सम्मान को पाने के पात्र होंगे;

(घ) यदि हां, तो क्या रेल विभाग द्वारा उन कर्मचारियों की पहचान करने और पुरस्कृत करने के लिए कोई योजना बनाई गई है जो यात्रियों के प्रति सेवाभाव रखते हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसे पुरस्कारों और सम्मानों को शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) और (ख) जी, हां। रेलकर्मियों को खर्च में कमी, उत्पादन में सुधार, आयात प्रतिस्थापन आदि क्षेत्रों में की गई नई खोजों, प्रक्रियाओं, क्रिया विधियों, साहसिक कार्यों, परिचालन में सुधार लाने, परिसंपत्तियों के बेहतर रख-रखाव और उपयोग तथा सुरक्षा एवं संरक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्यों

के लिए और अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त खेल-कूद से संबंधित क्षेत्रों में योगदान प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर मंडलों, क्षेत्रीय रेलों और मंत्रालय द्वारा नकद पुरस्कार, शील्ड, योग्यता प्रमाण-पत्र, पदक, प्रशस्ति पत्र और तमगे आदि देकर सम्मानित किया जाता है।

(ग) और (घ) यात्रियों से जुड़े कार्यों को निपटाने वाले रेलवे कर्मचारी भी इसी प्रकार ऐसे सम्मान के पात्र हैं। रेलवे की विशेष तथा उत्कृष्ट योग्यता वाली सेवाओं पर, विशेष तौर पर जब वे यात्रियों की समस्याओं से निपटने में विशेष रुचि, संवेदनशीलता और नई पहल दर्शाते हैं, समुचित ध्यान दिया जाता है। ऐसे कर्मचारियों को प्रत्येक मामले की योग्यता के आधार पर मंडलों से रेल मंत्रालय तक के विभिन्न स्तरों पर पुरस्कृत किया जाता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे आधारभूत अवसंरचना विकास निधि की स्थापना

*554. **डा० जसवंत सिंह यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे आधारभूत अवसंरचना विकास निधि की स्थापना किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है;

(ग) यह धनराशि कितनी होगी और इसे किन-किन संसाधनों से जुटाए जाने की संभावना है; और

(घ) इन निधियों का उपयोग किन-किन क्षेत्रों में किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) रेलवे आधारभूत अवसंरचना विकास निधि की स्थापना किए जाने का, फिलहाल, कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

राज्य विद्युत बोर्डों पर रेलवे की बकाया राशि

*555. **श्री अनन्त गुडे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार कोयले के परिवहन के लिए राज्य विद्युत बोर्डों पर रेलवे की राज्य विद्युत बोर्ड-वार कितनी-कितनी धनराशि बकाया थी; और

(ख) सरकार द्वारा बकाया राशि की वसूली हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) 31.3.2000 को स्थिति निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य बिजली बोर्ड/ बिजलीघर का नाम	31.3.2000 को बकाया
1.	आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	12.06
2.	असम राज्य बिजली बोर्ड	–
3.	बिहार राज्य बिजली बोर्ड	0.37
4.	दिल्ली विद्युत बोर्ड	118
5.	गुजरात राज्य बिजली बोर्ड	9.54
6.	हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड	88.74
7.	कर्नाटक बिजली बोर्ड	0.02
8.	महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड	6.58
9.	मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	2.21
10.	पंजाब राज्य बिजली बोर्ड	74.00
11.	राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड	20.65
12.	तमिलनाडु राज्य बिजली बोर्ड	6.66
13.	उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	0.01
14.	पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड	6.49
15.	बदरपुर ताप बिजलीघर	955.00
16.	राष्ट्रीय ताप बिजली निगम	16.12
17.	दामोदर घाटी निगम	4.92
18.	निजी बिजलीघर, साबरमती	0.44
	जोड़	1321.81

नोट : बकाया राशि से संबंधित आंकड़े अनंतिम हैं क्योंकि 1999-2000 के लेखे अभी बंद किए जाने हैं।

(ख) राज्य बिजली बोर्डों तथा बिजलीघरों से बकाया राशि की वसूली के लिए रेलों द्वारा किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

1. 1.1.1996 से बिजलीघरों के लिए बुक किए जाने वाले कोयले की ढुलाई के लिए 'मालभाड़े का पूर्व भुगतान' की विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन।

2. जो राज्य बिजली बोर्ड और बिजलीघर 'मालभाड़े का पूर्व भुगतान' की शर्तों को पूरा करने में विफल रहते हैं और मौजूदा मालभाड़े का भी भुगतान नहीं करते हैं उन पर क्षेत्रीय रेलों द्वारा कड़ी नजर रखी जाती है और राज्य बिजली बोर्डों तथा बिजलीघरों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जाती हैं।

3. 7.2.1997 को सरकार के इस निर्णय के अनुसार कि 31.12.1996 की स्थिति के अनुसार राज्य बिजली बोर्डों तथा बिजलीघरों पर बकाया राशि का, एक निश्चित सीमा तक समायोजना राज्य सरकारों की केन्द्रीय योजना सहायता के साथ किया जाएगा, रेलों को 31.3.2000 तक 116.93 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है।

4. उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड, पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड, आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड तथा हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड से संबंधित बिजली बोर्डों के कर्षण बिलों का बकाया राशि के साथ समायोजन।

5. रेल मंत्रालय ने बदरपुर ताप बिजलीघर पर बकाया राशि की वसूली के लिए बिजली मंत्रालय, वित्त मंत्रालय तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के साथ विभिन्न स्तरों पर संपर्क किया है। बिजली मंत्रालय द्वारा दिए गए संकेतों के अनुसार 2000-2001 के बजट अनुमानों में 500 करोड़ रुपए की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास पर धन का उपयोग

*556. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल :**
श्री चन्द्र नाथ सिंह :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 अप्रैल, 2000 के 'जनसत्ता' दिल्ली संस्करण में 'ग्रामीण विकास पर पूरा पैसा भी नहीं खर्च कर पायी सरकार' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) से (ग) प्रश्न में उल्लिखित समाचार अन्य बातों के साथ-साथ स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस०जी०एस०वाई०), जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे०जी०एस०वाई०), सुनिश्चित रोजगार योजना (ई०ए०एस०), इंदिरा आवास योजना (आई०ए०वाई०) तथा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन०एस०ए०पी०) के निष्पादन से संबंधित है। वर्ष 1999-2000 के दौरान इन योजनाओं के लिए केन्द्रीय अंश की रिलीज से संबंधित स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

2. पूर्ववर्ती कार्यक्रमों के पुनर्गठन के बाद वर्ष 1999-2000 के दौरान स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना तथा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना चालू हुई और इसके बावजूद ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निधियों की रिलीज संतोषजनक रही है। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन जो विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं का निष्पादन करते हैं, के द्वारा वास्तविक/वित्तीय उपलब्धियों के आंकड़ों की सूचना देने में प्राय: समय अंतराल होता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों की प्रगति में और तेजी लाने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं तथा निगरानी प्रबंध भी किए गए हैं।

विवरण

वर्ष 1999-2000 के दौरान जे०जी०एस०वाई०, एस०जी०एस०वाई०, ई०ए०एस०, आई०ए०वाई० तथा एन०एस०ए०पी० के अंतर्गत निधियां की केन्द्रीय रिलीज को बताने वाला विवरण

क्र० सं०	कार्यक्रम का नाम	संशोधित अनुमान 1999-2000	रिलीज			संशोधित अनुमान के प्रतिशत रूप में रिलीज
			केन्द्र	राज्य	कुल	
1	2	4	5	6	7	10
1.	जे०जी०एस०वाई०	1689.00	1685.28	306.01	1991.28	99.78
2.	एस०जी०एस०वाई०	950.00	930.68	221.81	1152.49	97.97
3.	आई०ए०वाई०	1451.00	1441.05	449.74	1888.14	99.31
4.	ई०ए०एस०	2040.00	2037.97	579.43	2315.85	99.90
5.	एन०एस०ए०पी०	710.00	710.00	0.00	710.00	100.00

[अनुवाद]

देश में रडार

*557. **श्री प्रभात सामन्तराय :**
श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के वायु-क्षेत्र में रडार की सुविधा प्रदान करने संबंधी कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) समूचे वायु-क्षेत्र में रडार की सुविधा किस वर्ष तक उपलब्ध करा दी जाएगी; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ किस-किस विमानपत्तन पर रडार स्थापित

किए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, तिरुवनतंपुरम, हैदराबाद, गुवाहाटी, अहमदाबाद तथा नागपुर हवाई अड्डों पर एमएसएसआर लगा दिए गए हैं जबकि मार्च, 2001 तक वाराणसी, बेहरामपुर तथा मंगलौर हवाई अड्डों पर भी इन्हें लगा दिए जाने की आशा है। इन एमएसएसआर के संस्थापन से, भारतीय क्षेत्र के ऊपर के संपूर्ण हवाई मार्ग इस रडार निगरानी क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे।

रेल गाड़ियों में ज्वलनशील पदार्थों को लाना-ले-जाना

*558. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लोग रेल गाड़ियों में यात्रा करते समय ज्वलनशील पदार्थ लाते-ले-जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इन ज्वलनशील पदार्थों के कारण रेल गाड़ियों में आग लगने के कितने मामले प्रकाश में आए हैं; और

(ग) रेल गाड़ियों में इन वस्तुओं का लाना-ले-जाना रोकने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) और (ख) जी, हां। कुछ मामले नोटिस में आए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान गाड़ियों में ज्वलनशील पदार्थ ले जाने के कारण आग लगने के 6 मामले रिपोर्ट किए गए थे।

(ग) ज्वलनशील पदार्थ ले जाने पर नियंत्रण रखने के लिए स्टेशनों पर तथा गाड़ियों में कर्मचारियों द्वारा जांच की जाती है। इसके अलावा, इस विषय पर मीडिया, जन उद्घोषणा प्रणाली तथा स्टेशनों और गाड़ियों में नोटिस लगाकर व्यापक प्रचार किया जाता है। ज्वलनशील पदार्थ ले जाने के संबंध में भारतीय रेल अधिनियम के प्रावधानों को उस समय और कड़ा कर दिया गया था जब 1989 में नया रेल अधिनियम लागू किया गया था।

[हिन्दी]

चीनी का उत्पादन

*559. **श्री माणिकराव होडल्या गावित** : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष चीनी का राज्य-वार कितना-कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या सरकार का विचार चीनी पर लगाई गई लेवी हटाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शान्ता कुमार) : (क) गत् 3 चीनी मौसमों (अक्तूबर-सितंबर) के दौरान चीनी का वर्ष-वार तथा राज्य-वार उत्पादन दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) चीनी फैक्ट्रियों के द्वारा उत्पादित चीनी पर लगाई गई लेवी को हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

चीनी का राज्य-वार उत्पादन दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े लाख टन में)

क्र. सं.	राज्य	चीनी मौसम 1996-97	चीनी मौसम 1997-98	चीनी मौसम 1998-99*(अ)
1.	पंजाब	6.13	3.29	2.94
2.	हरियाणा	4.90	3.82	4.03
3.	राजस्थान	0.23	0.29	0.26
4.	उत्तर प्रदेश	40.84	39.22	37.23
5.	मध्य प्रदेश	0.87	0.68	0.85
6.	गुजरात	9.67	8.90	10.07
7.	महाराष्ट्र	34.46	38.46	53.43
8.	बिहार	3.62	2.99	2.67
9.	असम	0.05	0.03	0.04
10.	उड़ीसा	0.78	0.57	10.74
11.	पश्चिम बंगाल	0.05	0.03	0.05
12.	नागालैंड	—	—	—
13.	आंध्र प्रदेश	7.72	7.82	11.20
14.	कर्नाटक	8.70	9.59	13.76
15.	तमिलनाडु	10.50	12.22	17.20
16.	पांडिचेरी	0.33	0.37	0.44
17.	केरल	0.05	0.06	0.09
18.	गोवा	0.15	0.10	0.20
	समस्त भारत	129.05	128.44	155.20

*(अ) अनंतिम

[अनुवाद]

तूफान के कारण खाद्यान्नों का अतिरिक्त आबंटन

*560. श्री अनन्त नायक : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तूफान प्रभावित राज्यों, विशेष रूप से उड़ीसा को रियायती दरों पर खाद्यान्नों की अतिरिक्त मात्रा आबंटित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार, मद-वार और मात्रा-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार वित्त वर्ष 2000-2001 के अंत तक भी इस राजसहायता को जारी रखने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शान्ता कुमार) : (क) और (ख) हाल ही में चक्रवात आपदा की दो घटनाएं हुई हैं। ये चक्रवात अक्तूबर, 1999 में बहुत कम अंतराल पर उड़ीसा में आए थे। इस राज्य में चक्रवात द्वारा हुए बड़े पैमाने पर नुकसान को देखते हुए चक्रवात राहत के लिए राज्य को गरीबी रेखा से नीचे की दर पर खाद्यान्नों की निम्नलिखित मात्राओं का आबंटन किया गया है :

	चावल	मात्रा टन में
1.	प्रभावित हुए 14 जिलों के चक्रवात प्रभावित सभी परिवारों को वितरण करने हेतु	
	(क) नवंबर, 1999 से 31 मार्च, 2000 तक पांच माह की अवधि के लिए	2,93,038
	(ख) अप्रैल, 2000 से अक्तूबर, 2000 तक 7 माह की अवधि के लिए	1,28,982
2.	गैर-सरकारी संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा चक्रवात प्रभावित जिलों में सामुदायिक रसोई चलाने हेतु	2,000
3.	चक्रवात आने के पश्चात् प्रथम 15 दिन के दौरान अनुग्रह राहत (मुफ्त चावल) के रूप में राज्य सरकार द्वारा वितरित की गई चावल की मात्रा के प्रति	51,663
4.	14 प्रभावित जिलों में काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए गरीबी रेखा से नीचे की दर पर चावल का आबंटन	90,600
5.	जोड़	5,66,283
	गेहूं	
6.	आटा बनाने और प्रभावित तटीय जिलों में चक्रवात प्रभावित आबादी को वितरण करने हेतु	50,000
7.	प्रभावित क्षेत्रों में वितरण करने हेतु गेहूं का आबंटन	90,000
8.	जोड़	1,40,000
9.	चावल और गेहूं की कुल मात्रा	7,06,283

(ग) और (घ) उड़ीसा सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने चक्रवात राहत के लिए गरीबी रेखा से नीचे की दर पर किए जा रहे चावल के विशेष आबंटन को अक्तूबर, 2000 तक बढ़ा दिया है।

केरल में यात्रा परिपथ

5900. श्री जी०एम० बनातवाला : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल से गुजरने वाला सिर्फ एक स्वीकृत यात्रा परिपथ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उत्तर केरल हेतु मंगलौर-बेकल-कन्नूर-कालीकट-तिरूर-वायनाड-ऊटी-मैसूर के लिए यात्रा परिपथ को मंजूर करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (घ) कोचीन-थेक्काडी-मदुरै-रामेश्वरम् यात्रा परिपथ केरल से गुजरता है। केरल में बेकल समुद्रतट को यात्रा गंतव्य स्थल के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है। बेकल को राज्य सरकार द्वारा भी विशिष्ट पर्यटन क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है।

अतिरिक्त यात्रा परिपथों के लिए, राज्य सरकारों के अनुरोधों पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है। फिलहाल केरल में अतिरिक्त यात्रा परिपथ हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

हज यात्रियों को राजसहायता

5901. श्री टी० गोविन्दन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान हज यात्रियों को राजसहायता दिए जाने के कारण एयर इंडिया को कुल कितना घाटा हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान एयर इंडिया के कुल घाटे में से इस कारण हुए घाटे का प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या सरकार का विचार राजसहायता में कमी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) हज यात्रा चार्टर्ड विमान द्वारा की जाती है और हज चार्टर प्रचालन सेवा के लिए प्रति हज यात्री लागत 'लाभ-हानि रहित आधार' पर स्थित की जाती है। अत: गत तीन वर्षों के दौरान हज प्रचालनों की वजह से एयर इंडिया को कोई घाटा नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

निजी एयरलाइनों को कार पास का आबंटन

5902. श्री अशोक अर्गल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने भोपालन विमानपत्तन पर निजी विमानन कंपनियों को उनके विमानों हेतु हैंगर तथा भूमि आबंटित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण निजी विमानन कंपनियों के मालिकों को कार पास आबंटित करने पर विचार कर रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने एक हैंगर के निर्माण के लिए भोपाल विमानपत्तन पर एक निजी विमानन कंपनी, मैसर्स यश एयर लिमिटेड को भूमि का आबंटन किया है।

(ख) कंपनी की वास्तविक आवश्यकताओं के आकलन के आधार पर कंपनी के कार्मिकों को उचित संख्या में पास जारी किए जाएंगे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय में सुनिश्चित कैरियर पदोन्नति योजना का कार्यान्वयन

5903. श्री बीर सिंह महतो : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय विशेषत: सेना मुख्यालय में कार्यरत कर्मचारियों पर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की तरह ही 'सुनिश्चित कैरियर पदोन्नति' (ए सी पी) लागू होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्वोक्त योजना सेना मुख्यालय में कार्यरत निजी सचिव स्तर से पदोन्नति के संबंध में भी लागू है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार सेना मुख्यालय के निजी सचिवों को भारत सरकार के निजी सचिवों के बराबर लाने हेतु योजना के कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाने जा रही है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति स्कीम में कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट शर्तों के आधार पर 12 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने के बाद प्रथम वित्तीय ग्रेडोन्नयन तथा 24 वर्ष की नियमित सेवा के बाद द्वितीय वित्तीय ग्रेडोन्नयन किए जाने की परिकल्पना है।

(ग) जी, हां। सशस्त्र सेना बल मुख्यालय सेवा के निजी सचिव, जिन्हें अपने कैरियर में सिर्फ एक प्रोन्नति मिली है, सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति स्कीम के तहत एक वित्तीय ग्रेडोन्नयन पाने के पात्र हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों/परामर्श के अनुसार सशस्त्र सेना मुख्यालय में कार्यरत निजी सचिवों को सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति के लाभ दिए जाने हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को नौकरी देना

5904. श्री अमर राय प्रधान : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष उनके मंत्रालय/विभागों/स्वायत्त निकायों और अधीनस्थ कार्यालयों में श्रेणी-वार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के कितने अभ्यार्थियों को नौकरी दी गई;

(ख) 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक उक्त कार्यालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित कितने पद रिक्त पड़े हैं; और

(ग) इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) पिछले तीन कलैंडर वर्षों यथा–1997, 1998 और 1999 के दौरान, पर्यटन मंत्रालय/स्वायत्त निकायों और इसके अधीनस्थ कार्यालयों में रोजगार प्राप्त अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों की संख्या नीचे दिए गए अनुसार है :

अनुसूचित जाति	55*
अनुसूचित जनजाति	6*
पिछड़ा वर्ग	24*

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किंतु 31 मार्च, 2000 को समाप्त अवधि तक खाली पड़े पदों की संख्या नीचे दिए गए अनुसार है :

अनुसूचित जाति	11*
अनुसूचित जनजाति	6*
पिछड़ा वर्ग	13*

(ग) खाली पड़े पदों को भरने के लिए, नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

[हिन्दी]

सशस्त्र बलों की संख्या

5905. **प्रो० रासासिंह रावत** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश की रणनीतिक आवश्यकताओं और आतंकवाद की बढ़ती घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सशस्त्र बलों की संख्या में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार वर्तमान गुरिल्ला युद्ध और 'मारो और भागो' की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण के परंपरागत तरीकों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके लिए तैयार की गई कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अपने वियतनाम दौरे के दौरान उन्होंने सशस्त्र बलों को इस प्रकार का प्रशिक्षण देने के लिए विशेषज्ञों की सेवाएं लेने का बयान दिया था;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार को हमारे देश के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले उन जनजातीय लोगों की जानकारी है जो परंपरागत रूप से ही गुरिल्ला युद्ध में माहिर होते हैं; और

(ज) यदि हां, तो इन क्षेत्रों के लोगों को सशस्त्र बलों में भर्ती करने हेतु उठाए जा रहे/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) सशस्त्र सेनाओं की नफरी की समीक्षा करना एक सतत् प्रक्रिया है। नियमित सेना की नफरी बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, इस मंत्रालय ने गृह मंत्रालय से राष्ट्रीय राइफल की नफरी बढ़ाने की सिफारिश की है जो रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक अर्द्ध सैन्य बल है। इस प्रस्ताव का और ब्यौरा राष्ट्रीय सुरक्षा की वजह से प्रकट नहीं किया जा सकता।

(ग) और (घ) सशस्त्र सेनाओं की प्रशिक्षण आवश्यकताएं नए भर्ती किए गए अधिकारियों, अन्य रैंकों, उन्नत और विशेज्ञताप्राप्त प्रशिक्षण की अपेक्षा वाले अधिकारियों की जरूरतों से समुचित रूप से मेल खाती हैं। प्रतिविद्रोहिता और जंगल युद्ध पद्धति विद्यालय इस समय अधिकारियों और व्यक्तियों को छुटपुट संघर्ष संबंधी संक्रियाओं में लड़ने का प्रशिक्षण दे रहा है। इस विद्यालय का आदर्श वाक्य 'गुरिल्ला से गुरिल्ला की तरह लड़ो' अद्वितीय और इस विद्यालय में प्रतिविद्रोहिता और जंगल युद्धपद्धति की सिखाई जाने वाली तकनीकों का प्रतीक है।

(ङ) और (च) रक्षा मंत्री की मार्च, 2000 में हाल की वियतनाम यात्रा के दौरान दोनों देश आपस में रक्षा सहयोग बढ़ाने के अनेक उपाय करने पर सहमत हुए। इन उपायों में प्रशिक्षण, तटरक्षक कार्यकलापों, नौसेना कार्यकलापों के क्षेत्रों में सहयोग तथा दोनों देशों के रक्षा मंत्रालयों के बीच समय-समय पर बातचीत करना शामिल है। वियतनामी पक्ष ने भारतीय सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों को जंगल युद्धपद्धति के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिए जाने की संभावना पर विचार करने की सहमति दी है।

(छ) जी, हां।

(ज) दूर-दराज, सीमावर्ती पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों के लोगों को और अधिक संख्या में सेना में भर्ती किए जाने के लिए अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, हिमाचल प्रदेश के लाहोल-स्पिति तथा किन्नौर जिलों के सभी व्यक्तियों और सभी राज्यों के आदिवासियों को सेना में जनरल ड्यूटी सिपाहियों के रूप में भर्ती किए जाने के वास्ते शैक्षिक अर्हताओं में छूट देकर कक्षा दस से कक्षा पांच किया गया है।

[अनुवाद]

विद्यालयों/कॉलेजों में सैनिक प्रशिक्षण को लागू किया जाना

5906. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

---

* इसमें अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, कलकत्ता, चेन्नई, गोवा, मुम्बई और दिल्ली (पूसा) में स्थित होटल प्रबंध संस्थानों के संबंध में सूचना सम्मिलित नहीं है। संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(क) क्या सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राज्य के शिक्षा मंत्रियों के परामर्श से देश भर में सैन्य प्रशिक्षित युवा बल का रिजर्व सुरक्षित रखने के लिए कक्षा 11 से लेकर डिग्री तक के पाठ्यक्रमों में अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण को शामिल करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार एन०सी०सी० प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में संशोधन करने का और कैडेटों को भारतीय सशस्त्र सेना में आगे और प्रोत्साहन के लिए उनकी भर्ती के लिए बजट में अधिक धन उपलब्ध कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए तैयार की गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) फिलहाल ऐसा कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

रेल आरक्षण

5907. **श्री राजो सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि गर्मी और त्यौहारों के मौसम में बिहार जाने वाले यात्रियों को रेल आरक्षण प्राप्त करने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रणाली में सुधार करने तथा कंप्यूटर संबंधी कठिनाइयों के समाधान हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) भीड़-भाड़ की अवधि यथा ग्रीष्मकाल, त्यौहार आदि के सीजन के दौरान बिहार सहित विभिन्न दिशाओं के लिए लोकप्रिय गाड़ियों में स्थान उपलब्ध कराने की मांग बढ़ जाती है। मांग और सप्लाई के बीच की कमी को पूरा करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं जिनमें विशेष गाड़ियां चलाना, मौजूदा गाड़ियों के सवारी डिब्बों में वृद्धि करना आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, प्रतीक्षा सूची की स्थिति पर दिन-प्रति-दिन के आधार पर निगरानी रखी जाती है और जब कभी औचित्यपूर्ण और व्यावहारिक होता है अतिरिक्त डिब्बे लगाए जाते हैं।

[अनुवाद]

पठानकोट स्थित थल सेना के विमान क्षेत्र को असैनिक विमानों के लिए उपयोग किया जाना

5908. **श्री सुरेश रामराव जाधव** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पठानकोट विमानपत्तन पर असैनिक विमानों को उतरने एवं चढ़ने की अनुमति प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस हेतु कब तक अनुमति दिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) जी, हां। पठानकोट हवाई अड्डा भारतीय वायु सेना का है। सिविल प्रचालन सेवा को सुसाध्य बनाने के लिए इस हवाई अड्डे पर कोई सिविल एंक्लेव नहीं है। सिविल प्रचालन सेवा के लिए पठानकोट का विकास संसाधनों की उपलब्धता, यातायात संभाव्यता के साथ ही सेवाएं शुरू करने की बाबत विमानकंपनियों की इच्छा पर भी निर्भर है बशर्ते कि विमानों की उपलब्धता तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता हो। यह प्रस्ताव प्रारंभिक स्तर पर है।

कापार्ट

5909. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'कापार्ट' की क्षेत्रीय समितियों के सदस्यों का चयन करने और उन्हें मनोनीत करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित हैं;

(ख) क्षेत्रीय समिति के सदस्यों की ड्यूटी, उत्तरदायित्व और कृत्य क्या हैं;

(ग) ऐसे सदस्यों को क्या मानदेय, कृति अथवा अन्य कोई भत्ते देय हैं;

(घ) चंडीगढ़ स्थित क्षेत्रीय समिति की मौजूदा संरचना क्या है तथा इसके सदस्यों की योग्यताएं और पृष्ठभूमि क्या है; और

(ङ) 'कापार्ट' के अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के लिए मंजूर की गई परियोजनाओं का अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) और (ख) क्षेत्रीय समितियों के सदस्यों के चयन का मानदंड कपार्ट के नियमों में निर्धारित नहीं है। क्षेत्रीय समितियों में संबंधित क्षेत्रीय समिति के संचालन के भौगोलिक क्षेत्रों के सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्य होते हैं। कपार्ट के एसोशिएशन तथा नियमों के अनुसार, क्षेत्रीय समितियां कार्यकारिणी समिति द्वारा गठित की जाती है।

क्षेत्रीय समिति के कार्य इस प्रकार हैं :-

(i) अपने अधिकार क्षेत्र में 10 लाख रुपए तक के परिव्यय की परियोजना पर विचार करना। इसकी जांच प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संगठनों/विशेषज्ञों की सहायता से की जाएगी और फिर इसे विचार-विमर्श एवं अनुमोदन के लिए संबंधित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(ii) क्षेत्र के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की मॉनिटर विशेषज्ञों की सहायता से निगरानी।

(iii) स्वैच्छिक संगठनों के कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण के लिए संस्थाओं की पहचान।

(iv) राज्य सरकार तथा जिला अधिकारियों के साथ संपर्क एवं समन्वय बनाए रखना।

(v) छोटे अनौपचारिक समूहों को विकास एवं प्रोत्साहन।

(ग) सदस्यों को किसी प्रकार का मानदेय या वजीफा नहीं दिया जाता है। तथापि उन्हें कपार्ट के मानदंडों के अनुसार बैठकों में उपस्थित होने के लिए यात्रा खर्च दिया जाता है।

(घ) क्षेत्रीय समिति, चंडीगढ़ की रचना संलग्न विवरण-I में दी गई है। कपार्ट के एसोसिएशन ज्ञापन और नियमों में सदस्यों की योग्यताएं निर्धारित नहीं हैं।

(ङ) परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

क्षेत्रीय समिति—चंडीगढ़ का गठन

1.	प्रो० आर०डी० गर्ग उद्योग भारती 13, साक्षर अपार्टमेंट्स ए-3 ब्लॉक, पश्चिम विहार दिल्ली-110063	अध्यक्ष
2.	डॉ० रजनीश अरोड़ा विक्रम विद्यालय, खूहकोटियां अमृतसर, पंजाब-143006	सदस्य
3.	श्री सतपाल रायजादा 2/4, लोअर बाजार, शिमला-1	सदस्य
4.	श्री अजय जंबावल बुद्ध कल्याण सिंह लेह, लद्दाख	सदस्य
5.	श्री अजायब सिंह हेल्पेज इंडिया चंडीगढ़	सदस्य
6.	डा० (मिस) एस०ए० परीजा शिवाजी नगर, जिला गुड़गांव हरियाणा	सदस्य
7.	श्री मनमोहन शर्मा निदेशक वी०एच०ए०आई० चण्डीगढ़	सदस्य
8.	श्री उपेन्द्र दत्त 13-बी, फिरोजशाह रोड नई दिल्ली-110001	सदस्य
9.	सचिव ग्रामीण विकास पंजाब सरकार, चंडीगढ़	सदस्य
10.	सचिव ग्रामीण विकास हरियाणा सरकार, चंडीगढ़	सदस्य
11.	सचिव ग्रामीण विकास हिमाचल प्रदेश सरकार	सदस्य
12.	सचिव ग्रामीण विकास जम्मू एवं कश्मीर सरकार, श्रीनगर	सदस्य
13.	डी०जी० कपार्ट के प्रतिनिधि	सदस्य
14.	सदस्य-संयोजक, कपार्ट	सदस्य संयोजक

विवरण-I

पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर राज्य तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में कपार्ट के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के ब्यौरे शुरुआत से लेकर 31.3.2000 तक

योजना	राज्य				
	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश	पंजाब	जम्मू एवं कश्मीर	चंडीगढ़
ए०आर०टी०एस०	11	92	7	12	8
ए०आर०डब्ल्यू०एस०पी०	50	15	—	1	—
सी०आर०एस०पी०	54	8	7	6	2
डी०डब्ल्यू०सी०आर०ए०	43	14	1	17	4
पुस्तकालय	—	1	—	—	—
आई०आर०डी०पी०	5	3	1	2	—
ओ०आर०पी०/एस०ए०टी०	48	45	6	11	2
पी०सी०	68	19	5	12	3
सामाजिक वानिकी	5	1	—	—	—
टी०एम०	39	23	3	4	—
जे०आर०वाई०/आवास	11	15	3	—	—
डब्ल्यू०एस०डी	1	2	—	3	—
कुल	335	238	33	68	19

'कैल्टेक' को रक्षा-इकाई के रूप में बदलना

5910. **श्री एस० अजय कुमार :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से 'केल्टेक' के रक्षा मंत्रालय के अधीन एक रक्षा-इकाई में बदलने के संबंध में कोई अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) केरल सरकार के 'केल्टेक' को पुनर्जीवित करने के अनुरोध के आधार पर एक विशेषज्ञ समिति ने केल्टेक को हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की एक डिवीजन में परिवर्तित करने की संभाव्यता का अध्ययन किया था। समिति ने विश्लेषण के बाद इस तरह के परिवर्तन की सिफारिश नहीं की थी। तत्पश्चात् फेब्रिकेशन आर्डरों, जिन्हें प्रतिस्पर्द्धा के आधार पर अंतिम रूप दिया जाना है, के प्रति अग्रिम राशि के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन प्रत्येक से 10 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने पर सहमति हुई थी।

सेना के वाहनों के विनिर्माण में निजी भागीदारी

5911. **श्री चन्द्रकांत खैरे** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के केन्द्रीय वाहन डिपो में सेना के वाहनों के विनिर्माण हेतु निजी कंपनियों के साथ किसी समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो स्थानवार संबंधित प्रत्येक केन्द्रीय वाहन डिपो सहित उन कंपनियों के नाम क्या हैं; और

(ग) इसके लिए क्या नियम और शर्तें निर्धारित की गई हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) सरकार ने मैसर्स अशोक लेलैंड और मैसर्स टेल्को के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संबंधी करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते में मैसर्स अशोक लेलैंड से 5/7.5 टन स्टालियन एम के-3 वाहनों और मैसर्स टेल्को से 2.5 टन एल पी टी ए 713/32 वाहनों की इंजन असेम्बली को छोड़कर अन्य सभी हिस्से-पुर्जों के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण वाहन निर्माणी, जबलपुर को किया जाना शामिल है न कि केन्द्रीय वाहन डिपुओं को।

[हिन्दी]

अदालतों में रेलवे विभाग से संबंधित लंबित मामले

5912. **डा० बलिराम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों की अदालतों में रेलवे विभाग से संबंधित लंबित मामलों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) उक्त मामले कब से लंबित पड़े हैं; और

(ग) इन मामलों का शीघ्र निपटान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

आर०सी०पी०ए०सी० की सिफारिशें

5913. **श्री राजनारायण पासी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा गठित रेलवे खानपान और यात्री सुख-सुविधा संबंधी समिति ने सिफारिश की है कि यात्री सुविधाओं के मद्देनजर स्टेशनों पर खानपान सेवाओं को न लाभ न हानि के आधार पर चलाया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने हाल ही में इस पुरानी नीति को बदल दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) जी, नहीं। भारतीय रेलों पर खानपान व्यवस्था की समय-समय पर समीक्षा की गई है। 1953 में श्री ओ०वी० अलगेसन, तत्कालीन उप रेल मंत्री की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने इस सिद्धांत की सिफारिश की थी कि विभागीय खान-पान इकाइयां 'बिना लाभ-हानि' के आधार पर चलायी जानी चाहिए। बहरहाल, तत्पश्चात् 1967 में श्री परिमल घोष, तत्कालीन रेल राज्य मंत्री की अध्यक्षता में गठित रेलवे खान-पान और यात्री सुविधा समिति ने उपरोक्त सिद्धांत को आशोधित कर दिया था ताकि मामूली लाभ मिल सके, जिसे सेवा में लगाया जाए।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का निजीकरण

5914. **श्री अनन्त नायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के अधीन कौन-कौन से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के उपरोक्त उपक्रमों में से कुछ का निजीकरण करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) रेल मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इरकॉन इंटरनेशनल लि०, इरकॉन, रेल इंडिया टेक्नीकल एंड इकानामिक सर्विसेस लि० (राइट्स), भारतीय रेल वित्त निगम लि० (आई०आर०एफ०सी०), भारतीय कंटेनर निगम लि० (कनकोर) और कोंकण रेल निगम (के०आर०सी०) हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर सुविधाएं

5915. **श्रीमती शीला गौतम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर रिक्शा और साईकल के लिए शेडों के निर्माण और वहां पर प्रदान की जा रही सुविधाओं में सुधार से संबंधित अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) प्राप्त अभ्यावेदनों में रिक्शा और साइकिलों के लिए सायबानों के निर्माण की आवश्यकता के बारे में उल्लेख नहीं किया है बल्कि इसमें अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं में सुधार हेतु मांग की गई है जिनमें शहर की तरफ के क्षेत्र के सौन्दर्यीकरण सहित प्लेटफार्म के विस्तारित भाग पर और अधिक यात्री सायबानों, पेयजल नलों, रोशनी, पंखों, पूर्वी छोर पर ऊपरी पैदल पुल को चौड़ा करने और बुकिंग कार्यालय तथा परिचलन क्षेत्र की व्यवस्था करना शामिल है।

(ग) इस स्टेशन पर मानदंडों के अनुसार यात्री सुविधाएं पहले ही विद्यमान हैं। सुविधाओं में वृद्धि के उपाय के रूप में प्लेटफार्म संख्या 2, 3 एवं 4 पर तीन पार्श्व वाले सायबानों के विस्तार के लिए कार्य पहले ही प्रारंभ किया जा चुका है।

[अनुवाद]

उपरिपुलों का निर्माण

5916. **श्री शमशेर सिंह दूलो** : क्या रेल मंत्री उपरि पुलों का निर्माण के बारे में 16 जुलाई, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4330 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) निर्माण कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) दिल्ली और रेवाड़ी खंड के बीच दूसरी लाइन का निर्माण कार्य जो प्रगति पर है और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आगामी वर्षों में पूरा हो जाएगा, के साथ-साथ बिजवासन, पटौदी रोड, इंच्छापुरी और खलीलपुर में ऊपरी पैदल पुलों के निर्माण कार्य पर विचार किया जा रहा है।

(ख) कार्य की लक्ष्य तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है।

सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी

5917. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायुसेना के भारतीय सीमाओं के साथ सेना के किसी नए घटना संबंधी सूचना एकत्र करने के लिए अपना नेमी मिशन बंद कर देने की सूचना है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और मिशन किस तारीख से बंद हुआ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस कार्य को पुन: शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) भारतीय वायुसेना के टोह-मिशनों को कभी भी स्थगित नहीं किया गया।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

उपभोक्ता सहकारी समितियों में अधिकारियों का नामांकन

5918. **श्री रामजी मांझी** : क्या उपभोक्ता मामले और वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली की उपभोक्ता सहकारी समितियों के निदेशक मंडल में अपने अधिकारियों को अंशकालिक आधार पर अध्यक्ष और निदेशकों के रूप में नामित करती है;

(ख) यदि हां, तो इन अध्यक्षों और निदेशकों को क्या काम सौंपे जाते हैं और उन्हें क्या वेतनेत्तर लाभ/सुविधाएं मिलती हैं;

(ग) क्या इन अंशकालिक अध्यक्षों और निदेशकों को समितियों के दैनंदिन प्रशासन और व्यापार में हस्तक्षेप करने के अधिकार होते हैं या केवल निदेशक मंडल की बैठकों की अध्यक्षता करने का ही अधिकार होता है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इन समितियों के निदेशक मंडलों के अध्यक्षों और निदेशकों द्वारा किए गए अधिकारों के दुरुपयोग के कितने मामले प्रकाश में आए हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) बहु-राज्यीय सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1984 की धारा 41 के अनुसार केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार को ऐसी बहु-राज्यीय सहकारी सोसायटी के निदेशक मंडल में अपने अधिकारी को नामित करने का अधिकार है, जिसकी अंशपूंजी में केन्द्र सरकार या राज्य सरकार ने अंशदान किया है या बहु-राज्यीय सहकारी सोसायटी द्वारा जारी ऋणपत्रों के मूलधन और ब्याज की अदायगी की गारंटी दी है या बहु-राज्यीय सहकारी सोसायटी को दिए गए ऋण और अग्रिम के मूलधन और ऋण पर ब्याज की

अदायगी की गारंटी दी है। निदेशक मंडल के लिए नामित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या सोसायटी की उपविधियों में निर्धारित किए गए अनुसार होती है।

(ख) और (ग) बहु-राज्यीय सहकारी सोसायटियों की संबंधित उपविधियों में सहकारी सोसायटियों के अध्यक्ष और निदेशक मंडल के कर्तव्यों की भी परिभाषा दी गई है।

(घ) सुपर बाजार, दिल्ली के संबंध में पूर्व अध्यक्ष द्वारा सुपर बाजार के व्यापारिक व अन्य प्रशासनिक क्रियाकलापों में अनियमितताएं बरतने के कुछ मामले सामने आए थे। इन मामलों के संबंध में सहकारी सोसायटियों के केन्द्रीय पंजीयक और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच/अन्वेषण किया जा रहा है।

बल्हारशाह जाने वाले यात्रियों को असुविधा

5919. **श्री नरेश पुगलिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली-चेन्नई तथा नई दिल्ली-बेंगलूर राजधानी एक्सप्रेस रेल गाड़ियां महाराष्ट्र के बल्हारशाह जंक्शन पर रुकती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन रेल गाड़ियों के यात्रियों को बल्हारशाह के लिए टिकटें जारी की जा रही हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को जानकारी है कि बल्हारशाह के लोगों को अगले स्टेशन के लिए टिकट खरीदना पड़ता है जहां ये रेल गाड़ियां रुकती हैं और उन्हें कम दूरी की यात्रा के लिए अत्यधिक पैसे देने होते हैं जिससे उन्हें असुविधा होती है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। गाड़ी का ठहराव परिचालनिक है न कि वाणिज्यिक। अतः टिकट जारी नहीं किए जाते हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा

5920. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में नवनिर्मित टर्मिनल संख्या II में निर्माण खामियों के मरम्मत कार्य से संबंधित अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) नये टर्मिनल-2 के चालू हो जाने पर कुछ छोटी-छोटी खराबियों का पता चला था तथा इन्हें दूर करने के लिए कार्यवाही आरंभ कर दी गई है।

टेलीस्कोपिक भाड़ा प्रणाली

5921. **श्री ए० कृष्णैया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे यात्रा के समय अपनी यात्रा के विस्तार की इच्छा रखने वाले यात्रियों के लिए 'टेलीस्कोपिक' भाड़ा प्रणाली का प्रयोग करती थी;

(ख) यदि हां, तो इस प्रणाली को समाप्त करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि टेलीस्कोपिक भाड़ा प्रणाली के हटाए जाने के कारण यात्रियों को घाटा होता है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रणाली की समीक्षा और पूर्व प्रचलित सैद्धांतिक प्रणाली को बहाल करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) 1994 से पूर्व टेलीस्कोपिक दरों का लाभ उन यात्रियों को दिया गया था जो अपने मूल गंतव्य स्टेशन से आगे यात्रा करना चाहते थे। बहरहाल, इस सुविधा के दुरुपयोग के बारे में प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर बढ़ाई गई यात्रा के लिए वसूल किए जा रहे टेलीस्कोपिक किराया लेने की पद्धति 29.7.1994 के संशोधित कर दी थी। संशोधित प्रक्रिया के अंतर्गत ऐसी बढ़ाई गई यात्रा को एक नई यात्रा मानते हुए बढ़ाई गई यात्रा के लिए नाममात्र की टैरिफ किराया वसूल किया जाता है। इस समय मौजूदा नियम की समीक्षा पर विचार नहीं किया जा रहा है।

सुपर बाजार में घाटे

5922. **श्री राम सागर रावत**
श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान सुपर बाजार को कितने घाटे हुए;

(ख) क्या सुपर बाजार के भूतपूर्व चेयरमैन के कार्यकरण से संबंधित अनियमितताओं की जांच-पड़ताल का काम सी०बी०आई० को सौंपा गया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार को इसकी रिपोर्ट कब तक मिल जाने की संभावना है; और

(घ) सुपर बाजार के चेयरमैन की ड्यूटियों और कार्यों का ब्यौरा क्या है तथा वह किन वेतनेतर लाभ और विशेषाधिकारों का हकदार है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि 1998-99 और 1999-2000 में उसको क्रमश: 706.80 लाख रु० (लेखा परीक्षित) और लगभग 1643.50 लाख रु० (लेखा-परीक्षा नहीं) का घाटा हुआ।

(ख) और (ग) सुपर बाजार के पूर्व अध्यक्ष के कार्यकरण से संबंधित अनियमितताओं की जांच का काम केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा गया है और केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, जांच पूरी करने के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है।

(घ) सुपर बाजार के अध्यक्ष के कर्तव्य और कार्य सुपर बाजार की उपविधियों के खंड 24(छ) और 28 में बताए गए हैं जो संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल के निर्णय के अनुसार सुपर बाजार के पूर्व अध्यक्ष को सरकारी कार, किराए का अतिथि गृह-सहआवास, 25,000 रु० प्रतिवर्ष की दर से मानदेय (2083.3 रु० की दर से मासिक भुगतान) दिया गया था। इसके अलावा, अध्यक्ष और निदेशक मंडल के चुने गए सदस्य निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए 1000 रु० प्राप्त करने के भी हकदार थे।

विवरण

24(छ) निदेशक मंडल के हिन्दी छ: सदस्यों या सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक अथवा केन्द्रीय पंजीयक द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति की मांग पर अध्यक्ष बैठक आयोजित करेगा।

24(क) सुपर बाजर की उपविधियों के तहत दिए गए उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अध्यक्ष सुपर बाजार के कार्यकरण का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा।

(ख) आपवादिक स्थितियों में या जहां तुरंत निर्णय लिया जाना हो, वहां अध्यक्ष निदेशक मंडल के किसी भी सदस्य को या सुपर बाजार के किसी भी अधिकारी को किसी भी बैठक/सम्मेलन में या किसी प्राधिकारी के समक्ष सुपर बाजार का प्रतिनिधित्व करने के लिए बुला सकता है। इस संबंध में लिया गया निर्णय निदेशक मंडल की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

(ग) अध्यक्ष सुपर बाजार का प्रवक्ता होगा।

(घ) अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए सक्षम होगा कि कोई आपात स्थिति तो उत्पन्न नहीं हो गई। अध्यक्ष द्वारा इस आशय का निर्णय कर लिए जाने पर वह निदेशक मंडल की सभी शक्तियों को प्रयोग करने के लिए सक्षम होगा। इस प्राधिकार के अनुसरण में अध्यक्ष द्वारा की गई किसी कार्रवाई या उसके द्वारा पारित किसी कार्रवाई को निदेशक मंडल की अगली बैठक में रखा जाएगा।

[हिन्दी]

सिंधु दर्शन

5923. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेह-लद्दाख में 'सिंधु दर्शन' नामक त्यौहार मनाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो सिंधु दर्शन की इच्छा रखने वाले पर्यटकों के लिए यातायात और सुरक्षा के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं;

(ग) क्या लेह-लद्दाख के अलावा ऐसा कोई अन्य स्थान है जहां पर्यटक 'सिंधु दर्शन' उत्सव मना सकते हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन स्थानों के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) इंडियन एयरलाइंस तथा जेट एयर से अनुरोध किया गया है कि वे उत्सव के दौरान अतिरिक्त उड़ाने उपलब्ध कराएं। स्थानीय परिवहन तथा सुरक्षा प्रबंध की व्यवस्था जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार द्वारा की जा रही है।

(ग) यह उत्सव केवल लेह-लद्दाख में ही मनाया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर में 'रोड अंडरब्रिज' का निर्माण

5924. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर मीटर रेल लाइन पर गोरखपुर में रेल समपार पर रोड अंडरब्रिज और सड़क उपरि पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के पास स्वीकृति के लिए लंबित पड़ा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दी जाएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वेतन से कटौती

5925. डा० वी० सरोजा :
श्री डी०वी०जी० शंकर राव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ध्यान दिनांक 15 मार्च, 2000 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में 'फेक नोट फॉल आउट ऑन रेलवे बुकिंग स्टाफ्स पे पैकेट' शीर्षक से प्रकाशित सरकार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं;

(ग) स्थिति के समाधान के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) बुकिंग क्लर्कों को धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) जी, हां। बुकिंग/आरक्षण कार्यालयों पर प्रस्तुत किए गए करेंसी नोट विश्वास में स्वीकृत किए जाते हैं। यदि जाली नोट ले लिए जाने पर सामान्यतया उनका पता बाद में चलता है। आम प्रक्रिया के अनुसार एकजा की गई राशि में कमी के लिए कर्मचारी जिम्मेदार होते हैं और कम राशि उनसे वसूल की जाती है, चूंकि सामान्य प्रक्रिया में जाली नोटों को पकड़ना मुश्किल है। कर्मचारियों को जाली नोट पकड़ने के लिए प्रशिक्षण और परामर्श दिया जा रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए विभिन्न स्थानों पर जाली नोट पकड़ने की मशीन लगाई गई है। प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर प्रतिपूर्ति निर्भर होती है।

अनमास्क्ड आई०आर०एस० डाटा

5926. श्री के० येरननायडू : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने टोपो-शीट्स को डिजिटाइज करने की अनुमति देने और प्राकृतिक आपदा प्रशमन संबंधी अध्ययन करने हेतु परामर्शदाताओं के उपयोगार्थ अनमास्क्ड आई०आर०एस० उपग्रह डाटा उपलब्ध कराने के लिए एन०आर०एस०ए० को अनुमति देने का अनुरोध किया है ताकि बाढ़ और चक्रवातों के दौरान जान-माल की रक्षा की जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनी आपदा शमन संबंधी परियोजना को सहायता प्रदान करने की दृष्टि से पूरे राज्य में विभिन्न स्तरों पर टोपो शीटों को अंकीय रूप में परिवर्तित करने हेतु अनुमति देने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से स्वीकृति प्रदान करने के वास्ते रक्षा मंत्रालय से संपर्क किया है। उन्होंने एन०आर०एस०ए० से अनमास्क्ड उपग्रह डाटा प्राप्त करने के लिए भी अनुरोध किया है।

रक्षा मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लिकेशन सेंटर को भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा पहले से ही प्रकाशित टोपो शीटों को अंकीय रूप में परिवर्तित करने के लिए प्राधिकृत सरकारी एजेंसियों की सूची में शामिल करने के प्रस्ताव को मौजूदा पैरामीटरों और शर्तों के अंतर्गत मंजूरी दे दी है।

नियंत्रण रेखा पर ही पाकिस्तान से निपटने की रणनीति

5927. श्री अशोक ना० मोहोल :
डा० (श्रीमती) सी० सुगुणा कुमारी :
श्री अब्दुल हमीद :
श्री आर० एल० भाटिया :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिनांक 13 मार्च, 2000 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'आर्मी अन्वील्स स्ट्रेट्जी टू काउन्टर पाक ऑन एल०ओ०सी०' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसमें उल्लिखित रणनीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस रणनीति से पाकिस्तान के सैनिक शासक द्वारा नियंत्रण रेखा के पार घुसपैठ के संबंध में अपनाई गई नवीनतम आक्रामक मुद्रा से निपटने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) समाचार पत्र में छपी खबर जैसी कोई रणनीति तैयार नहीं की गई है। तथापि, अपने सुरक्षा हितों को संरक्षित करने तथा अपने शत्रुओं के मंसूबों को विफल करने के लिए नियंत्रण रेखा, अंतरराष्ट्रीय सीमा और जम्मू व कश्मीर के भीतर बदलती हुई स्थिति के अनुरूप समुचित उपाय किए जाते हैं।

एस यू-30 विमान का विनिर्माण

5928. श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर :
श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कभी रूस की सहायता से भारत में एस यू-30 विमान का विनिर्माण करने संबंधी कोई समझौता हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में कितनी प्रगति, यदि कोई हो, हुई है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा भारत में एस यू-30, एम. के.-1 विमान के लाइसेंस के तहत उत्पादन व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा गठित मूल्य वार्ता समिति ने रूसी प्राधिकारियों के साथ मूल्य वार्ता औपचारिक रूप से पूरी कर ली है। इस संबंध में कोई उत्पादन संविदा नहीं की गई है।

जापानी पोत का अपहरण

5929. श्री अनन्त गंगाराम गीते : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में मलक्का जलडमरूमध्य में मलेशिया से हल्दिया तक हजारों टन कच्चा तेल ले जा रहे जापानी पोत का समुद्री डाकुओं द्वारा अपहरण की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मलक्का जलडमरूमध्य क्षेत्र के समुद्री डाकू भारतीय नौसेना के तटरक्षकों की सांठ-गांठ से नियमित रूप से इस क्षेत्र में विदेशी पोतों का अपहरण कर रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार भारतीय महासागर में समुद्री डाकुओं के इस प्रकार से बढ़ रहे आतंकवाद को रोकने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉज फर्नान्डीज) : (क) से (ङ) सरकार 4 मार्च, 2000 को टेलीग्राफ में 'शिप फार हल्दिया वैनिशेस एट सी' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की जानकारी है। भारतीय तटरक्षक को एम टी ग्लोबल मार्श जलयान के अपने गंतव्य तक न पहुंचने की सूचना सर्वप्रथम 29 फरवरी, 2000 को सामुद्रिक डकैती सूचना केन्द्र कुआलालम्पुर से मिली थी। उक्त जलयान 22 फरवरी, 2000 को मलेशिया स्थित पोर्ट केलांग से हल्दिया के लिए रवाना हुआ था जिसमें 6000 मीट्रिक टन पाम आयल उत्पाद थे तथा ऐसा माना गया था कि इसका अपहरण कर लिया गया है। सूचना प्राप्त होने के बाद तटरक्षक पोतों तथा वायुयान को भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में अपनी नियमित निगरानी करते समय उक्त जलयान का पता लगाने के लिए कड़ी नजर रखने के वास्ते सतर्क कर दिया गया था।

2. तत्पश्चात् 10 मार्च, 2000 को लापता तोप के 17 कर्मी दल के सदस्यों को थाईलैंड के पश्चिमी तट पर मछलियां पकड़ने वाली एक नौका की सहायता से मुक्त कराया गया था। मुक्त कराए गए कर्मीदल ने थाईलैंड में पुलिस प्राधिकारियों को यह सूचना दी कि लगभग 20 नकाबपोश तथा सशस्त्र समुद्री डकैतों ने 24 फरवरी, 2000 को जलयान का अपहरण कर लिया था।

3. तटरक्षक तथा नौसेना चोरी/डकैती की घटनाओं की रोकथाम करने के लिए समुद्री क्षेत्र में स्वतंत्र तथा संयुक्त रूप से नियमित गश्त कर रहे हैं। तटरक्षक तथा नौसेना की समुद्री डकैतों के साथ सांठ-गांठ होने का कोई प्रमाण नहीं है।

रेल ग्राइंड मशीनों का आयात

5930. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने ईंधन बचाने, मालडिब्बों और यात्रीडिब्बों के रखरखाव के लिए और रेल लाइनों को ग्राइंडिंग हेतु रेल सेवाओं की अवधि में वृद्धि करने के लिए अमेरिका से रेल ग्राइंड मशीनों का आयात किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये ग्राइंड मशीनें आशाओं के अनुसार परिणाम दे रही हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कुछ मशीनों का आयात करने और इतनी बड़ी धनराशि का निवेश का इस प्रकार का निर्णय लेने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। यू०एस०ए० फर्म से एक 16 स्टोन रेल ग्राइंडिंग मशीन खरीदी गई थी और अप्रैल 1990 में भारतीय रेलों पर चलाई गई थी। इस रेल ग्राइंडिंग प्रौद्योगिकी के अपनाने के भारतीय रेलों के प्रथम प्रयास में इस प्रौद्योगिकी की पद्धति और उसके विस्तारित पटरी जीवन में योगदान के बारे में बहुमूल्य अनुभव प्राप्त हुए हैं। प्राप्त अनुभव के आधार पर रेल ग्राइंडिंग प्रौद्योगिकी के पूरे-पूरे लाभ प्राप्त करने के लिए उच्च निपज वाली, 72 स्टोन मशीन खरीदने की योजना बनाई गई है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय मानक ब्यूरो के चिह्न का उपयोग

5931. श्री मनोज सिन्हा : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें मिली हैं कि कुछ फर्में भारतीय मानक ब्यूरो से लाइसेंस प्राप्त किए बिना ही अपने उत्पादों पर आई०एस०आई० चिह्न का उपयोग कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसी फर्मों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) भारतीय मानक ब्यूरो को इस बारे में शिकायतें मिलती रही हैं कि कुछ फर्में अपने उत्पादों पर भारतीय मानक ब्यूरो से लाइसेंस प्राप्त किए बिना ही आई०एस०आई० चिह्न का प्रयोग कर रही हैं।

(ख) 1.4.99 से 31.3.2000 की अवधि के दौरान 30 शिकायतें प्राप्त हुईं। 16 तलाशियां और जब्तियां की गईं, 20 कानूनी कार्रवाइयां की गईं और 6 पार्टियां दोषी पाई गईं।

[हिन्दी]

सैनिक फार्म, मेरठ को वित्तीय घाटा

5932. श्रीमती रीना चौधरी :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पट्टा ठेकेदार की सांठ-गांठ से कतिपय अधिकारियों द्वारा मेरठ में सैनिक फार्म को हुए भारी वित्तीय घाटे से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ संसद सदस्यों ने भी इस संदर्भ में उनको लिखा है; और

(घ) यदि हां, तो दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) मेरठ स्थित सैन्य फार्म भूमि को पट्टे पर देने के संबंध में माननीय संसद सदस्य से शिकायत प्राप्त हुई है। इस शिकायत की जांच मुख्यालय मेरठ सब एरिया (मध्य कमान) द्वारा करवाई गई है परन्तु इससे किसी अनियमितता या सरकार को हुई हानि का पता नहीं चला है।

(घ) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मछुआरों की सुरक्षा

5933. श्री पी०एस० गढ़वी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कच्छ के तटवर्ती क्षेत्र और गुजरात के दूसरे अन्य भागों से भी बड़ी संख्या में मछुआरों के लापता होने की सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान और सन् 2000 में अब तक कुल कितने मछुआरों के लापता होने की सूचना प्राप्त हुई है;

(ग) क्या सरकार का विचार मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गुजरात के कच्छ जिले में जखाऊ पत्तन पर तटरक्षक बल की चौकी स्थापित करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) गुजरात सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) तटरक्षक ने तटरक्षक स्टेशन बनाने के लिए गुजरात के जखाऊ स्थान में तीन भूखंडों का पता लगा लिया है। गुजरात सरकार इन सभी तीनों भूखंडों को देने के लिए इच्छुक है, बशर्ते कि जखाऊ पत्तन के समीप स्थित एक एकड़ भूमि के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुमति मिल जाए। अभी तक पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुमति नहीं मिल पाई है।

(घ) तटरक्षक स्टेशन तटीय मछुआरा समुदाय, विशेष रूप से जो पाकिस्तान से लगी समुद्री सीमा के समीप मछलियां पकड़ते हैं, के साथ नियमित रूप से संपर्क बनाए रखते हैं। समुद्री सीमाओं को दर्शाने के लिए और किए जाने वाले सुरक्षा संबंधी पूर्वोपायों पर नियमित रूप से अनुदेशात्मक व्याख्यान दिए जाते हैं। ये मुद्दे कड़ाई से अनुपालन करने के लिए संबद्ध राज्य प्रशासन और मत्स्य विभागों की जानकारी में लाए जाते हैं। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में नेमी निगरानी करने वाले तटरक्षक पोत भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के निकट मछली पकड़ने वाले जलयानों को भारतीय समुद्र के भीतर मछली पकड़ने की हिदायत देते हैं।

[हिन्दी]

भूमि सुधार

5934. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंबल सिंचाई क्षेत्र में रिसाव के कारण भूमि खेती करने के लायक नहीं रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस भूमि में सुधार लाने हेतु कनाडा के सहयोग से कोई योजना तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत कितने एकड़ भूमि में सुधार लाया गया;

(ङ) इस क्षेत्र में अभी कितने एकड़ भूमि में सुधार होना शेष है;

(च) क्या उक्त योजना का विस्तार किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो शेष भूमि के सुधार हेतु कौन-सी अन्य योजनाएं शुरू की गई हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

बाबतपुर विमानपत्तन का उन्नयन

5935. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारस स्थित बाबतपुर विमानपत्तन का उन्नयन करके इसे अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन बनाए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो बनारस विमानपत्तन का अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन के रूप में कब तक उन्नयन कर दिए जाने की संभावना है तथा इसे वायु मार्ग से किन-किन देशों को जोड़ने का प्रस्ताव है और इस संबंध में कुल कितना व्यय होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित भूमि के अधिग्रहण तथा इसे सौंपने के आधार पर 48 करोड़ रुपए की लागत पर निम्नलिखित कार्य करते हुए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की वर्तमान वाराणसी विमानपत्तन के स्तरोन्नयन की योजनाएं हैं :

(1) एबी-300 प्रकार के विमान के प्रचालन के लिए धावनपथ का विस्तार;

(2) टर्मिनल भवन का विस्तार तथा परिवर्धन; और

(3) वर्तमान एप्रन का विस्तार जिसमें पांच एबी-320/बी-737 श्रेणी के विमानों तथा एक एबी-300 श्रेणी के विमानों को खपाया जा सके।

इस विमानपत्तन से होकर काठमांडू से/तक अंतरराष्ट्रीय उड़ानें प्रचालन बंद होने के समय तक प्रचालित की गई थी।

[अनुवाद]

आई०आर०डी०पी० के अंतर्गत कुंओं का निर्माण

5936. **कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :**
श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी :
श्री चन्द्रकान्त खैरे :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999-2000 के दौरान देश में विशेषकर महाराष्ट्र में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी०) के अंतर्गत राज्य-वार कितने कुंओं का निर्माण किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन कुंओं पर राज्य-वार कुल कितनी राशि व्यय की गई; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितने गांव शामिल किए जाएंगे?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) से (ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1.4.99 से संचलन में नहीं है। 1.4.99 से सवर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस०जी०एस०वाई०) नामक एक नया स्व-रोजगार कार्यक्रम शुरू किया गया है। एस०जी०एस०वाई० के अंतर्गत कुंओं सहित सिंचाई स्रोतों का विकास अनुमेय बैंक ग्राह्य गतिविधि है। इसलिए निर्मित कुंओं की संख्या की अलग से निगरानी नहीं की जाती है। एस०जी०एस०वाई० देश के सभी ब्लाकों में कार्यान्वित है तथा सभी गांवों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला प्रत्येक परिवार एस०जी०एस०वाई० के अंतर्गत सहायता का पात्र है बशर्ते कि निधियां उपलब्ध हों।

इचलकरंजी को रेल सेवा द्वारा कोल्हापुर से जोड़ा जाना

5937. **श्रीमती निवेदिता माने :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इचलकरंजी से कोल्हापुर के लिए रेल सेवा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में पहले सर्वेक्षण किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो यह सर्वेक्षण कब किया गया था और परियोजना की मौजूदा स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली-अहमदाबाद सैक्टर पर उड़ानों में विलंब

5938. **श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक जनवरी, 2000 से 7 अप्रैल, 2000 तक दिल्ली-अहमदाबाद सैक्टर में विशेषकर आई०सी० 861 आई०सी० 862 की उड़ानों में विलंब के क्या कारण थे; और

(ख) इस सैक्टर में उड़ानों को सुचारु रूप से चलाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) पहली जनवरी से 7 अप्रैल, 2000 की अवधि के दौरान, दिल्ली तथा अहमदाबाद के मध्य प्रचालनरत उड़ानों की 36.17 प्रतिशत उड़ानों में विलंब हुआ था। इस अवधि के दौरान आई०सी० 861/862 उड़ान के संबंध में ये विलंब अधिकांशत: 51.1 प्रतिशत थे जो परिणामी कारणों की वजह से थे।

(ख) इंडियन एयरलाइंस अपने समयबद्ध कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के प्रति निरंतर प्रयासरत है। विलंब से हुई तथा रद्द की गई सभी उड़ानों के बारे में जांच की जाती है और उन कारणों को दूर करने के लिए उपचारी कार्रवाई की जाती है जो इंडियन एयरलाइंस के नियंत्रणाधीन होते हैं।

[हिन्दी]

रेल यात्रा को वरीयता न देना

5939. **डा० मदन प्रसाद जायसवाल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल यात्रा सस्ती और पर्यावरण अनुकूल होने के बावजूद लोगों द्वारा रेल यात्रा की बजाय सड़क यात्रा को प्राथमिकता देने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है अथवा किसी समिति का गठन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) रेल किराये के समग्र पहलू और मालभाड़ा अवरसंरचना की जांच करने के लिए गठित रेल किराया एवं मालभाड़ा समिति (1993) ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित टिप्पणियां की थीं :

(i) छोटी दूरी के यात्रियों के लिए अधिकतर बारम्बारता वाला सड़क परिवहन अधिक उपयुक्त है।

(ii) सड़क परिवहन कमोबेश द्वार से द्वार तक सेवा प्रदान करता है।

(iii) रेलें लंबी तथा मध्यम दूरी की यात्रा के लिए परिवहन का अधिमान साधन हैं।

[अनुवाद]

स्वर्णजयंती ग्राम रोजगार योजना

5940. श्री चिंतामन वनगा : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्णजयंती ग्राम रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) से (ख) मंत्रालय स्वर्णजयंती ग्राम रोजगार योजना के नाम से कोई कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं करता है। तथापि, मंत्रालय 1.4.1999 से स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना नामक एक नया स्व-रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। आशा की जाती है कि निधियां उपलब्ध होने पर अगले पांच वर्षों के भीतर स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत 30 प्रतिशत गरीबों को कवर किया जाएगा।

भारतीय खाद्य निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघ का अभ्यावेदन

5941. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय खाद्य निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघ (पश्चिम जोन) से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि भारतीय खाद्य निगम के तत्कालीन क्षेत्रीय निदेशालय के उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों जिनका खाद्य विभाग से भारतीय खाद्य निगम को स्थानांतरण कर दिया गया था, को एक और विकल्प दिया जाए;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी मांग सरकार द्वारा स्थानान्तरिक किए गए ऐसे व्यक्तियों को दिए गए आश्वासन के अनुरूप है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की तरह उनकी सेवा शर्तें बुरी तरह प्रभावित नहीं होंगी;

(ग) यदि हां, तो क्या उन्हें अन्य सरकारी कर्मचारियों को सी०पी०एफ० योजना के स्थान पर दी गई पेंशन योजना का विकल्प देने से इंकार कर दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो हाल ही के इस प्रतिवेदन पर क्या निर्णय लिया गया है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, हां। संघ ने न केवल सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बल्कि उन कर्मचारियों के लिए भी एक और विकल्प के लिए अनुरोध किया है जो अभी भी सेवा में हैं और जिन्होंने भारतीय खाद्य निगम में उनके स्थानांतरण के समय अंतिम लाभों के लिए विकल्प दिया था।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) 1990 में भारतीय खाद्य कर्मचारी संघ ने उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की थी जिसमें यह निदेश देने का अनुरोध किया गया था कि इन कर्मचारियों को सी०पी०एफ० योजना के पूर्व के विकल्प के स्थान पर पेंशन योजना में शामिल होने के लिए एक और विकल्प प्रदान किया जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस याचिका को उपयुक्त नहीं पाया और यह टिप्पणी की कि "चूंकि याचिकर्त्ताओं ने पहले ही सी०पी०एफ० योजना के लिए विकल्प दे दिया था इसलिए वे पेंशन के लाभ के लिए पात्र नहीं हैं। यह रिट याचिका उपयुक्त नहीं है, तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।" उपर्युक्त की दृष्टि में यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

[हिन्दी]

हल्के विमानों का निर्माण

5942. श्री जयभान सिंह पवैया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्का विमान 'सारस' को कब तक देश में ही निर्माण कर लिये जाने की संभावना है;

(ख) इस लड़ाकू विमान में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं;

(ग) क्या सरकार इसके उत्पादन में गैर-सरकारी कंपनियों का सहयोग मांग रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) 'सारस', भारत के पहले हल्के विमान का स्वदेशी उत्पादन वर्ष 2004 तक होना संभावित है।

(ख) इस विमान की अधिकतम सीट क्षमता 14 है।

(ग) और (घ) जी, हां। इस विमान के विकास चरण के दौरान, लगभग 20 निजी कंपनियों द्वारा बंगलौर में तथा इसके आस-पास कुछ डिजाइन कार्य, अनेक संघटकों का एसेम्बली कार्य किया जा रहा है। यह परिकल्पना है कि उनमें से कुछ विकास चरण के दौरान उनके अनुभव की वजह से भी उत्पादन चरण में अंतर्निहित होंगे।

[अनुवाद]

रेल उद्योगों का बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अंतरण

5943. श्रीमती मिनाती सेन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अर्थव्यवस्था को भूमंडलीय प्रतिस्पर्धा हेतु खोले जाने के पश्चात् अब तक रेलवे के कितने उद्योगों को विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बेचा गया है अथवा अंतरित किया गया है;

(ख) क्या बेरोजगारी पर इसके प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) कोई नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बंगलौर से अंतरराष्ट्रीय मार्ग

5944. श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बंगलौर से नया अंतरराष्ट्रीय मार्ग शुरू करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) सरकार ने हाल ही में बंगलौर हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किया है। अब विदेशी विमानकंपनियां इस हवाई अड्डे के लिए अवतरण की मांग कर सकती हैं बशर्ते कि वे यातायात संबंधी अधिकारों का औपचारिक आदान-प्रदान करती हों। तथापि, वास्तविक प्रचालन सेवाएं विमानकंपनियों के वाणिज्यिक विवेक पर छोड़ दी गई हैं।

[हिन्दी]

मुख्यालय का अंतरण

5945. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में बिलासपुर से रेलवे का प्रशासनिक मुख्यालय के अंतरण के क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस अंतरण से वहां पर चल रही परियोजना प्रभावित होगी; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत धन का आबंटन

5946. डा० गिरिजा व्यास : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान आबंटित निधियों की तुलना में चालू वित्त वर्ष के दौरान अधिक निधियों का आबंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1997-98 से आज की तिथि तक उक्त योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में कितने कार्य दिवस सृजित किए गए तथा कितने ग्रामीण लोग लाभान्वित हुए?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) और (ख) जवाहर रोजगार योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना था, को 1.4.1999 से पुनर्गठित करके जवाहर ग्राम समृद्धि योजना नाम दिया गया है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का प्राथमिक उद्देश्य स्थानीय जरूरत के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का विकास करना है। जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत निधियों को ग्राम पंचायतों, मध्यवर्ती पंचायतों और जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों के 70:15:15 के अनुपात में आबंटित किया जाता था जबकि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत संपूर्ण निधियां ग्राम पंचायतों के पास जाती हैं, जो कि कार्यक्रम की एकमात्र कार्यान्वयन एजेंसियां हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जवाहर रोजगार योजना/जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान जारी निधियां (केन्द्र/राज्य) नीचे दी गई हैं :

करोड़ रुपए में

वर्ष	जारी धनराशि (केन्द्र/राज्य)
1997-98	2436.20
1998-99	2571.73
1999-2000	2247.04
2000-2001	2194.00 (निर्धारित)

(ग) वर्ष 1997-98 से 1999-2000 तक जवाहर रोजगार योजना/जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत सृजित श्रमदिनों की संख्या संलग्न विवरण-I, II और III के अनुसार है।

विवरण-I

वर्ष 1997-98 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत सृजित रोजगार

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	वर्ग-वार उपलब्धि					
					अनु० जाति	अनु०जन जाति	अनु०जाति/ अनु०ज०जाति	अन्य	भूमिहीन	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	336.97	340.98	92.29	95.65	45.09	140.74	170.24	207.69	109.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.94	2.88	58.3	0.00	2.88	2.88	0.00	0.00	1.03
3.	असम	110.36	107.69	97.58	18.63	31.99	50.62	57.07	35.12	11.41
4.	बिहार	546.64	633.04	97.51	212.91	113.87	326.78	206.26	342.15	150.28
5.	गोवा	3.32	2.55	0.56	0.00	0.00	0.00	2.55	0.00	0.19
6.	गुजरात	69	82.81	120.01	14.91	39.43	54.34	28.47	28.62	21.41
7.	हरियाणा	16.11	16.01	99.38	9.61	0.00	9.61	6.40	13.64	3.12
8.	हिमाचल प्रदेश	8.52	10.11	118.66	4.25	2.04	6.29	3.82	0.00	0.97
9.	जम्मू व कश्मीर	22.64	24.05	106.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
10.	कर्नाटक	222.78	265.91	119.36	73.86	28.79	102.64	163.27	108.48	67.54
11.	केरल	66.74	41.82	62.66	13.84	2.22	16.06	25.76	6.22	14.44
12.	मध्य प्रदेश	329.89	347.15	105.23	87.88	134.55	222.43	124.72	124.15	123.41
13.	महाराष्ट्र	524.38	527.74	100.64	142.19	114.48	256.67	271.07	138.89	178.17
14.	मणिपुर	3.15	2.16	68.57	0.15	1.60	1.75	0.41	0.03	0.52
15.	मेघालय	4.87	4.54	93.22	0.00	4.54	4.54	0.00	1.46	1.14
16.	मिजोरम	1.59	1.91	120.13	0.00	1.91	1.91	0.00	0.00	0.69
17.	नागालैंड	7.30	9.21	126.16	0.00	9.21	9.21	0.00	0.00	4.34
18.	उड़ीसा	299.18	299.82	100.21	92.47	111.72	204.19	95.63	63.71	93.33
19.	पंजाब	11.95	12.83	107.36	9.73	0.00	9.73	3.10	12.83	0.00
20.	राजस्थान	182.03	196.14	107.75	71.61	56.19	127.80	68.34	28.67	67.83
21.	सिक्किम	1.66	2.65	159.64	0.68	1.12	1.8	0.85	0.12	0.63
22.	तमिलनाडु	312.56	388.81	124.4	191.17	8.92	200.09	188.72	300.57	140.42
23.	त्रिपुरा	5.91	7.31	123.69	1.78	3.19	4.97	2.34	1.62	2.19
24.	उत्तर प्रदेश	561.71	599.49	106.73	296.54	5.32	301.86	297.63	110.34	111.82
25.	पश्चिम बंगाल	206.58	154.62	74.85	62.77	20.72	83.49	71.13	88.51	39.68
26.	अं० व नि० द्वीप समूह	1.04	0.15	14.42	0.00	0.08	0.08	0.07	0.04	0.02
27.	दा० व न० हवेली	0.73	0.86	117.81	0.00	0.86	0.86	0.00	0.00	0.62
28.	दमन व दीव	0.45	0.56	124.44	0.05	0.35	0.40	0.16	0.20	0.32
29.	लक्षद्वीप	0.90	1.46	162.22	0.00	1.46	1.46	0.00	0.00	0.44
30.	पांडिचेरी	1.00	0.63	63.00	0.28	0.00	0.28	0.35	0.63	0.19
	कुल	3864.90	3955.89	102.35	1400.95	742.53	2143.48	1788.36	1613.69	1145.35

विवरण-II

जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत 1998-99 (अनंतिम) के दौरान सृजित रोजगार

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वार्षिक लक्ष्य (अनंतिम)	उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि	श्रेणीवार उपलब्धि					
					अनु० जाति	अनु०जन० जाति	अनु०जाति/ अनु०ज० जाति	अन्य	महिलाएं	भूमिहीन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	254.01	224.68	88.45	66.47	27.15	93.62	131.05	76.08	147.71
2.	अरुणाचल प्रदेश	7.97	3.96	49.69	0.00	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00
3.	असम	144.36	199.57	138.24	35.91	66.83	102.74	96.83	23.96	77.51
4.	बिहार	688.11	584.91	85.00	233.49	112.85	346.34	238.57	159.55	348.67
5.	गोवा	3.32	1.70	51.20	0.00	0.00	0.00	1.70	0.73	0.00
6.	गुजरात	53.34	59.18	110.95	10.41	28.18	38.59	20.59	15.62	23.03
7.	हरियाणा	30.49	23.84	78.19	14.18	0.00	14.18	9.66	4.92	22.97
8.	हिमाचल प्रदेश	17.00	15.39	90.53	6.92	2.03	8.95	6.44	0.74	0.25
9.	जम्मू व कश्मीर	27.5	20.59	74.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	188.82	222.16	117.66	61.89	27.07	88.96	110.4	67.78	82.51
11.	केरल	69.77	39.39	56.46	11.00	1.30	12.3	27.09	13.65	4.94
12.	मध्य प्रदेश	325.8	319.34	98.02	76.97	127.92	204.89	114.45	109.8	113.35
13.	महाराष्ट्र	541.22	403.8	74.61	109.47	96.65	206.12	197.69	141.19	152.29
14.	मणिपुर	6.92	5.59	80.78	0.19	3.67	3.86	1.73	0.50	0.00
15.	मेघालय	10.22	5.91	57.83	0.25	5.66	5.91	0.00	1.89	1.20
16.	मिजोरम	1.84	4.36	236.96	0.00	4.36	4.36	0.00	1.54	0.00
17.	नागालैंड	9.82	23.73	241.65	0.00	23.73	23.73	0.00	5.46	0.00
18.	उड़ीसा	317.94	296.84	93.36	89.54	107	196.54	100	91.55	64.83
19.	पंजाब	15.46	13.89	89.84	10.27	0.00	10.27	3.62	0.39	11.75
20.	राजस्थान	149.43	148.3	99.24	52.69	39.42	91.11	56.19	49.17	16.89
21.	सिक्किम	2.29	6.13	267.69	1.38	2.40	3.78	2.35	1.94	0.19
22.	तमिलनाडु	230.42	280.97	121.94	137.18	6.40	143.58	137.4	105.36	219.09
23.	त्रिपुरा	18.02	34.72	192.67	8.76	17.00	25.76	8.96	9.89	12.63
24.	उत्तर प्रदेश	626.32	691.39	110.39	365.08	6.82	371.9	319.49	157.25	176.6
25.	पश्चिम बंगाल	220.83	134.45	60.88	52.71	16.33	69.04	65.41	32.02	80.96
26.	अं० व नि० द्वीप समूह	1.30	0.19	14.62	0.00	0.10	0.10	0.09	0.04	0.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	दा० व न० हवेली	1.11	0.67	60.36	0.00	0.67	0.67	0.00	0.51	0.00
28.	दमन व दीव	0.57	0.11	19.30	0.30	0.40	0.7	0.5	0.07	0.05
29.	लक्षद्वीप	1.12	0.42	37.50	0.42	0.00	0.42	0.00	0.18	0.00
30.	पांडिचेरी	1.25	0.03	2.11	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
	कुल	3966.57	3766.22	94.95	1345.49	727.90	2073.39	1650.22	1071.78	1557.47

विवरण-III

जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत 1999-2000 के दौरान सृजित रोजगार जनवरी, 2000 तक प्रगति

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	माह कोड	कुल सृजित श्रमदिन (लाख रुपए में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	8	34.71
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	2.20
3.	असम	1	99.30
4.	बिहार	12	309.29
5.	गोवा	1	0.99
6.	गुजरात	1	26.28
7.	हरियाणा	1	12.51
8.	हिमाचल प्रदेश	1	10.19
9.	जम्मू व कश्मीर	1	6.20
10.	कर्नाटक	1	123.46
11.	केरल	1	23.74
12.	मध्य प्रदेश	1	167.61
13.	महाराष्ट्र	1	181.78
14.	मणिपुर	8	0.54
15.	मेघालय	8	2.76
16.	मिजोरम	1	1.00
17.	नागालैंड	10	2.03
18.	उड़ीसा	1	142.11
19.	पंजाब	1	4.98
20.	राजस्थान	1	75.12
21.	सिक्किम	11	0.82
22.	तमिलनाडु	1	134.50
23.	त्रिपुरा	1	12.47
24.	उत्तर प्रदेश	1	267.33
25.	पश्चिम बंगाल	1	68.76
26.	अं० व नि० द्वीप समूह	1	0.20
27.	दा० व न० हवेली	7	0.01
28.	दमन व दीव	7	0.00
29.	लक्षद्वीप	8	0.09
30.	पांडिचेरी	11	0.00
	कुल		1710.98

टिप्पणी : जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन के लिए कोई भी लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है क्योंकि यह प्रमुखतः ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित है।

आई०टी०डी०सी० सैल ऑफ

5947. श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयप्पन : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 मार्च, 2000 को 'दि इकनॉमिक टाइम्स' में 'हाई स्टैम्प ड्यूटी में फोर्स गवर्नमेंट टू चेंज मोडालिटीज ऑफ आई०टी०डी०सी० सैल ऑफ' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 'न्यूजआइटम' में उल्लेख के अनुसार ऐसा कोई निर्णय सरकार द्वारा नहीं लिया गया है।

नेदुमबस्सारी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन

5948. **श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि नेदुमबस्सारी विमानपत्तन लिट्टे के सदस्यों सहित अनेक राष्ट्र विरोधी तत्वों के लिए सुरक्षित पारगमन स्थल बन गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) उनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) इस संबंध में तथ्यों का पता लगाया जा रहा है।

रेलवे की सुरक्षा प्रणाली में संशोधन

5949. **श्री अजय सिंह चौटाला**
श्री किशन सिंह सांगवान :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 अप्रैल, 2000 के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में 'कॉल टू रिफार्म रेलवेज पॉलसिंग सिस्टम' शीर्षक के अंतर्गत समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन संशोधनों को कब तक किए जाने की संभावना है; और

(घ) रेलगाड़ियों में अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा प्रणाली में नए संशोधन करने से कितनी मदद मिलने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) केन्द्रीय गृह मंत्रालय और आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ अध्यक्ष रेलवे बोर्ड की अध्यक्षता में रेलों पर सुरक्षा संबंधी एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। मौजूदा प्रणाली में और सुधार करना समिति की रिपोर्ट के उपलब्ध होने पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

उदारीकृत आकाश नीति

5950. **श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी**
श्री सुन्दर लाल तिवारी
श्री तरुण गोगोई :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 फरवरी, 2000 के 'दैनिक जागरण' में 'थाइलैंड ने भारत से खुली आकाश नीति को उदार बनाने को कहा' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत तथा थाईलैंड के मध्य विमान यातायात संबंधी अधिकारों में दिनांक 10-12 फरवरी, 2000 को हुई अंतर-सरकारी वार्ताओं के दौरान प्रत्येक दिशा में प्रत्येक पक्ष के लिए 8 आवृत्ति प्रति सप्ताह से 4100 सीट प्रति सप्ताह तक वृद्धि कर दी गई है। थाई एयरवेज को एयर इंडिया के साथ एक कोड शेयर/ब्लाक स्पेस करार के अधीन मुंबई के लिए सेवाएं प्रचालित करने की अनुमति भी दी जा चुकी है।

लोक कार्रवाई एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रगति परिषद् द्वारा अनुमोदित परियोजनाएं

5951. **श्री हरिभाई चौधरी** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान लोक कार्रवाई एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रगति परिषद (कपार्ट) द्वारा गुजरात में बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कितनी परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं;

(ख) किन-किन एजेंसियों की कपार्ट के माध्यम से सहायता प्रदान की गई है और ये एजेंसियां किन-किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ग) प्रत्येक एजेंसी को अब तक कितनी राशि संस्वीकृत और जारी की गई है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन एजेंसियों ने कई अनियमितताएं बरती हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कपार्ट द्वारा तीन स्वैच्छिक संस्थाओं, जो कि बनासकांठा संसदीय चुनाव क्षेत्र में स्थित हैं, को तीन परियोजनाएं स्वीकृत की गई। ब्यौरे इस प्रकार हैं :

क्र० सं०	स्वैच्छिक संगठनों का नाम	स्वीकृत राशि (रुपए)	रिलीज की गई राशि (रुपए)
1	2	3	4
1.	पवन खादी ग्रामोद्योग सेवा संघ जिला बनासकांठा	2,20,000	2,20,000

1	2	3	4
2.	श्री संस्कार खादी ग्रामोद्योग सेवा संघ, जिला बनासकांठा	1,09,927	1,09,927
3.	एम०जी० पटेल सर्वोदय केन्द्र पो० श्री अमीरगढ़ पालनपुर जिला बनासकांठा	50,000	50,000

(घ) इन एजेंसियों के बारे में अभी तक कोई अनियमितता नहीं बताई गई है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दुर्घटनाग्रस्त रेलवे संपदा की चोरी

5952. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्घटना और अन्य कारणों की वजह से रेल पटरियों पर लावारिस पड़े लोको/यात्री डिब्बों/माल डिब्बों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या रेल अधिकारियों/कर्मचारियों की मिलीभगत से कबाड़ियों द्वारा इन सामानों की चोरी खेपों में की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इन सामानों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) लावारिस पड़े इन सामानों की कुल कीमत कितनी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) दुर्घटनाग्रस्त 8 डीजल/बिजली रेलइंजन, 56 सवारी डिब्बे तथा 1010 मालडिब्बे, चौपहिया इकाई में भारतीय रेल के विभिन्न जोनों के रेलपथ के आसपास पड़े हैं। इन्हें निष्क्रिय नहीं किया गया है बल्कि या तो उन्हें कार्यक्षम बनाने अथवा मौके पर ही नीलामी के जरिए इनका निपटान करने की कार्रवाई की जा रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारतीय रेलों पर कार्यक्षम बनने/निपटान के लिए प्रतीक्षारत उन ऐसे रेल इंजनों, सवारीडिब्बों तथा मालडिब्बों जो रेलपथ के साथ-साथ पड़े हैं, का कुल मूल्य अनुमानत: 739.39 लाख रुपए है।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में तिरुमनचेरी में मंदिर

5953. **श्री तिरुनावुकरसू** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का विचार तमिलनाडु में तिरुमनचेरी में स्थित मंदिर का अधिग्रहण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

इंजीनियरों के चयन हेतु विभागीय परीक्षा

5954. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में रतलाम रेलवे प्रभाग में सैक्शन इंजीनियर ग्रेड-दो (इलेक्ट्रिकल) की विभागीय परीक्षाएं आयोजित की गई थीं;

(ख) क्या उन परीक्षाओं में अनियमितता बरते जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इन परीक्षाओं में कितने व्यक्ति शामिल हुए और उनमें से कितने व्यक्तियों का चयन किया गया?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) एक शिकायत की प्राप्ति पर कि अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए एक आरक्षित रिक्ति पर गलती से दो अनुसूचित जाति के उम्मीदवार पैनल में रख दिए गए हैं। मामले की पूर्णतया जांच की गई थी। परिणामत: कनिष्ठ अनुसूचित जाति के उम्मीदवार का नाम अब पैनल से हटा दिया गया है।

(घ) विभागीय परीक्षा 3 पदों (2 अनारक्षित + 1 अनुसूचित जाति) के लिए आयोजित की गई थी। चयन में 8 कर्मचारियों (6 सामान्य और 2 अ०जा०) उपस्थिति हुए थे। चयन में कोई सामान्य उम्मीदवार पास नहीं हुआ। दोनों अनुसूचित जाति के उम्मीदवार जो चयन में पास हुए थे, गलती से केवल एक आरक्षित रिक्ति के पैनल से रख दिए गए थे। अब इसे सुधार किया गया है।

[अनुवाद]

एन०आई०आर०डी० की रिपोर्ट

5955. **श्री सी०पी० राजकृष्णन** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद द्वारा प्रकाशित उस अध्ययन रिपोर्ट की ओर आकर्षित हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि ग्रामीण गरीबी की दर के प्रतिशत में कमी आने के बावजूद निरपेक्ष रूप से ग्रामीण गरीबी की मात्रा में कोई कमी नहीं आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन-निर्वाह स्तर से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में कमी लाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा प्रकाशित 'भारत ग्रामीण विकास रिपोर्ट-1999' में यह बताया गया है कि कमी आने के बावजूद देश में गरीबों की कुल संख्या लगभग स्थिर रही है। यह उच्च जनसंख्या वृद्धि दर के कारण है।

(ग) गरीबी उपशमन के लिए उपचारित उपायों के रूप में सरकार ने पहले से ही विभिन्न कार्यक्रमों को शुरू किया है। इनमें से कुछ कार्यक्रम निम्नानुसार हैं :

(1) पुनर्गठित स्व-रोजगार कार्यक्रम—स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना,

(2) सुनिश्चित रोजगार योजना,

(3) जवाहर ग्राम समृद्धि योजना,

(4) प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना,

(5) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, आदि।

एयर इंडिया के महिला चालक दल के सदस्यों की मांगें

5956. **श्री सुनील खां** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया के महिला और पुरुष चालक दल के सदस्यों की आयु के मामले में कोई भेदभाव किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन सदस्यों को एकसमान समझने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

पटना हवाई अड्डे पर एयरकार्गो काम्पलेक्स

5957. **डा० रघुवंश प्रसाद सिंह** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने पटना हवाई अड्डे पर 'एयरकार्गो काम्पलेक्स' स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) पटना हवाई अड्डे पर एयर कार्गो काम्पलेक्स की स्थापना हेतु वर्ष 1995-96 में केन्द्रीय भंडारण निगम (सी०डब्ल्यू०सी०) के मार्फत एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। सी०डब्ल्यू०सी० को हवाई अड्डे की चारदीवारी से बाहर 1.5 एकड़ का भूखंड अधिग्रहण करने तथा भारतीय विमान-पत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए नक्शों सहित निर्धारित फार्मेट में एक नया प्रस्ताव भेजने को कहा गया था। अभी तक सी०डब्ल्यू०सी० से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

डी०जी०क्यू०ए० और जे०डी०ए० का विलय

5958. **श्री श्रीप्रकाश जायसवाल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी०जी०क्यू०ए० (गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशक) और जे०डी०ए० (ज्वाइंट डायरेक्टर, आर्मामेंट) का एक नए रूप में विलय करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जी, नहीं। गुणता आश्वासन महानिदेशालय में ही एक ऐसा निदेशालय है जो अनन्य रूप से आयुध संबंधी मामलों को ही देखता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सियालदह-कैनिंग रेल लाइन का सोनाखाली तक विस्तार

5959. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल में सियालदह-कैनिंग रेलवे लाइन का सोनाखाली तक विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की सोनारपुर और कैनिंग के बीच 'टोकन रहित' प्रणाली लागू करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किस समय सीमा तक इसे शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) सोनारपुर-कैनिंग खंड पर टोकनरहित ब्लाक संचालन की एक नई यातायात सुविधा का कार्य 2000-2001 के बजट में 56.34 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर शामिल किया गया है। संसद में बजट पारित होने के पश्चात् कार्य शुरू किया जाएगा।

[हिन्दी]

भारतीय सुरक्षा बलों को सैन्य प्रशिक्षण

5960. **श्री बावरचन्द गेहलोत** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने किन-किन देशों के साथ भारतीय सुरक्षा बलों को सैन्य प्रशिक्षण दिए जाने के संबंध में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) वर्ष 1997, 1998 और 1999 के दौरान भारतीय सुरक्षा बलों का किन-किन देशों में सैन्य प्रशिक्षण दिया गया; और

(ग) इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर वर्ष-वार कितना व्यय हुआ?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय सैन्य शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना और भारत तथा ब्रिटेन के बीच यूनाईटेड किंगडम सैन्य प्रशिक्षण सहायता योजना के तहत प्रशिक्षण सहयोग विद्यमान है। 22 मार्च, 1999 को रूसी गणराज्य के सैन्य शिक्षण संस्थानों में भारतीय रक्षा कार्मिकों के प्रशिक्षण दिए जाने के एक सामान्य करार पर भी हस्ताक्षर किए गए थे।

2. गत तीन वित्तीय वर्षों में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के अफसरों ने निम्नलिखित देशों में प्रशिक्षण लिया :

(क) 1997-98

(i) संयुक्त राज्य अमरीका

(ii) ब्रिटेन

(iii) आस्ट्रेलिया

(iv) बंगलादेश

(v) नेपाल

(vi) इटली

(vii) सिंगापुर

(ख) 1998-99

(i) संयुक्त राज्य अमरीका

(ii) ब्रिटेन

(iii) नाइजीरिया

(iv) आस्ट्रिया

(v) म्यांमार

(vi) बंगलादेश

(vii) सिंगापुर

(viii) इंडोनेशिया

(ix) अर्जेन्टीना

(x) दक्षिण अफ्रीका

(xi) जापान

(ग) 1999-2000

(i) संयुक्त राज्य अमरीका

(ii) ब्रिटेन

(iii) बंगलादेश

(iv) इजराइल

(v) फ्रांस

(vi) दक्षिण अफ्रीका

(vii) नेपाल

(viii) मलेशिया

(ix) सिंगापुर

(x) श्रीलंका

3. इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में नीचे दिए अनुसार व्यय हुआ :

(i)	1997-98	89.57 लाख रुपए
(ii)	1998-99	42.96 लाख रुपए
(iii)	1999-2000	115.10 लाख रुपए

भरवाडीह-चिरमिरी रेल लाइन का उपयोग

5961. **प्रो० दुखा भगत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण बिहार में भरवाडीह और चिरमिरी के बीच रेल लाइन स्वतंत्रता से पूर्व बिछाई गई थी;

(ख) क्या सरकार इस लाइन से संबंधित कार्य पूरा करने के बाद कोई रेल सेवा शुरू करने का विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) भरवाडीह और चिरमिरी के बीच एक सर्वेक्षण शुरू किया गया है, जिसके 31.3.2001 तक पूरा होने की संभावना

है। सर्वेक्षण रपट उपलब्ध होने के पश्चात् इस परियोजना पर आगे विचार किया जाना संभव होगा। यदि इस परियोजना पर बाद में काम शुरू करने के लिए विचार किया जाता है, तो इस मार्ग पर गाड़ी सेवाओं का परिचालन सभी तरह से कार्य पूरा होने और लाइन चालू होने के बाद ही तय किया जा सकता है।

बौद्ध पर्यटक केन्द्रों का विकास

5962. **डा० नीतिश सेनगुप्ता :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान, ताइवान तथा कोरिया ने बोधगया, नालंदा, राजगीर, कुशीनगर तथा पिरावा बौद्ध पर्यटक सर्किटों में सुविधाओं तथा मूल-भूत सुविधाओं के विकास में सहायता देने में रुची दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन सभी देशों से बौद्ध पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु, नेपाल में कपिलवस्तु तथा लुम्बिनी तथा भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध पर्यटक स्थलों के संयुक्त यात्रामार्ग हेतु नेपाल से वार्ता करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश और बिहार में अवसंरचनात्मक सुविधाओं तथा विनिर्दिष्ट बौद्ध यात्रा परिपथ के विकास के लिए भारत सरकार ने दिसंबर, 1988 में जापान के ओवरसीज इकोनोमिक कोआपरेशन फंड (ओ०ई०सी०एफ०) के साथ एक ऋण समझौता किया था। समझौते के तहत यह सहमति हुई थी कि ओ०ई०सी०एफ० 7.7 बिलियन जापानी येन की वित्तीय सहायता देगा। परियोजना के मुख्य घटक राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक राजमार्गों का सुदृढ़ीकरण, भू-दृश्य निर्माण, जल एवं विद्युत आपूर्ति में सुधार तथा मार्गस्थ सुविधाओं का प्रावधान आदि है। इस परियोजना के तहत जिन-जिन स्थानों को शामिल किया गया है, वे उत्तर प्रदेश में सारनाथ, कुशीनगर, पिपरहवा, श्रावस्ती तथा बिहार में बोधगया, नालंदा, राजगीर और वैशाली हैं। लगभग 251.051 करोड़ रुपये लागत की उक्त परियोजना 31 दिसंबर, 1998 को पूरी हो गई है।

(ग) और (घ) इस समय तक कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

हिन्दी सलाहकार समिति

5963. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके विभाग के अंतर्गत हिन्दी सलाहकार समिति गठित की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसे कब तक गठित किए जाने की संभावना है;

(ग) राजभाषा स्वर्ण जयंती मनाने के लिए विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राजभाषा के प्रयोग में वृद्धि हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस वर्ष वार्षिक कार्यक्रम में प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) (i) 'भारत की राजभाषाओं में परस्पर अनुवाद की आवश्यकता और संस्थागत प्रावधान' पर एक संगोष्ठी।

(ii) 'कबीर और उनकी भाषा' पर एक संगोष्ठी।

(iii) कर्मचारियों में आयोजित एक भाषण प्रतियोगिता।

(घ) और (ङ) जी, हां। राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार, नामत:

(i) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित करना

(ii) हिन्दी कार्यशाला संचालित करना

(iii) हिन्दी पखवाड़ा मनाना

(iv) बाहर के कार्यालयों का निरीक्षण करना।

(v) हिन्दी प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना।

[अनुवाद]

सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ते

5984. **श्री टी०एम० सेल्वागनपति :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वे भूतपूर्व रेल कर्मचारी जिन्होंने रेलवे अस्पतालों में चिकित्सा का विकल्प नहीं लिया है, वह 100 रु० प्रतिमाह की दर से निर्धारित चिकित्सा भत्ते के लिए पात्र हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या रेल विभाग को रेलवे पेंशनर्स संगम, चेन्नई से इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो रेल विभाग द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां। रेलवे अस्पतालों/स्वास्थ्य इकाइयों की मौजूदगी वाले नगर/शहर/नगरपालिका की सीमा से बाहर रहने वाले रेल पेंशन भोगी/परिवार पेंशन भोगी प्रतिमाह 100/- का निर्धारित चिकित्सा भत्ता पाने के पात्र हैं बशर्ते कि वे अन्य निर्धारित शर्तों को भी पूरा करते हों। चाहे उन्होंने रेलवे अस्पताल में उपचार करने का विकल्प दिया है या नहीं।

(ख) जी, हां। माननीय पर्यावरण एवं वन मंत्रीजी के माध्यम से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था।

(ग) पर्यावरण एवं वन मंत्री जिन्होंने अभ्यावेदन अग्रेषित किया था, के माध्यम से वास्तविक स्थिति के बारे में 30/1/2000 को अभ्यावेदन-कर्त्ताओं को अवगत करा दिया गया है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में रेल लाइन बिछाना

5965. श्री कांतिलाल भूरिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में बीना, मक्सी और सिरोंज-राजगढ़ नयी रेल लाइन बिछाने का निर्माण कार्य आरंभ हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इन रेल लाइनों को कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) बियावरा राजगढ़-सिरोंज-बीना तक एक नई बड़ी लाइन के लिए एक सर्वेक्षण 1999 में किया गया था और सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चला है कि 147 कि०मी० लंबी लाइन की लागत ऋणात्मक प्रतिफल की दर सहित 224.75 करोड़ रु० से कम नहीं होगी। परियोजना की समग्रतः अलाभप्रद प्रकृति और रेलों को पेश आ रही संसाधनों की अत्यधिक तंगियों के दृष्टिगत फिलहाल परियोजना को शुरू करने पर विचार करना संभव नहीं है। मकसी और बियावरा राजगढ़ के बीच पहले से ही बड़ी लाइन मौजूद है।

डॉलीगंज में सड़क ऊपरिपुल का निर्माण

5966. श्री रामपाल सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ में डॉलीगंज रेलवे फाटक पर सड़क ऊपरिपुल के निर्माण से संबंधित अब तक कोई कार्रवाई की गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो उपरोक्त पुल का निर्माण-कार्य कब तक आरंभ किया जाएगा और पूरा किया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां। कार्य 1998-99 में मंजूर किया गया था।

(ख) राज्य सरकार ने अभी तक स्थान के बारे में निर्णय नहीं लिया है। इसलिए कार्य को आरंभ करने का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

[अनुवाद]

गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन

5967. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा महाराष्ट्र में ऐसे क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां आगामी वर्षों में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का विकास किया जाएगा?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) और (ख) जी, हां। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय अपने विभिन्न कार्यक्रमों जैसे—पवन बायोमास/सह-उत्पादन, बायोमास गैसीफायर, लघु पनबिजली, सौर प्रकाशवोल्टीय तथा शहरी और औद्योगिक अपशिष्टों से विद्युत उत्पादन को आर्थिक राज सहायता/वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर प्रोत्साहित कर रहा है। साधारणतया गैर-सरकारी संगठन भी इन आर्थिक राज सहायता/वित्तीय सहायता का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं/प्रणालियों के लिए परियोजनाओं/प्रणालियों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता या तो सीधे ही दी जाती है या राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से दी जाती है।

(ग) बायोगैस, उन्नत चूल्हा और सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रमों के अलावा मंत्रालय द्वारा अपने कार्यक्रमों के लिए कोई राज्यवार लक्ष्य आबंटित नहीं किए जाते हैं। वर्ष 2000-2001 के दौरान, महाराष्ट्र राज्य के लिए 16,000 बायोगैस संयंत्रों, 1.20 लाख उन्नत चूल्हों का लक्ष्य आबंटित किया गया है। प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम के लिए लक्ष्यों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। महाराष्ट्र राज्य में कार्यान्वित किए जा रहे अन्य अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों को वर्ष 2000-2001 के दौरान जारी रखने की संभावना है।

बायोमास ऊर्जा

5968. श्री आर०एल० जालप्पा : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक परियोजना के तौर पर बायोमास के प्रयोग द्वारा ऊर्जा प्रदान करने हेतु कर्नाटक में अब तक कितने गांवों को शामिल किया गया है;

(ख) इस उद्देश्य हेतु वर्ष 1999-2000 के दौरान कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(ग) राज्य में उक्त परियोजना के अंतर्गत और अधिक गांवों को शामिल करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) कर्नाटक में तुमकुर जिले के येदावन्ने और कोडावथी पंचायतों में अब तक सात गांवों को सतत् ग्रामीण क्षेत्र रूपांतरण (सूत्रा) पर परियोजना के अंतर्गत, बायोमास आधारित ऊर्जा उत्पादन के लिए शामिल किया गया है।

(ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान, इस परियोजना के लिए, केन्द्र सरकार द्वारा 92.10 लाख रु० की धनराशि और राज्य सरकार द्वारा 24 लाख रु० की धनराशि स्वीकृत की गई है।

(ग) इस परियोजना के अंतर्गत और अधिक गांवों को शामिल करना, उन गांवों में जहां अब तक परियोजनाएं आरंभ की गई हैं में, परियोजना के यथासमय और सफलतापूर्वक कार्यान्वयन पर निर्भर करेगा।

मालढुलाई के लक्ष्य की प्राप्ति

5969. **श्री किरीट सोमैया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने गत वर्ष की तुलना में वर्ष 1999-2000 के दौरान मालढुलाई के लदान में रिकार्ड लक्ष्य की प्राप्ति की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितना राजस्व अर्जित किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा माल के लदान के कार्य-निष्पादन को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान भारतीय रेल ने 456 मिलियन टन से ज्यादा आरंभिक राजस्व उपार्जक माल यातायात की ढुलाई की। यह 1998-99 के दौरान हासिल लदान से 35 मिलियन टन अधिक था जो 8.4% की वृद्धि का द्योतक है।

(ग) वर्ष 1999-2000 के लिए माल यातायात से अर्जित अनुमानित राजस्व 22024 करोड़ रुपए है।

(घ) 2000-01 के दौरान वर्तमान माल लदान मुख्यत: कोयला, सीमेंट, इस्पात संयंत्रों के लिए सामग्री, तैयार इस्पात और पेट्रोल, तेल, स्नेहक उत्पादों के संचलन से फलीभूत होने की आशा है। इस वर्धमान यातायात को ढोने के लिए परिवहन क्षमता सृहित करने के उद्देश्य से पर्याप्त संख्या में खुले, ढके और सपाट माल डिब्बे और रेल इंजन प्राप्त करने की योजना है। मुख्य माल गलियारों के संतृप्त बिंदु पर पहुंचने की समस्या से निपटने के लिए प्रापण योजना में उच्च अश्व शक्ति के डीजल और बिजली रेल इंजन खरीदने की व्यवस्था की गई है। ब्लाक रेक व्यवस्था, टर्मिनलों की क्षमताएं बढ़ाने और कंटेनरीकरण के माध्यम से फुटकर यातायात प्राप्त करने को लागू करने पर विशेष बल दिया जा रहा है।

अन्य साधनों से अपनी प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के उद्देश्य से रेलवे ने नवंबर 1999 में डीजल के मूल्यों में वृद्धि के बावजूद कोई किराया नहीं बढ़ाया। इसके अलावा, बजट प्रस्तावों में 5% की सामान्य वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है, प्रमुख उपार्जक पण्यों, अर्थात् कोयला, इस्पात, पेट्रोलियम और सीमेंट को काफी राहत दी गई है, क्योंकि इन पण्यों की भाड़ा दरों में लगभग 2% की सीमा तक वृद्धि होगी। इसके अलावा, पहले आयातित कोयले पर दी गई रियायत 1.4.2000 से वापिस ले ली गई है। साथ ही, वाश कोयले का उच्च वर्गीकरण जिसमें घरेलू वाश कोयले को घाटा उठाकर आयातित वाश कोयले के साथ रखा गया था, भी समाप्त कर दिया गया है।

बाड़मेर स्थित ऊपरिपुल पर सड़क का निर्माण

5970. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर शहर में सी-325 रेलवे फाटक पर सड़क ऊपरिपुल का निर्माण करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उक्त पुल का निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

प्राचीन सूर्य देव पूजा स्थल का विकास

5971. **डा० संजय पासवान** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, का विचार बुद्ध सर्किट की तरह देव (औरंगाबाद), ऊलार (पटना), बड़गांव (नालंदा) और हरिया (नवादा) स्थित सूर्य देवता के प्राचीन पूजा केन्द्रों का पर्यटक स्थल के रूप में विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन प्राचीन पूजन स्थल केन्द्रों का विकास होने से नए पर्यटन स्थल तैयार होंगे जिससे स्थानीय क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि में सहायता मिलेगी; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन स्थलों की विकास प्रक्रिया कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (ग) पर्यटक स्थलों का विकास मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय प्रत्येक वर्ष राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करके प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं/योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

वर्ष 1999-2000 के दौरान, केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए देव (औरंगाबाद), ऊलार (पटना), बड़गांव (नालंदा) और हरिया (नवादा) के विकास के लिए किसी भी परियोजना प्रस्ताव को प्राथमिकता प्रदान नहीं की गई।

थाना बीहपुर और महादेवपुर घाट के बीच रेल सेवा को बंद करना

5972. **श्रीमती रेनु कुमारी**
श्री निखिल कुमार चौधरी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थाना बीहपुर जंक्शन और महादेवपुर घाट के बीच रेल सेवा बंद कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त रेल सेवा को बहाल करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक बहाल किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) थाना बिहपुर और महादेवपुर घाट (मी०ला०) के बीच सेवा कम लोकप्रिय होने तथा ललितपुर और महादेवपुर घाट के बीच पाये वाले पुल के निकट नदी के किनारे पर कटाव के कारण रेल सेवा रद्द कर दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विशेष तटरक्षक कृतिक बल

5973. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 मार्च, 2000 के मुंबई अंक के 'दैनिक नवभारत' में 'क्लिंटन यात्रा के मद्देनजर ठाणे जिले की समुद्री सीमा सील' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन तटवर्ती क्षेत्रों की संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए रात-दिन चौकसी रखने के लिए विशेष तटरक्षक कृतिक बल गठित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस तटरक्षक कृतिक बल के कब तक गठित होने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) दौरे पर आए अमरीकी राष्ट्रपति को सागरमुखी सुरक्षा मुहैया कराने के लिए मुंबई के पास तटरक्षक पोत तैनात किए गए थे।

(ग) और (घ) तटीय क्षेत्रों की चौकसी के लिए विशेष तटरक्षक कार्य बल बनाए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तटरक्षक पोत और वायुयान भारत के समुद्री क्षेत्रों की नियमित निगरानी करते हैं और तटीय क्षेत्रों तथा भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की नियमित निगरानी भी करते हैं।

[अनुवाद]

बुक स्टॉल के ठेकेदारों को एकल बिक्री अधिकार

5974. श्री भान सिंह भौरा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के पत्र सं० 75 टी.जी. III/461/19, दिनांक 15 नवंबर, 1975 के अनुसार मैसर्स ए०एच० व्हीलर एंड कंपनी सहित सभी बुक स्टाल ठेकेदारों के (पुस्तकों और पत्रिकाओं की बिक्री हेतु) एकल अधिकार 31 दिसंबर, 1975 तक विद्यमान प्लेटफार्मों तक सीमित थे;

(ख) क्या मंत्रालय के पत्र सं० 75 टी.जी. III/461/19, दिनांक 24 और 25 नवंबर, 1976 के अनुसार 1 जनवरी, 1976 को या उसके बाद मैसर्स ए०एच० व्हीलर एंड कंपनी के ठेके वाले स्टेशनों पर निर्मित/जोड़े गए प्लेटफार्मों पर बुक स्टाल के ठेके केवल बेरोजगार स्नातक श्रेणियों को दिए जाएंगे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। विगत में मैसर्स ए०एच० व्हीलर एंड कंपनी को रेलवे के बड़े भाग में बुक स्टाल चलाने का एकाधिकार था। 1.9.1960 से ये एकाधिकार केवल ऐसे स्टेशनों तक ही सीमित कर दिए गए थे जहां उनके पास पहले से बुक स्टाल थे। यह खंड 1975 एवं 1976 में आशोधित किया गया था जिसके तहत रेलवे 1.1.1976 के बाद निर्मित प्लेटफार्मों पर बेरोजगार स्नातकों सहित किसी अन्य पात्र कोटियों को, उन स्टेशनों पर जहां मैसर्स ए०एच० व्हीलर को बिक्री के एकाधिकार हैं, बुक स्टाल आवंटित कर सकती है। पुन: यह नियम 1988 में आशोधित किया गया जिसके तहत मैसर्स ए०एच० व्हीलर को, उन स्टेशनों के नए प्लेटफार्म पर जहां उनकी बिक्री का एकाधिकार है, आपरेट करने की अनुमति दी गई है बशर्ते कि वे इसके बदले दूसरे स्टेशन पर स्टाल अभ्यर्पित कर दें।

रक्षा उपकरणों के लिए क्रय नीति

5975. श्री भीम दाहाल :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रक्षा उपकरणों के लिए क्रय नीति को सरल और पारदर्शी बनाने हेतु इसकी समीक्षा की आवश्यकता पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) अपेक्षित लचीलापन, उच्च स्तर की दक्षता, जवाबदेही और रक्षा मंत्रालय को आवंटित संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सरकार समय-समय पर आंतरिक पुनरीक्षा के जरिए रक्षा खरीद प्रक्रियाओं में और अधिक सुधार लाने के लिए सतत् प्रयत्नशील रहती है।

त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी रेल लाइन का दोहरीकरण

5976. श्री वी०एस० शिवकुमार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी बड़ी लाइन का अभी तक दोहरीकरण और विद्युतीकरण नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी बड़ी लाइन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण करने पर विचार कर रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जब एकल लाइन वाले खंडों की वहन क्षमता संतृप्त हो जाती है तब उनका दोहरीकरण किया जाता है और ऐसा करते समय गहन माल यातायात वाले खंडों को प्राथमिकता दी जाती है। तिरुवनंतपुरम-कन्याकुमारी खंड पर यातायात दोहरीकरण के औचित्य के स्तर पर अभी नहीं पहुंचा है। जब यातायात की दृष्टि से अपेक्षित होगा तब दोहरीकरण करने पर विचार किया जाएगा बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हो। संसाधनों की तंगी और अन्य उच्च घनत्व वाले मार्गों के लिए सापेक्ष प्राथमिकता के कारण तिरुवनंतपुरम-कन्याकुमारी बड़ी लाइन के विद्युतीकरण फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातात्विक स्थलों पर खुदाई

5977. श्री पी०डी० एलानगोवन : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की सिंधु घाटी सभ्यता और लौह युगीन संस्कृति से संबंधित पुरातात्विक स्थलों पर खुदाई कराने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की योजना, सिंधु सभ्यता के तीन स्थलों नामत: धोलावीरा, जिला कच्छ (गुजरात), राखीगढ़ी, जिला हिसार (हरियाणा) तथा धलेवान, जिला मनसा (पंजाब) में चल रहे उत्खननों को आगे चलाते रहने की है। धेलावीरा ने अपने क्रमिक आवासों, किले बंदियों, घरों, जलाशयों, खेल के मैदानों तथा अन्य विशेषताओं, मिट्टी के बर्तनों तथा पुरावशेषों जैसे कि मोहरें, मुद्रांकण, तौल, माप, आभूषणों, शस्त्र तथा गृह प्रयोग की मदों के माध्यम से सिंधु सभ्यता के उत्थान तथा पतन के लगभग 1500 वर्षों के इतिहास को उद्घाटित किया है जिसमें लगभग 3000 ई०पू० से 1500 ई०पू० की अवधि शामिल है, राखीगढ़ी से पूर्व हड़प्पा संरचनाओं तथा पुरावशेषों के साथ-साथ एक गोलाकार तथा कई चौकोर मोहरों, शस्त्रों, आभूषणों तथा अनुष्ठानिक प्रयोग की वस्तुओं के अतिरिक्त धलेवान ने आद्य-हड़प्पा, हड़प्पा तथा कुशान-गुप्त संरचनाएं, मिट्टी के बर्तन तथा पुरावशेषों को प्रदान किया है जिनमें सिंधु अवधि के घट फलक तथा तौल, टेराकोटा गाड़ी के पहिये, चूड़ियां, आदि शामिल हैं।

चिचली, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश में उत्खनन से, जिसका निष्कर्ष निकाला जा रहा है, बड़ी संख्या में महापाषाण प्रस्तर-संग्रह स्थलों, कुछ जिनमें मानव अस्थियां हैं, काले तथा लाल बर्तन जो अन्य लौह स्थलों से संबद्ध हैं, को उजागर किया है। उभारिया से, जो कि अन्य महापाषाण लौह कालीन स्थल हैं, छैनी, कुल्हाड़ी तथा लौह का एक बढ़ईगीरी का उपकरण तथा संबद्ध मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं।

कृषि और स्ट्रीट लाइट के लिए सौर ऊर्जा

5978. श्री ए० कृष्णास्वामी : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेषत: तमिलनाडु में कितने गांवों और ग्रामीण केन्द्रों में कृषि और स्ट्रीट लाइट हेतु सौर ऊर्जा प्रणाली का उपयोग होता है;

(ख) त्रिवल्लूर जिले में ऐसी कितनी प्रणालियां स्थापित की गई हैं;

(ग) वित्त वर्ष के दौरान उक्त जिले में सौर ऊर्जा (विद्युतीकरण) हेतु कितने केन्द्रों/गांवों को अपनाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या ऐसी परियोजनाएं चलाने की इच्छुक निजी कंपनियों/गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता/ऋण प्रदान किया जाएगा; और

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) और (ख) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय कृषि और संबंधित उद्देश्यों के लिए जल पंपन प्रणालियों की स्थापना और बिजली रहित क्षेत्रों में सड़क रोशनी प्रणालियों की स्थापना के लिए कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। देश में इन कार्यक्रमों के अंतर्गत अब तक कुल 3,323 सौर पंप और 38,916 सड़क रोशनी प्रणालियां स्थापित की गई हैं। तमिलनाडु में कार्यक्रमों का कार्यान्वयन तमिलनाडु ऊर्जा विकास एजेंसी (टेडा) द्वारा किया जाता है। जल पंपन कार्यक्रम का कार्यान्वयन भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) द्वारा भी किया जा रहा है जिसके अंतर्गत निर्माताओं और बिचौलियों को बाजार में इस प्रकार की प्रणालियों को प्रत्यक्ष रूप से बेचने की अनुमति प्राप्त है। टेडा और इरेडा द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, तमिलनाडु में अब तक कुल 681 पंप और 194 सड़क रोशनी प्रणालियों की स्थापना की गई है। त्रिवल्लुर जिले में टेडा द्वारा तीन पंपों की स्थापना करने की सूचना मिली है। इस जिले में टेडा द्वारा किसी सड़क रोशनी प्रणाली की स्थापना नहीं की गई है।

(ग) वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान, उपर्युक्त जिले में सौर ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना के लिए इस मंत्रालय को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(घ) और (ङ) मंत्रालय, सौर ऊर्जा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में अच्छा रिकार्ड रखने वाली गैर-सरकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। निजी कंपनियों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं है। तथापि इस प्रकार की कंपनियां विशिष्ट परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए इरेडा से ऋण प्राप्त कर सकती हैं।

अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों का विकास

5979. श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने दो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों और कुछ घरेलू हवाई अड्डों को विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र को भाग लेने के लिए आमंत्रित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, आंध्र प्रदेश सरकार की निजी सेक्टर की भागीदारी की संभावना का पता लगाने के लिए अपने सभी हवाई अड्डों के संबंध में साध्यता अध्ययन कराए जाने की योजना है। केन्द्रीय सरकार ने पहले ही सिद्धांत रूप में संयुक्त उद्यम आधार पर हैदराबाद के निकट शमसाबाद में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एक नए हवाई अड्डे के निर्माण का अनुमोदन कर दिया है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों को नौकरियां

5980. श्री अमर राय प्रधान : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष मंत्रालय/विभागों/स्वायत्त निकायों और अधीनस्थ कार्यालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों को श्रेणीवार कितनी नौकरियां उपलब्ध कराई गईं;

(ख) 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार उक्त में से प्रत्येक कार्यालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित कितने पद रिक्त हैं; और

(ग) इन पदों को भरने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

आर्मी रेजीमेंट्स

5981. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख के अनुसार भारतीय सेना में विभिन्न रेजीमेंटों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या किसी विशेष रेजीमेंट में सिर्फ विशेष जाति और वर्ग के लोगों को ही भर्ती किया जाता है;

(ग) क्या सरकार का विचार सभी समुदाय के लोगों को समान भर्ती का अवसर देने का है;

(घ) यदि हां, तो एक विशेष समुदाय के अंतर्गत नामित किसी रेजीमेंट में अन्य समुदाय के लोगों को भर्ती नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार इस असंतुलन को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(छ) क्या सरकार को कुछ नए रेजीमेंटों को बनाने हेतु कोई प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(झ) क्या पूर्व से अजमेर रेजीमेंट के नाम से कोई रेजीमेंट थी; और

(ञ) यदि हां, तो इस रेजीमेंट के भंग होने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : भारतीय सेना की 29 रेजिमेंटों के नामों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) जी, नहीं। रेजिमेंट की रिक्तियां रेजिमेंट के वर्ग संरचना के आधार पर भरी जाती हैं जिसे किसी जाति या समुदाय विशेष तक सीमित रखा जाना आवश्यक नहीं है। इसके अतिरिक्त, रेजिमेंट की वर्ग संरचना में अफसर, लिपिक, रसोइया, धोबी, नाई, सफाई वाला तथा अन्य ट्रेडमैन शामिल नहीं हैं, जो अखिल भारतीय आधार पर समस्त श्रेणी की रिक्तियों के लिए भर्ती किए जाते हैं।

(ग) और (घ) सेना में सभी भारतीय नागरिकों के लिए भर्ती खुली है चाहे वे किसी भी वर्ग, जाति, पंथ, धर्म या क्षेत्र के हों बशर्ते कि वे शैक्षिक अर्हता और शारीरिक उपयुक्तता संबंधी मानदंड पूरे करते हों। संक्रियात्मक तथा संभारिकी कारणों के आधार पर रेजिमेंटों में भर्ती सीमित रखी जाती है तथा रेजिमेंटों की कतिपय सैन्य परंपराएं होती है जो कि बनाए रखी जा रही हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) और (ज) जी, हां। वर्ग, पंथ, संप्रदाय धर्म अथवा क्षेत्र विशेष के आधार पर नई रेजिमेंटें खड़ी करने के लिए समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। तथापि, स्वतंत्रताप्राप्ति के बाद से उपर्युक्त के आधार पर नई रेजिमेंट खड़ी करने अथवा उसका नाम रखने की सरकार की नीति नहीं रही है।

(झ) जी, हां।

(ञ) द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तत्कालीन सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय के अनुसार अजमेर रेजिमेंट सहित लगभग 8000 सेना यूनिटें भंग कर दी गई थीं।

विवरण

रेजिमेंटों के नाम

(क) गार्ड्स

(ख) पैराशूट

(ग) मैकनाइज्ड इंफैंट्री

(घ) पंजाब

(ङ) मद्रास

(च) ग्रेनेडियर्स

(छ) मराठा लाइट इंफैंट्री

(ज) राजपूताना राइफल

(झ) राजपूत

(ञ) जाट

(ट) सिख

(ठ) सिखलाइट इंफैंट्री

(ड) डोगरा

(ढ) गढ़वाल राइफल

(ण) कुमाऊं

(त) असम

(थ) बिहार

(द) महार

(ध) जम्मू-कश्मीर राइफल

(न) जम्मू-कश्मीर लाइट इंफैंट्री

(प) लद्दाख स्काउट

(फ) नागा

(ब) 1 गोरखा राइफल

(भ) 3 गोरखा राइफल

(म) 4 गोरखा राइफल

(य) 5 गोरखा राइफल

(र) 8 गोरखा राइफल

(ल) 9 गोरखा राइफल

(व) 11 गोरखा राइफल

बिहार में जिला मुख्यालयों को रेल संपर्क से जोड़ना

5982. **श्री राजो सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने राज्य में सभी जिला मुख्यालयों को रेल संपर्क से जोड़ने का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेल संपर्क से जोड़ने की व्यवस्था कब तक किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

सांस्कृतिक संगठनों को अनुदान

5983. **श्री टी० गोविन्दन** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान संगठन-वार और वर्ष-वार विभिन्न सांस्कृतिक संगठनों को स्वीकृत अनुदानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसे संगठनों को धनराशि जारी की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यह अनुदान कब तक जारी कर दिया जाएगा?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

सी०एस०डी० की वस्तुओं पर बिक्री कर प्रभार

5984. **श्री जय प्रकाश** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना मुख्यालय (सी०एस०डी०) कैंटीन, नई दिल्ली रक्षा प्राक्कलन से भुगतान किए जाने वाले बिक्री कर को कुछ वस्तुओं की खरीद करने पर सिविलियनों पर प्रभारित कर रही है, जबकि पहले हकदार वर्ग के कर्मचारियों की इन श्रेणियों को सशस्त्र सेनाओं और भूतपूर्व सैनिकों के समान समझा जा रहा था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) जी, हां। रक्षा सेवा प्राक्कलन से भुगतान पाने वाले सिविलियन कर्मचारी नई

दिल्ली स्थित सेना मुख्यालय (सी०एस०डी०) कैंटीन से शराब को छोड़कर सभी सामान खरीद सकते हैं। तथापि, उन्हें दिल्ली बिक्री कर के नियमों के अनुसार कुछ मदों पर बिक्री कर के भुगतान से कोई छूट नहीं है।

दिल्ली बिक्री कर नियमों के लिए 11(III) के अनुसार नई दिल्ली स्थित सेना मुख्यालय (सी०एस०डी०) कैंटीन द्वारा पात्र सिविलियन कर्मचारियों से बिक्री कर हमेशा लिया गया है।

आंध्र प्रदेश में सित्रा (एस०आई०टी०आर०ए०) का कार्यान्वयन

5985. श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवैसी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में ग्रामीण कारीगरों को उन्नत औजार साज-सामान की आपूर्ति (एस०आई०टी०आर०ए०) की केन्द्र प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित की गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ग) आंध्र प्रदेश के सभी जिलों में यह योजना कब तक कार्यान्वित की जानी है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) 31.3.1999 तक आंध्र प्रदेश के सभी 22 जिलों में ग्रामीण कारीगरों को उन्नत औजार किटों की आपूर्ति (सिट्रा) योजना कार्यान्वित की जा रही थी। 1.4.99 से सिट्रा एक स्वतंत्र योजना नहीं रही। इसे 1.4.99 से शुरू की गई स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के साथ मिला दिया गया है।

(ख) 1998-99 के दौरान सिट्रा के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में जिला-वार लाभार्थियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभार्थियों की संख्या
1	2	3
	आंध्र प्रदेश	
1.	अदीलाबाद	1400
2.	अनंतपुर	2409
3.	चित्तूर	2415
4.	कुडप्पा	1786
5.	ईस्ट गोदावरी	1808
6.	गुंटूर	625
7.	करीमनगर	1088
8.	खम्माम	518
9.	कृष्णा	2802
10.	कुरनूल	1200
11.	मेडक	1733
12.	महबूबनगर	862
13.	नालगोंडा	1820
14.	नेल्लूर	2068
15.	निजामाबाद	564
16.	प्रकाशम	1368
17.	रंगारेड्डी	969
18.	श्रीकाकुलम	750
19.	विशाखापट्टनम	1526
20.	विजयनगर	1000
21.	वारंगल	844
22.	वेस्ट गोदावरी	1472
	कुल	31027

कर्नाटक द्वारा घटिया किस्म के चावल को स्वीकार नहीं किया जाना

5986. श्री जी०एस० बसवराज : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने पंजाब से खरीद की गई औसत से कम/औसत गुणवत्ता वाले चावल को राज्य में सार्वजनिक वितरण हेतु स्वीकार करने में अपनी आपत्ति प्रकट की है क्योंकि खुले बाजार में लगभग समान दर पर बेहतर गुणवत्ता वाले चावल उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी०पी०डी०एस०) के अंतर्गत कार्डधारकों द्वारा चावल की खरीद नहीं किए जाने के कारण राज्य सरकार के पास बिक्री न किए गए चावल का विशाल भंडार है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को सुझाव दिया है कि वह या तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले कार्डधारकों के चावल के प्रति परिवार के कोटा को 8 किलोग्राम प्रतिमाह से बढ़ाकर 15/20

किलोग्राम प्रतिमाह कर दें अथवा चावल बिक्री मूल्य में प्रति किलो 2.00 रुपए की कमी कर दें ताकि बिक्री न किए गए चावल को बेचा जा सके; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, नहीं। कर्नाटक राज्य सरकार से ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, राज्य सरकार ने मार्च, 1999 में ढील दी गई विनिर्दिष्टियों के अधीन खरीदा गया ऐसा चावल जारी करने के लिए प्रस्ताव किया था जो मानव उपभोग के उपयुक्त हो और 80 : 20 के अनुपात में ढील न दी गई विनिर्दिष्टियों के साथ खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अनुरूप हो। विकल्पत: उन्होंने हर दूसरे माह ढील दी गई विनिर्दिष्टियों और ढील न दी गई विनिर्दिष्टियों का चावल जारी करने का अनुरोध किया था। तदनुसार, भारतीय खाद्य निगम ने मई, 1999 तक 80 : 20 के अनुपात में ढील दी गई विनिर्दिष्टियों और ढील न दी गई विनिर्दिष्टियों का चावल जारी किया था और उसके पश्चात् हर दूसरे माह ढील दी गई विनिर्दिष्टियों और ढील न दी गई विनिर्दिष्टियों का चावल जारी किया जा रहा है।

(ख) ऐसी कोई रिपोर्ट सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

(ग) राज्य सरकार ने संघ सरकार को सुझाव दिया है कि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पात्रता 25 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह कर दी जाए।

(घ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुप्रवाही बनाने की दृष्टि से संघ सरकार ने पहली अप्रैल, 2000 से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों का आबंटन 10 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह से बढ़ाकर 20 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह कर दिया है।

जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा नियंत्रण-रेखा का उल्लंघन

5987. श्री चन्द्रकान्त खैरे : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में 1999 और 2000 के दौरान अब तक आतंकवादियों द्वारा नियंत्रण रेखा पार करने की घटनाओं का तारीख-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) दोनों ओर के हताहतों का घटना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) जम्मू और कश्मीर राज्य में इस समय घुसे आतंकवादियों की अनुमानित संख्या कितनी होगी;

(घ) क्या करगिल युद्ध के पश्चात् बहुतेरे आतंकवादी नियंत्रण रेखा के अलावा अन्य स्थानों से भी भारतीय भूमि में घुसे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें खदेड़ने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) दिनांक 1.1.1999 से 28.4.2000 की अवधि के दौरान सेना द्वारा जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा तथा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ के 92 प्रयास विफल किए गए थे, जिनमें 165 आतंकवादी मारे गए थे। इन कार्रवाइयों में सेना के 7 जवान मारे गए तथा 9 जवान घायल हुए।

(ग) से (ङ) अनुमान है कि इस राज्य में मौजूद उग्रवादियों की संख्या लगभग 2400 और 3500 के बीच है। अभी भी अधिकांश घुसपैठ नियंत्रण-रेखा के पार से हो रही है। जम्मू से अंतरराष्ट्रीय सीमा का कुछ भाग भी संवेदनशील है।

सुरक्षा बलों द्वारा घुसपैठिए आतंकवादियों का सफाया करने के लिए आंतरिक क्षेत्र में निरंतर कार्रवाइयां की जाती हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक स्मारक

5988. डा० बलिराम : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश स्थित ऐतिहासिक स्मारकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन स्मारकों के अनुरक्षण पर हुए खर्च का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई स्मारक जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन स्मारकों के संरक्षण के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन उत्तर प्रदेश में 785 केन्द्रीय संरक्षित स्मारक हैं इनका ब्यौरा संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) पिछले 3 वर्षों में इन स्मारकों के रखरखाव पर निम्नलिखित व्यय किया गया है :

1996-97	2,11,35,918/- रुपये
1997-98	2,71,34,964/- रुपये
1998-99	2,90,16,000/- रुपये

(ग) और (घ) जी, नहीं। स्मारकों का रखरखाव एक सतत् प्रक्रिया है, बशर्ते कि धन एवं संसाधन उपलब्ध हों।

झांसी-कानपुर रेल लाइन का विद्युतीकरण

5989. श्री घूरेलाल खाबरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झांसी से कानपुर रेल लाइन का विद्युतीकरण किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) उक्त कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

रूपसा-बांगिरीपोशी मार्ग पर रेल सेवा बंद कर देना

5990. श्री अनंत नायक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में रूपसा-बांगिरीपोशी मार्ग पर रेल सेवाएं रोक दी हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस मार्ग पर रेल सेवाएं पुन: शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

झांसी रेलवे डिवीजन में टिकट परीक्षकों की संख्या

5991. श्री अशोक अर्गल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे के झांसी रेलवे डिवीजन में यात्रा टिकट परीक्षकों (टीटीई) की संख्या कितनी है;

(ख) कितने टीटीई के विरुद्ध विभागीय छानबीन की जा रही है; और

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित टीटीई की संख्या कितनी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) मध्य रेलवे के झांसी मंडल में टिकट जांच कर्मचारियों की संख्या 1337 है, जिसमें वरिष्ठ चल टिकट परीक्षक, मुख्य चल टिकट परीक्षक, कंडक्टर आदि हैं। 62 टिकट जांच कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के 8 कर्मचारी शामिल हैं।

[अनुवाद]

सुपर बाजार में भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

5992. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार के उप-महाप्रबंधक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में गंभीर अनुशासनहीनता संबंधी कार्यवाही की प्रक्रिया कई वर्षों से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ निर्माताओं/वितरकों/डीलरों के माध्यम से मदों की आपूर्ति करने की व्यवस्था कर रहा है जबकि आपूर्तिकर्ताओं द्वारा संबंधित सरकारी विभागों को उधार पर सीधी आपूर्ति की जाती है तथा राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ अपने पास कोई स्टॉक नहीं रखता है; और

(घ) सरकार द्वारा भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने तथा मामलों के त्वरित निपटान हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) श्री विजय कुमार, उप-महाप्रबंधक के खिलाफ भ्रष्टाचार के तीन मामलों में बड़ी दांडिक कार्रवाईयां चल रही हैं :

(i) आरोप पत्र 22.1.96 को जारी किया गया था। जांच पूरी कर ली गई है और जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

(ii) आरो पत्र 13.5.98 को जारी किया गया था। जांच चल रही है।

(iii) आरोप पत्र 8.4.2000 को जारी किया गया था। आरोपी अधिकारी को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों को स्वीकार/प्रतिकार करने के लिए समय दिया गया है।

(ग) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ निर्माताओं/वितरकों/डीलरों से अत्याधिक प्रतिस्पर्धी शर्तों पर खरीद करके सरकारी विभागों की आपूर्ति की व्यवस्था करता है जो वह संभवत: सीधे नहीं कर सकते हैं। सरकारी विभागों से आपूर्ति आदेशों को प्रत्याशा में भंडार बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(घ) एक पूर्ण सुसज्जित सतर्कता प्रकोष्ठ है जो किसी भी प्रकार की शिकायतों की जांच करता है और आवश्यक होने पर कार्रवाई करता है।

गुजरात सरकार द्वारा करगिल निधि का अन्यत्र प्रयोग

5993. श्री नरेश पुगलिया : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने करगिल निधियों को मुख्य मंत्री कोष में डाल दिया है, जैसाकि इस आशय का समाचार 17 मार्च, 2000 को 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'करगिल फंड : गुजरात गवर्नमेंट इन दि सूप' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को तत्संबंधी विस्तृत रिपोर्ट भेजने को कहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) गुजरात सरकार से विस्तृत रिपोर्ट दिए जाने का अनुरोध किया गया है।

डलहौजी रोड स्टेशन के निकट रेल-बस दुर्घटना

5994. श्री आर०एल० भाटिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 7 मार्च, 2000 को नुरपुर और डलहौजी रोड स्टेशन के बीच रेल समपार पर एक रेल-बस दुर्घटना हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसमें कितने लोगों की मृत्यु हुई तथा सरकारी संपत्ति की कितनी क्षति हुई; और

(घ) सरकार द्वारा इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) दुर्घटना का कारण बस ड्राइवर की लापरवाही पाया गया है जो बिना चौकीदार वाले समपार को पार करने से पहले संरक्षा एहतियातों का पालन करने में विफल रहा।

(ग) इस दुर्घटना में 10 बस यात्रियों की मृत्यु हुई थी और 35 बस यात्री जख्मी हुए थे जिसमें से 10 गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। सरकारी संपत्ति को 13,400/- रु० की क्षति होने का अनुमान लगाया गया था।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति की रोकथाम के लिए निम्न उपाय किए जा रहे हैं

1. समपार के पहुंच मार्गों पर समुचित सड़क संकेतों की व्यवस्था की गई है ताकि सड़क वाहन के ड्राइवर को समपार फाटक की मौजूदगी की जानकारी मिल सके।

2. समपार फाटकों के पहुंच मार्गों पर गति अवरोधकों/गड़गड़ाहटों पट्टियों की व्यवस्था की गई है ताकि सड़क वाहन के ड्राइवर को गति धीमी करने की याद आ सके।

3. समपार के पहुंच मार्गों पर रेलपथ के साथ-साथ सीटी बोर्डों की भी व्यवस्था की जाती है। समपार फाटक पर गाड़ी गुजरते समय गाड़ी ड्राइवर द्वारा सीटी बोर्ड से सीटी बजाना अपेक्षित होता है ताकि आ रही गाड़ी के बारे में सड़क उपयोगकर्ता को सावधान किया जा सके। यह जांच करने के लिए आवधिक अभियान चलाए जाते हैं कि क्या ड्राइवर वास्तव में सीटी बोर्ड से सीटी बजाता है।

4. सड़क उपयोगकर्ता अभी भी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के तीव्र गति से अनभिज्ञ हैं। 90 कि०मी० प्रति घंटा की गति से चल रही गाड़ी 25 मीटर सेकेंड की दूरी तय करती है। यद्यपि सड़क उपयोगकर्ता यह समझता है कि गाड़ी 150 मीटर दूर है तथापि समय की दृष्टि मे यह केवल 6 सैकंड दूर होती है। विभिन्न प्रचार माध्यमों से इस संदेश को उन तक उत्तरोत्तर रूप से पहुंचाया जा रहा है।

5. बिना चौकीदार वाले समपारों पर संरक्षा के बारे में सड़क चालकों को शिक्षित करने के लिए विभिन्न माध्यमों यथा टी०वी० पर लघु फिल्मों, सिनेमा स्लाइडों, पोस्टरों, रेडियो पर वार्ता, समाचार पत्रों में विज्ञापनों और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रचार अभियान चलाए जाते हैं।

6. चूंकि बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाएं सड़क उपयोगकर्ताओं की लापरवाही के कारण होती है। अत: राज्य सरकारें, ड्राइवर लाइसेंस विशेषतया ट्रक, बस और अन्य भारी वाहनों के चालकों को जारी करते समय गहन जांच करके सहायता कर सकती हैं। सड़क उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करने के लिए सभी प्रमुख सचिवों से सहयोग करने का अनुरोध किया गया है।

7. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और रेल अधिनियम, 1989 के उपबंधों के अंतर्गत दोषी सड़क वाहन ड्राइवरों को पकड़ने के लिए सिविल प्राधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से घात लगाकर जांच की जाती है।

8. रेल जन सतर्कता कार्यक्रमों में ग्राम पंचायतों को भी शामिल किया जा रहा है।

व्यापक नागर विमानन अधिनियम

5995. श्री सुबोध मोहिते :
श्री साहिब सिंह :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उक्त अधिनियम को संशोधित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) किसी व्यापक नागर विमानन अधिनियम का अभी तक अधिनियमन नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कालाहस्ती में रेलगाड़ी का पटरी से उतरना

5996. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 मार्च, 2000 को आंध्र प्रदेश में कालाहस्ती में रेलगाड़ी पटरी से उतर गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाने की बार-बार घटनाओं से यातायात अवरुद्ध हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ियां भी पटरी से उतर जाती हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या मौजूदा पटरियों की स्थिति तेजी से खराब हुई है; और

(च) आंध्र प्रदेश में रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाने की घटनाओं में कमी लाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) गुंतकल मंडल के गुडूर-रेणिगुंटा-त्रिरुपति खंड के कलाहस्ती और येल्लाकारू स्टेशनों के बीच 4 जेट खाली मालडिब्बे 13.3.2000 को 17.20 बजे पटरी से उतर गए थे।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां। धीमी गति से चलने वाली गाड़ियां भी कभी-कभी पटरी से उतर जाती हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं :

(i) संरक्षा गतिविधियों जैसे कि निरीक्षण, अचानक निरीक्षण, घात लगाकर जांच करना इत्यादि गहन कर और सभी स्तरों पर निगरानी रखी जा रही है।

(ii) मेद्य क्षेत्र जैसे कि रेलपथ और मालडिब्बा इत्यादि जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, को सुचारु रूप से देखा जा रहा है।

(iii) दुर्घटना जांचों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर संरक्षा अभियान संबंधी आदेश नियमित रूप से दिए जा रहे हैं।

(iv) कार्य प्रणाली में खामियों का ठीक-ठीक पता लगाने तथा लाघव उपायों पर रोक लगाने हेतु स्टेशनों पर जांच की जाती हैं।

भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया

5997. श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया विभिन्न राज्यों में बहुत जटिल और मूलत: विलंबकारी है जिसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय परियोजनाओं को शुरू करने तथा क्रियान्वित करने में असाधारण विलंब होता है और फलस्वरूप परियोजनाओं में भारी लागत वृद्धि होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मौजूदा प्रक्रिया और प्रणाली को सरल और सुगम बनाने हेतु राज्य सरकारों के परामर्श से नई पहल की है ताकि इसे और स्वीकार्य तथा व्यावहारिक बनाया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो उस संबंध में उठाए गए/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां। केन्द्रीय सरकार भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ व्यापक तौर पर संशोधन करने की प्रक्रिया में लगी है।

(i) उदारतापूर्वक मुआवजा देना, तोषण की राशि को बढ़ाना, कलेक्टर को सहमति अधिनिर्णीत करने की शक्ति प्रदान करना;

(ii) भूमि अर्जन की प्रक्रिया में लगने वाले कुल समय को कम करना; और

(iii) भूमि अर्जन की प्रक्रिया में सभी स्तरों पर लोगों की भागीदारी और पारदर्शिता को बढ़ाना।

[हिन्दी]

रेल संख्या 323 अप और 324 डाउन का देरी से चलना

5998. श्री सुबोध राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे (लूप लाइन) के अंतर्गत साहेबगंज और जमालपुर स्टेशनों के बीच चलने वाली रेल संख्या 323 अप और 324 डाउन के मार्ग को बढ़ाकर किऊल जंक्शन तक कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि किऊल जंक्शन तक मार्ग बढ़ाने के बाद यह रेलगाड़ी हमेशा बहुत देर से चलती है;

(ग) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान संसद सदस्यों और आम जनता से इस संबंध में रेलवे को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। बहरहाल, 837/838 (पूर्ववर्ती 323/324) साहिबगंज-जमालपुर पैसेंजर और 823/824 (पूर्ववर्ती 3 जे के/4 जे के) जमालपुर-क्यूल पैसेंजर एकीकृत रेक लिंक के साथ चल रही

हैं। 837/838 साहिबगंज-जमालपुर पैसेंजर गाड़ियां मुख्यत: शरारती तत्वों द्वारा डाले जाने वाले व्यवधानों यथा एंगल कॉक परिचालन और खतरे की जंजीर खींचने जैसे कारणों की वजह से विलंब से चलती है। ये गतिविधियां कानून और व्यवस्था की समस्या से संबंधित हैं।

(ग) कोई नहीं।

(घ) 837 अप और 838 डाउन दैनिक यात्री गाड़ियां हैं और उनके चालन पर निगरानी रखी जाती है।

[अनुवाद]

नौसेना द्वारा करगिल संघर्ष के बाद की गई खरीद

5999. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौसेना मुख्यालय द्वारा करगिल युद्ध के पश्चात् अमरीका स्थित कंपनी से अपनी आवश्यकताओं संबंधी सामग्रियों की खरीद की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितना व्यय किया गया है;

(ग) क्या यह खरीद विश्व स्तर पर निविदा आमंत्रित करके की गई; और

(घ) यदि हां, तो बोलीकर्ताओं का ब्यौरा क्या है तथा इनमें से प्रत्येक के द्वारा क्या दरें उद्धृत की गई?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) भ०नौ०पो० विराट के विमान हैंगर के लिए 37,983 अमरीकी डालर (16,50,361 रुपए) की कुल लागत से मैसर्स न्यूटेक्स इंडस्ट्रीज, न्यूयॉर्क, अमरीका से 'फायर कर्टेन्स' खरीदे गए थे।

(ग) और (घ) दो फर्मों को निविदा पूछताछ संबंधी कागजात भेजे गए थे जिनमें से एक ने कोई जवाब नहीं दिया।

इंडियन एयरलाइंस द्वारा अनर्हित इंजीनियरों को पुन: नौकरी पर रखा जाना

6000. **श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस के अवकाश प्राप्त इंजीनियरों को, जो डोर्नियर विमान के लिए योग्य नहीं हैं, डोर्नियर डिवीजन में पुन: नौकरी पर रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विमान और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) जी, हां। डीओ 228 विमानों के लाइसेंस प्राप्त विमान अनुरक्षण इंजीनियरों की वर्तमान संख्या पर्याप्त नहीं है। बाजार में भी इस विमान के कोई अर्हता प्राप्त इंजीनियर नहीं हैं। इसी कारणवश, डोर्नियर विमान पर मंजूरी प्राप्त करने के इच्छुक तथा मूल योग्यता प्राप्त सेवानिवृत्त एएम इंजीनियरों की पुनर्नियुक्ति की गई है।

(ग) इंडियन एयरलाइंस के विमान बेड़े में डोर्नियर विमानों का रख-रखाव निर्माताओं द्वारा विहित क्रियाविधि के अनुसार किया जाता है और इनका अनुमोदन नागर विमानन महानिदेशक द्वारा किया जाता है। इस किस्म के विमानों के बारे में नागर विमानन महानिदेशक द्वारा जारी वैध लाइसेंस प्राप्त अर्हता प्राप्त विमान अनुरक्षण इंजीनियरों द्वारा ये विमान प्रचालनार्थ प्रमाणित किए जाते हैं।

बायोगैस ईंधन विद्युत संयंत्र और लघु विद्युत संयंत्र

6001. **श्री सी० श्रीनिवासन** : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कितने बायोगैस ईंधन विद्युत संयंत्र और अन्य लघु विद्युत संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव है और उनकी क्षमता कितनी होगी;

(ख) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं की संभाव्यता का अध्ययन किया है और इस संबंध में निजी क्षेत्र और गैर-सरकारी संगठनों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार के पास लंबित ऐसे प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय देश भर में आर्थिक राज सहायता/वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर बायोमास गैसीफायर, लघु पनबिजली, सौर प्रकाशवोल्टीय तथा शहरी व औद्योगिक अपशिष्टों जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत लघु बिजली का उत्पादन करने वाली परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। इस प्रकार की परियोजनाओं के लिए, मंत्रालय द्वारा राज्य-वार लक्ष्यों का आबंटन नहीं किया जाता है। वर्ष 2000-2001 के दौरान, दो बायोगैस ईंधन विद्युत संयंत्र, एक तमिलनाडु में पोल्ट्री अपशिष्ट से 1.2. मेवा० और दूसरा महाराष्ट्र में म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट से 4.00 मेवा० की स्थापना की जा रही है। वर्ष 2000-2001 के दौरान 7 मेवा० के बायोमास गैसीफायर, 40 मेवा० की लघु पन बिजली, 275 किवा० के सौर प्रकाशवोल्टीय (ग्रिड से असंबद्ध) 300 किवा० के सौर विद्युत (ग्रिड से संबद्ध) तथा 10 मेवा० की अपशिष्ट से ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ख) और (ग) यह मंत्रालय, तकनीकी व्यवहार्यता तथा देश भर में उपलब्ध प्रौद्योगिकियों की आर्थिक संभाव्यता पर निर्भर करते हुए इस प्रकार की परियोजनाओं पर विचार करता है। यह मंत्रालय अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत, निजी क्षेत्र और गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारिता को प्रोत्साहित करता है। उपरोक्त दो बायोगैस ईंधन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना निजी क्षेत्र में की जा रही है। इस प्रकार के कोई प्रस्ताव मंत्रालय के पास लंबित नहीं हैं।

[हिन्दी]

खुले बाजार में चीनी से नियंत्रण हटाया जाना

6002. **श्री शंकर सिंह वाघेला :**
प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :
श्री सुखदेव पासवान :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खुले बाजार में चीनी की बिक्री से नियंत्रण हटाने हेतु लेवी चीनी का मासिक या तिमाही कोटा जारी करने की वर्तमान व्यवस्था को समाप्त करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यह प्रस्ताव करने से पूर्व चीनी उद्योग और उपभोक्ता प्रतिनिधियों के विचार आमंत्रित किए; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) सरकार लेवी चीनी के लिए मासिक रूप से रिलीज आदेश जारी करती है। सरकार वर्तमान प्रचलन को बदलने पर कोई विचार नहीं कर रही है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

नव सृजित जोनों/मंडलों का कार्यकरण

6003. **श्री शिवराज सिंह चौहान :**
श्रीमती जयश्री बैनर्जी :
श्री त्रिलोचन कोनूनगो :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नए जोन/मंडल स्थापित किए जाने के संबंध में सरकार को राज्य-वार कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) सरकार द्वारा अब तक बनाए गए मुख्यालयों/मंडलों सहित नये जोनों के नाम क्या-क्या हैं;

(ग) क्या नए बनाए गए जोनों/मंडलों के अधिकार क्षेत्र तथा कर लिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो जोन-वार तथा मंडल-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन नए बने जोनों तथा मंडलों ने कार्य करना आरंभ कर दिया है;

(च) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान उनके कार्यकरण प्रशासनिक बुनियादी ढांचों/भवनों के निर्माण हेतु कितनी निधियां आबंटित की गईं; और

(छ) भवन निर्माण/भूमि अर्जन आदि के संबंध में प्रत्येक जोनल मुख्यालय/मंडल की वर्तमान स्थिति क्या है तथा उन पर अब तक जोन-वार तथा मंडल-वार कितना खर्च किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) नए जोन/मंडलों को स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा प्राप्त अभ्यावेदनों की संख्या नीचे दी गई है (पिछले पांच वर्षों के राज्य-वार आंकड़े) :

राज्य का नाम	जोनल मुख्यालयों/ के लिए प्राप्त	मंडलीय मुख्यालयों अभ्यावेदनों की संख्या
आंध्र प्रदेश	3	13
असम	—	26
बिहार	19	10
गुजरात	5	9
कर्नाटक	20	1
केरल	8	5
महाराष्ट्र	1	9
मध्य प्रदेश	34	4
उड़ीसा	4	4
राजस्थान	8	—
तमिलनाडु	—	6
उत्तर प्रदेश	3	3
पश्चिम बंगाल	1	कुछ नहीं

(ख) प्रस्तावित नए जोन/मंडल निम्नलिखित हैं :

जोन के नाम

पूर्व मध्य जोन/हाजीपुर

दक्षिण पश्चिम जोन/बेंगलुरु/हुबली

पूर्व तटीय जोन/भुवनेश्वर

पश्चिम मध्य जोन/जबलपुर

उत्तर मध्य जोन/इलाहाबाद

उत्तर पश्चिम जोन/जयपुर

विलासपुर जोन

*मुख्यालय का मामला अदालती है।

मंडल का नाम

आगरा मंडल

पुणे मंडल

सिगरौली मंडल

रंगिया मंडल

गुंटूर मंडल

रायपुर मंडल

रांची मंडल

अहमदाबाद मंडल

(ग) अभी तक केवल दो क्षेत्रीय रेलें अर्थात् पूर्व मध्य रेलवे/हाजीपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे/जयपुर और प्रस्तावित आठ नए मंडलों के क्षेत्रीय अधिकार को अंतिम रूप दिया जा चुका है। बहरहाल, औपचारिक रूप से अधिसूचनाएं अभी तक जारी नहीं की गई हैं।

(घ) नए जोनों के संबंध में ब्यौरा इस प्रकार हैं :-

पूर्व मध्य रेलवे—मौजूदा पूर्व रेलवे का दानापुर मंडल, मौजूदा पूर्वोत्तर रेलवे का सोनपुर और समस्तीपुर मंडल तथा मौजूदा पूर्वोत्तर सीमा रेलवे का कटिहार मंडल।

उत्तर पश्चिम रेलवे—मौजूदा जयपुर मंडल और मौजूदा पश्चिम रेलवे का पुनर्गठित अजमेर मंडल तथा मौजूदा जोधपुर मंडल और मौजूदा उत्तर रेलवे का पुनर्गठित बीकानेर मंडल।

(ङ) से (छ) जी, नहीं। जोनों/मंडलों के पुनर्गठन के मामले की समीक्षा की जा रही है।

आर०डब्ल्यू०एस० के क्रियान्वयन में अनियमितताएं

6004. **श्री रामशेठ ठाकुर** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में जल आपूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन में हुई अनेक अनियमितताएं सरकार के ध्यान में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले में सी०आई०डी०/सी०बी०आई० द्वारा जांच कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (ख) वर्ष 1992-97 के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की समीक्षा के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने महाराष्ट्र के संदर्भ में निधियों की अन्य योजनाओं में पथांतरण, राज्य योजना निधियों के बदले केन्द्रीय निधियों से प्राप्त राशि में से अनियमित रूप से प्रावधान से ज्यादा खर्च, व्यय में शीघ्रता, समय तथा लागत का अपव्यय, आदि की ओर ध्यान दिलाया है। उपर्युक्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के संदर्भ में की गई कार्रवाई नोट का प्रधान निदेशक लेखापरीक्षक, नई दिल्ली द्वारा पुनरीक्षण करवाया गया था, 22 जून, 1999 को वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (मानिटरिंग सैल) के माध्यम से लोक सभा सचिवालय, लोक लेखा समिति शाखा को भेजा गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

स्वचालित सीढ़ियों को बीआईएस प्रमाणपत्र

6005. **श्रीमती श्यामा सिंह :**
श्री अधीर चौधरी :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 दिसंबर, 1999 के 'द स्टेट्समैन' में 'एसकलेटर्स स्टिल रन ऑन 1962 स्पैसिफिकेशन्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बीआईएस एक विशेष स्वचालित सीढ़ी के लिए प्रमाणपत्र जारी करती है;

(ग) यदि हां, तो वर्तमान में राजधानी में स्थापित बीआईएस द्वारा प्रमाणपत्र प्राप्त स्वचालित सीढ़ियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बीआईएस स्वचालित सीढ़ियों की सुरक्षा की जांच हेतु पुराने पड़ चुके कानून अपनाता रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ङ) स्वचालित सीढ़ियों के क्षेत्र में भारतीय मानक ब्यूरो ने स्वचालित सीढ़ियों की स्थापना और देखरेख के लिए व्यवहार संहित आई एस 4591 : 1968 प्रकाशित की है। इस मानक, जिसे जुलाई 1968 में प्रकाशित किया गया था और अप्रैल, 1996 में भारतीय मानक ब्यूरो की संबंधित तकनीकी समिति द्वारा जिसकी पुन: पुष्टि की गई थी, में भवनों में स्वचालित सीढ़ियों के डिजाइन, स्थापना और अनुरक्षण शामिल हैं।

ब्यूरो द्वारा प्रचालित प्रमाणन चिह्न स्कीम स्वैच्छिक स्वरूप की है और अभी तक ब्यूरो ने स्वचालित सीढ़ियों के लिए कोई लाइसेंस/प्रमाणपत्र जारी नहीं किया है।

बंगलौर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा

6006. **श्री सुशील कुमार शिंदे :**
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित बंगलौर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हेतु राज्य सरकार को निजी क्षेत्र से और बांड जारी करके धन उगाहने का अधिकार दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस उद्देश्य के लिए बांड जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त हवाई अड्डे के निर्माण हेतु धन उगाहने और धन प्रदान करने के लिए अब तक क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ङ) मई, 1999 में देवनहाली में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन के लिए अपेक्षित ली जाने वाली भूमि की पहचान के लिए, 150 करोड़ रुपए की सीमा तक संसाधनों का प्रयोग करने के लिए, कर्नाटक राज्य सरकार ने कर्नाटक राज्य औद्योगिक निवेश तथा विकास निगम लिमिटेड को प्राधिकृत किया था इसके अनुसरण में, कर्नाटक राज्य औद्योगिक निवेश तथा विकास निगम लिमिटेड ने विमानपत्तन बांड जारी करके अपेक्षित संसाधनों में वृद्धि करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा था। तत्पश्चात् आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) ने विभिन्न आधारिक संरचनात्मक परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार को ऋण देने का एक प्रस्ताव भेजा था। मार्च, 2000 में, कर्नाटक सरकार ने हुडको से 150 करोड़ रुपए तक की सीमा तक सावधिक ऋण बढ़ाने के लिए कर्नाटक राज्य औद्योगिक निवेश तथा विकास निगम को प्राधिकृत किया है। राज्य सरकार ऋण के लिए गारंटी देगी। कर्नाटक राज्य औद्योगिक निवेश तथा विकास निगम ने इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई आरंभ कर दी है।

[हिन्दी]

भारतीय सीमा के आस-पास चीन की बढ़ी हुई सैनिक उपस्थिति

6007. श्री अजय सिंह चौटाला :
श्री रामजीवन सिंह :
श्री जय प्रकाश :
श्री मोहन रावले :
श्री जितेन्द्र प्रसाद :
श्री रामजीलाल सुमन :
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :
कुमारी भावना पुंडलिक राव गवली :
श्री दलपत सिंह परस्ते :
श्री अरुण कुमार :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8 अप्रैल, 2000 के विभिन्न दैनिकों में प्रकाशित समाचार के अनुसार एक अमेरिकी रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया है कि चीन ने तिब्बत और भारत की उत्तरी सीमा पर अपनी सैनिक उपस्थिति बढ़ा दी है और चीन द्वारा निर्देशित और हथियारों से सुसज्जित बलों के शत्रुतापूर्ण सहयोग से भारत को घेरने का प्रयास किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारत के लिए संभावी खतरे का विश्लेषण किया है और इससे मुकाबला करने हेतु कोई रणनीति तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) सरकार को अमरीकी कांग्रेस की हाउस इंटरनेशनल रिलेशंस कमेटी के अध्यक्ष द्वारा कथित रूप से दिए गए इस आशय के वक्तव्य के संबंध में रिपोर्टों की जानकारी है।

(ख) और (ग) सरकार हमारी सीमाओं पर खतरे के संबंध में निरंतर सतर्कता बरतती है और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सभी गतिविधियों की मानीटरिंग करती है। समुचित रक्षा तैयारी बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाते हैं।

[अनुवाद]

भारतीय हिस्सों में पाकिस्तान रेंजरों द्वारा बंकरों का निर्माण

6008. डा० जसवंत सिंह यादव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी रेंजरों द्वारा बीकानेर में सतराना में भारतीय सीमा में 150 गज के अंदर बंकरों का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) भविष्य में ऐसे स्थिति से निपटने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

रक्षा विभाग के अधीन अतिरिक्त भूमि का निपटान

6009. श्री अनन्त गुडे : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार रक्षा विभाग की अतिरिक्त भूमि का राज्य-वार क्षेत्रफल राज्य-वार कितना है;

(ख) रक्षा विभाग की इस अतिरिक्त भूमि को विभिन्न सामाजिक प्रयोजनों/संगठनों को आवंटित/विक्रय करने के लिए बनाई गई नीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस नीति की समीक्षा की है या करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे सौदों की उद्देश्यपरकता/और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए क्या परिवर्तन प्रस्तावित हैं/लागू किए गए हैं;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार विशेषकर महाराष्ट्र में रक्षा विभाग के स्वामित्व वाली भूमि के अंतरण किए जाने का ब्यौरा क्या है;

(च) महाराष्ट्र में रक्षा विभाग की अतिरिक्त भूमि के आबंटन के लिए लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है; और

(छ) सरकार द्वारा निकट भविष्य में बेचने के लिए पहचान की गई अतिरिक्त भूमि का राज्य-वार क्षेत्रफल कितना है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) सरकारी नीति के अनुसार कोई रक्षा भूमि अधिशेष घोषित नहीं की जानी है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता। तथापि, रक्षा भूमि का आबंटन/अंतरण प्रत्येक मामले के गुण-दोष के अनुसार विद्यमान रक्षा भूमि नीति के तहत किया जाता है।

(ग) और (घ) फिलहाल इस नीति की पुनरीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(च) महाराष्ट्र राज्य में किसी अधिशेष रक्षा भूमि का पता नहीं लगा है। तथापि, रक्षा भूमि का आबंटन किए जाने के लिए कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(छ) सरकार ने ऐसी किसी रक्षा भूमि का पता नहीं लगाया है जो अधिशेष और बिक्री के लिए हो।

विवरण

क्र० सं०	राज्य का नाम	अंतरित भूमि के विवरण
1	2	3
1.	महाराष्ट्र	25 मार्च, 2000 की सरकारी मंजूरी के तहत 6,92,418 रुपए के वार्षिक किराए की अदायगी पर खड़की छावनी स्थित 4 एकड़ रक्षा भूमि पट्टा आधार पर सिम्बायसिस इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट स्टडीज, पुणे को अंतरित की गई थी।
2.	महाराष्ट्र	22 जुलाई, 1997 की सरकारी मंजूरी के तहत 6,120 रुपए के अंतरण मूल्य की अदायगी पर पुणे में 600 वर्ग मीटर रक्षा भूमि महाराष्ट्र जल आपूर्ति और मल व्ययन बोर्ड को अंतरित की गई थी।
3.	उत्तर प्रदेश	12 जुलाई, 1999 की सरकारी मंजूरी के तहत 800 रुपए के वार्षिक किराए की अदायगी पर पिथौरागढ़ स्थित 200 वर्ग मीटर रक्षा भूमि उत्तर प्रदेश जल निगम को पट्टा आधार पर अंतरित की गई थी।
4.	उत्तर प्रदेश	5 अगस्त, 1998 की सरकारी मंजूरी के तहत राज्य सरकार की समतुल्य मूल्य की जमीन के बदले में इलाहाबाद (किला) छावनी स्थित 10.642 एकड़ रक्षा भूमि उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को अंतरित की गई थी।
5.	मध्य प्रदेश	13 मार्च, 2000 की सरकारी मंजूरी के तहत 17,280 रुपए के वार्षिक किराए पर और 1,72,800 रुपए के प्रीमियम पर जबलपुर स्थित 1393.50 वर्ग मीटर रक्षा भूमि मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को पट्टा आधार पर अंतरित की गई थी।
6.	कर्नाटक	6 जनवरी, 1997 की सरकारी मंजूरी के तहत समान मूल्य की परिसंपत्तियों के बदले में बेंगलूर स्थित 43.37 करोड़ रुपए मूल्य की 85.10 एकड़ रक्षा भूमि कर्नाटक सरकार को अंतरित की गई थी।
7.	उड़ीसा	उड़ीसा स्थित आयुध निर्माणी बादमल परियोजना की 1770.17 एकड़ रिजर्व वन भूमि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भुवनेश्वर को अंतरित की गई थी।

भारतीय होटल निगम को हुई हानियां

6010. श्री तूफानी सरोज : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय होटल निगम के अंतर्गत चल रहे होटलों को बेचने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) घाटे में चल रहे और लाभ कमा रहे होटलों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या घाटे में चल रहे होटलों में ढांचागत सुधार करके उन्हें लाभदायक बनाया जा सकता है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमान मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) मामला सरकार के विचाराधीन है।

(ग) जबकि सेंटॉर होटल, दिल्ली और सेंटॉरलेक व्यू होटल, श्रीनगर को हानि हो रही है, सेंटॉर होटल, एयरपोर्ट मुंबई विमानपत्तन और सेंटॉर होटल जुहू बीच ने अर्जित किया है।

(घ) और (ङ) प्रबंधन इन होटलों को लाभकारी बनाने के निम्नलिखित कदम उठा रहा है :

(i) संपत्तियों का समिति नवीकरण/अपग्रेडेशन;

(ii) खाद्य उत्सवों, आनन्दोत्सवों, विशेष पैकेजों, विशेष प्रतिस्पर्धाओं का अयोजन किया जाता है;

(iii) रेस्तराओं के परिवेश में परिवर्तन लाना;

(iv) महत्वपूर्ण नगरों में नियमित हाउसों की व्यवस्था करके गहन सेल्स अभियान संचालित किए गए; और

(v) सेंटॉर गोल्ड कार्ड योजना लागू करना।

[अनुवाद]

'कपार्ट' से पंजीकृत स्वयंसेवी संगठन

6011. श्री शमशेर सिंह दूलो : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी राज्यों के कितने स्वयंसेवी संगठन 'कपार्ट' से पंजीकृत हैं;

(ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान इन स्वयं-सेवी संगठनों को कितनी अनुदान राशि प्रदान की गई;

(ग) सभी उत्तरी राज्यों, विशेषरूप से पंजाब में, कितने मॉनीटर नियुक्त किए गए हैं; और

(घ) पंजाब में कितनी कार्यशालाएं आयोजित की गईं?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) उत्तरी राज्यों में कपार्ट के अंतर्गत पंजीकृत स्वयंसेवी संगठनों की संख्या 1988 है।

(ख) 1999-2000 के दौरान इन स्वयंसेवी संगठनों को दी गई अनुदान राशि 6.01 करोड़ रुपए है।

(ग) पंजाब सहित उत्तरी राज्यों में नियुक्त मॉनिटरों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) पंजाब के अमृतसर में एक कार्यशाला आयोजित की गई थी।

विवरण

क्र०सं०	राज्य	मॉनिटरों की संख्या
1.	चंडीगढ़	1
2.	दिल्ली	21
3.	हरियाणा	5
4.	हिमाचल प्रदेश	3
5.	जम्मू व कश्मीर	6
6.	पंजाब	6
7.	राजस्थान	10
8.	उत्तर प्रदेश	37
	कुल	89

अंतरराष्ट्रीय विमान कंपनियों की अतिरिक्त क्षमता

6012. श्री विलास मुत्तेमवार :
डा० वी० सरोजा :
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंतरराष्ट्रीय विमान कंपनियों द्वारा अतिरिक्त उड़ानें किए जाने हेतु इन्हें सुविधा दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सिंगापुर एयरलाइंस ने इंडियन एयरलाइंस के साथ गठजोड़ में अपनी रुचि नहीं दिखाई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) चालू यातायात आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से, सरकार ने 15 मार्च से 15 अप्रैल, 2000 तक अपनी यातायात संबंधी हकदारियों से बाहर अतिरिक्त उड़ानों अथवा वृहद्कार विमानों का लाने के लिए विदेशी विमानकंपनियों को अनुमति दी थी। इससे यात्रियों को वांछित राहत दिलाने में सहायता मिली है।

(ग) और (घ) इंडियन एयरलाइंस का सिंगापुर एयरलाइंस के साथ एक विशेष अनुपात में निर्धारित करार है जो 31 अगस्त, 2000 तक वैध है।

[हिन्दी]

बिहार में अभिलेखागार और संग्रहालय

6013. डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में कुछ और अभिलेखागार और संग्रहालय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है और ये किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे;

(ग) क्या बिहार सरकार ने भगवान बुद्ध के 'अस्थिकलश' को रखने के लिए वैशाली में संग्रहालय स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो वैशाली में उक्त संग्रहालय कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

6014. **श्री के० येरननायडू :**
डा० राजेश्वरम्मा वुक्कला :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के दोनों प्रभाग स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और दोनों के (भर्ती और कार्मिक) नियम अलग-अलग हैं जिसके परिणामस्वरूप परिहार्य स्थापना व्यय होता है और उनके लाभ में कमी आती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के राष्ट्रीय विमानपत्तन प्रभाग तथा अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्रभाग स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं, जबकि दोनों प्रभागों में अनुपालित किए जा रहे भर्ती तथा प्रोन्नति (आर एंड पी) विनियम पृथक हैं जैसा कि वे वर्ष 1995 में दोनों प्राधिकरणों के विलय से पूर्व थे। तथापि, इससे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मुनाफे में कोई कमी नहीं हुई है। भा०वि०प्रा० के दोनों प्रभागों से संबंधित आर एंड पी विनियमों को सामान्य बनाने संबंधी कार्रवाई हाथ में है।

डी०जी०क्यू०ए० में स्थानांतरण नीति

6015. **श्री श्रीप्रकाश जायसवाल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी०जी०क्यू०ए० में अनेक वरिष्ठ अधिकारी बहुत पहले ही अपनी अवधि पूर्ण करने तथा पदोन्नति के पश्चात् भी वहां नियुक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) डी०जी०क्यू०ए० में वरिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति तथा स्थानांतरण हेतु निर्धारित नीति का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) ब्रिगेडियर और उससे ऊपर रैंक के उन चार वरिष्ठ सैन्य अफसरों को छोड़कर, जिनकी सेवाएं स्थानांतरणीय है और जिनका स्थानांतर किया जा सकता है, किसी भी सैन्य अथवा सिविलियन अफसर को एक ही स्थान पर नहीं रखा जाता है। चार सैन्य अफसरों का कार्यकाल पूरा हो जाने के बावजूद सेवा संबंधी आवश्यकताओं के कारण उन्हें वहीं बनाए रखा जा रहा है।

(ग) सैन्य अफसरों की पदोन्नति विशेष सेना अनुदेशों तथा रक्षा गुणता आश्वासन सेवा के अफसरों की पदोन्नति डी०क्यू०ए०एस० नियमावली, 1979 द्वारा नियंत्रित होती है। जिन अफसरों ने निर्धारित वर्षों की सेवावधि पूरी कर ली है और पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र हैं उनकी पदोन्नति पर सैन्य अफसरों के मामले में गुणता आश्वासन चयन बोर्ड द्वारा तथा सिविलियन अधिकारियों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचार किया जाता है। महानिदेशक, गुणता आश्वासन के पद पर पदोन्नति के लिए अलग समिति होती है। वरिष्ठ अधिकारियों का स्थानांतरण चक्रानुक्रम स्थानांतरण नीति द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो कि पिछली बार अक्तूबर, 1999 में घोषित की गई थी। इस नीति में स्थापनाओं के अध्यक्षों का सामान्य कार्यकाल 3 वर्ष तथा अन्य अफसरों का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष; संगठनात्मक हित में घटाया बढ़ाया जा सकता है; तथा इसमें कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के अनुदेशों को समाहित किया गया है जो कि सामान्य तौर पर लागू होते हैं। समग्र संगठनात्मक हित को ध्यान में रखते हुए वृत्तिक प्रबंधन सहित व्यक्तिगत आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाता है।

[हिन्दी]

रेवाड़ी-पलवल रेल लाइन बिछाना

6016. **डा० सुशील कुमार इन्दौरा :**
श्री सुकदेव पासवान :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेवाड़ी-पलवल रेल लाइन को बिछाने संबंधी परियोजना को अंतिम स्वीकृति प्रदान कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त परियोजना के पूरा होने पर अनुमानित लागत तथा संभावित व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त रेल लाइन के निर्माण हेतु एक संयुक्त कंपनी के गठन का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। उत्तर रेलवे ने वर्ष 1995 में खुर्जा-पलवल-रेवाड़ी-रोहतक लाइन के लिए एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की थी। परियोजना की अनुमानित लगात 365.48 करोड़ थी, की और प्रतिफल की दर 2% से भी कम थी। परियोजना की अलाभप्रद प्रकृति और संसाधनों की तंगी के दृष्टिगत, संसाधनों की स्थिति में सुधार होने तक इस कार्य को शुरू करना व्यावहारिक नहीं समझा गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ए०एस०आई० के अधीन संस्थाएं

6017. **डा० वी० सरोजा** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इस समय कितनी संस्थाओं का रखरखाव किया जाता है;

(ख) क्या सरकार का विचार सूची में कुछ और संस्थाओं को शामिल करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण केवल एक संस्थान, नामत: पुरातत्व संस्थान, नई दिल्ली का अनुरक्षण करता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन पुरातत्व संस्थान सेवाकालीन प्रशिक्षण चलाने के अलावा पुरातत्व में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन किसी अन्य संस्थान की स्थापना करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

इंडियन एयरलाइंस का निजीकरण

6018. डा० नीतिश सेनगुप्ता :
श्रीमती रेनु कुमारी :
श्री अजय सिंह चौटाला :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस के भविष्य के बारे में चल रही अनिश्चितता के मद्देनजर इसके कार्यकरण में तेजी से गिरावट आई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइंस के निजीकरण से इसके कर्मचारियों के बेरोजगार हो जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन्हें रोजगार दिलाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस मामले में अंतिम निर्णय लेने से पूर्व विशेषज्ञों की राय लेने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) जी, हां। इस समय एक विश्वव्यापी सलाहकार के चयन तथा नियुक्ति के लिए प्रक्रिया चल रही है।

[हिन्दी]

घरेलू उड़ानें

6019. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास बिहार में विशेषकर टाटानगर-धनबाद-भागलपुर-मुंगेर-पटना इत्यादि से घरेलू उड़ानों को अनुमति देने हेतु कोई योजना है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) प्रचालक अपने वाणिज्यिक विवेकानुसार किसी भी मार्ग पर/किसी भी स्थान के लिए प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं बशर्ते कि वे उन मार्ग संवितरण मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन करें जिनमें मार्गों की विशिष्ट श्रेणी पर कतिपय न्यूनतम प्रचालन सेवा करने संबंधी अनुबंध हैं।

[अनुवाद]

स्वदेशी रक्षा प्रणाली का विकास

6020. श्री टी०एम० सैल्वागनपति : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2005 तक स्वदेशी रक्षा प्रणाली में वर्तमान 30 प्रतिशत के स्तर से 70 प्रतिशत की प्राप्ति हेतु एक कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कार्य को पूर्ण करने में भारतीय निगमित क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी को बेचने का विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) रक्षा प्रणालियों में स्वदेशी हिससे को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत करके आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए 1995 में एक दस वर्षीय राष्ट्रीय मिशन आरंभ किया गया है। अनुसंधान व प्रौद्योगिकी प्रधान होने के कारण इस मिशन का उद्देश्य चालू कार्यक्रमों को प्राथमिकता देकर तथा चुनिंदा नई परियोजना का तेजी से कार्यान्वयन करके आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करना है।

(ग) और (घ) निजी उद्योग, सशस्त्र सेनाओं द्वारा अपेक्षित अग्रातक सामग्री तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और स्वदेशी अनुसंधान के जरिए विकसित उत्पादों के लिए आयुध निर्माणियों और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उद्यमों द्वारा अपेक्षित कच्चे माल, अर्ध-तैयार उत्पादों, संघटकों और उप-प्रणालियों का स्रोत रहा है। आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में इन प्रयोजनों के लिए निजी उद्योग क्षेत्र से सहयोग लिया जाता रहेगा।

(ङ) और (च) इस समय आत्मनिर्भरता प्राप्त करना ही उद्देश्य है किंतु अधिशेष पाई जाने वाली कतिपय मदों व उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है। फिलहाल जटिल रक्षा प्रौद्योगिकियों का निर्यात नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

बुदनी-इंदौर रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण

6021. **श्री कांतिलाल भूरिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में बुदनी और इंदौर के बीच रेल लाइन बिछाने के लिए सरकार द्वारा सर्वेक्षण कार्य आरंभ किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) बुदनी से इंदौर तक नई लाइन के लिए सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है और इसके 31.7.2000 तक पूरा होने की संभावना है।

बिहार में गंगा नदी पर पुल का निर्माण

6022. **श्रीमती रेनु कुमारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत थाना बीहपुर जंक्शन और भागलपुर जंक्शन के बीच गंगा नदी पर पुल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो पुल का निर्माण कब तक हो जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की तंगी।

[अनुवाद]

आई०टी०डी०सी० द्वारा व्यय की गई धनराशि

6023. **श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी**
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में आई०टी०डी० सी० द्वारा इसके प्रतिष्ठानों में स्थान-वार कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन प्रतिष्ठानों से कितना लाभ अर्जित हुआ और कितनी हानि हुई; और

(ग) आई०टी०डी०सी० द्वारा महाराष्ट्र में इसकी इकाइयों के विकास हेतु क्या कदम उठाए गए?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान आई०टी०डी०सी० ने महाराष्ट्र स्थित अपनी स्थापनाओं पर 4.19 लाख रुपयों का योजनागत व्यय किया था जिसका विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	यूनिट का नाम	योजनागत व्यय	
		1998-99	1999-2000 (अनंतिम)
		(लाख रुपयों में)	
1.	होटल औरंगाबाद अशोक	2.97	1.22
2.	एयरपोर्ट रेस्तरां, औरंगाबाद	–	–
3.	औरंगाबाद ने ट्रांसपोर्ट यूनिट	–	–
4.	मुम्बई में शुल्क मुक्त दुकानें	–	–
5.	मुम्बई में ट्रांसपोर्ट यूनिट	–	–

(ख) महाराष्ट्र में भारत पर्यटन विकास निगम की स्थापनाओं द्वारा अर्जित लाभ/उठाई गई हानि के वर्ष-वार ब्यौरे इस प्रकार हैं :

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	यूनिट का नाम	अर्जित लाभ/उठाई गई हानि	
		1998-99	1999-2000 अनंतिम
1.	होटल औरंगाबाद अशोक	(–)88.61	(–)89.42
2.	एयरपोर्ट रेस्तरां, औरंगाबाद	(–)0.3	(–)0.91
3.	औरंगाबाद ने ट्रांसपोर्ट यूनिट	(–)12.83	(–)11.76
4.	मुम्बई में शुल्क मुक्त दुकानें	772.52	880.06
5.	मुम्बई में ट्रांसपोर्ट यूनिट	(–)18.86	(–)16.88

(ग) यह एक सतत् प्रक्रिया है। तथापि, मुम्बई स्थित शुल्क मुक्त दुकानों को मुम्बई एयरपोर्ट के नये टर्मिनल पर स्थानांतरित किया गया तथा भारतीय सौदों में काफी वृद्धि की गई।

[हिन्दी]

सूरत में विमानपत्तन का निर्माण

6024. **श्री माणिकराव होडल्या गावित** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सूरत में हवाई अड्डे के निर्माण पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कुल कितना खर्च आने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) जी, नहीं। सूरत का विद्यमान विमानपत्तन गुजरात राज्य सरकार का है। राज्य सरकार की इस विमानपत्तन को पहले चरण में 50 सीटों वाले तथा दूसरे चरण में बड़े विमानों के प्रचालनों के लिए उपयुक्त बनाने की योजनाएं हैं।

[अनुवाद]

चीनी उद्योग से संबंधित तर्कसंगत नीति

6025. **श्री अनंत गंगाराम गीते** : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चीनी उद्योग से संबंधित राष्ट्रीय स्तर की तर्कसंगत नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त नीति को कब तक सभा-पटल पर रखे जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ग) सरकार उस नीति का पालन कर रही है जो उपभोक्ताओं, गन्ना उत्पादकों और चीनी उद्योग के हितों का संरक्षण करती है। स्थिति विशेष की आवश्यकता के आधार पर चीनी नीति में समय-समय पर आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं, उदाहरणार्थ, हाल में सरकार ने 1.1.2000 से घरेलू चीनी उद्योग पर लेवी बाध्यता को 40 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया था और लेवी चीनी के वितरण के लिए जनसंख्या आधार को भी 1991 से बदलकर 1.3.1999 को प्रक्षेपित जनसंख्या के अनुसार कर दिया था।

खाड़ी देशों के लिए भाड़े में वृद्धि

6026. **श्री प्रभात सामन्तराय** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया ने खाड़ी देशों के लिए अपने विमानों के भाड़े में वृद्धि की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) एयर इंडिया ने पहली अप्रैल, 2000 से भारत से खाड़ी देशों के लिए अपने किरायों में 10.25 प्रतिशत की वृद्धि की है। इस वृद्धि में आयटा सम्मेलन में हुई सहमति के अनुसार 5 प्रतिशत वृद्धि सम्मिलित है जबकि किराए की 5 प्रतिशत एक और वृद्धि ईंधन लागत में बढ़ोतरी की वजह से हुई है।

उपभोक्ता संरक्षण तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु सहायता

6027. **श्री चिन्तामन वनगा** : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु सहायता प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1999-2000 के दौरान प्रत्येक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (डी आर डी ओ) में अनुसंधान अधिकारियों की संख्या

6028. **श्री पी०डी० एलानगोवन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान हमारी रक्षा क्षमता को बढ़ाने हेतु रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (डी आर डी ओ) द्वारा तैयार की गई तकनीकी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या डी आर डी ओ में अनुसंधान अधिकारियों की संख्या पर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो आज की तारीख में डी आर डी ओ में अनुसंधान अधिकारियों के विभिन्न संवर्गों का सांख्यिकीय ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान जिन प्रमुख परियोजनाओं में प्रगति हुई है वे इस प्रकार हैं—हल्के लड़ाकू वायुयान और इसके कावेरी इंजन, एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम, सेना के लिए इलेक्ट्रानिक युद्ध प्रणाली संयुक्त, वायुसेना के लिए इलेक्ट्रानिक युद्ध प्रणाली टेम्पेस्ट, नौसेना के लिए इलेक्ट्रानिक युद्ध प्रणाली संग्रह, युद्ध-क्षेत्र सूचना प्रणाली संवाहक, दूर से संचालित वायुयान निशांत, बहुनाल रॉकेट प्रणाली पिनाक तथा संयुक्त सोनार प्रणाली पंचेन्द्रिय। इस अवधि के दौरान इन परियोजनाओं के लिए 1118 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के दो संवर्ग हैं—रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा जिसमें वैज्ञानिकों/इंजीनियरों की संख्या 6547 है तथा रक्षा अनुसंधान तकनीकी संवर्ग जिसमें कार्मिक संख्या 13524 है।

(घ) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

उड़ानों के रद्द होने के कारण एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को घाटा

6029. **श्री टी० गोविन्दन** : क्या नागर और विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ानों के रद्द होने के कारण एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को वर्ष-वार और सेक्टर-वार कुल कितना घाटा हुआ है; और

(ख) उड़ानों के प्रभावी परिचालन और उड़ानों के अंतिम समय में रद्द किए जाने से यात्रियों को होने वाली असुविधा से बचाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-1999 के दौरान एयर इंडिया ने विभिन्न सेक्टरों पर विलंब से हुई उड़ानों के संबंध में क्रमश: 12.85 करोड़ रुपए, 11.20 करोड़ रुपए तथा 11.87 करोड़ रुपए का व्यय किया है। इसी अवधि के दौरान, इंडियन एयरलाइंस ने क्रमश: 11.86 करोड़ रुपए, 15.10 करोड़ रुपए तथा 16.16 करोड़ रुपए का व्यय किया।

(ख) दोनों विमानकंपनियों अपने समयबद्ध कार्य निष्पादन में सुधार लाने के प्रति निरंतर प्रयासरत हैं। जहां आवश्यक होता है, सभी तरह के विलंब के बारे में कारण की व्यापक जांच करने तथा उपचारी कार्रवाई करने के लिए जांच की जाती है।

विश्वविद्यालयों के साथ डी आर डी ओ का मिलकर काम करना

6030. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रौद्योगिकी रूप में सक्षम बनने के दृष्टिकोण से डी आर डी ओ के विश्वविद्यालयों के साथ अपना तालमेल बढ़ाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो उन अकादमियों, संस्थानों और विश्वविद्यालयों का ब्यौरा क्या है जिनके साथ उनका मंत्रालय उन क्षेत्रों में जो रक्षा प्रौद्योगिकी पर लागू होते हैं, एक संयुक्त रक्षा अनुसंधान करने हेतु भागीदार है;

(ग) क्या इस संबंध में और अधिक तालमेल बढ़ाने हेतु कोई नई योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन ने विश्वविद्यालयों के साथ पहले से ही निकट संपर्क स्थापित कर लिए हैं और वह उन्हें और भी सुदृढ़ बना रहा है।

(ख) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, प्रतिष्ठित संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान स्थापनाओं, यथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रुड़की विश्वविद्यालय, जादवपुर विश्वविद्यालय, उस्मानिया विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा भारतीय चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान परिषद जैसे अन्य वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी संगठनों की अनुसंधान संस्थाओं की साझेदारी से रक्षा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम/कार्य चला रहा है।

(ग) और (घ) पहले से ही मौजूद वैमानिकी अनुसंधान और विकास बोर्ड के अलावा आयुध अनुसंधान बोर्ड, जीवन विज्ञान अनुसंधान बोर्ड और नौसेना अनुसंधान बोर्ड का गठन करके अकादमियों, संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों के साथ संपर्क को और भी सुदृढ़ बनाया गया है।

[हिन्दी]

रेलवे द्वारा महाराष्ट्र में अधिगृहित भूमि

6031. डा० बलिराम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पिछले तीन वर्षों के दौरान रेल विभाग द्वारा कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया;

(ख) इसका अधिग्रहण किस प्रयोजनार्थ किया गया और इसके बदले कितना मुआवजा दिया गया;

(ग) क्या अधिगृहीत भूमि का कब्जा लेने के बाद निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का अधिगृहीत भूमि को उसके वास्तविक स्वामियों को लौटाने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो कब तक; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में कोई भूमि अधिगृहीत नहीं की गई है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

अनुदानों का उपयोग

6032. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बजट प्राक्कलन तैयार करते समय जिन अनुपूरक अनुदानों का पूर्वाभास नहीं होता है, उन्हीं अनुपूरक मांगों को केवल प्रामाणिक अप्रतयाशित व्ययों तक सीमित रखने की आवश्यकता होती है;

(ख) क्या रेलवे ने पहले प्राप्त की गई राशि के मुकाबले उसके द्वारा किए गए अथवा किए जाने वाले व्यय का समुचित आकलन किए बिना अनुपूरक धनराशि प्राप्त करने पर नाराजगी जाहिर की थी;

(ग) क्या कुल मिलाकर इसका परिणाम यह निकला कि करोड़ों रुपए की राशि के विभिन्न अनुदानों के तहत अनुपूरक प्रावधान पूर्णत: अप्रयुक्त रह गए;

(घ) यदि हां, तो ऐसे इन सभी अनुदानों का ब्यौरा क्या है जो अनुपूरक अनुदानों में मांगी गई थीं और विगत वर्ष अप्रयुक्त पड़ी रहीं; और

(ङ) ऐसी स्थिति के लिए अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (ग) ईंधन के मूल्य में वृद्धि, अधिक पेंशनीयदायिताओं के कारण आंकी गई आवश्यकताओं के आधार पर नई सेवा या सेवा के नए उपकरण जिनके लिए संसद का अनुमोदन अपेक्षित होता है, के नए कार्यों को भी शुरू करने के लिए पूरक प्रावधान प्राप्त किया गया है। पिछले वर्ष के लिए उनके उपयोग के संबंध में सूचना वर्ष 1999-2000 के लेखों को अंतिम रूप दिए जाने पर ही यथा-समय उपलब्ध होगी। '1999-2000 के लिए रेलों के विनियोग लेखे' जो संसद में यथासमय प्रस्तुत किए जाएंगे, तत्पश्चात् जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा विधिवत् सत्यापित, अनुमेय पुनर्विनियोग द्वारा आशोधित अनुदान के उप-शीर्षों के अंतर्गत मूल और पूरक अनुदान की तुलना में वास्तविक व्यय का विस्तृत तुलनात्मक ब्यौरा प्रस्तुत करेगा।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कलकत्ता सर्कुलर रेलवे का दोहरीकरण और विद्युतीकरण

6033. **श्री राजो सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता सर्कुलर रेलवे का दोहरीकरण और विद्युतीकरण परियोजना के अध्ययन संबंधी काम पूरा करा लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई समय-सीमा निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में श्वेतपत्र जारी करने हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ङ) दमदम से माजेरहाट तक कलकत्ता सर्कुलर रेलवे के दोहरीकरण और विद्युतीकरण के लिए तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन प्रगति पर है और सितंबर 2000 तक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। फिलहाल, श्वेत पत्र जारी करने के बारे में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पाकिस्तान से समुद्री आक्रमण की आशंका

6034. **श्री सी० श्रीनिवासन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नौसेना प्रमुख द्वारा 3 अप्रैल, 2000 को पुणे में दिए गए वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उसने कारगिल घुसपैठ की तर्ज पर पाकिस्तानी नौसेना द्वारा किए जाने वाले समुद्री आक्रमण के बारे में चेतावनी दी थी;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस तरह की आशंका का कोई आधार है; और

(घ) यदि हां, तो इस तरह की आकस्मिक स्थितियों से निपटने के लिए क्या एहतियाती उपाय किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) नौसेनाध्यक्ष ने 3 अप्रैल, 2000 को पुणे में यह कहा कि हम इस क्षेत्र में एक अनिश्चित सुरक्षा परिवेश का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए जमीन और समुद्र दोनों पर ही कम तेजी का युद्ध एक सस्ता विकल्प है और समुद्र में कारगिल की तरह के दुस्साहस के खिलाफ पर्याप्त पूर्वोपाय आवश्यक हैं।

(ग) पाकिस्तान द्वारा अपनी सेनाओं में से अतिरिक्त कार्मिकों को रण ऑफ कच्छ के नजदीक तैनात किए जाने को नोट कर लिया गया है।

(घ) भारतीय सशस्त्र सेनाएं और अर्द्धसैन्य बल पश्चिमी क्षेत्र में कड़ी सतर्कता और निगरानी जारी रखे हुए हैं। किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए सभी एहतियाती कदम उठाए गए हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली से चीनी को हटाना

6035. **श्री आर०एल० भाटिया**
श्री अब्दुल हमीद :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली से चीनी को हटाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

परिवहन क्षमता को दुगुना करना

6036. **श्री सुबोध मोहिते :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रेलवे परिवहन क्षमता को दुगुना करने में निजी क्षेत्र के निवेश को शामिल करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) सरकार की चल स्टॉक और खंठीय लाइन क्षमता के संवर्धन द्वारा रेलों की परिवहन क्षमता बढ़ाने में निजी क्षेत्र निवेश को शामिल करने की योजना है।

(ख) रेलवे परिवहन क्षमता बढ़ाने में निजी क्षेत्र का निवेश शामिल करने की योजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार हैं :

निर्माण-स्वामित्व पट्टा-हस्तांतरण योजना (बोल्ट) : इस योजना का उद्देश्य भारतीय रेलों के साथ पट्टा अनुबंध के माध्यम से रेलवे परिसंपत्तियों के निर्माण अथवा विनिर्माण में भागीदारी आकर्षित करना है। इसके पश्चात् परिसंपत्ति भारतीय रेलों द्वारा इसकी शेष उपयोगी आयु के लिए अपने अधिकार में ले ली जाती है।

अपने माल डिब्बे के मालिक को योजना : इस योजना के अंतर्गत कोई कंपनी अथवा फर्म सीधे अनुमोदित माल डिब्बा विनिर्माता या भारतीय रेलों के माध्यम से माल डिब्बे खरीद सकती है। मालिक को उसके द्वारा निवेशित पूंजी पर भारतीय रेलों से एक निर्धारित प्रतिफल प्राप्त होता है। भारतीय रेलें उस कंपनी के परेषणों का परिवहन प्राथमिकता आधार पर करने का भी आश्वासन देती हैं।

रेलवे परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए सार्वजनिक निजी-भागीदारी : संसाधन जुटाने तथा रेलवे परियोजनाओं के निष्पादन में निजी क्षेत्र और अन्य उपयोगकर्ता एजेंसियों यथा पत्तन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तथा राज्य सरकारों को भी शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

हवाई अड्डों की सुरक्षा

6037. **श्री रामशेठ ठाकुर :**
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
डा० जसवंत सिंह यादव :
श्री नरेश पुगलिया :
श्री प्रभात सामन्तराय :
श्री जितेन्द्र प्रसाद :
श्री अजय सिंह चौटाला :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के हवाई अड्डों का एक सर्वेक्षण कराया है और सुरक्षा प्रणाली में कमी पाई गई है जैसा कि दिनांक 4 अप्रैल, 2000 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न हवाई अड्डों पर लगी मशीनें और उपकरण अविश्वसनीय पाए गए हैं और तुरंत अद्यतन मशीनें लगाए जाने की जरूरत है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा हवाई अड्डों पर अद्यतन मशीनें उपलब्ध कराने सहित क्या अन्य कड़े कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) दिनांक 4.4.2000 के हिन्दुस्तान टाइम्स में ऐसी कोई खबर नहीं देखी गई थी। तथापि, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी०आई०एस०एफ०), नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से 22 हवाई अड्डों का सर्वेक्षण किया गया है ताकि इन हवाई अड्डों पर सुरक्षा कार्यों के लिए राज्य पुलिस कर्मियों की जगह केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तैनाती की अपेक्षाओं का जायजा लिया जा सके।

(ग) जी, नहीं। किंतु विमानपत्तनों पर संस्थापित उपस्करों का स्तरोन्नयन एक सतत प्रक्रिया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) आई.सी.-814 विमान अपहरण की घटना के पश्चात् हवाई अड्डों पर सुरक्षा-व्यवस्था और कड़ी करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(i) चरणबद्ध रूप से प्रचालन हवाई अड्डों पर सुरक्षा ड्यूटियों के संबंध में राज्य पुलिस के स्थान पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) कार्मिकों की तैनाती। सीआईएसएफ ने पहले ही पटना, जयपुर, गुवाहाटी, वडोदरा, पोर्टब्लेयर, राजकोट, रांची, अगरतला, भोपाल, हैदराबाद और अहमदाबाद हवाई अड्डों पर सुरक्षा ड्यूटियां संभाली ली हैं।

(ii) प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश के समय, यात्रियों तथा हैंड बैगेज की जांच-पड़ताल को और कड़ा कर दिया गया है। लेडर प्वाइंट पर दूसरी बार की जांच लागू कर दी गई है।

(iii) फोटो पहचान-पत्रों की व्यापक पुनरीक्षा तथा पास होल्डरों की संख्या प्रतिबंधित करने से हवाई अड्डों की पहुंच पर कठोर नियंत्रण को सुनिश्चित किया जा रहा है।

(iv) अतिरिक्त सुरक्षा सावधानी के बतौर यादृच्छिक रूप से उड़ानों में स्काई मार्शलों की तैनाती।

(v) सभी चालू हवाई अड्डों पर निर्धारित ऊंचाई तक चारदीवारी को ऊंचा उठाना।

(vi) पुरानी एक्सरे मशीनों को बदलना तथा जहां कहीं आवश्यक हो नई रंगीन एक्सरे मशीनों की संस्थापना करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कम से कम दो एक्सरे मशीनें प्रत्येक प्वाइंट पर उपलब्ध हैं।

(vii) हवाई अड्डों की सुरक्षा से संबद्ध तकनीकी ढांचे का चरणबद्ध ढंग से आधुनिकीकरण तथा स्तरोन्नयन कार्य किया जा रहा है।

अमरीकी राष्ट्रपति की यात्रा

6038. **श्री सुशील कुमार शिंदे :**
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : हाल ही में अमरीकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा से प्राप्त हुए अवसर के फलस्वरूप भारत में अमरीकी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : अमरीका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा का पूरा लाभ उठाने के लिए, राज्य पर्यटन विभागों तथा निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने हेतु पर्यटन मंत्रालय द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए। विभिन्न होटलों जहां राष्ट्रपति का प्रतिनिधि मंडल ठहरा था, पर मुद्रित साहित्य तथा स्क्रीनिंग के लिए वीडियो फिल्में उपलब्ध कराई गईं। राष्ट्रपति की भारत यात्रा पर पर्यटन संबंधी तस्वीरें प्राप्त करने के लिए मंत्रालय द्वारा एक फोटो प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। हमारे विदेश स्थित पर्यटन कार्यालयों ने भी, संबंधित बाजारों में व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने के लिए, इस अवसर का उपयोग किया।

स्विस एयर के साथ महत्वपूर्ण सहयोग

6039. **श्री चन्द्रकान्त खैरे :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्विस एयर ने इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के साथ महत्वपूर्ण सहयोग का प्रस्ताव रखा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) एस एयर ग्रुप जो अन्यों के साथ-साथ स्विस एयर (एस आर) का भी स्वामित्व रखता है ने अपनी भारतीय भागीदार कंपनी मैसर्स कम्बाटा एविएशन के सहयोग से एयर इंडिया में विनिवेश प्रक्रिया में अपनी रुचि जताई थी। इंडियन एयरलाइंस में कोई रुचि नहीं दर्शाई है।

पड़ोसी देशों से चावल का आयात

6040. **श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील :** क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए पड़ोसी देशों से चावल आयात की अनुमति केन्द्र सरकार से मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) केरल सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि केरल राज्य नागरिक आपूर्ति निगम की ओर से भारतीय खाद्य निगम को बर्मा से प्रतिमाह 5000 टन से अनधिक बॉयल्ड चावल आयात करने हेतु प्राधिकृत किया जाए।

(ग) केन्द्रीय पूल में पर्याप्त मात्रा में सेला चावल की उपलब्धता और राज्य सरकार को आबंटित चावल के वास्तविक उठान को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं पाया गया। राज्य सरकार से कहा गया है कि वे अपने चावल के उठान में वृद्धि करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

यात्री सुविधा

6041. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेनाली, गुंटूर, वापटला और अन्य व्यस्त व्यावसायिक शहरों के रेलवे स्टेशनों पर रेल यात्रियों की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या हावड़ा और चेन्नई मुख्य रेल मार्ग के बीच तेनाली जैसे कई स्टेशनों का दशकों से सुधार नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो सुधार हेतु स्टेशनों की पहचान करने के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(घ) क्या तेनाली रेलवे स्टेशन पर दोनों ओर टिकटों की बिक्री की मांग लंबे समय से लंबित है;

(ङ) क्या दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा कोई अध्ययन कराया गया है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। हवड़ा-चेन्नई मार्ग के स्टेशनों पर जहां कहीं अपेक्षित था, आवश्यक कार्य शुरू किए गए हैं।

जहां तक तेनाली रेलवे स्टेशन का संबंध है, पानी की सप्लाई, प्रतीक्षालयों और विश्रामालयों में फर्श का बदलाव और यात्री आरक्षण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण में सुधार से संबंधित कार्य हाल ही में पूरे किए गए हैं। तेनाली स्टेशन पर प्लेटफार्म संख्या 1 पर नए बुकिंग कार्यालय और प्रतीक्षालय की व्यवस्था, प्लेटफार्म संख्या 2 और 3 का विस्तार, प्लेटफार्म लाइन पर वाटर हाइड्रेन्ट्स का विस्तार और चमकीले संकेत बोर्ड की व्यवस्था करने से संबंधित कार्य 57.07 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर शुरू किए गए हैं।

(ग) रेलवे स्टेशनों का सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है और यात्री यातायात में वृद्धि को देखते हुए जहां-कहीं आवश्यक होता है, सुधार किए जाते हैं।

(घ) से (च) तेनाली स्टेशन के पश्चिमी ओर बुकिंग कार्यालय की व्यवस्था करने की मांग है। बहरहाल, पश्चिमी ओर एक रेक साइडिंग होने के कारण यह अनुरोध परिचालनिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है। इसके अलावा, पश्चिमी ओर बुकिंग कार्यालय की स्थापना करना वित्तीय दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं है और इसलिए इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया है।

वैगनों की खरीद

6042. श्री नरेश पुगलिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैगनों की आवश्यकता की 75 प्रतिशत खरीद वैगन इंडिया लिमिटेड से तथा शेष निविदा के माध्यम से किए जाने संबंधी संसदीय समिति की कोई सिफारिश है;

(ख) यदि हां, तो क्या अब सरकार वैगनों की कुल आवश्यकता की खरीद निविदा के माध्यम से कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान निविदा के माध्यम से कुल कितने वैगनों की खरीद की गई तथा इनका मूल्य क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां। रेल संबंधी स्थायी समिति ने रेलों द्वारा माल डिब्बों की खरीद पर अपनी XIIवीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि वैगन इंडिया लि० के सदस्यों से रेलों की माल डिब्बों की 75% आवश्यकता के लिए क्रयादेश सीधे वैगन इंडस्ट्री को बिना निविदा के दे दिए जाए।

(ख) और (ग) रेल मंत्रालय खरीद में खुलापन, प्रतिस्पर्धा पारदर्शिता और कुशलता लाने के लिए 1998-99 के दौरान निर्माण के लिए आदेश प्रस्तुत करने के समय से ही निविदा के माध्यम से माल डिब्बों की 100% खरीद कर रही है। परिणामस्वरूप रेलों को बचत हो रही है, रेल मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर बहस बहस के दौरान 14.8.1997 को सदन को निविदा के माध्यम से 100% मात्रा की खरीद के सरकार के निर्णय से अवगत करा दिया गया था। इस निर्णय से रेल संबंधी स्थायी समिति को भी जनवरी 98 में स्थायी समिति को प्रस्तुत की गई कार्रवाई नोट के माध्यम से अवगत करा दिया गया था।

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान निविदाओं के माध्यम से माल डिब्बों के दिए गए आदेश इस प्रकार हैं :

वर्ष	माल डिब्बे (चौपहिया इकाई)	कीमत (करोड़ में)*
1998-99	21927.5	472
1999-2000	10365	242
2000-01	21000	418

*नि:शुल्क आपूर्ति मदों को छोड़कर।

सियाचिन में तैनात सैनिकों के लिए प्रहरी कुत्ते

6043. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सियाचिन में स्थानीय कुत्ते न केवल भारतीय सेना द्वारा दुश्मनों से लड़ने में अपितु सियाचिन ग्लेशियर में शून्य डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान वाली परिस्थितियों में तथा बर्फीली हवाओं के खराब मौसम में भी चौबीसों घंटे काफी मददगार सिद्ध हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन कुत्तों का प्रयोग एक ऐसी संवेदनशील चौकी से भी डाक लाने-ले-जाने के लिए किया गया जिसका बेस कैम्प सीधे दुश्मन के निशाने पर था;

(ग) यदि हां, तो क्या उनकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए सरकार उनके भरण-पोषण का उनका प्रयोग समुचित रूप से करने पर विचार कर रही है ताकि वे इन क्षेत्रों में सेना के लिए अधिक लाभदायक बन सकें; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) सेना ने सियाचिन ग्लेशियर में कतिपय अग्रवर्ती चौकियों को डाक पहुंचाने के लिए दो स्थानीय कुत्तों की सहायता ली थी। इनमें से एक कुत्ता पिछले वर्ष मर गया था परंतु दूसरा कुत्ता अभी भी शानदार सहयोग प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त, सेना के चार कुत्ते हिम-स्खलन से बचाव की कार्रवाइयों में लगे हुए हैं।

(ग) और (घ) दूरस्थ भू-भाग, कम आबादी तथा कष्टदायक मौसम होने के कारण सियाचिन की ऊंचाइयों पर बहुत स्थानीय कुत्ते उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तथापि, जहां भी संभव होता है, ये कुत्ते इस्तेमाल किए जा रहे हैं तथा इनकी देखभल सेना द्वारा सुनिश्चित की जाती है।

रेलवे सुरक्षा बल की स्वायत्ता

6044. श्री टी०एम० सेल्वागनपति : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे, रेलवे सुरक्षा बल को और स्वायत्ता देने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे, रेलवे सुरक्षाबल का आधुनिकीकरण करने पर विचार कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रेलवे, यात्री सुरक्षा और रेलवे की संपत्तियों की बेहतर सुरक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल को बेहतर पुरस्कार देने पर विचार कर रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) रेल सुरक्षा बल का आधुनिकीकरण पहले ही शुरू कर दिया गया है। आधुनिकीकरण कार्यक्रम के भाग के रूप में परिवहन, बेतार उपस्कर, आधुनिक शास्त्रागार, सुरक्षा गजर्ट्स, कम्प्यूटर, प्रशिक्षण उपस्कर, व्यायामशाला आदि की व्यवस्था के लिए कदम उठाए गए हैं।

(ङ) और (च) जी, नहीं। बहरहाल, निम्नलिखित अवार्ड पहले से मौजूद है।

(i) विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक

(ii) उत्कृष्ट सेवा के लिए भारतीय पुलिस पदक

(iii) शौर्य के लिए रेल मंत्री पदक

(iv) सर्वोत्तम जांच के लिए रेल मंत्री पदक

(v) महानिदेशक का प्रशस्ति पक्ष और प्रतीक।

[हिन्दी]

सीमावर्ती राज्यों से खाद्यान्नों की खरीद

6045. **श्रीमती रेनु कुमारी :**
श्री भानसिंह भौरा :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अपने स्वयं के क्षेत्रों या सीमावर्ती राज्यों से खाद्यान्न की खरीद करने के लिए राज्यों को निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विभिन्न राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को राज्यों और उसकी खरीदकर्ता-एजेंसियों द्वारा केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यान्न खरीदने से उठाए गए घाटे का मुआवजा पाने के संबंध में राज्यों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा घाटे की प्रतिपूर्ति करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, हां। कुछ राज्य सरकारों से अपने स्वयं के क्षेत्रों से 'खाद्यान्नों की विकेन्द्रीकृत योजना' के अधीन खाद्यान्नों की वसूली शुरू करने के प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया था।

(ख) खरीफ विपणन मौसम 1997-98 से पश्चिम बंगाल सरकार ने इस योजना के अधीन चावल की वसूली शुरू की। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने खरीफ विपणन मौसम 1999-2000 से यह योजना शुरू की। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों ने रबी विपणन मौसम 1999-2000 से इस योजना के अधीन गेहूं की वसूली शुरू की। राजस्थान, तमिलनाडु, उड़ीसा, असम तथा जम्मू और कश्मीर राज्य सरकारें इस योजना के पक्ष में नहीं हैं और बिहार, गुजरात और मणिपुर सरकारों ने अभी तक प्रत्युत्तर नहीं दिया है।

(ग) से (ङ) भारत सरकार को पंजाब सरकार से 8.19 करोड़ रुपए और 10.48 करोड़ रुपए की हानि प्रतिपूर्ति के लिए अनुरोध किया था जो क्रमशः 1993 और 1995 में उन्होंने बाढ़ से हुई गेहूं की क्षति के कारण हुआ था। इसी प्रकार का अनुरोध हरियाणा सरकार से प्राप्त हुआ था जिसमें वर्ष 1993 और 1995 में बाढ़ से गेहूं को हुई क्षति के कारण उन्होंने क्रमशः 7.54 करोड़ रुपए और 2.50 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति करने का अनुरोध किया गया था। चूंकि वसूल किए गए स्टाक को भारतीय खाद्य निगम को सुपुर्द करने से पूर्व इसके भंडारण और परिरक्षण का दायित्व राज्य सरकार/इसकी वसूली एजेंसियों का होता है जिसके लिए उन्हें भंडारण प्रभार अदा किए जाते हैं, इसलिए इस सरकार ने ये अनुरोध स्वीकार नहीं किए थे। उन्हें परामर्श दिया गया था कि चूंकि प्राकृतिक आपदाओं के कारण वहन की जाने वाली हानियों का दावा बाढ़ राहत के अधीन किए जाने वाले दावे के भाग के रूप में किया जाना चाहिए इसलिए वे अपना दावा या तो कृषि मंत्रालय को प्रस्तुत करें अथवा मंडी प्रभारों और क्रय कर आदि के माध्यम से एकत्रित अपनी स्वयं की निधियों से अपनी एजेंसियों की क्षतिपूर्ति करें।

1994-95 की धान की फसल का खुली बिक्री के माध्यम से निपटान करने में पंजाब सरकार और इसके वसूली ऐजेंसियों द्वारा वहन की गई हानियों की प्रतिपूर्ति करने का दावा भी प्राप्त हुआ था। पंजाब सरकार और इसकी वसूली एजेंसियों को उनके दावे के पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में 9 जनवरी, 2000 को 120 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है।

[अनुवाद]

हल्के लड़ाकू विमानों का विकास

6046. **श्री अनन्त गंगाराम गीते** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रथम हल्के लड़ाकू विमान के निर्माण का मामला किस अवस्था में है और इसकी मुख्य विशेषता क्या है;

(ख) क्या इस विमान के आवश्यक परीक्षणों को शुरू किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर अब तक कितना व्यय हुआ है; और

(घ) भारतीय वायु सेना में इसे कब तक शामिल किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) दो हल्के लड़ाकू वायुयान प्रौद्योगिकी प्रदर्शक वायुयानों (टी डी-1 और टी डी-2), में से टी डी-1 का निर्माण कर लिया गया है और इसका जमीन पर एकीकरण परीक्षण चल रहा है। टी डी-2 का एकीकरण किया जा रहा है। यह पूर्ण स्तर पर इंजीनियरी विकास (चरण-1) का एक हिस्सा है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रथम उड़ान से पूर्व परीक्षण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में टी डी-1 के जमीन पर कई प्रकार के एकीकरण परीक्षण किए गए हैं जिनमें धीमी गति के टैक्सी परीक्षण भी शामिल हैं। 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार हल्का लड़ाकू वायुयान परियोजना का कुल खर्च 1767.64 करोड़ रुपए है।

(घ) चरण-2 में अतिरिक्त हल्के लड़ाकू वायुयान आदिरूप वाहनों का निर्माण किया जाएगा जिससे उत्पादन के लिए स्वीकृति मिल जाएगी। इस समय, हल्के लड़ाकू वायुयान को भारतीय वायुसेना में 2005 तक शामिल किए जाने की संभावना है।

मिसाइल कार्यक्रम

6047. **श्री प्रभात सामन्तराय** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999 के दौरान और इस वर्ष चांदीपुर परीक्षण रेंज से किए गए मिसाइल परीक्षणों का ब्यौरा क्या है और उनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) प्रत्येक परीक्षण के क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या सतह से सतह और जहाज से जहाज में मार करने वाली किसी अन्य मिसाइल के बनाए जाने और शीघ्र ही उनका वहां से परीक्षण किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) वर्ष 1999 तथा चालू वर्ष में विभिन्न मिसाइलों के 14 उड़ान परीक्षण किए गए थे। इन उड़ान परीक्षणों में इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-II का एक परीक्षण, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रणाली धनुष के नौसेना रूपांतर का एक परीक्षण, कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल त्रिशूल के आठ परीक्षण, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल आकाश के दो परीक्षण तथा तीसरी पीढ़ी की टैंक-रोधी मिसाइल नाग के दो परीक्षण शामिल हैं।

(ख) ये परीक्षण विकासात्मक परीक्षण कार्यक्रम का हिस्सा हैं। इन परीक्षण से इन प्रणालियों को प्रयोक्ता परीक्षण के लिए तैयार करने के वास्ते महत्वपूर्ण आंकड़े प्राप्त कर लिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बेकोल के निकट सड़क उपरि पुल का निर्माण

6048. **श्री टी० गोविन्दन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को बेकोल पर्यटन विकास निगम, केरल की ओर से बेकोल के निकट समपार पर सड़क उपरि-पुल के निर्माण के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्रमजीवी एक्सप्रेस का विलंब से चलना

6049. **डा० बलिराम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली से पटना के बीच चलने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस अक्सर विलंब से चलती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात से भी अवगत है कि इस रेल गाड़ी में रसोई यान कर्मचारी यात्रियों को मनमानी दरों पर खाद्य सामग्री बेचते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) श्रमजीवी एक्सप्रेस का समय-पालन विभिन्न कारणों यथा दुर्घटना, आंदोलन/बंद शरारती गतिविधियां, कानून और व्यवस्था की समस्या, खराब मौसम (प्रत्येक वर्ष जनवरी और फरवरी में घना कोहरा पड़ना) उपस्कर की असफलता, ग्रिड का असफल होना, मानवीय असफलता इत्यादि से प्रभावित हुआ है।

(ख) और (ग) मानक खाना, नाश्ता, चाय/कॉफी की दरों की सूची पैंट्री कार, क्षेत्रीय रेलों समय-सारणियों और समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रदर्शित की जाती है। मनमाने ढंग से दरें चार्ज करने के संबंध में पूर्व रेलवे द्वारा कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अनाचार को रोकने के लिए अचानक और आवधिक रूप से जांच की जाती है।

[अनुवाद]

अहमदाबाद-जोधपुर-सूर्य नगरी एक्सप्रेस का पटरी से उतरना

6050. **श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन अप्रैल, 2000 को राजस्थान के पाली जिले में जवाई बांध और मोरी बेड़ा स्टेशनों के बीच अहमदाबाद-जोधपुर-सूर्य नगरी एक्सप्रेस के 13 डिब्बे पटरी से उतर गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दुर्घटना के कारण कुल कितनी जानें गईं तथा कितनी सरकारी संपत्ति की हानि हुई;

(घ) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या थे तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई; और

(च) रेल दुर्घटनाओं को रोकने हेतु कौन से निवारात्मक उपायों पर विचार किया जा रहा है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। 3.4.2000 को लगभग 0326 बजे 4846 डाउन अहमदाबाद-जोधपुर-सूर्यनगरी एक्सप्रेस पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल में पालनपुर-मारवाड़ गैर-विद्युतीकृत बड़ी लाइन के इकहरे खंड पर जवई बांध और मोरीबेरा स्टेशनों के बीच कि०मी० 522/0-521/9 पर पटरी से उतरी थी।

(ग) कोई मृत्यु नहीं हुई थी लेकिन एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ था और 17 व्यक्तियों को मामूली चोटें आई थीं। रेलवे संपत्ति को अनुमानत: 7,28,000/- रुपए की क्षति हुई थी।

(घ) जी, हां। रेलवे संरक्षा आयुक्त, पश्चिम परिमंडल जांच कर रहे हैं।

(ङ) रेलवे संरक्षा आयुक्त, पश्चिम परिमंडल द्वारा अभी अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।

(च) रेलवे दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :

(i) ट्रंक मार्गों और अन्य महत्वपूर्ण मुख्य लाइनों पर रेलपथ परिपथन के कार्य में तेजी लाई गई है।

(ii) दुर्घटना होने में मानवीय चूक के मौके न्यूनतम करने के लिए सिगनल परिपथन में आशोधन किया जा रहा है।

(iii) मुंबई उपनगरीय खंडों पर चलती गाड़ी के ड्राइवरों को 'खतरे के सिगनल' के बारे में अग्रिम चेतावनी देने के लिए सहायक चेतावनी प्रणाली शुरू की गई है।

(iv) चुनिंदा मार्गों के ड्राइवरों और गार्डों को वाकी-टाकी सेट्स सप्लाई किए गए हैं।

(v) रेलपथ अनुरक्षण के लिए टाई-टैंपिंग और गिट्टी सफाई मशीनों के उपयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है।

(vi) रेलपथ ज्यामिति और रेलपथ की चालन विशेषताओं पर निगरानी रखने के लिए परिष्कृत रेलपथ अभिलेखन कारों, दोलनलेखी कारों और सुवाह्य त्वरणमापियों का उत्तरोत्तर उपयोग किया है।

(vii) पटरियों में दरारों और वेल्डिंग में खराबियों का पता लगाने के लिए 96 और दोहरी पटरी पराश्रव्य दोष संसूचकों की खरीद की जा रही है।

(viii) उपर्युक्त के अलावा 2 स्वनोदित पराश्रव्य परीक्षण कारों की खरीद भी की जा रही है।

(ix) कई डिपुओं पर सवारी डिब्बों और माल डिब्बों के लिए अनुरक्षण सुविधाओं को आधुनिकीकृत और अपग्रेड किया गया है।

(x) धुरों के कोल्ड ब्रेकज के मामलों की रोक-थाम के लिए, नेमी ओवरहालिंग डिपुओं को पराश्रव्य परीक्षण उपस्करों से सुसज्जित किया गया है ताकि धुरों में खामी का पता लगाया जा सके।

(xi) चौकीदार रहित समपारों पर सीटी बोर्ड/गति अवरोध व सड़क चिह्न मुहैया कराए गए हैं और ड्राइवरों के लिए दृश्यता में सुधार किया गया है।

(xii) सड़क उपयोगकर्ताओं को यह सिखाने के लिए कि समपारों को सुरक्षित ढंग से कैसे पार किया जाए दृश्य श्रव्य प्रचार अभियान चलाए जाते हैं।

(xiii) यात्री गाड़ियों में जवलनशील और विस्फोटक सामग्री ले जाने की रोक-थाम के लिए उपाय किए गए हैं।

(xiv) क्षेत्रीय मुख्यालयों के अंत:-अनुशासनिक दलों द्वारा विभिन्न मंडलों की आवधिक संरक्षा लेखा परीक्षा जांच शुरू की है।

(xv) ड्राइवरों, गार्डों और गाड़ी परिचालन संबद्ध कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं आधुनिक बनाई गई हैं जिसमें ड्राइवरों के प्रशिक्षण के लिए सिमुलेटरों का उपयोग भी शामिल है।

(xvi) विनिर्दिष्ट अंतरालों पर नियमित रूप से पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

(xvii) गाड़ी परिचालन से संबद्ध कर्मचारियों के कार्य निष्पादन पर निरंतर निगरानी रखी जाती है और जिनमें कोई कमी पाई जाती है उन्हें त्वरित (क्रैश) प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है।

(xviii) कर्मचारियों में संरक्षा के प्रति जागरुकता बढ़ाने के लिए आवधिक संरक्षा अभियान चलाए जाते हैं।

पर्यटन अधिकारियों का विदेशी दौरा

6051. श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे के अवसर पर मंत्रालय के अधिकांश वरिष्ठ अधिकारी विदेशी दौरे पर थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) अमेरिकी राष्ट्रपति का भारत दौरा मार्च 20-25, 2000 तक संपन्न हुआ। मार्च 10-21, 2000 तक माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के कुछ वरिष्ठ अधिकारी पर्यटन संबंधी महत्वपूर्ण आयोजनों तथा बैठकों में भाग लेने के लिए विदेश दौरे पर गए थे। इन दौरों के विवरण इस प्रकार हैं :

क्र०सं०	नाम एवं पदनाम	दौरा स्थल	दौरा तिथि	उद्देश्य
1.	श्री अनन्त कुमार पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री	बर्लिन (जर्मनी)	मार्च, 10-15, 2000	इंटरनेशनल टूरिज्म बोर्स (आई टी बी) में भाग लेना। यह महत्वपूर्ण मेला प्रतिवर्ष बर्लिन में आयोजित होता है।
2.	श्री वी०एस० रामचन्द्रन, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री के निजी सचिव	-वही-	-वही-	-वही-
3.	श्री अतुल सिन्हा महानिदेशक (पर्यटन)	-वही-	-वही-	-वही-
4.	श्रीमती आशा मूर्ति संयुक्त सचिव (पर्यटन)	बर्लिन (जर्मनी)	मार्च 15-17, 2000	पर्यटन संबंधी इंडो-जर्मन उप समिति की चौथी बैठक में भाग लेना। श्रीमती मूर्ती के साथ आधिकारिक शिष्टमंडल भी था।
5.	श्री वी० सुब्रमनियन संयुक्त सचिव एंड वित्त सलाहकार (पर्यटन)	-वही-	-वही-	-वही-
6.	श्री सुभाष एंग्रीस सहायक निदेशक	-वही-	-वही-	-वही-
7.	श्री एम०पी० बेजबरुआ सचिव (पर्यटन)	बैंकाक और कुवालालुम्पुर	मार्च 19-20, 2000	बैंकाक में पर्यअन विकास में सरकारी निजी भागीदारी विषय पर ई एस सी ए पी/ टी ए टी/डल्ब्यू टी ओ एशिया प्रशांत सेमिनार तथा कुवालालुम्पुर में भारत पर सेमिनार में भाग लेना।

[हिन्दी]

दक्षिण-मध्य रेल मुख्यालय का स्थानांतरण

6052. श्री चन्द्रकान्त खैरे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का, दक्षिण-मध्य रेलवे के मुख्यालय को महाराष्ट्र में स्थानांतरित करने संबंधी कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

हेलीकॉप्टर सेवाएं

6053. श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील : क्या नागर और विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नई नागर विमानन नीति के तहत हेलीकॉप्टर सेवाओं को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने हेलीकॉप्टरों का उपयोग करने हेतु नए दिशानिर्देश तैयार करने में प्रयोक्ता उद्योगों से परामर्श किया है; और

(घ) यदि हां, तो प्रयोक्ता उद्योगों के विचार क्या हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) जी, हां। नागर विमानन नीति तैयार की जा रही है जिसमें हेलीकॉप्टर प्रचालकों संबंधी नीति ढांचे तथा इस संबंध में उपयुक्त मागदर्शी सिद्धांत जारी करने के लिए ना सिरे से विचार करने की परिकल्पना है। इस नीति के मसौदे को अंतिम रूप दिए जाने से पूर्व इस संबंध में मत/टिप्पणियों प्राप्त करने की दृष्टि से व्यापक रूप में परिचालित किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनों पर अंतरराष्ट्रीय केन्द्र

6054. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनों पर अंतरराष्ट्रीय केन्द्रों को विकसित करने के लिए विश्व स्तर पर वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण विकास निधियों का समुचित विकास

6055. श्री नरेश पगुलिया : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक गरीबी उपशमन कार्यक्रमों को आरंभ करने के बावजूद, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है तथा इस दिशा में और क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) और (ख) योजना आयोग के प्राक्कलन के अनुसार जनसंख्या बढ़ने के बावजूद गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की संख्या 1973-74 में 261.29 मिलियन की तुलना में 1993-94 में 244.03 मिलियन हो गई है। प्रतिशत के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की संख्या 1974-74 की 56.44% की तुलना में 1993-94 में घटकर 37.27% हो गई है।

(ग) गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की संख्या को और कम करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गरीबी उपशमन योजनाओं को 1.4.1999 से पुनर्गठित किया गया है।

अपशिष्ट पदार्थ निपटान उद्योग

6056. श्री विलास मुत्तेमवार
श्री जी०एस० बसवराज :

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा ऊर्जा संस्थान ने अपशिष्ट पदार्थ निपटान उद्योग में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के उद्देश्य से रेशेदार और अर्ध ठोस नगरीय अपशिष्ट पदार्थों के निपटान के लिए उच्च क्षमता वाला डाइजेस्टर विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नई ठोस अपशिष्ट पदार्थ निपटान पद्धति को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) और (ख) टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान (टेरी), नई दिल्ली ने प्रयोगशाला स्तर पर रेशेदार और अर्ध ठोस नगरीय अपशिष्ट पदार्थों के डाइजेशन के लिए एक प्रक्रिया विकसित की है। टेरी द्वारा विकसित प्रक्रिया से उत्पादित बायोगैस, देश में पहले से ही ज्ञात और वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध प्रक्रियाओं की तुलना में कम है।

(ग) उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

'कपार्ट' द्वारा काली सूची में डाले गए स्वयंसेवी संगठन

6057. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी
श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान 'कपार्ट' द्वारा राज्य-वार कितने गैर-सरकारी संगठनों को काली सूची में डाला गया;

(ख) किस सीमा तक अनियमितताओं का पता लगाया गया है;

(ग) कितने मामले सी०बी०आई० को सौंपे गए तथा कितने मामलों का मूल्यांकन स्वयं 'कपार्ट' द्वारा किया गया; और

(घ) निधियों का दुरुपयोग करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई अथवा उन पर क्या दंड किया गया?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों अर्थात्, 1997-98, 1998-99 एवं 1999-2000 के दौरान काली सूची में डाले गए संगठनों के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण नीचे दिया गया है :

वर्ष	राज्य	काली सूची में डाले गए स्वयंसेवी संगठनों की सूची	स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि	दंड/की गई कार्रवाई
1997-98	–	–	–	–	–
1998-99	–	–	–	–	–
1999-2000	बिहार	1	1,04,78,980	82,62,706	स्वयंसेवी संगठनों को काली सूची में डाल दिया गया है। स्वयंसेवी संगठनों ने काली सूची में डालने के खिलाफ पटना न्यायालय में दीवानी मामला दायर किया है। मामला वसूली के लिए जांच के अधीन है। परियोजना मूल्यांककों द्वारा दुरुपयोग की गई राशि के निर्धारण के बाद 9.74 लाख रु० की राशि को वसूल करने के लिए कदम उठाए गए हैं।
	उत्तर प्रदेश	1	7,52,650	6,18,757	स्वयंसेवी संगठनों को काली-सूची के तहत रखा गया है। स्वयंसेवी संगठनों ने जारी की गई कुल राशि वापस कर दी है।
	मध्य प्रदेश	1	1,52,000	1,49,500	स्वयंसेवी संगठनों को काली सूची में डाल दिया गया है। स्वयंसेवी संगठनों ने उनको जारी की गई कुल राशि वापस कर दी है।
	महाराष्ट्र	1	51,600	32,700	स्वयंसेवी संगठनों को काली सूची में डाल दिया गया है। आगे की कार्रवाई के लिए मामला विचाराधीन है।
कुल		4	1,14,35,230	90,63,663	

(ख) अनैतिक अनियमितताएं न केवल जारी की गई निधियों के दुरुपयोग के मामले में बल्कि स्वीकृति प्राप्त करने के लिए दस्तावेजों में भी पाई गई है जैसे–जाली बैंक कागजात, परियोजना का अनुचित कार्यान्वयन जिसमें निम्न स्तर की सामग्री का उपयोग, किए गए कार्य की अनियमित सूचना देना आदि भी शामिल है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई भी मामला सी०बी०आई० को नहीं सौंपा गया है। स्वयं कपार्ट द्वारा जांच किए गए मामलों की संख्या 4 है।

मिसाइलों की प्राप्ति

6058. श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना द्वारा बहुत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमीन से हवा में मार करने वाली पोर्टेबल मिसाइलों की पर्याप्त संख्या की प्राप्ति की गंभीर आवश्यकता महसूस की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर सीमा पर पाकिस्तान की हरकतों द्वारा उत्पन्न संकट का सामना करने के लिए सेना को ये मिसाइलें प्रदान करने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो कुल कितनी मिसाइलें विकसित की जाएंगी अथवा प्राप्त की जाएंगी और सेना के प्रयोग हेतु दी जाएंगी?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) बहुत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमीन से हवा में मार करने वाली पोर्टेबल मिसाइलें सेना की माल सूची में पहले ही पर्याप्त संख्या में रखी हुई हैं।

नौसेना में आई०एन०एस०—आदित्य को शामिल किया जाना

6059. **श्री सुशील कुमार शिंदे :**
श्री माधवराज सिंधिया :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौसेना के टैंकर बेड़े में आई.एन.एस.—आदित्य नामक एक नए टैंकर बेड़े को शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस टैंकर की क्या-क्या मुख्य विशेषताएं हैं; और

(ग) इससे भारतीय नौसेना की क्षमता गहरे समुद्र में किस हद तक बढ़ने में मदद मिलेगी?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) यह 24,612 टन का एक पुन: पूर्ति टैंकर है जो जलगत रहते हुए समुद्री बेड़े के जलयानों की पुन:पूर्ति करने में सक्षम है। यह हेलिकॉप्टर भी हो सकता है जिसका ऊर्ध्व पुन:पूर्ति के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

(ग) यह जलयान बढ़ाई गई अवधियों और बढ़ाई गई रेंजों में बेड़ा संचालनों में सहायता कर सकता है।

इंडियन एयरलाइंस के वित्तीय पैकेज को कम करना

6060. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडियन एयरलाइंस को 39 विमानों की खरीद के लिए 'मार्जिन मनी' के रूप में प्रयोग करने हेतु दिए जाने वाले 325 कराड़ रुपए के वित्तीय पैकेज को कम करके 115 करोड़ रुपए कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो धनराशि कम करने के मुख्य कारण क्या हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेलगाड़ियों में सप्लाई किए गए भोजन की गुणवत्ता

6061. **श्री टी० गोविन्दन :**
श्रीमती रेनु कुमारी :
श्री अनन्त गंगाराम गीते :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को रेलगाड़ियों में, विशेषकर राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में घटिया गुणवत्ता वाले भोज्य पदार्थों को परोसे जाने से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार यात्रियों को प्रदान किए जा रहे भोजन की गुणवत्ता और अन्य सुविधाओं की जांच करने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी हां, पिछले तीन वर्षों के दौरान राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों में परोसे गए भोजन की गुणवत्ता के संबंध में 87 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। रेलों ने ब्रांड युक्त उत्पाद, पर्यावरण के अनुकूल पैकेज सामग्री के उपयोग, खानपान सेवाओं के बेहतर प्रस्तुतीकरण और खान-पान सेवाओं की नियमित निगरानी सहित गुणवत्ता और प्रस्तुतीकरण में सुधार करने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं।

(ग) और (घ) जी नहीं, यात्री सेवा समिति और यात्री सुविधा समिति के अलावा रेल संबंधी संसदीय स्थाई समिति, संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति और राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समिति विभिन्न खान-पान/वेंडिंग इकाइयों का निरीक्षण करती हैं और खान-पान सेवाओं के सुधार के लिए उपयुक्त आशोधन/सुझाव देती है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली से करदाताओं को चीनी आदि लेने से रोकना

6062. **श्री जय प्रकाश** : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से ऐसे आयकरदाताओं की पहचान करने में असमर्थता दर्शाने संबंधी कोई ज्ञापन प्राप्त हुए हैं जिनके लिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली से चीनी आदि लेने की मनाही कर रखी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा तैयार की गई कार्यविधियों का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) कुछ राज्य सरकारों ने आयकरदाताओं तथा उनके परिवार के सदस्यों को, चीनी के संबंध में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी डी एस) से अलग रखने के लिए इनकी पहचान करने में केन्द्र सरकार को अपनी असमर्थता के बारे में सूचित किया था तथापि राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों द्वारा पहचान की कार्यविधियों को अंतिम रूप देने के लिए की गई बैठक के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकारों को 30.6.2000 तक का समय दिया जाए ताकि वे सभी कार्ड धारकों, जो आयकरदाता भी हैं, की पहचान की प्रक्रिया को पूरा कर सकें तथा उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चीनी के वितरण में शामिल नहीं किया जा सके।

[हिन्दी]

अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में एयर इंडिया द्वारा उड़ानों में वृद्धि किया जाना

6063. श्री तूफानी सरोज : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एयर इंडिया की अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पूर्व सोवियत संघ से अलग हुए देश कौन-कौन से हैं जहां एयर इंडिया के विमान नहीं जाते; और

(घ) इन देशों को विमान सेवा से जोड़ने के लिए और उड़ानों की आवृत्ति बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) एयर इंडिया की विमान क्षमता संबंधी कठिनाई की वजह से निकट भविष्य में और अधिक उड़ानों को शुरू करने की कोई योजना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एयर इंडिया रूस के सिवाय किसी पूर्व सोवियत संघ राज्य के लिए सेवा प्रचालित नहीं करती है।

(घ) इस समय, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिजस्तान तथा रूसी संघ की विमानकंपनियां भारत के लिए सेवाएं प्रचालित कर रही हैं।

भागलपुर (बिहार) हेतु विमान सेवा

6064. श्री सुबोध राय : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भागलपुर को विमान सेवा से जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार वहां विमान सेवा उपलब्ध कराने हेतु निजी नागर विमानन कंपनी को यह कार्य सौंप रही है;

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक शुरू कर दिया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) प्रचालक अपने वाणिज्यिक विवेकानुसार किसी भी स्थान को हवाई-संपर्क से जोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं बशर्ते कि वे उन मार्ग संवितरण मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन करें जिनमें मार्गों की विशिष्ट श्रेणी पर कतिपय न्यूनतम प्रचालन सेवा करने संबंधी अनुबंध है।

खंड विकास कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण

6065. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने खंड विकास कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण हेतु निधियों का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

हथियारों की बिक्री के लिए सेना के जवानों की गिरफ्तारी

6066. श्री रामसागर रावत : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाजार में हथियारों की बिक्री के लिए सेना के कुछ जवानों को गिरफ्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान जानकारी में आए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान उनसे जब्त किए गए हथियारों एवं गोला-बारूद की मात्रा कितनी थी तथा इनको किस प्रकार रिकार्ड रखा जाता है तथा इनके निपटान संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों में एक मामले की सूचना मिली है जिसमें मार्च, 2000 में मेरठ में स्थानीय रूप से बने हथियार बेचते हुए सेना के एक जवान को सिविल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। सेना के हथियार अथवा गोला-बारूद इसमें अंतर्ग्रस्त नहीं थे।

मिलिंग प्रभारों का निर्धारण

6067. श्री भान सिंह भौरा : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो ने मिलिंग प्रभारों के निर्धारण के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या सरकार ने मूल्य सूचकांक को देखते हुए मिलिंग प्रभारों के निर्धारण हेतु कोई स्थायी सूत्र तैयार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, हां।

(ख) औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो से संस्तुत दर प्राप्त करने में इसके द्वारा अपनाई गई विधि के संबंध में कुछेक स्पष्टीकरण मांगे गए हैं।

(ग) और (घ) औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो की रिपोर्ट पर लंबित निर्णय के संबंध में सरकार ने अनंतिम रूप से मिलिंग प्रभारों की अनुमति दी है। ऐसा करते समय मूल्य सूचकांक को भी ध्यान में रखा जाता है। 1997-98 से अनुमत मिलिंग प्रभारों की दरें निम्नानुसार हैं :

(रुपए/क्विंटल)

वर्ष	दर
1997-98	12.00
1998-99	13.20
1999-2000	13.20

सरकारी उपक्रमों में सेवानिवृत्त व्यक्तियों की नियुक्ति

6068. श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय के अधीनस्थ सरकारी उपक्रमों ने कुछ सेवानिवृत्त व्यक्तियों को नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनमें से प्रत्येक को कितना पारिश्रमिक दिया जाता है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) रेल मंत्रालय के अधीन पांच सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं यथा इरकॉन इंटरनेशनल लि० (इरकॉन), रेल इंडिया टेक्नीकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज लि० (राइट्स), भारतीय कंटेनर निगम (कानकोर), भारतीय रेल वित्त निगम (भा०रे०वि०नि०), कॉकण रेल निगम लि० (को०रे०नि०)। इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने निम्नलिखित कार्मिकों को पुनर्नियोजन के आधार पर नियुक्ति दी है :

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	पुनर्नियुक्त कर्मचारी का नाम	वेतनमान
1	2	3
राइट्स	बी०आई० सिंगल	रु० 20500-26500 (आडीए)
	ए०के० सोमनाथन	रु० 20500-26500 (आईडीए)
	बी०एस० पोपली	रु० 16400-20000 (सीडीए)
	पी०आर० सरकार	रु० 16400-20000 (सीडीए)
	एम०वी० राधा कृष्णन	रु० 16400-20000 (सीडीए)
	डी०के० आनन्द	रु० 16400-20000 (सीडीए)
	ई० सुन्दरैय्या	रु० 16400-20000 (सीडीए)
	ओ०पी० कपूर	रु० 14300-18300 (सीडीए)
	एन० चक्रपाणि	रु० 14300-18300 (सीडीए)
	ग्रुप कैप्टन अली अमीर	रु० 14300-18300 (सीडीए)
	जी०जी०के० मूर्ति	रु० 12000-16500 (सीडीए)
	एस० समाजपति	रु० 8000-13500 (सीडीए)
इरकॉन	के०आर० मेहरा	रु० 20500-26500 (आईडीए)
	एस०के० सूद	रु० 14300-18300 (सीडीए)
	बी०एम० जेरथ	रु० 12000-16500 (सीडीए)
	डी०के०पुरी	रु० 10000-15200 (सीडीए)
	डी० वैद्यनाथन	रु० 12000-16500 (सीडीए)
	एम०वी०के० राव	रु० 14300-18300 (सीडीए)
	आर०के० सिंह	रु० 14300-18300 (सीडीए)
	आर०के० वशिष्ठ	रु० 14300-18300 (सीडीए)
को.रे.नि.	टी० माधवन	रु० 11182
	एस०वी० महालंक	रु० 222701
	यू० चन्दन	रु० 17258
	के०एस० रामामूर्ति	रु० 7737
कानकोर	कोई नहीं	कोई नहीं
भा०रे० वि०नि०	कोई नहीं	कोई नहीं

नोट : (i) आईडीए—औद्योगिक महंगाई भत्ता

(ii) सीडीए—केन्द्रीय महंगाई भत्ता

(iii) पुनर्नियुक्त व्यक्तियों को उपर्युक्त ग्रेडों में पिछली सेवा की पेंशन घटाकर मासिक रूप से पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है।

सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनर्नियोजन के अलावा रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने अंतिम आहरित वेतन के आधार पर अलग-अलग पारिश्रमिकों पर कुछ सेवानिवृत्त सरकारी कार्मिकों को बतौर परामर्शदाता/उप-परामर्शदाता/संविदा पर नियुक्त किया है। ये कार्मिक किसी भी अनुलाभों के पात्र नहीं हैं। ऐसे व्यक्तियों की संख्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-वार नीचे दी गई है :

परामर्शदाता/उप-परामर्शदाता/ठेके पर नियुक्त की संख्या

क्र० सं०	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	5000 रु० प्रतिमाह तक पारिश्रमिक	5000 से 10000 रु० प्रतिमाह तक पारिश्रमिक	10000 से 15000 रु० प्रतिमाह तक पारिश्रमिक	15000 रु० प्रतिमाह से अधिक पारिश्रमिक
1.	इरकॉन	2	6	6	कोई नहीं
2.	राइट्स	65	163	39	11
3.	कानकोर	109	26	कोई नहीं	कोई नहीं
4.	को०रे०नि०	22	21	कोई नहीं	कोई नहीं
5.	भा०रे०वि०नि०	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं

[हिन्दी]

मत्स्यन के लिए रेलवे भूमि का उपयोग

6069. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे भूमि पर मत्स्यन के लिए लाइसेंस देने हेतु वर्तमान नियम क्या हैं;

(ख) क्या 31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार मत्स्यन और अन्य प्रयोजनों के लिए लगभग 10,496.90 हैक्टेयर रेलवे भूमि का उपयोग किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में कितने व्यक्तियों को लाइसेंस दिए गए और जोन-वार इससे कितनी आय अर्जित की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) वर्तमान नियमों के अनुसार मत्स्य पालन हेतु झीलों/टैंकों के लाइसेंस के लिए प्रथम प्राथमिकता रेलवे कर्मचारियों की सहकारी समितियों को दी जाती है। यदि ये सहकारी समितियां आगे नहीं आती हैं तो मत्स्य पालन के अधिकार मछेरों के पंजीकृत सहकारी समितियों को अनुज्ञप्त कर दिया जाता है। यदि ये भी आगे नहीं आते हैं तो मत्स्य पालन का अधिकार सार्वजनिक नीलामी या खुली निविदा आमंत्रित करके दिया जा सकता है। लाइसेंस के अधिकार एक वर्ष से पांच वर्ष की अवधि के लिए सर्वाधिक बोलीदाता निविदादाता को दिया जाता है।

(ख) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

ज्वारभाटीय तरंगों पर आधारित परियोजनाएं

6070. डा० ए०डी०के० जयशीलन : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में ज्वारभाटीय तरंगों पर आधारित परियोजनाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) और (ख) जी, नहीं। तमिलनाडु में ज्वारभाटीय तरंगों पर आधारित परियोजनाएं स्थापित करने के लिए इस मंत्रालय का कोई प्रस्ताव नहीं है। 1975 में तत्कालीन केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार ज्वारभाटीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए देश में केवल गुजरात में कच्छ की खाड़ी और कैम्बे की खाड़ी तथा पश्चिम बंगाल में सुन्दरबन क्षेत्र में संभाव्यता वाले स्थल हैं।

सुपर बाजार को वित्तीय घाटा

6071. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार के पूर्व चेयरमैन ने सुपर बाजार को भारी वित्तीय घाटा पहुंचाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि इसके पूर्व अध्यक्ष के कार्यकाल (मई, 1998 से सितंबर, 1999 तक) के दौरान सुपर बाजार को हुए घाटे का सही हिसाब लगाना मुश्किल है। तथापि, लेखा परीक्षित वार्षिक खातों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 1998-99 के दौरान सुपर बाजार को 706.80 लाख रुपए का निबल घाटा हुआ और अप्रैल, 1999 से सितंबर, 1999 तक लगभग 674 लाख रुपए का अनुमानित घाटा (लेखा परीक्षित नहीं) हुआ।

(ग) और (घ) सुपर बाजार के पूर्व अध्यक्ष सहित सुपर बाजार के कार्यकरण में अनियमितताओं की जांच का कार्य केन्द्रीय जांच ब्यूरो

को सौंप दिया गया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

लघु विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

6072. डा० बलिराम : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में लघु विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार से कुछ सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में कितनी धनराशि मंजूर और जारी की गई?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) और (ख) जी, हां। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में बायोमास गैसीफायर आधारित 1200 किवा० की समग्र क्षमता वाली 14 लघु बिजली परियोजना और 100 किवा० की एक लघु पन बिजली परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है। ये परियोजनाएं या तो राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों पर अथवा मंत्रालय द्वारा सृजित प्रस्तावों पर आधारित हैं। इन परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) 31.95 लाख रु० की धनराशि स्वीकृत की गई है तथा इस राज्य को, विशेषकर इन परियोजनाओं के लिए, 5.73 लाख रु० रिलीज किए गए हैं।

विवरण

नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में स्वीकृत/स्थापित लघु बिजली परियोजनाओं के ब्यौरे

क्र० सं०	लघु बिजली परियोजनाएं	क्षमता
1	2	3
(क.) बायोमास गैसीफायर		
1.	शिखर फूड्स राइस मिल, अड्डा बाजार, महाराज गंज	60 कि०वी०ए०
2.	सुमित राइस मिल, हरदोई	100 किवा०
3.	को-आपरेटिव राइस मिल (प्र०) लि०, हरदोई	100 किवा०
4.	खग राइस मिल, फतेहपुर	100 किवा०
5.	साकेत फूड्स लि० काल्पीपारा, बगरायच	100 किवा०
6.	जय बजरंग राइस मिल, चन्दौली	100 किवा०
7.	श्री सीताराम राइस एंड दाल मिल, चन्दौली	100 किवा०
8.	कुरावा, बुरहना, मुजफ्फरपुर	100 किवा०
9.	दीपक ट्रेडर्स, बाई पास रोड, फतेहपुर	100 किवा०
10.	एसा जिप फास्नर्स (प्र०), नैनीताल	100 किवा०
11.	मैसर्स नवाबगंज राइस मिल लि०, बरेली	100 किवा०
12.	नवे इंस्टीट्यूशन लोदीपुर, शाहजहांपुर	20 किवा०
13.	डिस्ट्रिक्ट जेल, वाराणसी	20 किवा०
14.	श्री राम गार्मेंट्स एंड एक्सेसरिज, काशीपुर, नैनीताल	100 किवा०
(ख.) लघु पन बिजली		
15.	चोटिंग, उत्तर प्रदेश	100 किवा०

किवा०—किलोवाट

मेवा०—मेगावाट

कि०वी०ए०—किलो-वॉल्ट-एम्पीयर

मेस्को एयरलाइंस

6073. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना० मोहोल :
श्री भीम दाहाल :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री किरीट सोमैया :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन के महानिदेशक ने मैसर्स मेस्को एययरलाइंस के 31 मार्च, 2000 तक मान्य लाइसेंस का नवीकरण किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या लाइसेंस का नवीकरण न करने के संबंध में गृह मंत्रालय ने कोई निदेश जारी किए थे;

(ग) यदि हां, तो लाइसेंस के नवीकरण न किए जाने हेतु इस प्रकार के निदेश देने के क्या कारण हैं; और

(घ) लाइसेंस का नवीकरण किस तारीख को किया गया और किस तारीख तक मान्य है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) दिनांक 31.3.2000 तक मैसर्स एयरलाइंस की वैधता संबंधी प्रचालक के परमिट का प्रारंभिक रूप में नवीकरण नहीं किया गया था चूंकि गृह मंत्रालय ने मैसर्स मेस्को एयरलाइंस के बोर्ड के कुछ निदेशकों के बारे में अपेक्षित सुरक्षा क्लियरेंस प्रदान नहीं की थी। जिनके नाम गृह मंत्रालय

की रिपोर्ट में आए हैं, उन एयरलाइंस के निदेशकों के त्यागपत्र के पश्चात् प्रचालक के परमिट का 20 अप्रैल, 2000 को नवीकरण कर दिया गया है जो अब 19 अप्रैल, 2001 तक वैध है।

[हिन्दी]

सुपर बाजार में घटिया किस्म की वस्तुओं की बिक्री

6074. प्रो० दुर्गा भगत : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सुपर बाजार में घटिया किस्म की वस्तुएं वर्तमान बाजार मूल्यों से ज्यादा कीमत पर बेची जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) जी, नहीं। सुपर बाजार ने सूचित किया है कि वे उन विनिर्माताओं/वितरकों से माल खरीदते हैं जो अपेक्षित गुणवत्ता नियंत्रण के बाद पंजीकृत होते हैं। वस्तुओं के बिक्री मूल्य उस वस्तु/मद के बारे में बाजार के रुख को ध्यान में रखते हुए उचित लाभ के मार्जिन को जोड़कर तय किए जाते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ठेकेदारों को ऋण

6075. श्री ए० कृष्णास्वामी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनकोर ठेकेदारों को ऋण/अग्रिम राशि देती है और उन्हीं ठेकेदारों को मासिक दर पर नियोजित भी करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन ऋणों/अग्रिम राशि को देने के लिए क्या उपबंध और नियम/विनियम हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां। भारतीय कंटेनर निगम लि० (कनकोर) अपने मौजूदा ठेकेदारों को उनके सम्हलाई बिलों के बदले अग्रिम प्रदान करता है। ये अग्रिम कनकोर की सुविधाओं में कंटेनर सम्हलाई उपस्करों को आधुनिक बनाने के लिए दिए जाते हैं। सामान्यतया कार्य की विभिन्न इकाइयों के लिए दरों के आधार पर ठेकेदार नियुक्त किए जाते हैं। बहरहाल, कुछ ठेकेदार मासिक दरों पर भी नियुक्त किए जाते हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) ऐसे अग्रिम के अनुरोधों पर विचार करते समय निम्न पहुलओं पर ध्यान दिया जाता है :

(1) प्राप्तकर्ता को मौजूदा टर्मिनल ऑपरेटर होने के साथ-साथ उसकी सेवा का अच्छा रिकार्ड होना चाहिए तथा अग्रिम की वसूली सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त अवधि की वैध संविदा होनी चाहिए।

(2) जिस टर्मिनल पर टर्मिनल ऑपरेटर कार्यरत है, उस टर्मिनल पर कार्यकलापों के स्तर के लिए अतिरिक्त उपस्करों का औचित्य सिद्ध करना अपेक्षित है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि इस उपस्कर का उपयोग केवल कनकोर टर्मिनल में किया जाएगा।

(3) सामान्यतया कनकोर ब्याज की बाजार दरों पर उपस्कर की लागत का 80% अग्रिम के रूप में देता है जो बैंक निक्षेप, अल्प-अवधि बंध पत्र आदि जिनमें कनकोर के अधिशेष निधियां वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार जमा करवाई जाती है, पर ब्याज की तुलना में अत्यधिक उच्चतर है।

(4) ब्याज के साथ इस अग्रिम की वसूली टर्मिनल ऑपरेटर के मासिक सम्हलाई बिल से की जाती है।

(5) अग्रिम से खरीदा गया उपस्कर कनकोर के पास पूरी वसूली हो जाने तक बंधक रहता है।

विवरण

1995 से ठेकेदारों को प्रदान किए गए अग्रिमों का ब्यौरा निम्नानुसार है

क्र० सं०	सम्हलाई ठेकेदार का नाम	दिया गया ऋण वर्ष					31.3.2000 को स्थिति	
		1995	1996	1997	1998	1999	जोड़	वसूली
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	कांडा कारगो हैंडलर्स, 309, श्रीकांत चेम्बर्स, आर०के० स्टूडियो के निकट, एस०टी० रोड चैम्बूर, मुम्बई-400071	—	—	—	7,794,000	3,000,000	10,794,000	अनुसूची के अनुसार नियमित वसूली हो रही है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	पंजाब कंटेनर सर्विसेज, एन०जं० 253, मीठा बाजार, जालंधर	10,460,000	–	–	–	–	10,460,000	अगस्त, 1997 में वसूली पूरी हो गई है।
3.	बी० घोष एंड कंपनी लि० 13/1 कौमेक स्ट्रीट कलकत्ता-17	–	13,500,000	–	–	–	13,500,000	फरवरी, 1999 में वसूली पूरी हो गई थी।
4.	दीवान चंद राम सरण, नवरत्न, दूसरा तल, 60, पी.डी. मैलो रोड कामाक बंदर जंक्शन मुम्बई-400009	–	37,731,000	3,948,000	–	–	41,679,000	जनवरी, 2000 में पूर्णत: वसूल हो गया है।
5.	दुर्गा क्रेन कंपनी, डी-28, ज्ञान श्याम एवेन्यू, संत्तार तालुका सोसायटी, हाई कोर्ट के सामने अहमदाबाद-380014	10,680,866	–	–	–	–	10,680,866	अनुसूची के अनुसार नियमित रूप से हो रही है।
6.	विक्रम एसोसिएशन, न्यू नं० 27, प्रथम तल, मद्रास बैंक रोड, बंगलौर-560001	49,482,128 9,750,000	–	–	26,469,159	–	75,951,287 9,750,000	जुलाई, 1998 में पूर्णत: वसूल हो गया।
7.	ट्रांसपोर्ट आरगनाइजर्स 21 ए, सागर दत्ता लेन, प्रथम तल, कलकत्ता-700073	–	–	–	–	10,800,000	10,800,000	अनुसूची के अनुसार नियमित वसूली हो रही है।
	जोड़	80,372,994	51,231,000	3,948,000	34,269,159	13,800,000	183,615,153	

[हिन्दी]

विक्रमशिला विश्वविद्यालय में खुदाई कार्य

6076. **श्री सुबोध राय** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय में खुदाई कार्य चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो खुदाई में पाई गई विभिन्न वस्तुओं और अन्य सामग्री का ब्यौरा क्या है;

(ग) ये वस्तुएं किन-किन संग्रहालयों में रखी जाएंगी;

(घ) क्या सरकार संग्रहालयों के निर्माण और रखरखाव के लिए राज्य सरकारों को कोई सहायता प्रदान करती है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) विक्रमशिला में कोई उत्खनन कार्य नहीं चल रहा है।

(ख) पूर्व उत्खनन से हिन्दू एवं बौद्ध देवगण की विभिन्न मूर्तियां, मृण्मूर्तियां तथा मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए।

(ग) इस समय पुरावस्तुओं का प्रदर्शन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) क्षेत्रीय तथा स्थानीय संग्रहालयों को प्रोत्साहित

करने एवं सुदृढ़ बनाने की योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों तथा राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

रेलवे स्टेशनों पर क्लोज सर्किट टी०वी० कैमरा

6077. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश ने उन रेलवे स्टेशनों के नाम क्या हैं जहां अपराध और अन्य गतिविधियों पर नजर रखने के लिए क्लोज सर्किट टी०वी० कैमरा स्थापित किया गया है;

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान उक्त सुविधा किन-किन रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना; और

(ग) इस कार्य को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है और इस पर कितना व्यय होगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) जम्मू तवी और अटारी।

(ग) इस कार्य को पूरा करने में एक वर्ष लग सकता है। अंतर्निहित व्यय 37,36 लाख रुपए है।

विवरण

क्लोज सर्किट टी०वी० कैमरे निम्नलिखित रेलवे स्टेशनों तथा यात्री आरक्षण प्रणाली केन्द्रों पर संस्थापित किए गए हैं :

क्र०सं०	स्टेशन	या०आ०प्र० केन्द्र
1	2	3
1.	हवड़ा पुराना परिसर	मुम्बई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल
2.	हवड़ा नया परिसर	भोपाल
3.	दम दम	गुवाहटी
4.	बेलगछिया	एम एम सी चेन्नई
5.	श्याम बाजार	सिकंदराबाद
6.	शोवा बाजार	जयपुर
7.	गिरीश पार्क	अहमदाबाद
8.	महात्मा गांधी रोड	बोरीविली
9.	सेंट्रल	मुम्बई सेंट्रल
10.	चांदनी चौक	
11.	एस्प्लेनेड	
12.	पार्क स्ट्रीट	
13.	मैदान	
14.	रवीन्द्र सदन	
15.	नेताजी भवन	
16.	जतिन दास पार्क	
17.	काली घाट	
18.	रवीन्द्र सरोवर	
19.	टालीगंज	
20.	नई दिल्ली	
21.	दिल्ली मेन	
22.	बंगलौर सिटी जंक्शन	
23.	त्रिवेन्द्रम सेंट्रल	
24.	खोरधा रोड मंडल में भुवनेश्वर	

[हिन्दी]

जामनगर तथा सुरेन्दर नगर स्टेशनों में एस०पी०टी०एन०

6078. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जामनगर तथा सुरेन्दर नगर बुकिंग कार्यालय में जनता तथा विभिन्न संगठनों ने स्वत: मुद्रण टिकट मशीन (एस०पी०टी०एम०) उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जामनगर और सुरेन्द्र नगर स्टेशनों पर माइक्रोप्रोसेसर पर आधारित सेल्फ प्रिंटिंग टिकट मशीन की व्यवस्था 2000-2001 में की जानी है।

[अनुवाद]

वीएएस-6310 सीपीयू सीजन टिकटिंग प्रणाली

6079. **श्री सुरेश रामराव जाधव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि मध्य और पश्चिम रेल के मुम्बई उपनगरीय क्षेत्र में वर्ष 1989 में संस्थापित वीएएस-6310 सीपीयू सीजन टिकटिंग प्रणाली अपने प्रयोजनीय जीवन से भी अधिक चली है और अब इसका बदला जाना अपेक्षित है; और

(ख) सरकार द्वारा इसे शीघ्र बदलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने मध्य और पश्चिम रेलवे के उपनगरीय क्षेत्र में सीजन टिकट जारी करने के लिए संस्थापित वी ए एस-610 सी पी यू के बदलाव कार्य को निर्माण कार्यक्रम 2000-01 में अनुमोदित कर दिया है। इस प्रणाली को वित्त वर्ष 2000-01 में ही बदलने के लिए पर्याप्त निधियों की व्यवस्था की गई है।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी, कलकत्ता के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कलकत्ता के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 1794/2000]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 1795/2000]

(5) (एक) एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 1796/2000]

(7) (एक) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों की सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 1797/2000]

(9) (एक) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कलाक्षेत्र फाउंडेशन चेन्नई के वर्ष 1998-99 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 1798/2000]

(11) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) पंजाब अशोक होटल कम्पनी लिमिटेड, चण्डीगढ़ के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पंजाब अशोक होटल कम्पनी लिमिटेड, चण्डीगढ़ का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों की सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 1799/2000]

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं :

(1) रेल अधिनियम, 1998 की धारा 199 के अंतर्गत रेल यात्री (टिकट का रद्दकरण और किराये की वापसी (दूसरा संशोधन नियम, 2000 जो 1 मार्च, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 212(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 1800/2000]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्कारण) :

(एक) कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1998-99 वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 1801/2000]

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : मैं, मझगांव डॉक लिमिटेड और रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग के बीच वर्ष 2000-01 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 1802/2000]

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शान्ता कुमार) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) हिन्दुस्तान वेजीटेबल आयल्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान वेजीटेबल आयल्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 1803/2000]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : अध्यक्ष महोदय, श्री शरद यादव की ओर से, मैं संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 1999 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक-संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2000 का संख्यांक 4)-सरकारी क्षेत्र के उपक्रम-इंडियन एयर-लाइंस लिमिटेड के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 1804/2000]

अपराह्न 12.02 बजे

राष्ट्रपति से संदेश

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे महामहिम राष्ट्रपति से 30 अप्रैल, 2000 को निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है :

"23 फरवरी, 2000 को एक साथ समवेत, संसद की दोनों सभाओं के समक्ष मेरे द्वारा दिए गए अभिभाषण के लिए लोक सभा के सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए धन्यवाद को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं।"

अपराह्न 12.03 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है :

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 2000 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 19 अप्रैल, 2000 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया

था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।''

अपराह्न 12.3½ बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

पांचवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री पी०एम० सईद (लक्षद्वीप) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का पांचवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रसतुत करता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

आठवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय. मैं कार्य मंत्रणा समिति का आठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में शून्यकाल आरंभ होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री माधवराव सिंधिया।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैंने भी सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : आज के समाचार-पत्र वित्त मंत्री की घोषणाए—'सिन्हा ने नई दुकानें खोल दी हैं', 'नए प्रस्ताव ने बजट को लाभकारी रूप प्रदान किया', 'गिरते हुए स्टॉक को औषधि ने ऊंचा उठाया', 'संवेदी सूचकांक ने 488 अंकों की उछाल दर्ज किया' एवं ''वित्तमंत्री ने कीमतों के बजाय करों को वापस लिया'' संबंधी सुर्खियों से भरे पड़े हैं।

मैं इसके गुण-अवगुण की व्याख्या नहीं करूंगा। परन्तु यह बिल्कुल ही स्पष्ट है कि यह सरकार एक संवेदी सूचकांक सरकार है और यह संवेदनशील सरकार नहीं है। अगर यह एक संवदेनशील सरकार होती...*(व्यवधान)* मुझे अध्यक्ष महोदय ने अनुमति प्रदान की है।... *(व्यवधान)* आपको हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : वित्त विधेयक पर सभा में चर्चा की जा रही है। आप वाद-विवाद में क्यों नहीं बोलते ?...*(व्यवधान)* यह उचित नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : उन्हें व्यवधान डालने का कोई अधिकार नहीं है।...*(व्यवधान)* कृपया व्यवहार...*(व्यवधान)* आपको संसदीय कार्य मंत्री की तरह व्यवहार करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

मेरी बात में व्यवधान डालने का आपको कोई अधिकार नहीं है। मैंने अध्यक्ष महोदय से अनुमति प्राप्त की है।...*(व्यवधान)* आपको संसदीय कार्य मंत्री की तरह व्यवहार करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

महोदय, संवेदनशीलता की बात करते हुए, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के प्रति सरकार की क्या संवेदनशीलता है, जहां गेहूं और चावल के मूल्यों में 70 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है तथा चीनी के मूल्यों में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है? गृहिणियों के प्रति क्या संवेदनशीलता है जब मिट्टी के तेल के मूल्यों में 100 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम वित्त विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। कल, हमने इस पर देर रात तक चर्चा की और आज भी हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि संवदेनशीलता प्रकट होनी है।...*(व्यवधान)*

महोदय, कांग्रेस पार्टी ने कटौती प्रस्ताव रखना चाहा था और आपने, अपने विवेक से, उन्हें अस्वीकृत कर दिया। हम अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय को हमेशा आदर के साथ स्वीकार करते हैं। इसलिए, हम यह मांग करते हैं कि, आज वित्त मंत्री के जवाब में एक संतोषजनक उत्तर दिया जाए एवं कमजोर वर्गों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को वापस लिया जाए, किसानों के लिए यूरिया के मूल्य में की गई वृद्धि को वापस लिया जाए तथा गृहिणियों को राहत पहुंचाने के लिए मिट्टी के तेल के मूल्य में वृद्धि को वापस लिया जाए।...*(व्यवधान)* अगर उनमें संवेदनशीलता है, तो वे इसे कमजोर वर्गों, किसानों एवं गृहिणियों के प्रति व्यक्त करें। यही हमारी मांग है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : अध्यक्ष महोदय, यह व्यापारियों की सरकार है।...*(व्यवधान)* गरीबों की सरकार नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, आपने हमारे कटौती प्रस्तावों को अस्वीकार किया है। इसलिए, हम वित्त मंत्री से आवश्यक वस्तुओं एवं यूरिया के मूल्यों में वृद्धि को वापस लेने के बारे में एक संतोषजनक जवाब की मांग करते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री माधवराव सिंधिया, हमने नियम 193 के अंतर्गत पहले ही सभा में मूल्यवृद्धि पर चर्चा की थी और कल हमने वित्त विधेयक पर भी चर्चा की थी।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, मैं उनका समर्थन करता हूं परन्तु मैं एक और महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं... *(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : अध्यक्ष महोदय, उन्हें वित्त विधेयक पर चर्चा में भाग लेना चाहिए था। क्या यह शून्यकाल के दौरान उठाए जाने योग्य मामला है ?...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, आपके इतने सारे सलाहकार हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम एक और विषय पर पहुंच गए हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, जिस मामले को मैं उठाना चाहता हूं उसका संबंध नागर विमानन मंत्रालय और एयर इंडिया के एक निर्णय से है। श्री शरद यादव ने मुझसे अनुरोध किया था कि मैं आज इसे यहां उठाऊं क्योंकि वह यहां रहेंगे। परन्तु मुझे लगता है कि वह यहां नहीं दिख रहे, शायद वे श्री राम विलास पासवान के साथ पटना में हो रही लड़ाई के कारण रुक गए हैं।

महोदय, मैं सभा के सदस्यों के समक्ष एक बहुत ही शत्रुसम निर्णय को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता था और बहुत विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत करते हुए इसका संबंध पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत हेतु अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की उपलब्धता से है जो अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कलकत्ता मे संचालित किया जाता है। वे कहते हैं कि भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा में और अधिक सुधार हेतु और उसके उन्नयन हेतु इसमें धन का निवेश कर रही है।

कलकत्ता से टोक्यो और फिर वापिस हफ्ते में एक ही उड़ान थी जिसे मुम्बई से शुरू होना था। यह मुम्बई-कलकत्ता-टोक्यो रास्ते पर चल रही थी। मेरे पास पूरे विवरण विद्यमान हैं कि इस उड़ान में आधे से अधिक यात्री कलकत्ता से सवार होते थे। चाहे मेरे पास पूरे ब्यौरे विद्यमान हैं परंतु मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहता।

जहां तक कार्गो का संबंध है, जितनी भी जगह उपलब्ध थी. वह कार्गो कलकत्ता से ही भरी जाती थी। वास्तव में कार्गो की जगह की मांग उपलब्ध व्यवस्था से चार गुणा अधिक थी। एयर इंडिया कार्गो स्थान उपलब्ध नहीं करवा रही परन्तु अन्य विमान सेवाओं ने अपनी कार्गो उड़ानें सप्ताह में एक बार से बढ़ाकर सप्ताह में चार बार कर दी हैं।

सिंगापुर एयरलाइंस ने अपनी सेवा बढ़ा दी है। रायल जौरदेनियन ने अपनी सेवा बढ़ा दी। बाकी की एयरलाइंस भी बढ़ा रही हैं। परंतु एयर इंडिया ने स्वेच्छा से इसे वापिस ले लिया है और किसी से इस विषय पर बात भी नहीं की। लोगों के साथ इसकी चर्चा करें। उत्तर पूर्व और पूर्वी भारत के संसद सदस्य यहां आए हुए हैं। सरकारें भी हैं। आज तो यही हुआ है कि एयर इंडिया की उड़ान रद्द कर दी गई है। अब हमें टोक्यो पहुंचने के लिए मुम्बई जाना पड़ेगा। एक आश्चर्यजनक रवैया बनाया गया है। मैंने माननीय मंत्री श्री अनन्त कुमार को लिखा। वह पहले वहीं थे। मैंने उनसे ब्रिटिश एयरवेज की उड़ानों की संख्या बढ़ाने का अनुरोध किया था।

श्री स्वराज पाल ने मुझे आश्वस्त किया था कि वे मेरी सहायता करेंगे। परंतु उन्होंने बंगलौर के लिए अच्छा काम किया है। इसके बजाय उन्होंने बंगलौर को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन बना दिया। मैं इसका बुरा नहीं मनाता। कीजिए। अपने कार्यकाल के दौरान यह आपकी उपलब्धि थी। परंतु पूर्वी भारत और उत्तर-पूर्वी भारत के साथ यह सौतेला व्यवहार क्यों ? आप इस देश को विकसित कैसे कर सकते हैं? यदि आज आप अंतर्राष्ट्रीय सहयोग–अंतर्राष्ट्रीय निवेश की बात कर रहे हैं लोग यहां आ रहे हैं। आप हमारी यह कहकर आलोचना कर रहे हैं कि लोग पूर्वी भारत और उत्तरी-पूर्वी भारत में नहीं जा रहे? परंतु वे यहां कैसे आएंगे? लोग कहते हैं कि दिल्ली आने में एक दिन लगता है, हम यहां से वापिस जा सकते हैं। कलकत्ता आने में तीन से चार दिन लगते हैं। यह केवल कलकत्ता के बारे में ऐसा नहीं है अपितु उड़ीसा, बिहार, असम और उत्तर-पूर्वी भारत में यही हाल है। हर राज्य नुकसान उठा रहा है।

मुझे खुशी है कि श्री दिग्विजय सिंह मुझसे सहमत हैं। यह बहुत गंभीर मामला है। इससे पूर्व मैंने श्री इब्राहिम और श्री अनन्त कुमार को एक बार से अधिक पत्र लिखा। सिंगापुर एयरलाइंस ने अधिक उड़ानों के संबंध में लिखित में सरकार की अनुमति के लिए अनुरोध किया है। परंतु यह नहीं दी गई है। ब्रिटिश एयरवेज ने और अधिक उड़ानों का अनुरोध किया है परंतु यह अनुरोध भी नहीं माना गया है। दूसरी ओर उन्होंने 16 उड़ाने बढ़ाने को कहा है क्योंकि सरकार ने और उड़ानें न बढ़ाने का निर्णय लिया है और उनसे दिल्ली और मुम्बई से अपनी उड़ानें भरने को कहा गया है। वे वहां चले गए हैं। इसका क्या होगा? देश का यह भाग उन सुविधाओं से भी रहित रह जाएगा, जो हमें बाहर के देशों के साथ मिलने-जुलने और वहां जाने की अनुमति देता है। मेरे पास पूरे विवरण हैं। पचास प्रतिशत से अधिक यात्री कलकत्ता से चढ़ते हैं। हमने वहां क्या कसूर किया है। मुझे आशा है कि सभा सर्वसम्मति से सरकार को किए गए मेरे अनुरोध का समर्थन करेगी...*(व्यवधान)*

यह किसी विशेष क्षेत्र का प्रश्न नहीं है। यह पूरे देश के विकास का प्रश्न है। अत: मैं सभी सदस्यों से अपील करता हूं। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक शहर और प्रत्येक राज्य का विकास करें। मुम्बई

से और अधिक उड़ानें हों इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। बंगलौर या किसी अन्य जगह से उड़ानों में मुझे कोई आपत्ति नहीं। उन्हें आने दें। इस देश में समान सुविधाएं होनी चाहिए...*(व्यवधान)* अब, आप नेता हैं। मैं आपको नियुक्ति पर बधाई देता हूं। कृपया हमें समर्थन दें।

मैं संपूर्ण विनम्रता से सभा के इस अनुरोध का दृढ़तापूर्वक समर्थन करता हूं। कृपया यह देखें कि इन्हें शीघ्र बहाल किया जाए। जो उड़ान छोड़ दी गई हैं उन्हें न केवल तुरंत शुरू किया जाना चाहिए अपितु कलकत्ता से और अधिक उड़ानों की अनुमति दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री हन्नान मोल्लाह और श्री संतोष मोहन देव ने इसी विषय पर नोटिस दिए हैं। वे इस विषय के साथ खुद को जोड़ सकते हैं लेकिन संक्षेप में।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : महोदय, सात उत्तर-पूर्वी राज्यों की ओर से मैं श्री सोमनाथ चटर्जी तथा कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं के साथ स्वयं को जोड़ता हूं परंतु इसके साथ-साथ मैं उत्तर-पूर्व और पूर्वी भारत के राज्यों के प्रति एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइस के सौतेले व्यवहार की निंदा करता हूं।

श्री अनन्त कुमार को धन्यवाद है कि उन्होंने एक उड़ान की अनुमति दी। उन्हें क्या हुआ है? कुछ समय पूर्व उन्होंने यह अनुमति दी थी। परंतु अब इसे वापिस लिया जा रहा है क्यों? इसमें नुकसान ही क्या है? उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के गृह-उद्योग गड़बड़ा गए हैं। अब वे अपने उत्पाद जापान को भेज सकते हैं। इनकी बहुत अच्छी मांग है परंतु इस सेवा को रद्द करके आप उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र को हानि पहुंचा रहे हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से दृढ़तापूर्वक मांग करता हूं चूंकि संबद्ध मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं अत: श्री प्रमोद महाजन इस मामले पर विचार करें और देखें कि इसे बंद न किया जाए। यह संपूर्ण पूर्वी भारत की भारत सरकार से मांग के अतिरिक्त है।

अध्यक्ष महोदय : श्री हन्नान मोल्लाह, आप भी अपने विचार उनसे संबद्ध कर सकते हैं...*(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, यह पश्चिम बंगाल में और देश के पूर्वी भागों में और अधिक निवेश की नई प्रवृत्ति के प्रसंग में है।

महोदय, एयरलाइंस की अनुपलब्धता समस्याएं उत्पन्न करेंगी और इससे इस क्षेत्र में विकास के रास्ते में रुकावटें पैदा होंगी। उड़ीसा, बिहार और अन्य पड़ोसी राज्य भी लाभान्वित होंगे यदि इन्हें जारी रखा जाए। अत: मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इन्हें तुरंत बहाल किया जाए, ब्रिटिश एयरवेज को बंद न किया जाए और उस क्षेत्र में और अधिक उडानें आरंभ की जाएं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आज मुझे शून्यकाल हेतु 50 नोटिस मिले हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है, हम भी उसका समर्थन करते हैं।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, मैं श्री सोमनाथ चटर्जी और श्री संतोष मोहन देव द्वारा व्यक्त की गई विषयवस्तु का पूर्ण समर्थन करता हूं। यदि सरकार तुरंत इस पर कार्यवाही नहीं करती तो इससे यह संदेश सम्प्रेषित होगा कि सरकार उत्तर-पूर्वी राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार करती है। अत: मैं मांग करता हूं कि इसे तुरंत बहाल किया जाए।

[हिन्दी]

श्री शिवराजसिंह चौहान (विदिशा) : अध्यक्ष महोदय, इस देश की एक-तिहाई से ज्यादा जनता गरीबी रेखा से नीचे जीती है। गरीबी और बीमारी का चोली-दामन का साथ है। हजारों बीमारियां उनके शरीर में घर किए रहती हैं। जब वे पैसा उधार लेकर दवा खरीदते हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, संपूर्ण सभा इस पर एकमत है। माननीय मंत्री को संपूर्ण सभा की इस मांग पर तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए...*(व्यवधान)* महोदय, माननीय मंत्री को सभा को सूचना देनी चाहिए कि यह वापिस क्यों लिया गया था। हम मांग करते हैं कि इसे तुरंत बहाल किया जाए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या यह आवश्यक है कि सभी सदस्य उसी विषय पर बोलें।

श्री सुदी बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस मामले के संबंध में माननीय रेल मंत्री कुमारी ममता बनर्जी ने पहले ही माननीय नागर विमानन मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। श्री सोमनाथ चटर्जी भली-भांति अवगत हैं।

महोदय, एयर इंडिया को विगत तीन वर्षों के दौरान 300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वास्तव में उन्हें यह बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि किन रूटों पर उड़ानें समुचित ढंग से चलाई जानी चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि अनावश्यक रूप से जापान की उड़ान को क्यों रद्द किया है। ब्रिटिश एयरवेज भी इसी तरह का निर्णय लेने जा रही है। महोदय, कोलकाटा एक अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन है ...*(व्यवधान)*

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : केवल एक उड़ान भरी जा रही है।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : हां, केवल एक उड़ान संचालित की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : क्या कुमारी ममता बनर्जी बोल रही हैं या सुदीप बंद्योपाध्याय ?

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, यह तथ्य है कि केवल एक ही उड़ान है।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : अतएव हम सरकार से तहे दिल से आग्रह करते हैं कि इन उड़ानों को चालू किया जाना है तथा इस मार्ग पर अच्छी किस्म वाली उड़ान दी जाए। हम उस माननीय सदस्य से पूरी तरह अपने आपको संबद्ध करते हैं जिन्होंने यह मामला उठाया।

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, माननीय सदस्य...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : अनंत कुमार जी बोलना चाहते थे, आपने मना कर दिया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रमोद महाजन : वास्तव में वे श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा की गई बड़ाई का बदला देना चाहते थे। मैंने सोचा कि यह और समस्याएं पैदा करेगा, इसलिए मैंने उन्हें बोलने से मना कर दिया... *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने बंगलौर हवाई अड्डे का समर्थन किया था।

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में, घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की अतिरिक्त उड़ानों के संबंध में प्रकट की गई चिंता को गंभीरता से लेती है।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र।

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, अगली बार जब मैं उत्तर दूं, मैं श्री बसुदेव आचार्य से आशा करता हूं कि वे अपनी बात लिखित में दें ताकि मैं उसे आसानी से पढ सकूं तथा उन्हें संतुष्ट कर सकूं।

महोदय, माननीय सदस्य श्री सोमनाथ चटर्जी ने पहले ही नागर विमानन मंत्री से बात की है। यह सही है कि यहां तक उत्तर-पूर्व *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : नागर विमानन मंत्री को आज यहां होना था।

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, माननीय सदस्य को सभा में मामले को उठाने से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की समय-सारणी को देखना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उनके आग्रह पर, मैंने इसका उल्लेख कल नहीं किया। वे मेरे पास आए तथा गुरुवार के दिन इसे उठाने के लिए कहा क्योंकि उस दिन तक वे वापस होंगे। लेकिन श्री रामविलास पासवान ने उनके लिए ज्यादा समस्याएं उत्पन्न कीं, मैं क्या कर सकता हूं?

श्री प्रमोद महाजन : अतएव महोदय, पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी मैंने अनुभव किया कि सात राज्यों और सिक्किम को मिलाकर गत आठ से दस वर्षों में उड़ान बढ़ाने की बजाय उन्हें घटा दिया गया है। उस भूभाग में देश के अन्य भागों की तुलना में ज्यादा वायु संपर्क चाहिए। अतएव, मैं नागर विमानन मंत्री का यहां उठाए गए मामलों पर ध्यान आकृष्ट करूंगा। मुझे आशा है कि वे आवश्यक कदम उठाएंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं माननीय मंत्री से उन मुद्दों का उल्लेख करने का आग्रह करूंगा न कि राज्य सभा वाली घटना का।

श्री प्रमोद महाजन : अतएव वह देखेंगे कि कलकत्ता से टोक्यो की उड़ान फिर से चालू की जाय तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में कुछ उड़ानें बढ़ाई जाएं। मैं उसे उनके साथ मिलकर उठाऊंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं इसके लिए माननीय मंत्री को धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री शिवराजसिंह चौहान (विदिशा) : हमारे देश में नकली दवाएं बनाने और बेचने का अवैध धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। कोई गरीब आदमी दवा की दुकान से इस आशा के साथ दवा खरीदकर अपने स्वजन को देता है कि वह ठीक हो जाएगा, लेकिन वह दवा नकली निकलती है और जीवनदायिनी के बजाय जीवन लेने वाली बन जाती है।

इससे आप स्थिति की भयावहता की कल्पना कर सकते हैं। नकली दवाइयो में जीवन रक्षक दवाइयों से लेकर एंटी-बॉयोटिक और मल्टी विटामिंस तक सम्मिलित हैं। नकली दवाइयां बनाने का कारोबार दिल्ली, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक में चल रहा है। उड़ीसा में नकली दवाइयों के बनाने के षड्यंत्र में अस्पताल, प्रशासन, डॉक्टर और दवा विक्रेता सभी सम्मिलित थे। आप स्थिति की भयावहता का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि प्रतिष्ठित दवा कंपनियों की दवाइयों की बिक्री में तीस से चालीस प्रतिशत कमी आई। दवाइयों की बिक्री इसलिए कम नहीं हुई कि बीमार कम हो गए बल्कि इसलिए कि तीस से चालीस प्रतिशत नकली दवाइयां हमारे गरीबों ने खरीदी और खाई। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वैसे तो दवाइयों का उत्पादन, आयात, वितरण और बिक्री, औषधि और प्रसाधन अधिनियम 1940 के तहत होती है और इसके तहत नकली दवाइयां बेचते हुए अगर कोई पाया जाता है तो दोषी को सजा और जुर्माना दोनों होते हैं लेकिन कारगर ढंग से इस कानून का पालन नहीं किया जा रहा है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि दवा की गुणवत्ता की जांच प्रणाली को अधिक कारगर ढंग से लागू करके जिला स्तर पर भी दवा गुणवत्ता, नियंत्रण और जो हमारे संगठन हैं, उनको मजबूत किया जाए। जो वर्तमान कानून हैं, उनका कड़ाई से पालन किया जाए और जरूरत हो तो नये कानून बनाएं। यह मामला अधिक गंभीर है और जनता के जीवन से संबंधित है, इसलिए सरकार इसकी ओर ध्यान दे, मेरा इतना ही निवेदन है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री एम० राजैया।

(व्यवधान)

श्री ए०सी० जोस (त्रिचूर) : महोदय, श्री अब्दुल्ला कुट्टी का नाम नंबर एक पर है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री जोस, मैं उसे जानता हूं। मैं उन्हें भी बुलाऊंगा। अब, श्री एम० राजैया।

श्री राजैया मल्याला (सिद्दीपेट) : अध्यक्ष महोदय, मैं तीन स्तरों वाले पंचायती राज के ढांचे को अपनाने के लिए भारत के संविधान की धारा 243(ग) में संशोधन के संबंध में एक महत्वपूर्ण मामले को उठाना चाहता हूं।

भारत के संविधान की धारा 243(ग)(2) के प्रावधान के कारण तीन स्तरों वाली पंचायती राज प्रणाली में छह निर्वाचित पदाधिकारियों का सृजन हुआ है। मध्यवर्ती और जिला स्तरीय पदाधिकारी अर्थात् सदस्य, मंडल परिषद क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र, तथा सदस्य, जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्रमशः मंडल परिषद तथा जिला परिषद की बैठकों में भाग लेने के सिवा उनके पास दिन-प्रतिदिन के कार्य नहीं होते हैं। वर्तमान ढांचे में पंचायती राज प्रणाली की तीन स्तरों में कोई मौलिक संबंध नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : शून्यकाल के दौरान समाचार-पत्र से पढ़ना कोई अच्छी प्रथा नहीं है।

श्री राजैया मल्याला : संविधान की धारा 243(ग) में संशोधन आवश्यक है। हम अपने राज्य में चुनाव करा रहे हैं। इसीलिए, हम भारत सरकार से त्रिस्तरीय पंचायती राज ढांचे को क्रियान्वित करने के लिए भारतीय संविधान की धारा 243(ग)(2) में संशोधन करने का अनुरोध करते हैं। महोदय, कुछ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र यथा एम पी टी सी तथा जेड पी टी सी अनावश्यक रूप से इसमें जोड़ दिए गए हैं। उनका बैठक में भाग लेने के सिवा और कोई कार्य नहीं है। इसलिए मैं भारत सरकार से संविधान की धारा 243(ग)(2) में संशोधन करने का आग्रह करता हूं। मैं सरकार से इस संबंध में तुरंत कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं।

श्री ए०पी० अब्दुल्लाकुट्टी (कन्नानौर) : महोदय, मैं प्रस्तावित कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के संबंध में एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं।

यह स्मरण कराया जा सकता है कि संयुक्त मोर्चा सरकार के कार्यकाल के दौरान, कन्नूर जिले के मूरकनपरम्ब में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण संबंधी प्रस्ताव को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया गया था तथा यह सभा पटल पर घोषणा भी की गई थी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने परियोजना की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ दल की नियुक्ति की तथा यह समझा जाता है कि सकारात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। केरल सरकार ने उससे आगे बढ़कर इस उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस क्षेत्र के सैंकड़ों परिवारों को हटाया गया। भूमि की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि 12000 फीट के रनवे का निर्माण किया जा सकता है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री अब्दुल्लाकुट्टी, आप भी वही काम, अखबार से पढ़ने का काम कर रहे हैं।

श्री ए०पी० अब्दुल्लाकुट्टी : मैं आपके विनम्र ध्यान में भी यह बात लाना चाहता हूं कि यह परियोजना भारत सरकार पर कोई वित्तीय बोझ नहीं होगा क्योंकि इसका बी०ओ०टी० योजना के अंतर्गत निर्माण किया जाना है।

इस संबंध में, मैं आपका ध्यान इस परियोजना के संबंध में राज्य सभा तथा लोक सभा में उठाए गए प्रश्नों के उत्तर की ओर दिलाना चाहूंगा। तथ्य यह है कि प्रस्तावित स्थल के 300 कि०मी० की दूरी के अंदर कोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। दो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बंगलौर और त्रिवेन्द्रम प्रस्तावित स्थल से 300 कि०मी० से ज्यादा दूर हैं।

इस हवाई अड्डे के निर्माण से केरल राज्य के इस पिछड़े क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। इसके अलावा, पर्यटन विकास को भी काफी ज्यादा रूप से बढ़ावा मिलेगा। इन परिस्थितियों में, मैं सरकार से आपके माध्यम से मामले की पुनः जांच करने का आग्रह करूंगा तथा कल परियोजना को मंजूरी देके रहूंगा।

श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर) : महोदय, गत एक वर्ष से ज्यादा समय से संयुक्त अरब अमीरात ने भारतीय मजदूरों, अधिकांश अकुशल लोगों को वीजा देने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस परिस्थिति में, हजारों भारतीय परिवारों ने, हजारों अकुशल मजदूरों ने अपने रोजगार के अवसर खो दिए हैं तथा इसका प्रभाव हजारों गरीब परिवारों पर पड़ेगा। इनमें से अधिकांश केरल से हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आपको बुलाऊंगा। कृपया बैठ जाएं।

श्री कोडीकुनील सुरेश : संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा वीजा जारी करने पर लगाए गए प्रतिबंध ने केरल के मजदूरों को दयनीय परिस्थिति में ला दिया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय अधिकांशतः अकुशल मजदूर हैं। भारत के अकुशल मजदूर वीसा नहीं प्राप्त कर रहे हैं। गत में संयुक्त अरब अमीरात सदा से भारतीय मजदूरों में उत्सुक रहा तथा तथा संयुक्त अरब अमीरात सरकार भारतीय मजदूरों को विशेष महत्व देती रही थी तथा विभिन्न पदों यथा कुशल तथा अकुशल तथा अन्य उच्च पदों पर उनकी नियुक्ति करती रही थी। हम संयुक्त अरब अमीरात प्रशासन को भारतीयों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए तहेदिल से धन्यवाद करते हैं।

मेरे विचार से वर्तमान स्थिति संयुक्त अरब अमीरात सरकार की गलतफहमी के कारण उत्पन्न हुई। मैं संयुक्त अरब अमीरात प्रशासन को संयुक्त अरब अमीरात में भारतीयों को रोजगार के अवसर तथा सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी तहेदिल से धन्यवाद देता हूं। यदि भारतीय मजदूरों के प्रति संयुक्त अरब अमीरात सरकार के मन में कोई

[श्री कोडीकुनील सुरेश]

गलतफहमी है तो भारत सरकार, विदेश मंत्रालय को मामले में तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए तथा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता शुरू करनी चाहिए। तथा, भारत सरकार को संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मजदूरों को वीसा जारी करने पर लगाए गए प्रतिबंध को समाप्त करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात सरकार पर दबाव डालना चाहिए।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : महोदय, मेरा विषय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से संबंधित है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपका विषय राज्य से संबंधित है। आप राज्य से संबंधित विषय सभा में नहीं उठा सकते हैं। आपका नोटिस राज्य के विषय से संबंधित है। कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उन माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दूंगा जिन्होंने राज्य के विषयों से संबंधित नोटिस दी है।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ : यह स्टेट मैटर नहीं है।

डा० संजय पासवान (नवादा) : महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान एक बहुत ही गंभीर मामले की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। डी जी एफ टी वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत निदेशालय है तथा इसने मामलों को लंबित रहने के दौरान दो औद्योगिक घरानों को आपसी विश्वास पर पैसा दिया। यह काफी गंभीर मामला है। मामले डी जी एफ टी द्वारा जीते गए। जीतने के बावजूद, लंबित रहने के दौरान, दो कंपनियों, यथा आलोक एक्सपोर्ट्स तथा निर्मल एक्सपोर्ट्स को आपसी विश्वास पर 70 लाख रु० दिए गए हैं। मैं नहीं जानता ऐसा क्यों हुआ। जबकि राजसहायता कटौती तथा मितव्ययिता उपाय सरकार द्वारा किए जा रहे हैं तब दो बड़े घरानों को यह पैसा दिया जा रहा है। किसके लिए? यह मैं जानना चाहता हूं। आपके माध्यम से, मैं सरकार का ध्यान नौकरशाही तथा औद्योगिक घरानों के बीच के संबंध का पर्दाफाश करना चाहता हूं तथा यह चाहता हूं कि दोषी अधिकारियों को दंड मिले।

अध्यक्ष महोदय : श्री राशिद अलवी, हमने गृह मंत्रालय की मांग पर पहले ही चर्चा की है।

श्री राशिद अलवी (अमरोहा) : यह काफी महत्वपूर्ण मामला है। यह समूचे देश की सुरक्षा से संबंधित है।

[हिन्दी]

महोदय, मैं इस संबंध में पूरे हाउस की और सरकार की तवज्जोह दिलाना चाहता हूं। खालिस्तान केजैडएफ के सुप्रीमो रंजीत सिंह उर्फ नीटा, पिछले पांच महीने में इंटरनेशनल बार्डर क्रॉस करके चार मर्तबा हिन्दुस्तान में दाखिल हो चुका है। जम्मू काश्मीर में वे जब चाहते हैं तब आते हैं और आने के बाद अपने लोग भर्ती करते हैं। पूरे हिन्दुस्तान में घूमते हैं और उसके बाद जब चाहते हैं, चले जाते हैं। पता नहीं सरकार को यह मालूम है या नहीं। काश्मीर का यह अखबार है, इसमें तीन महीने पहले 18 तारीख को यह लिखा है कि फलां तारीख को वह हिन्दुस्तान आने वाला है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की, कोई तवज्जह नहीं दी।

महोदय, सियालदा एक्सप्रेस के अंदर 10 नवंबर को, और पूजा एक्सप्रेस में 19 मार्च को जो ब्लास्ट हुए थे, उसकी तमामतर जिम्मेदारी इसी आदमी की बताई जाती है। देश की सिक्योरिटी को बड़ा खतरा है। इस देश में कारगिल जैसा वाक्या हो चुका है। होम मिनिस्ट्री सो रही है। होम मिनिस्टर को इस बात का पता नहीं है कि किस तरीके से टेरेरिस्ट आ रहे हैं और जा रहे हैं। महोदय, अखबारों में खबर छप रही है और होम मिनिस्ट्री को कोई इत्तिला नहीं है। उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। मुझे बताया गया कि काश्मीर के चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी में आईएसआई एजेंट पकड़े गए हैं। अगर चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी में आईएसआई का एजेंट हो सकता है तो मुझे अफसोस और तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि देश में कोई भी आदमी महफूज नहीं रह सकता, हिफाजत से नहीं रह सकता। काश्मीर में जो टेरेरिस्ट पकड़े जा रहे हैं, उनके लिए बताया जा रहा है कि उनका ताल्लुक खालिस्तान से और आईएसआई से है।

महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इतने खतरनाक हालात से गुजरने के बावजूद क्या सरकार सो रही है। अखबार में खबरें पहले छप रही हैं और सरकार को इस बात की इत्तिला भी नहीं है कि वहां से लोग आकर नेपाल बार्डर में घूमकर वापस चले जाते हैं। इस बारे में सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। मैंने नोटिस तो यह दिया है कि फिरोजाबाद में जो दलित भाई पकड़े गए, मिनिस्टर ने हाउस में स्टेटमेंट दिया, उसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई। किसी पुलिस वाले को फिरोजाबाद में सस्पेंड नहीं किया गया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : योगी आदित्यनाथ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझिए। मुझे आज 50 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपने ही सदस्यों को मौका नहीं दे रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी : महोदय, वहां किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही

नहीं हुई, मैं इस बारे में भी कहना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* सरकार इस बारे में कार्यवाही करे।

योगी आदित्यनाथ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान मेडीकल काउंसिल ऑफ इंडिया के एक निर्देश की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें उत्तर प्रदेश के लगभग सभी मेडीकल कालेज बंद होने की स्थिति में आ गए हैं। मेडीकल काउंसिल ऑफ इंडिया की मनमानी के कारण गोरखपुर मेडीकल कॉलेज की पोस्ट ग्रेजुएट की सभी सीटें समाप्त कर दी गई हैं। गोरखपुर का बीआरडी मेडीकल कालेज पूर्वी उत्तर प्रदेश का एकमात्र मेटीकल कालेज है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की चार करोड़ जनता के साथ-साथ उत्तरी-बिहार और नेपाल की तराई क्षेत्र की जनता की सेवा करता आ रहा है। मेडीकल काउंसिल ऑफ इंडिया के मनमानेपन से निश्चित ही मेडीकल कालेज आज बंद होने की स्थिति में है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह इस संबंध में मेडीकल काउंसिल ऑफ इंडिया, तथा उत्तर प्रदेश सरकार को आवश्यक निर्देश दे, जिससे उत्तर प्रदेश के, और खासकर गोरखपुर का जो मेडीकल कालेज बंद होने की स्थिति में है, वह बंद न हो और जो पीजी की सीटें समाप्त कर दी गई हैं...*(व्यवधान)* उन्हें वापस लिया जाए। एमबीबीएस की जो सीटें आधी कर दी गई हैं, उन्हें पूर्व की भांति बहाल किया जाए। इस संबंध में एमसीआई और उत्तर प्रदेश शासन को आवश्यक निर्देश दें।

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक) : महोदय, कलकत्ता बंदरगाह तथा हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। लेकिन इस समय कलकत्ता बंदरगाह तथा हल्दिया बंदरगाह भयावह स्थिति का सामना कर रहे हैं क्योंकि वे नौपरिवहन नहर से कीचड़ निकालने के लिए पहले ही 477 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। सरकार ने केवल 233 करोड़ रुपए दिए हैं। आरक्षित निधि की शेष राशि मंत्रालय द्वारा नहीं दी गई है।

अपराह्न 12.36 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

वर्ष 1944 में मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार नौपरिवहन नहरों, जो हमारे देश के जलमार्ग के द्वार हैं, की सफाई की जिम्मेदारी सरकार की है। अगर निधियां नहीं दी जाएंगी तो उनकी सफाई का काम रुक जाएगा। कलकत्ता बंदरगार द्वारा सफाई कार्यों पर आरक्षित निधि से 477 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। भू-तल परिवहन मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय द्वारा शेष राशि अर्थात् 244 करोड़ रुपए नहीं दिए गए हैं। कलकत्ता बंदरगाह के कर्मचारी वेतन नहीं पा सकेंगे तथा विकास कार्य भी रुक जाएगा। उद्योग के विकास के लिए बंदरगाह महत्वपूर्ण ढांचा है।

अनेक बाधाओं के बावजूद तथा नदी वाला बंदरगाह होने के बावजूद परिवहन संचालन के क्षेत्र में हल्दिया सहित कलकत्ता बंदरगाह को ग्यारह प्रमुख बंदरगाहों में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। भारत तथा बंगलादेश के बीच गंगा जल के बंटवारे के समझौते पर हस्ताक्षर करते समय भी सरकार ने नौपरिवहन नहरों की सफाई के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराने का वचन दिया था।

अत: माननीय प्रधान मंत्री, माननीय वित्त मंत्री तथा माननीय भू तल परिवहन मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वे 244 करोड़ रुपए की शेष राशि कलकत्ता बंदरगाह को तत्काल आवंटित करें, जो वर्ष 1999-2000 के दौरान बकाया है। यही मेरा विनम्र निवेदन है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुरलीधरन जी, यह मुद्दा पहले ही उठाया जा चुका है।

(व्यवधान)

श्री के० मुरलीधरन (कालीकट) : महोदय, यह एक नया मुद्दा है। मैं कालीकट से विदेश जाने वाले हवाई जहाज के यात्रियों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठा रहा हूं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें पहले ही अनुमति दे दी है। आप सभी एक साथ कैसे बोल सकते हैं? मैंने उन्हें अनुमति दे रखी है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह (आरा) : उपाध्यक्ष जी, बार-बार कहने के बावजूद भी मुझे चांस नहीं मिलता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप शांत रहिए, आपको भी चांस मिलेगा। आप हल्ला मत कीजिए।

श्री के० मुरलीधरन : महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : उपाध्यक्ष जी, हमको चांस नहीं मिलता है, हम क्या करें?

उपाध्यक्ष महोदय : आप तो सीनियर मैम्बर हैं, आपको तो कायदा मालूम होना चाहिए। सबको चांस मिलेगा, आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री के० मुरलीधरन : महोदय, कालीकट से अन्य देशों को जाने वाले हवाई जहाज के यात्रियों के समक्ष आने वाली कुछ कठिनाइयों के संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दा मैं उठाना चाहता हूं।

भारतीय विमानपत्तन अधिकरण, नागर विमानन मंत्रालय ने दिनांक 22.9.1994 को एक आदेश सं० ए०वी० 20036/8/91 एन०बी० जारी किया था जिसमें उन्होंने यह तय किया था कि कालीकट से विदेशों के जाने वाले यात्रियों से प्रयोक्ता शुल्क लिया जाएगा। पिछले पांच वर्षों के दौरान नागर विमानन मंत्रालय को प्रयोक्ता शुल्क के रूप में 32 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। इस हवाई अड्डे का विस्तार कार्य बहुत धीमा चल रहा है।

महोदय, आपको भी उस क्षेत्र के लोगों तथा यात्रियों की ओर से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए होंगे। हवाई पट्टी के विस्तार का कार्य बहुत धीमा चल रहा है।

[श्री के० मुरलीधरन]

अत: आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि कालीकट से विदेशों को जाने वाले यात्रियों से प्रयोक्त शुल्क वसूल करने का काम तत्काल रोक दिया जाए। हवाई पट्टी के विस्तार का कार्य दो महीने के भीतर पूरा किया जाए तथा यंत्र अवरोहन प्रणाली को यथाशीघ्र शुरू किया जाए।

[हिन्दी]

श्री श्रीचन्द कृपलानी (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में जो अफीम उत्पादन हो रहा है, मैं उस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। पूरे हिन्दुस्तान में जो अफीम का उत्पादन होता है, उसका आधे से अधिक मेरे क्षेत्र में होता है। जब अफीम का तोल होता है तो नारकॉटिक्स डिपार्टमैंट वाले मशीन से परीक्षण करके, उसका ग्रेड तैयार करते हैं। एक तारीख को चित्तौड़गढ़ जिले में जब अफीम का तोल हो रहा था और मशीन द्वारा सैम्पलिंग ली गई तो ग्रेड सही न आने पर कुछ काश्तकारों ने विरोध किया। काश्तकारों के मामूली विरोध के कारण वहां के अधिकारियों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने बिना किसी वजह से उन पर लाठी चार्ज किया। उन्होंने न तो काश्तकारों से बात की और न ही उनकी समस्या सुनी। उन पर जो लाठी चार्ज हुआ, उसकी अखबार में फोटो भी आई है। कुछ का बयान भी आया है। डेढ़ दर्जन लोगों की बुरी तरह मार-पीट की गई लेकिन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद भी किसानों पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप भारत सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं?

श्री श्रीचन्द कृपलानी : मेरा निवेदन है कि अफीम का जो तोल और परीक्षण हुआ, उसे दोबारा किया जाए और उस मशीन को परिवर्तित कर इस काम को नए सिरे से किया जाए। इससे वहां के किसानों को राहत मिलेगी।

श्री रविन्द्र कुमार पांडेय : महोदय, छोटा नागपुर से रेल विभाग को आमदनी होती है। खासतौर पर धनबाद और मुगलसराय स्टेशन के रख-रखाव और वहां से चलने वाली ट्रेनों में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वे उतनी उपलब्ध नहीं हो पाती। आपसे आग्रह है कि धनबाद और मुगलसराय मंडल में खासतौर पर जो छोटा नागपुर का इलाका है, वहां रेलों की बढ़ोत्तरी हो, स्टेशन का सौन्दर्यीकरण हो और अधिक से अधिक ट्रेनों का ठहराव हो। साथ ही साथ रेल मंडलों के आमदनी के अनुपात में विकास कार्य हो और यात्रियों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान हों।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : महोदय, पूरे देश में विशेष रूप से महाराष्ट्र में दूरसंचार विभाग द्वारा अंडरग्राउंड केबल बिछाने का काम चालू है लेकिन उस केबल की क्वालिटी ठीक नहीं है। वह जितनी खुदाई करके बिछाना चाहिए, उतनी खुदाई करके बिछाया नहीं जाता। केबल पर सुरक्षा पट्टी का निर्माण ठीक से नहीं बनाया गया है। अंडरग्राउंड केबल बिछाने का काम ठीक तरह से होना चाहिए। मेरे क्षेत्र में भी ठीक से काम नहीं हो रहा है। इससे वहां टैलीफोन व्यवस्था ठप्प होने की आशंका है। जैसे सुखराम जी के समय टैलीफोन सप्लाई किए गए थे, वे सब खराब हो गए वैसा अब नहीं होना चाहिए। इस पर सरकार का काफी पैसा खर्च हो रहा है। मेरा आग्रह है कि केबल बिछाने का काम ठीक से होना चाहिए। आप इसके लिए केन्द्र सरकार के संबंधित अधिकारी को निर्देश दें।

[हिन्दी]

श्री रमेश चेन्नित्तला (मवेलीकारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो खाड़ी युद्ध के पीड़ितों से संबंधित है।

गत खाड़ी युद्ध के दौरान हजारों लोगों ने अपना सामान तथा सम्पत्ति गंवा दी थी...*(व्यवधान)* इस मुद्दे की जांच-पड़ताल के लिए विदेश मंत्रालय ने मंत्रालय में एक प्रकोष्ठ की स्थापना की थी। विदेश मंत्रालय के तहत गठित 'कुवैत प्रकोष्ठ' को उन पीड़ितों की ओर से सैकड़ों आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जो कुवैत युद्ध के बाद वहां से लौटे हैं। इस समय स्थिति यह है कि यह कुवैत प्रकोष्ठ इस मुद्दे पर सोया हुआ है तथा मैं समझता हूं कि एक साल पूर्व में प्राप्त इन आवेदन पत्रों पर कोई निर्णय नहीं ले रहा है। इस कारण पीड़ितों को परेशानी हो रही है। सरकार से इस बात के लिए अनुरोध करना चाहता हूं कि वह विदेश मंत्रालय में कुवैत प्रकोष्ठ में प्राप्त आवेदन पत्रों पर जरूरी तथा तत्काल कार्यवाही करे। मैं माननीय विदेश मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस विषय को बहुत गंभीरता से लें तथा खाड़ी से लौटे लोगों को न्याय दिलाएं।

धन्यवाद...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम सजीवन (बांदा) : उपाध्यक्ष महोदय, आप सबको बुला रहे हैं, मेरा नाम नहीं बुलाया।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी सीट पर जाइए, मैं आपको बुलाऊंगा। ऐसा नहीं कि आप इधर चले आएं।

श्री राम सजीवन : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा नंबर क्यों नहीं आता?

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कहा कि सबको नंबर से बुलाऊंगा।

श्री राम सजीवन : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जरूरी मामला है, मेरा नंबर लगा हुआ है, इसलिए मुझे पहले सुनना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी जगह पर जाइए, आपको बुलाऊंगा।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, सांसदों को अपने ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण करने के लिए गैस कनेक्शन के 50 कूपन का कोटा हर छमाही में मिलता है। मेरा कहना यह है कि शहरी क्षेत्रों में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में काफी

लोग गैस कूपन के लिए इच्छुक हैं। इस समय जो 50 का कोटा मिलता है, वह बहुत कम है। मेरी इस संबंध में अध्यक्ष महोदय से भी बात हुई थी। उन्होंने इस बात की सहमति दी कि यह कोटा कम मिलता है, इसमें बढ़ोत्तरी होनी चाहिए। मैंने इस संबंध में संबंधित मंत्री जी से बात की थी। उनका कहना था कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय की स्थायी समिति की रिपोर्ट आई हुई है जिसने प्रति तीन माह के लिए 200 कूपन के लिए और मंत्री जी ने 100 कूपन के लिए सहमति दी है। मैं आपके माध्यम से माननीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, जो यहां बैठे हुए हैं कि जब अध्यक्ष महोदय ने सहमति दे दी है, संबंधित मंत्री जी ने कह दिया है और स्थायी समिति ने सिफारिश कर दी है तो यह कोटा बढ़ाया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, श्री प्रमोद महाजन जी बैठे हुए हैं, वे सरकार से कहें कि इसका कोटा बढ़ाया जाए जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को गैस कूपन की सुविधा के मुताबिक गैस कनेक्शन मुहैया हो जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बैठे हुए हैं, आप जरा सरकार को निर्देश करें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आपकी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय में हमारा मंत्रालय बड़ी सक्रियता से विचार कर रहा है और अब तक की जितनी प्रतीक्षा सूची है, उसे समाप्त करने का फैसला लिया है। जहां तक सांसदों के लिए कोटा बढ़ाए जाने का प्रश्न है, उसके हिसाब से विचार करके जितनी गैस की उपलब्धता होगी, इस संदर्भ में जितना अधिकतम हो सकेगा, करेंगे।

[अनुवाद]

श्री पी०सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, सरकार ईसाइयों के विवाह तथा तलाक विषय पर एक विधेयक लाने की योजना बना रही है। महोदय, इस संबंध में काफी चर्चा हुई है...*(व्यवधान)*

श्री मोहन एस० देलकर (दादरा और नगर हवेली) : महोदय, कृपया मुझे अनुमति प्रदान करें।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

श्री मोहन एस० देलकर : मैं तीन दिनों से सूचना दे रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके विषय को अध्यक्ष द्वारा अनुमति नहीं दी गई है। इसलिए मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

श्री पी०सी० थामस : मैं तलाक के मुद्दे पर बोल रहा हूं। कृपया मुझे बोलने की अनुमति दी जाए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री देलकर, कृपया आप अपनी सीट पर बैठिए। आपके प्रश्न को अध्यक्ष द्वारा अनुमति नहीं दी गई है। इसलिए मैं आपको नहीं बुला रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री मोहन एस० देलकर : महोदय, आप मुझे अनुमति दीजिए ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न आपत्तिजनक है अत: इसे अध्यक्ष द्वारा अनुमति नहीं दी गई है। मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

श्री पी०सी० थामस : महोदय, ईसाई विवाह कानून तथा तलाक से संबंधित कानून को संहिताबद्ध किया जा रहा है तथा सरकार इस संबंध में एक विधेयक लाने वाली है। ईसाई विवाहों के संबंध में सरकार द्वारा विधेयक का मसौदा तैयार कर लिया गया है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री थामस आप कृपया संक्षेप में बताएं। मुझे सबको समय देना है।

श्री पी०सी० थामस : महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात पूरी कर लूंगा, लेकिन मुझे अन्य सदस्यों द्वारा बोलने नहीं दिया जा रहा है।

महोदय, परिचालित मसौदे को देखने से पता चलता है कि इसमें कई कमियां हैं जिन पर विभिन्न संप्रदायों एवं विभिन्न ईसाई संप्रदायों के बीच गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। महोदय, विवाह के विभिन्न रस्म-रिवाजों को मनाने तथा इससे जुड़े कई अन्य पहलुओं के लिए कई प्रथाएं प्रचलित हैं। अत: मेरा अनुरोध है कि कानून को संसद के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले इस पर कुछ गंभीर चर्चा होनी चाहिए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। शादी कराने वाले पुरोहित को उसकी छोटी गलती के लिए भी 10 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है। यह प्रारूप विधेयक में दिया गया है। पुन:, वह ईसाई जो चर्च में शादी करना चाहता है, तभी शादी कर सकता है जब दोनों पक्ष ईसाई हों। यह भी एक गंभीर कमी है जिस पर ईसाइयों के बीच अलग-अलग राय है। चूंकि यह वैयक्तिक कानून से संबंधित है, अत: मेरा अनुरोध है कि इसे सभा में लाने से पूर्व विधेयक पर विभिन्न संप्रदायों के बीच आगे चर्चा होनी चाहिए तथा इसमें पारंपरिक रीति-रिवाजों का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। मुझे खुशी है कि इसे संहिताबद्ध करने का कार्य शुरू होने वाला है। मैं इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा ताकि इस समुदाय के दिमाग में बैठी किसी भी प्रकार की आशंका को दूर किया जा सके।

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, माननीय सदस्य ने एक छोटी-सी सूचना को छोड़कर बाकी सारी सूचना सभा को दी है जिसके बारे में सभा के साथ विचार-विमर्श करना चाहता हूं और वह यह है कि

[श्री प्रमोद महाजन]

विधि मंत्री विभिन्न ईसाई संगठनों के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं और इस विचार-विमर्श के पश्चात् ही सरकार इस बारे में कानून लाएगी। सरकार का देश के भिन्न-भिन्न धर्मों और समुदायों के किसी भी अल्पसंख्यक के अधिकारों अथवा उनकी परंपराओं को समाप्त करने का कोई इरादा नहीं है। अत: पूरे विचार-विमर्श के पश्चात् उस पर यहां चर्चा होगी और उसके बाद हम उस पर विचार करेंगे।

श्री के० फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की) : कानून में समुचित परिवर्तन करने के बारे में क्या विचार है?

श्री प्रमोद महाजन : जैसा कि मैंने कहा है कि चर्चा चल रही है और इन चर्चाओं के आधार पर हम उचित परिवर्तन करेंगे। संसद में बहस के दौरान भी सभी को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलेगा। परंतु मैंने बता दिया है कि सरकार का अल्पसंख्यक समुदाय, धार्मिक समुदाय, भाषा समुदाय अथवा अन्यथा दलों के अधिकारों को छीनने का कोई इरादा नहीं है। अत: पूरी चर्चा होगी...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप सभापति पर आदेश नहीं चला सकते।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, पुणे नासिक एक महत्वपूर्ण रेल लाइन है। यह लाइन पुणे, चिंचवाड़, पिम्परी और नासिक जैसे औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ती है और यह क्षेत्र महानगर पालिका भी है। इस रेल लाइन का सर्वे हो चुका है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक नई रेल लाइन मंजूर करने के लिए प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद!...*(व्यवधान)*

श्री मोहन एस० देलकर : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि मुझे अनुमति क्यों नहीं दी गई...*(व्यवधान)* महोदय, दादरा और नगर हवेली आदिवासी क्षेत्र हैं और वहां से मैं एकमात्र सदस्य हूं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि यह आदिवासी क्षेत्र है। चूंकि जो मुद्दा उठाया जाना है वह प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध है इसलिए माननीय अध्यक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यहां स्पष्टीकरण देने के लिए नहीं हूं।

(व्यवधान)

श्री मोहन एस० देलकर : महोदय, कृपया मुझे अनुमति दें। यह बहुत गंभीर मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं, मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। मैं श्री वी०एस० शिवकुमार को बुला रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन एस० देलकर : क्या डेमोक्रेसी नहीं है, क्या हम यहां बोल नहीं सकते? क्यों हमें यहां चुनकर भेजा गया है... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शिवकुमार के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री वी०एस० शिवकुमार (तिरुअनन्तपुरम्) : महोदय, मैं कोलम और त्रिवेन्द्रम मध्य रेलवे स्टेशनों के बीच 65 किलोमीटर लंबी दोहरी लाइन शुरू करने में हो रहे अत्यधिक विलंब की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय अध्यक्ष महोदय ने इसकी अनुमति नहीं दी है क्योंकि यह नियमों के विरुद्ध है और मैं इसकी पुनरीक्षा नहीं कर सकता। कृपया सभापति के साथ सहयोग करें। आप माननीय अध्यक्ष महोदय से मिल सकते हैं। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। श्री मोहन, इस तरह से व्यवधान मत पैदा कीजिए।

*(व्यवधान)**

श्री वी०एस० शिवकुमार : श्रम संबंधी समस्याओं और रेलवे सुरक्षा आयुक्त द्वारा कप्तकावूर और मुरुक्कमपुज्झा के बीच 15 किलोमीटर लंबे रेलमार्ग को प्रमाणित करने की अनिच्छा सहित अनेक रुकावटें इसके कारण हैं। जैसा कि पहले घोषित किया जा चुका है कि दोहरीकरण का काम 31 मार्च को पूरा हो जाना था और नई लाइन 14 अप्रैल तक शुरू हो जानी थी। परंतु रेलवे अधिकारियों ने 65 किलोमीटर बिछाई गई नई रेल लाइन को शुरू करने का काम दो बार स्थगित किया है। इस रेलवे लाइन को शुरू न किए जाने से केरल के रेलवे नेटवर्क में मुख्य रुकावट आई है। अत: अधिकारियों को यह निदेश जारी किए जाने चाहिए कि रेलवे लाइन को पूरा करने का काम युद्ध-स्तर पर होना चाहिए और 30 मई, 2000 तक दूसरी लाइन राष्ट्र को समर्पित कर दी जानी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मोहन, मैं बोल रहा हूं। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। मैं बोल रहा हूं।

श्री मोहन एस० देलकर : महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप ठीक व्यवहार नहीं करेंगे तो मुझे आपके विरुद्ध कार्यवाही करनी होगी।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे इसे बहुत गंभीरता से पड़ेगा।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री मोहन एस० देलकर : हम क्या करें?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : नियमों के अनुसार इसकी अनुमति नहीं दी गई है। अत: आप इस मामले को यहां नहीं उठाएंगे। मैं आपको यह मामला उठाने की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री मोहन एस० देलकर : मैं इसका कारण जानना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह नहीं बता सकता कि इसकी अनुमति क्यों नहीं दी गई है। मैंने आपको बताया है कि आपको जाकर अध्यक्ष महोदय से मिलना चाहिए और उनको सारी स्थिति बतानी चाहिए। यह नियमों के विरुद्ध है अत: यह मामला उठाने की अनुमति नहीं दे सकते।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कुलस्ते, आप जो मामला उठाना चाहते हैं वह राज्य का विषय है। अत: आपको इस मामले को उठाने की अनुमति नहीं दी जा रही।

श्री बसुदेव आचार्य, आपके मामले का संबंध उच्चतम न्यायालय से है। यह पहले ही उठाया जा चुका है। आपको इस मामले को उठाने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा क्योंकि मैंने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी है।

*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी गई है। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस मामले का संबंध उच्चतम न्यायालय से है। अब मैं श्री गिरधारी लाल भार्गव को बुलाता हूं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में यातायात व्यवस्था ठीक करने के लिए रेलवे विभाग ने चार पुल बनाने की घोषणा की थी। एक मालवीय नगर में, दूसरा गोपालपुरा में, तीसरा बायपास और चौथा झोटवाड़ा में। इसमें से दो पुल तो बनकर पूरे हो गए लेकिन गोपालपुरा और झोटवाड़ा का पुल नहीं बना है जिसके कारण जयपुर नगर की यातायात व्यवस्था बिगड़ रही है। लोगों को आने-जाने में बहुत कठिनाई हो रही है। इसलिए रेल मंत्री जी से मांग है कि गोपालपुरा और झोटवाड़ा वाला पुल शीघ्र बनना चाहिए यह मेरा निवेदन है।

दूसरी मांग है कि जयपुर के सवाई माधोपुर लाइन पर स्थित फाटक संख्या 81 पर भी पुल बनना चाहिए।

अपराह्न 1.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय, फाटक सं० 79 पर भी पुल बनना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार जयपुर-बांदीकुई रेलवे लाइन पर फाटक संख्या 224 पर जो जयपुर रेलवे स्टेशन यार्ड के पास जाता है वहां एक पुल बनना जरूरी है। फाटक सं० 219, जो जयपुर फुलेरा रेलवे लाइन पर जाता है, वहां पुल बनना नितांत आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर रेलवे लाइन पर भी पुल बनना आवश्यक है। जयपुर शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए माननीय रेल मंत्री की कृपा से और भारत सरकार की कृपा से जयपुर शहर में चार पुल बनाने का निर्णय लिया गया था जिनमें दो, गोपालपुरा और झोटवाड़ा के पुलों का काम नहीं हुआ है। मालवीय नगर व बाईन गोदाम के पुल बन गए हैं। इन दो पुलों के बनने के लिए तो मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं और इसके साथ-साथ मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि जो दो पुल बाकी रह गए हैं उन्हें भी शीघ्र बनाया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : फूलन देवी जी, आपकी जो कंपलेंट है, उसको स्टेट गवर्नमेंट को भेजा है। उस पर अभी कोई जवाब नहीं आया है। जब वहां से जवाब आ जाएगा तब आप पूछें, अभी नहीं।

श्रीमती फूलन देवी (मिर्जापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पूरा विवरण लिखकर दिया और मैं यहां भी लिखकर लाई हूं। आप मुझे अपनी बात कहने की अनुमति प्रदान करें।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जब तक सरकार की ओर से आपकी कंपलेंट के संबंध में रिपोर्ट नहीं आती है, तब तक आप इस मामले को यहां नहीं उठा सकती हैं। स्टेट गवर्नमेंट के कमेंट आने के बाद आपको मौका मिलेगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : डा० रघुवंश प्रसाद जी, आपके लैटर के बारे में सूचना आई है कि वह लैटर बिहार एसेंबली के स्पीकर साहब की तरफ से आया है, उसे होम मिनिस्टर, गवर्नमेंट आफ इंडिया को कमेंट के लिए भेजा गया है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : उपाध्यक्ष महोदय, वह पत्र तो भारत सरकार के इंडस्ट्रीज पालिसी एंड प्रमोशन डिपार्टमेंट से संबंधित है। उसका होम मिनिस्ट्री से कोई लेना-देना नहीं है। मैंने अपने पत्र में स्पष्ट लिखा है कि श्री उमा धर सिंह पिछले 17 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं। उनकी हालत बहुत खराब है। उद्योग विभाग के संयुक्त सचिव ने सुप्रीमकोर्ट में गलत एफीडेविट दाखिल किया है। इसकी जांच होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : डा० रघुवंश प्रसाद सिंह इस संबंध में बिहार विधान सभा के अध्यक्ष से प्राप्त पत्र गृह मंत्रालय को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने गलत ऐफिडेविट दिया है।...*(व्यवधान)*

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद दूंगा।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने मिश्रा जी को बोला है। रावत जी, आप जरा देखिए, वे आपके सामने खड़े हैं।

(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : इस मामले की सरकार को सूचना देनी चाहिए।...*(व्यवधान)* 17 दिन से वे धरने पर बैठे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री राम नगीना मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं कि गन्ना किसानों की विपत्ति को सुधारने के लिए आपने सदन में मुझे बोलने का मौका दिया।...*(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश का गन्ना किसान बेहद परेशानी में है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : वहां के स्पीकर से जो लैटर आया है, वह होम मिनिस्ट्री को एक्शन के लिए भेजा है।

(व्यवधान)

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : वह मामला तो इंडस्ट्री मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है।...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला उद्योग विभाग से जुड़ा हुआ है।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने गलत ऐफिडेविट फाइल किया है।...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, यह इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ मामला है।...*(व्यवधान)* तत्कालीन सैक्रेट्री द्वारा गलत एफिडेविट दर्ज किया गया है।...*(व्यवधान)* अशोक पेपर मिल दरभंगा में है।. ..*(व्यवधान)* यह मेरे क्षेत्र से सटा हुआ है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए एक एम०एल०ए०, श्री उमा धर सिंह 17 दिन से जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं।...*(व्यवधान)* उनकी हालत चिंताजनक है।...*(व्यवधान)* तत्कालीन सैक्रेट्री द्वारा फर्जी ऐफिडेविट दिया गया है। वे उसकी जांच की मांग कर रहे हैं।... *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : सरकार इस संबंध में कुछ कार्रवाई करे। ...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इसकी सूचना ग्रहण करे।...*(व्यवधान)* यह होम मिनिस्ट्री का मामला नहीं है बल्कि उद्योग विभाग से जुड़ा हुआ मामला है।...*(व्यवधान)* सरकार इस बारे में सूचना ग्रहण करे।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : सरकार इस संबंध में कुछ कार्रवाई करे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, मैं उन्हें कैसे मजबूर कर सकता हूं? इस मामले का संबंध बिहार के एक विधायक की भूख-हड़ताल में है और बिहार विधान सभा के अध्यक्ष ने हमें लिखा है। अब इसे गृह-मंत्रालय को भेज दिया गया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप मुझे अपनी बात पूरी नहीं करने देंगे?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : यह होम मिनिस्ट्री में कैसे जाएगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

यह शपथ-पत्र औद्योगिक नीति संवर्धन विभाग के पूर्व सचिव द्वारा दायर किया गया था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, क्या आप मेरी बात सुनेंगे? माननीय अध्यक्ष ने गृह मंत्रालय को लिखा है और गृह मंत्रालय इस पर समुचित कार्यवाही करेगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : उन्होंने गतल ऐफिडेविट दिया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : जी नहीं महोदय, इसका संबंध उद्योग मंत्रालय से है...*(व्यवधान)* उद्योग मंत्रालय को इसे सुलझाना होगा, गृह मंत्रालय को नहीं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, उसे ठीक रास्ते में जाना चाहिए।...*(व्यवधान)* इंडस्ट्री में जाना चाहिए लेकिन वह होम मिनिस्ट्री में चला गया।...*(व्यवधान)*

श्री साहिब सिंह (बाहरी दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, इन्हें जब कुर्सी में बैठने का सौभाग्य मिलता है फिर भी यह अव्यवस्था फैलाते हैं।...*(व्यवधान)* इन्हें कम से कम सदन की इज्जत तो रखनी चाहिए। ...*(व्यवधान)* बड़े पुराने मैम्बर हैं।...*(व्यवधान)* ये हमेशा खड़े रहेंगे। ...*(व्यवधान)* वे भी हमेशा खड़े रहेंगे।...*(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : यह मैटर इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया पीठासीन अधिकारी के साथ सहयोग कीजिए। अभी बहुत से सदस्यों को बोलना है। कल भी शून्यकाल के दौरान बहुत से सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं मिला। जिस-जिस ने नोटिस दिया है उन सभी सदस्यों को बोलने का अवसर मिलना चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री साहिब सिंह : जो सांसद इस तरह से अव्यवस्था फैलाते हैं उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलना चाहिए...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य और डा० रघुवंश प्रसाद सिंह, कृपया मेरी बात सुनिए। इस मामले का संबंध झूठे शपथ-पत्र से है। यदि यह झूठा है तो अदालत में इसे 'अदालत की अवमानना' के रूप में चुनौती दी जा सकती है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : यह मैटर फॉल्स ऐफिडेविट के बारे में था। इसका प्रोसीजर यह है कि अगर किसी ने फॉल्स ऐफिडेविट दिया है तो वह मैटर कंटेम्पट ऑफ कोर्ट में आ जाता है।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : यह कैसे आ जाएगा?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

यह अदालत की अवमानन नहीं है। भूतपूर्व सचिव ने झूठा शपथ-पत्र दायर किया था...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप मेरी बात सुनेंगे? मैं बोल रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : सरकार को नोटिस लेना चाहिए। ...*(व्यवधान)* जब कोई उधर से बोलता है तो आप खड़े हो जाते हैं। लेकिन हम रगड़ते रहते हैं।...*(व्यवधान)* आप पर सरासर आरोप है कि जब हम बोलते हैं तो आप बैठे रहते हैं और कुछ नोटिस नहीं लेते।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, जो भी मामला यहां उठाया जाता है, सरकार उस पर ध्यान देती है। जहां कहीं आवश्यक होता है, वहां समुचित कार्यवाही की जाती है। परंतु मैं वरिष्ठ सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि लोक सभा में शून्यकाल के दौरान उनके विषय में तुरंत निर्णय नहीं लिए जाते हैं जिनके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। कोई भी सदस्य शून्यकाल के दौरान अपना मामला उठा सकता है और आप तुरंत उसी समय उस पर निर्णय नहीं ले सकते।

यदि वरिष्ठ सदस्य एक मामले पर बोलने हेतु 15 या 20 या 30 मिनट का समय लेंगे तो अन्य सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। हमें सभी को मौका देना चाहिए...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

रघुवंश प्रसाद जी, मेरे खड़े हुए बिना तो आप कभी बैठते ही नहीं हो, इसलिए मुझे खड़ा होना ही पड़ता है। आप दोनों कभी बैठते थोड़े ही हो, जब तक मैं खड़ा नहीं होता। अब मैं खड़ा हो गया हूं, अब आप बैठिए और दूसरे लोगों को बोलने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : दो-तीन दिन से कई मैम्बर्स को चांस नहीं मिला, क्योंकि हाउस को एडजर्न करना पड़ा। कम से कम आज लिस्ट कम्पलीट करने दें। मैंने कहा, देखिए, रघुवंश जी,

[अनुवाद]

यदि कोई झूठा शपथ-पत्र दाखिल किया जाता है, तो उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। जो भी पत्र हमने माननीय अध्यक्ष से प्राप्त किया उसे हमने मंत्री के पास उचित कार्यवाही के लिए भेज दिया है। उससे ज्यादा आप क्या अपेक्षा रखते हैं?

श्री एस० बंगारप्पा (शिमोगा) : यह एक ऐसा मामला है जिसका एक हिस्सा न्यायालय में है। आपकी जानकारी में एक बात लाना चाहता हूं। दो प्रश्न हैं। एक यह है कि यह मामला न्यायालय की अवमानना के रूप में लिया जाएगा। दूसरा, जैसा कि आपने ठीक ही

[श्री एस० बंगारप्पा]

कहा है कि सरकार उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करेगी जिसने कथित रूप से झूठा शपथ-पत्र दाखिल किया है यदि झूठे आरोप लगाए गए हैं तो सरकार को इसके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : तथ्यों की जांच के लिए, हमने माननीय अध्यक्ष को लिखा है। माननीय अध्यक्ष ने हमें लिखा है और उसके आधार पर जो भी कार्यवाही की जानी है, उसके लिए यह गृह मंत्रालय के पास भेज दिया जाएगा।

श्री प्रमोद महाजन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपसे बार-बार यह कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय इसकी जांच कर रहा है। ऐसा उन्होंने दस बार कहा है। इसके अलावा आप और क्या चाहते हैं?

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : उनका अनशन तुड़वा दिया जाए। माननीय सदस्य को यह सूचना दे दी जाए। उन्हें सूचना देकर उनका अनशन तुड़वा दिया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : डा० रघुवंश प्रसाद सिंह, आप सभा का समय अनावश्यक रूप से बर्बाद कर रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : समय तो पहले ही बर्बाद हो रहा है। मैंने श्री राम नगीना मिश्र को बुलाया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की दयनीय स्थिति पर आकर्षित कर रहा हूं। पूरे देश में क्या हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश का गन्ना किसान आज रो रहा है, बिलख रहा है, उसकी स्थिति बड़ी दयनीय है। हालत यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट को जो जवाब भेजा है, वह बहुत ही निराशाजनक है। अरबों रुपया गन्ने का दाम बाकी है। खुद मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 75 करोड़ रुपया बाकी है। 18 करोड़ कानुपर शुगर फैक्टरी कठकुइयां, पडरौना, गौरीगंज में बाकी है, 14 करोड़ रुपया कप्तानगंज में बाकी है, 22 करोड़ रुपया सरदार नगर में बाकी है, पांच करोड़ रुपया सरकारी फैक्टरियों में बाकी है, कुल 75 करोड़ रुपया बाकी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को जो जवाब भेजा है, उससे गन्ना किसानों का भविष्य भी अंधकारमय दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रिपोर्ट भेजी है कि उत्तर प्रदेश चीनी निगम के जिम्मे 35 शुगर फैक्टरियां हैं, उनमें से 29 रुग्ण घोषित कर दी गई हैं, बी०आई०एफ०आर० ने कहा है कि ये नहीं चल सकती हैं। इनमें से छः फैक्टरियां बंद कर दी गईं, शेष फैक्टरियां बंद होने वाली हैं। इसके अलावा जो कानपुर शुगर वर्क्स थी, जो फैक्टरी भारत सरकार के जिम्मे थी, उसके जिम्मे 18 करोड़ रुपया बाकी था...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : संक्षेप में बोलिए।

श्री राम नगीना मिश्र : संक्षेप में ही बोल रहा हूं। इतने दिन बाद में आपने मौका दिया है, कम से कम गन्ना किसानों को रोने तो दीजिए। थोड़ा-सा सुन तो लीजिए। आज हालत यह है कि जो चार साल से भारत सरकार की मिल कानपुर शुगर वर्क्स थी, उसका केस बी०आई०एफ०आर० में भेजा गया, लेकिन धन्य हैं, बी०आई० एफ०आर० के जज साहेबान, जिन्होंने इसे गंगोत्री एंटरप्राइज को दे दिया। चार साल में 18 करोड़ रुपया बाकी है और दो साल से मिल भी नहीं चल रही है। कप्तानगंज पर स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ कहा ही नहीं है, सरदार नगर पर कुछ कहा ही नहीं है और कई फैक्टरियां भी बंद होने वाली हैं तो उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का क्या होगा?

मैं आपसे जानना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे से नहीं, सरकार से कहें।

श्री राम नगीना मिश्र : आप हमारे संरक्षक हैं, आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहते हैं। मैं सभी सदस्यों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के किसानों ने क्या अपराध किया है, जो उनका अरबों रुपया बकाया है, चार मिलें बंद हैं। मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे। मंत्री जी मौजूद हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि गन्ना किसानों के बारे में कुछ कहें।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने जो कहना है, वह कहेंगे। अब आप बैठ जाएं, मैं राम सजीवन जी को बुला रहा हूं।

श्री राम नगीना मिश्र : वहां के गन्ना किसान मर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : शून्यकाल में आप मैटर सरकार के सामने रख सकते हैं, लेकिन फौरन उसका जवाब देने के लिए कम्पेल नहीं कर सकते।

श्री राम नगीना मिश्र : सरकार और चीजों पर ध्यान दे रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान मर रहे हैं, उनका अरबों रुपया बकाया है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

डा० रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह) : यह बहुत गंभीर मामला है। किसानों का अरबों रुपया बकाया पड़ा हुआ है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं, वह सुनिए।

श्री प्रमोद महाजन : उपाध्यक्ष जी, यह सत्य है कि गन्ना किसानों की समस्या बड़ी है, खासकर जिस क्षेत्र से राम नगीना जी आते हैं। मैं खुद उनके साथ वहां गया हूं। गन्ना मिलें ढंग से नहीं चलाना, यह राज्य सरकार की भी समस्या है। किसानों को पैसा नहीं मिल रहा है, मैं उनकी यह बात कृषि मंत्री जी से कहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : 75 करोड़ रुपए के बारे में कहा है।

प्रमोद महाजन : किसका बकाया है। हमें यह खोजना पड़ेगा कि किसने यह अदा करनी है तथा यह देखना पड़ेगा कि इसका भुगतान किया जाता है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी को भी नहीं सुनना चाहते। इस सभा को चलाना असंभव है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, बिना किसी भी सूचना के संसदीय कार्य मंत्री के लिए 'शून्यकाल' प्रश्नकाल बनता जा रहा है। सभी प्रश्नों का तत्स्थानिक उत्तर देना मेरे लिए काफी कठिन है।

[हिन्दी]

श्री राम सजीवन : उपाध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में टूंडला थाना क्षेत्र के अंतर्गत बसई गांव में विगत दो मई को सात लोगों की हत्या कर दी गई। इनमें चार दलित भी थे, जिनकी हत्या उत्तर प्रदेश की पुलिस ने की। पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ का मामला बना दिया। इस सवाल को लेकर वहां की विधान सभा भी बंद रही। लोक सभा में मुझे इस सवाल को उठाने का मौका नहीं मिला, इसका मुझे खेद है। मेरी मांग है कि जो दलितों की हत्या हुई है, उनके निकट संबंधियों को दस-दस लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही जो पुलिस वाले दोषी हैं, उनको दंडित किया जाए और मुकदमा चलाया जाए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपने जो कुछ कहना था, कह दिया, अब बैठ जाएं।

श्री राम सजीवन : 1990-91 में इसी लोक सभा में जब दलितों की हत्या के ऊपर चर्चा हुई थी तो भारत सरकार के प्रधान मंत्री ने उनके संबंधियों को तीन-तीन लाख रुपए की सहायता दी थी... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : राम सजीवन जी, यह क्या हो रहा है। आपको जो सवाल उठाना था, वह आपने उठा दिया। मैंने अनादि साहू जी को बुलाया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : दूसरों का भी ध्यान रखें। आपने जो कुछ सरकार का ध्यान आकर्षित करना था, वह कर लिया है। मैंने श्री अनादि साहू को फ्लोर दिया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपके ऊपर कार्यवाही करूंगा। आपने अपनी बात कह दी, दूसरों को भी सुनना पड़ेगा।

[अनुवाद]

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 'शून्यकाल' में केवल उन्हीं लोगों को बोलने का अवसर मिलता है जो खूब चिल्ला लेते हैं तथा जो इंतजार करते हैं उन्हें कोई मौका नहीं मिलता है।

मैं जो मुद्दा उठाना चाहता हूं वह दूरदर्शन केन्द्र, भुवनेश्वर से संबंधित है। वहां छत्तीस दिहाड़ी मजदूर 9-15 वर्षों से काम कर रहे हैं। तेरह लाइटिंग सहायक छह वर्षों से काम कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, क्या आप कृपया बैठेंगे?

(व्यवधान)

श्री अनादि साहू : महोदय, मैं इसे फिर दोहराता हूं। गत 9-15 वर्षों से दूरदर्शन केन्द्र, भुवनेश्वर में छत्तीस दिहाड़ी मजदूर कार्य कर रहे हैं। तेरह लाइटिंग सहायक गत छह-सात वर्षों से वहां कार्य कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा। आपको मौका नहीं मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री अनादि साहू : महोदय, गत वर्ष दूरदर्शन केन्द्र निदेशालय ने उनसे भारत के विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों में नियमित सेवा के लिए अपना विकल्प देने के लिए कहा था। उन्होंने अपना विकल्प दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश गत छह माह से भारत के अन्य दूरदर्शन केन्द्रों से जिन्होंने अपना विकल्प दिया था उन्हें यहां काम कर रहे दिहाड़ी मजदूरों के नुकसान के लिए दूरदर्शन केन्द्र, भुवनेश्वर लाया जा रहा है और उन्हें नियमित सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। बहुत से मजदूरों के पास कोई काम नहीं है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि भुवनेश्वर दूरदर्शन केन्द्र के 36 दिहाड़ी मजदूर तथा 13 लाइटिंग सहायकों के मामले पर विचार किया जाए तथा उन्हें नियमित रोजगार प्रदान किया जाए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामसागर रावत (बाराबंकी) : सात दलितों की हत्याएं हुई हैं। यह सरकार चुप बैठी है।...*(व्यवधान)* बी०जे०पी० सरकार के कारनामों को छिपाना चाहती है, इसलिए नहीं बोल रही है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री मोहन देलकर को बुलाया है। वे दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन एस० देलकर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज सदन में बहुत ही गंभीर बात रखना चाहता हूं। दादरा और नगर हवेली जहां

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री मोहन एस० देलकर]

पर बिल्कुल लोकशाही नहीं है, सारी एग्जीक्यूटिव पॉवर्स ब्यूरोक्रेसी के पास हैं। वहां बदले की भावना को लेकर कुछ सीनियर अधिकारी चुने हुए लोगों के खिलाफ गलत चार्ज लगाकर उन्हें परेशान करने का काम कर रहे हैं। मैंने पिछले सैशन में भी यह मुद्दा उठाया था। कुछ ऑफिसर्स ने हमारे खिलाफ चार्ज लगाकर हमें परेशान करने की कोशिश की। हमारी लाइफ खतरे में डालने की कोशिश की। हमने इंक्वायरी करवाई और इंक्वायरी में यह प्रूव कर दिया कि हमारे खिलाफ जो चार्जेज लगे थे, वे सब गलत चार्जेज लगे थे लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो लोग यह गलत काम कर रहे थे, गलत चार्ज हमारे खिलाफ लगा रहे थे, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। वहां आज हालत ऐसी है कि वहां जितने भी चुने हुए लोग हैं, सरपंच हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत के लोग हैं, उनके खिलाफ गलत चार्ज लगाकर उनको परेशान करने का काम हो रहा है, उनको डीमोरेलाइज करने का काम किया जा रहा है। अभी दस दिन पहले एक सरपंच और डिस्ट्रिक्ट पंचायत के एक मेम्बर के खिलाफ एफ०आई०आर० दर्ज करने का काम किया गया। हमने होम मिनिस्ट्री के अंदर साबित कर दिया कि यह गलत एफ०आई०आर० दर्ज की गई है। हमने मांग की कि उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए लेकिन उनके खिलाफ आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ, उन लोगों के खिलाफ आज तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई। आज भी वे ही अफसर वहां बैठे हैं और काम कर रहे हैं। हमारे सारे चुने हुए लोगों ने नोटिस दिया है कि यदि भारत सरकार जो अधिकारी उसमें इंवाल्व्ड हैं, यदि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती तो हम एजीटेशन पर आ जाएंगे, हम रोड पर आ जाएंगे और हम भूख हड़ताल करेंगे। मैं यह बात कहना चाहता हूं कि यदि कल को दादरा और नगर हवेली में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होती है तो इसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार रहेगी। दादरा और नगर हवेली पिछड़ा हुआ इलाका है, आज मैं पार्लियामेंट के अंदर इस बात को रिकार्ड कराना चाहता हूं कि कल को दादरा और नगर हवेली यदि दूसरा नागालैंड बनता है, दूसरा मणिपुर बनता है, दूसरा त्रिपुरा बनता है तो इसके लिए केन्द्र सरकार जिम्मेदार होगी। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी भारत सरकार इसमें इंटरवेन करे। वहां आज लोग रोड पर जाने की सोच रहे हैं, लोग एजीटेशन करने पर आ गए हैं। मैं चाहता हूं कि इसमें भारत सरकार इंटरवेन करे और जो वहां हालत है, उसको सुधारे। मैं चाहता हूं कि सरकार होम मिनिस्टर एडवाइजरी कमेटी जो हाइयेस्ट फोरम है, उसकी मीटिंग बुलाने का काम करे, यह हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसकी मीटिंग तुरंत बुलाई जाए। प्रमोद महाजन जी, हम तो आपके सपोर्टर हैं, हम आपको सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं और आज दादरा और नगर हवेली के लोगों की हालत ऐसी है कि वहां सरकार को इंटरवेन करना चाहिए, आपको स्टेटमेंट देनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी रिपीट करने की जरूरत नहीं है।

श्री मोहन एस० देलकर : सरकार को इसमें इंटरवेन करना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री साहिब सिंह की बात के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : मैं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आपकी समस्या की ओर आकर्षित करूंगा।...*(व्यवधान)*

श्री साहिब सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, समाचार छपा है कि दिल्ली के अंदर पानी न मिलने से हाहाकार मचा हुआ है। पानी की कमी होने वाली है। दिल्ली के अंदर 40 एमजीडी का ट्रीटमेंट प्लांट बनकर तैयार है, 20 एमजीडी का बवाना में बनकर तैयार है, लेकिन वहां एक बूंद पानी नहीं मिल रहा है। कुएं के अंदर भी पानी समाप्त हो गया है। हैंडपम्प का पानी 4 से 10 मीटर तक नीचे चला गया है। दिल्ली में दो महीने के बाद बारिश होगी और और दिल्ली के लोगों को इतनी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।

इसी प्रकार दिल्ली में 2500 मेगावाट बिजली की खपत है और हमारे पास 2000 मेगावाट से ज्यादा बिजली नहीं है। दिल्ली के अंदर हमने 1600 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट के काम प्रारंभ किए थे। केन्द्रीय सरकार की अनुमति मिल गई थी। लेकिन अब यह जानकारी मिली है कि बवाना में 600 मेगावाट और 450 मेगावाट, यानि 1050 मेगावाट के बिजली प्रोजैक्ट्स के जो टेंडर हो चुके थे, उन प्रोजेक्ट्स को क्लोज कर दिया गया है। इसी प्रकार नरेला में 300 मेगावाट का पावर प्रोजैक्ट लगना था, लेकिन यह भी बन्द कर दिया गया है, क्योंकि हमने उसका शिलान्यास किया था। दिल्ली में पानी और बिजली की वजह से हाहाकार होने वाला है। अनअथोराइज कालोनीज में पानी नहीं है, जेजे कलस्टर में पानी नहीं है। पानी खत्म हो गया है और सभी लोग परेशान हैं। मैं चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार दिल्ली की सरकार को बुलाकर इंटरवीन करे और उनको सख्त निर्देश दे, जिससे यह समस्या खत्म हो और दिल्ली के लोगों को राहत मिले।

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने को इसी मामले में एसोशिएट करते हुए एक बात कहना चाहता हूं। महोदय, जब मैं मुख्य मंत्री था, उस समय 12 जून, 1994 को पांच राज्यों के बीच यमुना नदी के पानी से संबंधित एक समझौता हुआ था। उसमें यह तय हुआ था कि दिल्ली को एक निश्चित क्वांटिटी पानी की मिलेगी, लेकिन यह क्वांटिटी पानी की नहीं मिल रही है। उस क्वांटिटी को रोका जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप आज दिल्ली के अन्दर पानी की कमी की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, दिल्ली का मतलब केवल नई दिल्ली नहीं है। दिल्ली में एक करोड़ की आबादी है, जिसमें से 60 लाख लोग झुग्गी-झोपड़ी, अनअथोराइज्ड कालोनीज, सलम्स एरियाज और शहरों में कटरों के अंदर रहते हैं, जिनको पानी मुहैया नहीं हो रहा है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है और मैं मांग करता हूं कि 12

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

जून, 1994 को जो समझौता हुआ था, जिस पर पांच मुख्य मंत्रियों ने हस्ताक्षर किए थे, उसके अनुसार दिल्ली को निश्चित मात्रा में पानी मिलना चाहिए।

दूसरी बात, जैसा अभी बिजली के बारे में कहा गया। दिल्ली के अंदर 45 से 50 प्रतिशत बिजली की चोरी होती है। दिल्ली में डेढ़ लाख फैक्ट्रियां हैं, जिनमें 15 लाख मजदूर काम करते हैं। बिजली के अभाव के कारण ये फैक्ट्रियां बंद होने के कगार पर खड़ी हैं। 15 लाख लोगों के रोजगार का मामला है। इसलिए मैं ऊर्जा मंत्री और जल संसाधन मंत्री, दोनों से, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली को बिजली मुहैया करवाएं और 12 जून, 1994 को जो फैसला हुआ था, उसके अनुसार दिल्ली को पानी दिलवाएं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले, आपने अपना मौका पहले ही खो दिया है। हर बार आप खड़े होते हैं और एक वाक्य बोलते हैं। एक-एक सन्टैंस करके कितना हो गया।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जयसवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय अखबार में छपे एक समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राज्य सभा में लिखित प्रश्न के उत्तर में गृह मंत्रालय में बताया है कि भारत में मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं में वृद्धि हो रही है और उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। मानवाधिकार उल्लंघन के 40,724 मामले दर्ज किए गए, इनमें से आधे 22043 मामले केवल उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार चाहे कितनो ही दावा करती रहे कि वहां कानून-व्यवस्था की स्थिति सुधर रही है, लेकिन वास्तविकता यह है कि पिछले तीन वर्षों में दर्ज किए मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों पर तमाम दावे धूल फांकते नजर आए हैं। उत्तर प्रदेश में 1996-97 में मानवाधिकार उल्लंघन के मामले 8600 दर्ज किए गए, 1997-98 में यह संख्या दुगुनी से भी ज्यादा यानि 17638 हो गई। 1998-99 में यह संख्या बढ़कर 22043 हो गई। यह स्थिति केवल मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की ही नहीं है, बल्कि राज्य में महिलाओं की स्थिति भी ऐसी ही है। जहां 1997 में राज्य में महिलाओं के विरुद्ध 11,000 मामले दर्ज किए गए, यह 1998 में 17,000 हो गए और 1999 में 14,000 के करीब हो गए।...*(व्यवधान)*

महोदय, यह कोई साधारण मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी के साथ अपराध बढ़ रहे हैं, मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाएं बढ़ रही हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार और अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं।...*(व्यवधान)* आप गृह मंत्रालय को इस बात के लिए निर्देशित करें कि इन सारे अपराधों पर अंकुश लगवाएं। ...*(व्यवधान)*

प्रो० रासासिंह रावत (अजमेर) : महोदय, केन्द्र सरकार ने 15 अगस्त, 1995 से, संविधान के अनुच्छेद 41 और 42 में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उनके अंतर्गत राष्ट्रीय, सामाजिक सहायता कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। जिसके अंतर्गत गरीब परिवार, वृद्धावस्था या परिवार में कोई मर जाता है अथवा मातृत्व के मामले में सामाजिक सहायता प्रदान की जाती है, ऐसी राष्ट्रीय नीति शुरू की गई थी। वृद्धावस्था पेंशन उसी का हिस्सा है और विधवाओं को मिलने वाली पेंशन भी उसी का हिस्सा है।

महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि राजस्थान सरकार के द्वारा पिछले तीन-चार महीने से वित्तीय संकट के नाम पर वृद्धावस्था पेंशन और विधवाओं को दी जाने वाली मासिक पेंशन रोक दी गई है और दुष्प्रचार किया जा रहा है कि केन्द्र से पैसा प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए भुगतान नहीं किया जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान सरकार को निर्देश दें कि वृद्धावस्था और विधवाओं की पेंशन को, जो सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत है ...*(व्यवधान)* उसे रोका न जाए। इसका निरंतर समय पर भुगतान किया जाए।

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : महोदय, बिहार प्रांत के अंतर्गत पंचायत का चुनाव न होने से केन्द्र से अरबों की राशि बिहार सरकार को नहीं मिल पा रही है। पंचायत और नगर निगम के चुनाव न होने से बिहार को अरबों का नुकसान हो रहा है। चुनाव न होने से जो सरकारी पदाधिकारी हैं—चाहे प्रखंड में हों या जिले में हो, वे मनमानी कर रहे हैं और जितनी भी योजनाएं केन्द्र सरकार के द्वारा दी जाती है—चाहे सुनिश्चित रोजगार योजना हो, आई०आर०डी०पी० हो, इंदिरा आवास की हो, कोई भी योजना सफल नहीं हो पा रही है।

महोदय, मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि बिहार सरकार को निर्देश दें कि पंचायत का चुनाव और नगरपालिका का चुनाव तुरंत कराएं। वहां पंचायती राज लागू करें, तभी सभी योजनाएं पूरी हो सकती हैं और समय पर काम पूरा हो सकता है।

[अनुवाद]

श्री एस० बंगारप्पा : अध्यक्ष महोदय, मैं उस मामले पर बोलना चाहता हूं जो हो रही गतिविधियों से संबंधित है। आज के समाचार पत्र के अनुसार, श्रीलंका सरकार के विदेश मंत्री यहां आए हैं तथा उन्होंने रक्षा मंत्री तथा प्रधानमंत्री से बातचीत की है। ऐसा कुछ विवरण प्रेस में आया है। मुझे आशा है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री इसे जानते हैं। मैं श्रीलंका के आंतरिक मामले में तथा श्रीलंका सरकार और एल टी टी ई के बीच कई वर्षों से चल रही लड़ाई के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा हूं। यह उनका आंतरिक मामला है तथा हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। यही हमारी विदेश नीति भी रही है। हाल के रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका सरकार ने अपने दूत के माध्यम से भारत सरकार से संपर्क साधा है तथा दिल्ली में वार्ता की है। उन्होंने भारत सरकार से श्रीलंका में भारत की सेना भेजकर या हथियार व गोलाबारूद की आपूर्ति करके सहायता मांगी है।

हम यह जानना चाहते हैं कि क्या ऐसी वार्ता दोनों देशों के बीच हुई है या नहीं। भारत सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है? महोदय, मामला इतना महत्वपूर्ण है कि मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस संबंध में आज वक्तव्य दें। आज शुरू में रक्षा मंत्री महोदय सभा में उपस्थित थे लेकिन अब वह दिखाई

[श्री एस० बंगारप्पा]

नहीं दे रहे हैं। वे दूसरी सभा में गए होंगे। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस मामले की वर्तमान स्थिति के संबंध में वक्तव्य दें। वह इस संबंध में हो रही घटनाओं की सभा को सूचना दें।

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, प्रश्नकाल के दौरान डी०एम०के० सदस्यों ने पहले ही यह मामला उठाया है। मैं व्यवधान नहीं डालना चाहता था क्योंकि माननीय सदस्य, श्री बंगारप्पा बोल रहे थे। विदेश मंत्री लोक सभा में भोजनावकाश के तुरंत बाद एक वक्तव्य देंगे।

श्री खरबेले स्वाइं (बालासोर) : महोदय, उड़ीसा में पेयजल की भारी कमी है। 314 ब्लॉकों में से 190 ब्लॉकों में पानी की कमी है। उड़ीसा के पश्चिमी भागों में केवल अधिकांश ब्लॉकों, जिनमें कालाहांड़ी, नुआपाड़ा, कोड़ापुट बोलांगीर जिले शामिल हैं, में ही नहीं बल्कि तटीय उड़ीसा के तटीय भागों में, जिनमें बालासोर, कटक, पुरी, भद्रक, जाजपुर शामिल हैं, में भी पानी की कमी है। वाटर शेड प्रबंधन योजना उड़ीसा में शुरू ही नहीं हुई है। विश्व बैंक द्वारा उड़ीसा में इस सिंचाई परियोजना के लिए दिया गया धन उड़ीसा की पिछली सरकार ने हड़प लिया। केन्द्रीय जांच ब्यूरो इसकी जांच करेगा।

मेरी भारत सरकार से यह अनुरोध है कि वह वाटरशेड परियोजनाओं की कड़ी निगरानी करे। मैं यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि उड़ीसा सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को भेजी गई सुरक्षित पेयजल परियोजनाओं को तुरंत मंजूरी दे। भारत सरकार उड़ीसा सरकार में आगामी ग्रीष्म काल के लिए ट्यूबवेल लगाने के लिए धन दे तथा अतिरिक्त अनुदान भी दे।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अयोध्या में बाबरी मस्जिद को 1992 में ध्वस्त करने का प्रयत्न किया गया। आज वहां विश्व-हिन्दू-परिषद द्वारा राम-मंदिर बनाने की घोषणा हो रही है। यह इश्यू अभी न्यायालय में है, हाई-कोर्ट में है। जब तक हाई-कोर्ट का जजमेंट नहीं आता है तब तक वहां राम-मंदिर के निर्माण का काम शुरू नहीं होना चाहिए। इसलिए वहां आर्मी तैनात करने की आवश्यकता है, क्योंकि राज्य सरकार पर हमारा विश्वास नहीं है, आर्मी पर हमारा पूरा विश्वास है। विश्व हिन्दू परिषद वहां 18 जून से निर्माण का काम करने जा रही है, इस प्रकार की घोषणा वहां हुई है। इसलिए प्रमोद महाजन जी से मेरा अनुरोध है कि वे इसके बारे में जवाब दें कि वहां आर्मी जल्दी से भेजी जा रही है या नहीं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह 'शून्यकाल' है। आपने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। मैं जानता हूं कि यह काफी गंभीर मामला है। मैं यह समझता हूं। लेकिन 'शून्यकाल' के दौरान आप मामला तो उठा सकते हैं लेकिन सरकार को उसका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : उपाध्यक्ष जी, वहां देश की इंटैगरिटी को तोड़ने की बात हो रही है और यह बहुत ही सीरियस बात है। उपाध्यक्ष जी, राम का मंदिर बनाना है तो उसमें हम भी सहयोग देंगे, लेकिन उसकी जगह पर राम मंदिर बनाने पर हमारा विरोध है। राम मंदिर दूसरी जगह पर बनना चाहिए।...*(व्यवधान)* जब तक हाईकोर्ट का फैसला नहीं आता है ऐसा कोई काम वहां नहीं होना चाहिए। राम मंदिर के लिए हम आपको दूसरी जगह देते हैं, उस जगह पर आप राम मंदिर बनाइए। इसलिए प्रमोद महाजन जी, मुझे आपका जवाब चाहिए कि आप वहां आर्मी भेज रहे हैं या नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बहुत सीनियर हैं। शून्यकाल में जो मैटर उठाया जाता है, उसका यहां जवाब नहीं दिया जाता। यह प्रश्नकाल नहीं है। आपने सरकार का इस तरफ ध्यान आकर्षित किया। अगर सरकार रिएक्ट करना चाहती है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं उन्हें कम्पैल नहीं कर सकता।

श्री रामदास आठवले : मैं जूनियर हूं। मैं दूसरी बार लोक सभा में आया हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : दूसरी बार आए हैं तो सीनियर हैं।

श्री बसनगौडा रामनगौड (यत्नाल) पाटिल (बीजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का मौका देने के लिए धन्यवाद। मेरे संसदीय क्षेत्र में शोलापुर से गदक तक गेज परिवर्तित करने का जो काम चल रहा था, वह शोलापुर तक पूरा हो गया है। गदक तक काम करना बाकी है। इसके लिए 133 करोड़ 40 लाख रुपए चाहिए, लेकिन 2000-2001 के बजट में सिर्फ 10 करोड़ रुपए रखे गए हैं। 6.4.2000 को सिकन्दराबाद में एक रिव्यू मीटिंग में 10 करोड़ रुपए में से 5 करोड़ रुपए शोलापुर यार्ड में डाइवर्ट कर दिए गए। इस कारण बीजापुर में काम स्थगित हो गया है। बीजापुर गदक, शोलापुर और बागलकोट चार जिले हैं और पर्यटन स्थल भी हैं। 2000-2001 के बजट में इसके लिए 50 करोड़ रुपए देने चाहिए और वहां जल्दी से जल्दी काम होना चाहिए...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि अनन्त कुमार ने आपको प्रेरित किया है। मैंने यह देखा है अध्यक्षपीठ की ओर से मैं सरकार को उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री बसनगौडा रामनगौड (यत्नाल) पाटिल : इस बारे में मंत्री जी का उत्तर आ जाए तो अच्छा होगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय रेल मंत्री इस पर प्रतिक्रिया करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

[हिन्दी]

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले में गुरु घासी दास मेडिकल कालेज हेतु संपूर्ण कार्रवाई हो गई है। राज्य सरकार ने अनुशंसा करके केन्द्र सरकार के पास भेजी है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि बिलासपुर जिले में मेडिकल कालेज खोलने की अनुमति प्रदान की जाए।

[अनुवाद]

श्री के० फ्रांसिस जार्ज : मैं सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा तथा महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक संस्थाओं पर हाल के हुए हमलों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इस प्रकार की घटनाएं मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में हुई है। चौदह मामले प्रकाश में आए हैं। कुछ सप्ताह पहले माननीय सदस्य श्री सुदीप बंद्योपाध्याय ने इस सभा में यह मामला उठाया था। लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है तथा किसी को भी सजा नहीं दी गई है।

मैं स्वयं मथुरा गया हूं। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग विशेष रूप से ईसाई लोग भयभीत हैं। सरकार ने उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की है। यह बहुत ही दुख की बात है कि हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में एक अल्पसंख्यक समुदाय को भयभीत होकर रहना पड़ रहा है। यह केन्द्र सरकार का दायित्व बनता है कि वह अल्पसंख्यक संप्रदाय के लोगों की जान माल की रक्षा करें। वास्तव में सरकार ने इस सभा में ही कुछ सप्ताह पूर्व यह आश्वासन दिया था कि इस मामले में उचित कार्यवाही की जाएगी। इन घटनाओं को लूट या चोरी बताकर इतनी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। वास्तव में, यह घटनाएं मथुरा में बजरंग दल द्वारा कैम्प आयोजित किए जाने के बाद शुरू हुई। 8 मार्च से 18 अप्रैल तक मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में ऐसी 14 घटनाएं हुई। लेकिन यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस संबंध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैं केन्द्र सरकार से यह अनरोध करता हूं कि वह उत्तर प्रदेश सरकार को यह निर्देश दें कि इस मामले में कड़ी कार्यवाही की जाय ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और देश में विशेषरूप से उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों की जान-माल की रक्षा की जा सके।

[हिन्दी]

वैद्य विष्णु दत्त (जम्मू) : उपाध्याय महोदय, जम्मू में साम्बा से लेकर राजौरी और कंडी के इलाके में पिछले दिनों बरसात न होने के कारण पानी की काफी किल्लत है। देश की 53 वर्ष की आजादी के बाद उस क्षेत्र की परिस्थिति यह है कि लोग तालाबों का पानी पीने के लिए मजबूर हैं जबकि उन लोगों के पशु दूर-दराज के इलाकों में पानी पीने के लिए चले जाते हैं। ऐसी हालत में नीम पहाड़ी इलाके में जमीन की गहरी खुदाई करके भी पानी निकालना मुश्किल है, इसलिए वहां पानी की किल्लत है। वहां कोई दरिया भी नहीं है जहां से पानी लाया जा सके।

उपाध्याय महोदय, यह 300 किलोमीटर लंबा इलाका है जहां पानी न मिलने से लोगों में मायूसी है। उन लोगों को आजादी के बाद भी यह सुख नहीं मिला। इसलिए मेरा निवेदन है कि वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट उस इलाके के लिए कोई स्पेशल प्रोग्राम दे ताकि आजादी के 53 सालों के बाद जिन लोगों को तालाबों का पानी पीना पड़ रहा है, यह पानी पीकर बीमार न हों। इसके अलावा वहां चैक डैम बनाने चाहिए ताकि बरसात का पानी उसमें महफूज किया जाए और जो मिलिनियम वैल्ज स्कीम है, उसके तहत गहराई पर खोजने से उन कुंओं से पानी मुहैया हो सके। मैं सरकार से यही इल्तजा करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 2.50 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 1.48 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.50 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.54 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.54 बजे पुनः समवेत हुई।

[श्री पी०एच० पांडियन *पीठासीन* हुए]

सभापति महोदय : अब हम विधायी कार्य-विधेयक का पुरःस्थापन करेंगे। श्री राजनाथ सिंह

मोटर यान (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान) : महोदय, श्री राजनाथ सिंह की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि मोटर यान अधिनियम, 1988 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मोटर यान अधिनियम, 1988 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा० देवेन्द्र प्रधान : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-2, दिनांक 4.5.2000 में प्रकाशित।

अपराह्न 2.55 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) बिहार में डुमरिया-अरेराज-छपवा राज्य मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राधा मोहन सिंह (मोतिहारी) : सभापति जी, चम्पारण बिहार का सीमान्त जिला है। इसका मुख्यालय मोतिहारी इन दिनों आई०एस०आई० गतिविधियों का केन्द्र बना हुआ है। भारत-नेपाल की खुली सीमा के किनारे का इलाका यातायात की दृष्टि से काफी असुविधाजनक है। एक राजमार्ग जो गोरखपुर-पीपराकोठी, मुजफ्फरपुर होकर जाता है, इसी राजमार्ग में पीपराकोठी से मोतिहारी छपवा होकर रक्सौल होते हुए नेपाल में प्रवेश करता है जो नेपाल जाने का मुख्य मार्ग है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश एवं देश के अन्य हिस्सों के लोगों को गोरखपुर से बिहार में प्रवेश करने के बाद पीपराकोठी जाकर पुन: टेढ़े-मेढ़े राजमार्ग से छपवा जाकर रक्सौल और काठमांडू जाना पड़ता है।

अत: मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग में डुमरिया पुल के निकट से अरेराज, हरसिद्धी छपवा सड़क जो मात्र 35 कि०मी० लंबी है, इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर शीघ्र निर्माण कराया जाए ताकि नेपाल जाने का मार्ग सुलभ हो और यातायात की दृष्टि से पिछड़े चम्पारण की जनता एवं देश के ऐसे नागरिकों का भी भला हो सके जो काठमाण्डु की ओर जाते हैं। इस मार्ग के निर्माण से राष्ट्रीय सुरक्षा को भी काफी बल प्रदान होगा।

(दो) पंजाब के गुरदासपुर जिले के कतिपय कस्बों/गांवों में रसोई गैस विक्रय केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री विनोद खन्ना (गुरदासपुर) : महोदय, रसोई गैस एजेंसी के आबंटन के लिए पात्रता के अनुसार, 5000 से अधिक जनसंख्या वाले कस्बे/गांव में रसोई गैस एजेंसी आबंटित की जाती है। लेकिन गुरदासपुर जिले के निम्नलिखित कस्बों/गांवों, जिनकी जनसंख्या 5000 से अधिक है, में कोई रसोई गैस आबंटित नहीं की गई है :

(क) मरारा, (ख) हरदोछिंआ, (ग) दीना नगर/घरोटा, (घ) दोरांगिया, (ङ) बारसोला, (च) कलानौर, (छ) भांग्ला, और (ज) धार कलां।

मैं माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इन कस्बों/शहरों में रसोई गैस एजेंसी खोलने के लिए तत्काल कार्यवाही की जाए।

(तीन) मध्य प्रदेश की लखुन्दर नदी परियोजना को शीघ्र स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री धावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : सभापति जी, मध्य प्रदेश के देवास स्थित देवास बैंक नोट प्रेस के लिए पानी की आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु एक लखुन्दर नदी परियोजना बनाई गई है। उक्त परियोजना से देवास बैंक नोट प्रेस की पानी की समस्या का निदान हो जाएगा। उक्त योजना की सैद्धांतिक स्वीकृति लगभग दो वर्ष पूर्व हो चुकी है। अब इस योजना का डीटेल्ड ऐस्टीमेट बनाकर वित्त मंत्रालय को स्वीकृति हेतु भेजा गया है। यह योजना फाइनेंस ऐक्सपेंडीज कमेटी द्वारा स्वीकृत होनी है किंतु फाइनेंस ऐक्सपेंडीचर कमेटी की बैठक लंबे समय से नहीं हो सकी है। मैंने अनेक बार उक्त योजना की स्वीकृति की मांग की है। मैं सरकार से पुन: मांग करता हूं कि इस योजना को शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

(चार) घरेलू उद्योगों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री भेरूलाल मीणा (सलूम्बर) : सभापति महोदय, वर्तमान औद्योगिक नीति से सार्वजनिक उपक्रमों के श्रमिकों में भारी असंतोष फैला हुआ है। श्रमिकों ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए जो उद्योग घाटे में चल रहे थे, उनको लाभ में लाने का प्रयास किया है और अब ये उद्योग लाभ में परिवर्तित हो गए हैं। विदेशी कंपनियों को कस्टम-ऐक्साइज ड्यूटी में छूट एवं अन्य सुविधाएं प्रदान कर स्वदेशी उद्योग एवं सरकारी उपक्रमों को घाटे का सामना करना पड़ रहा है। मेरी सरकार से मांग है कि जो उपक्रम कंपनी लेबल पर लाभ में चल रहे हैं, उनको शेयर खरीदने की अनुमति नहीं दी जाए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अधिकारियों एवं मजदूरों में जागृति आई है और उद्योग को चलाना वे अपनी जिम्मेदारी महसूस कर रहे हैं और उद्योगों में उत्पादन बढ़ा है। सरकार से मेरी मांग है कि उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित किया जाए क्योंकि निजीकरण को महत्व देने के कारण सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत अधिकारी एवं श्रमिक यह महसूस करते हैं कि अधिक काम करने के बावजूद भी उनकी कार्यकुशलता पर शक किया जाता है जिस कारण उनका मनोबल गिरता है। मैं चाहता हूं कि इन उपक्रमों में कार्यरत श्रमिकों एवं प्रबंधकों का मनोबल बढ़ाने के लिए इन उपक्रमों को यथावत् चालू रखा जाए तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्हें उत्साहित किया जाए।

अपराह्न 3.00 बजे

(पांच) आवासीय इकाइयों में आवश्यक छोटा-मोटा परिवर्तन करने की अनुमति देने के लिए भवन निर्माण उप-नियमों में संशोधन करने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन को सलाह दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : महोदय, कुछ वर्षों से चंडीगढ़ में बड़ी संख्या में लोगों ने आवासीय एककों अथवा दुकानों में आवश्यकतानुसार कुछ छोटे-मोटे परिवर्तन किए हैं। ये परिवर्तन चुपचाप नहीं किए गए बल्कि प्रशासन की जानकारी में ही किए गए। अब, जबकि प्रशासन ने भवन उप-नियमों में आवश्यक संशोधन करने का वायदा किया है, तो दूसरी तरफ इन्होंने पुनर्ग्रहण की धमकी देते हुए व्यापक स्तर पर नोटिस जारी किए हैं जिसमें कुल के कम से कम

एक-चौथाई वास्तविक निवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि आज की आवश्यकताओं के अनुरूप भवन उप-नियमों में संशोधन करने और वास्तुशिल्पीय आवश्यकताओं, सौंदर्य और सुरक्षा मानकों के साथ समझौता किए बगैर आवश्यकतानुसार किए गए परिवर्तनों को नियमित करने तथा पुरानी कार्यवाही के लिए जारी नोटिसों को स्थगित करने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन को अनुदेश किए जाएं।

(छह) पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में केन्द्रीय सहायता से एक चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री मोइनुल हसन (मुर्शिदाबाद) : महोदय, पश्चिम बंगाल राज्य में मुर्शिदाबाद जिला अपनी जनांकिकीय विशेषताओं के कारण अद्वितीय है। इस जिले की लगभग 63% जनसंख्या अल्पसंख्यक समुदाय की है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से 50 वर्षों में जिले में शिक्षा और संस्कृति के प्रसार से अल्पसंख्यक समुदाय में युवा महत्वाकांक्षी मध्य वर्ग पैदा हो गया है।

अब स्वाभाविक रूप से जिले में युवाओं, विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं की हमेशा से उच्च शिक्षा की मांग रही है। लेकिन वहां मेडिकल शिक्षा आगे बढ़ाने की कोई गुंजाईश नहीं है क्योंकि राज्य में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बहुत कम है और उनमें से अधिकांश कालेज जिले से काफी दूर स्थित है। मेडिकल शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षा की मांग इतनी तीव्र है कि सरकार को मुर्शिदाबाद में केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक मेडिकल कालेज स्थापित करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। यदि सरकार ऐसा प्रस्ताव लाती है तो जिले के लोग सभी संभव तरीकों से उसका भारी उत्साह से स्वागत और समर्थन करेंगे।

इसलिए सरकार से अनुरोध है कि यह मौजूदा बुनियादी ढांचे और उपलब्ध स्थानीय संसाधनों तथा ऐसे समुदाय, जिसे अपने कौशल को विकसित करने के अवसरों से वंचित रखा गया है, की महत्वकांक्षाओं को पूरा करने के लिए साधन उपलब्ध कराने की दृष्टि से ऐसे उद्यम की व्यवहार्यता का पता लगाएं।

अपराह्न 3.04 बजे

[डॉ० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए*]

(सात) हैदराबाद-कोच्ची एक्सप्रेस को बरास्ता गुण्टककल पुनः चलाए जाने तथा गुण्टककल और तिरुअनन्तपुरम के बीच बरास्ता बंगलौर एक नई रेल गाड़ी भी चलाए जाने की आवश्यकता

श्री कालवा श्री निवासुलु (अनन्तपुर) : महोदय, यह अविश्वसनीय है कि कोंकण रेलवे के प्रभाव को मध्यप्रदेश के अनन्तपुर जिले में महसूस किया जा रहा है। अब तक अनन्तपुर को भारत के रेलवे मानचित्र में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त रहा है। वास्तव में यह जिला दक्षिण और उत्तर के लिए प्रवेश द्वार है। मुम्बई से केरल के लिए सभी रेलगाड़ियां जिले के गुंटाकल जंक्शन और अनन्तपुर स्टेशनों से गुजरती थी। इस मार्ग पर कम से कम 10 से 15 रेलगाड़ियां चलाई जा रही थीं। पुट्टापारथी, जो भगवान सत्य साईं बाबा का धाम है, इस जिले का विशेष आकर्षण है। भारत के चारों कोनों से भक्तजन वर्ष भर पुट्टापारथी की यात्रा करते हैं। इसके अलावा, पुट्टापारथी में सत्य साईं न्यास ने इस पवित्र कस्बे में सर्वोत्तम आधुनिक सुविधाओं वाला एक अस्पताल स्थापित किया है। सभी गंभीर बीमारियों का निःशुल्क अति आधुनिक उपचार करने वाला अपनी तरह का पहला अस्पताल होने के कारण यह सभी पड़ोसी राज्यों से हजारों रोगियों को आकर्षित कर रहा है।

अब तक अनन्तपुर की यात्रा करने के लिए यात्रियों की आवश्यकताओं को केरल राज्य और मुम्बई के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों द्वारा पूरा किया जाता था। लेकिन कोंकण रेल सेवा शुरू होने के पश्चात् केरल और मुम्बई, और केरल तथा अन्य उत्तर भारतीय गंतव्य स्थानों के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों को नवस्थापित रेलवे लाइन से चलाया जाता है। इससे अनन्तपुर जिले और केरल राज्य के बीच विकसित संबंध टूट गया है। अब केरल के लोगों को जो इस जिले में रह रहे हैं, अपनी मातृभूमि जाने के लिए कठिनाई हो रही है। इसलिए मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे हैदराबाद-कोची एक्सप्रेस को गुंटाकल और धर्मावरम के रास्ते पुनः चलाएं। माननीय मंत्री द्वारा गुंटाकल और त्रिवेन्द्रम के बीच बरास्ता बंगलौर एक नई रेलगाड़ी शुरू किए जाने से काफी सहायता मिलेगी।

(आठ) राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की कमियों को दूर करने की दृष्टि से इस अधिनियम की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री धर्मराज सिंह पटेल (फूलपुर) : सभापति महोदय, आपका ध्यान राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एन०एस०ए०) के औचित्य एवं दुरुपयोग की तरफ सदन एवं भारत सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

मेरे संसदीय फूलपुर क्षेत्र के अंतर्गत जिला इलाहाबाद के उतरांव थाना के अंतर्गत चका, दमगढ़ा एवं उतरांव गांव के अल्पसंख्यक लड़कों को मनगढंत कहानी बनाकर 4/5 मार्च की रात फर्जी आरोप लगाकर गिरफ्तार कर 22 मार्च को जिलाधिकारी इलाहाबाद द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया गया है, जो कि इस कानून के उद्देश्य एवं औचित्य पर ही प्रश्न चिह्न लगा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार युवकों पर गिरफ्तारी के पूर्व किसी भी तरह की एफ०आई०आर० घटना के पूर्व कभी दर्ज नहीं है।

मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि थाना उतरांव जिला इलाहाबाद घटना की सी०बी०आई० से जांच कराकर निरपराध युवकों को छुड़ाने एवं दोषी अधिकारियों को दंडित करने का कष्ट करें तथा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की खामियों को दूर करने के लिए इसकी समीक्षा की जाए।

(नौ) महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में रोटेगांव (वैजपुर) रेलवे स्टेशन पर तपोवन एक्सप्रेस को ठहराए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : सभापति महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र संभाजीनगर (औरंगाबाद) महाराष्ट्र से हर रोज सुबह नांदेड़ से मुम्बई के लिए तपोवन एक्सप्रेस गाड़ी नंबर 7617/7618 जो कि जनता के लिए बहुत ही उपयोगी है, उसे रोटेगांव (वैजापुर) नामक स्टेशन पर रुकाने के लिए स्थानीय प्रवासी संगठन ने मेरी अध्यक्षता में एक निवेदन विभागीय नियंत्रकों को दिया था और उन्होंने सर्वे भी किया था, लेकिन अब तक कुछ परिणाम नहीं मिले।

अत: मेरा माननीय रेल मंत्री महोदय से निवेदन है कि जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए जनता की सुविधा के लिए तपोवन एक्सप्रेस को रोटेगांव (वैजापुर) स्टेशन पर रुकाने के लिए एक मिनट का हॉल्ट देने के लिए जल्द से जल्द आदेश दें।

(दस) तमिलनाडु में तिरुनेलवेली रेलवे जंक्शन पर नए उपरिपुल के निर्माण के लिए सड़कों को बंद किए जाने के कारण यात्रियों को हो रही असुविधाओं को दूर किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी०एच० पांडियन (तिरुनेलवेली) : एक बड़ा शहर होने के नाते तिरुनेलवेली के पलयामकोट्टाई तथा मेलापलायम नजदीकी उप-शहर हैं। तीर्थ-यात्रियों तथा पर्यटकों की निरंतर आवाजाही के कारण नए पुल के निर्माण स्थल में वाहनों की भीड़ भाड़ रहती है। अत: तिरुनेलवेली के लोगों को अपने कार्यालयों, विद्यालयों, व्यापारिक केन्द्रों आदि तक जाने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस कठिनाई से बचने के लिए उन्हें अपने गंतव्य स्थानों में पहुंचने के लिए घुमावदार रास्तो से जाना पड़ता है, इस पुल की साइड रोड को किए जा रहे निर्माण के मध्यनजर अनावश्यक रूप से जन-यातायात के लिए बंद कर दिया गया है, यहां लोगों ने पहले ही जिला प्रशासकों तथा मदुराई रेलवे प्रभागीय प्राधिकारियों से इस साइड रोड को जन-यातायात के लिए खोलने का अनुरोध किया है। तिरुनेलवेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के चुने सदस्य के नाते मैंने 29 तथा 30 मार्च, 2000 को व्यक्तिगत रूप से यहां का दौरा किया। मुझे मालूम हुआ कि रेलवे जंक्शन के उस गेट की साइड दीवारों को हटाने से यह दैनिक समस्या हुई है जो कि वर्तमान में बंद है तथा इस सड़क को जनता के लिए तब तक खोला जाना चाहिए जब तक कि नए उपरिपुल का निर्माण पूरा नहीं हो जाता। तमिलनाडु में तिरुनेलवेली के लोगों की दैनिक समस्याओं के निवारण के लिए मैं सरकार से त्वरित कार्रवाई करने तथा जिला प्राधिकारियों तथा मदुरई रेलवे प्रभागीय अधिकारियों को आवश्यक निदेश जारी किए जाने का अनुरोध करता हूं।

(ग्यारह) जम्मू और हरिद्वार के बीच सीधी रेल गाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

वैद्य विष्णु दत्त शर्मा (जम्मू) : सभापति महोदय, जम्मू-कश्मीर राज्य में जम्मू मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है। करोड़ों श्रद्धालु प्रतिवर्ष यहां माता वैष्णो देवी, बाबा अमरनाथ जी की यात्रा पर व अन्य सैरगाहों में आते हैं व जाते समय वे हरिद्वार जाना पसंद करते हैं। जम्मू से हरिद्वार तक कोई भी रेलगाड़ी सीधी नहीं जाती, जबकि जम्मू से हरिद्वार तक रेलमार्ग बना हुआ है। जम्मू से कई रेलगाड़ियां पंजाब व दूसरे स्थानों के लिए घाटे में चल रही हैं। उनमें से किसी एक को सीधा हरिद्वार के लिए शुरू किया जा सकता है, जो रेलवे के लिए भी लाभदायक सिद्ध होगा।

अपराह्न 3.12 बजे

[श्री पी०एच० पांडियन *पीठासीन हुए*]

अपराह्न 3.12 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्रीलंका में स्थिति

[अनुवाद]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से वक्तव्य देता हूं।

उत्तरी श्रीलंका में हाल की घटनाएं भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है। सरकार स्थिति पर नजदीकी से नजर रखे हुए है। श्रीलंका की सरकार भी भारत सरकार से संपर्क बनाए हुए है। इसीलिए, श्रीलंका में हमारे उच्चायुक्त को इस सप्ताह वहां की स्थिति पर विचार-विमर्श के लिए दिल्ली बुलाया गया।

महोदय, भारत सरकार अपनी चिरवत वचनबद्धता के इस संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान, श्रीलंका की एकता और क्षेत्रीय अखंडता के ढांचे के अंतर्गत जहां कि सभी समुदायों की आकांक्षाएं पूरी हो सकें, के लिए वार्ता द्वारा किए जाने के मार्गनिदेशों पर चलती रहेगी. भारत को आशा है कि श्रीलंका जैसे घनिष्ठ तथा मित्र पड़ोसी देश में जल्दी ही शांति लौट आएगी।

वर्तामान स्थिति के संदर्भ में, भारत सरकार को श्रीलंका सरकार से कुछ आग्रह प्राप्त हुए हैं। स्वाभाविक रूप से, इन सभी आग्रहों पर सरकार आवश्यक विचार-विमर्श कर रही है।

उत्तरी श्रीलंका में संघर्ष के चलते यह उस क्षेत्र के नागरिकों के लिए कठिनाइयों का कारण बन गया है। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि श्रीलंका से आए लगभग 1,00,000 शरणार्थी भारत में हैं, जिनमें से लगभग 30,000 लोग शरणार्थी शिविरों में हैं, भारत मानविकता के आधार पर इन शरणार्थियों की देख-रेख करता रहेगा। इसी के अनुरूप भारत इस संघर्ष से उत्पन्न नागरिक समस्याओं को कम करने का कार्य करेगा तथा आवश्यक होने पर ऐसी मानविक सहायता भी देगा। जब कभी भी आवश्यकता होगी तो ऐसी सहायता श्रीलंका सरकार से विचार-विमर्श से ही विनिर्णित की जाएगी।

श्री एस० बंगरप्पा (शिमोगा) : सभापति महोदय, प्रेस रिपोर्टों के अनुसार वायुसेनाध्यक्ष श्री टिप्पणीस श्रीलंका की राजधानी कोलम्बो भेजे जा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी (देवरिया) : लोक सभा में जब माननीय मंत्री जी वक्तव्य देते हैं तो कोई चर्चा नहीं होती...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सुबह आपने इस मामले को उठाया तथा अब माननीय मंत्री जी ने वक्तव्य दे दिया है। मामला यहीं समाप्त हो गया। अब इस पर कोई वाद-विवाद नहीं हो सकता...*(व्यवधान)*

श्री एस० बंगरप्पा : महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहूंगा... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नियम किसी स्पष्टीकरण की अनुमति नहीं देते हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : अन्यथा, यह चलता ही रहेगा... *(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : नियमों में ऐसी व्यवस्था नहीं है, यही तो समस्या है... *(व्यवधान)*

श्री एस० बंगरप्पा : महोदय, हम नियम जानते हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता। मैं नियमों से बाहर नहीं जा सकता।

श्री एस० बंगरप्पा : महोदय, वायुसेनाध्यक्ष कोलम्बो जा रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि यह सही बात है या नहीं तथा वास्तव में उनका मिशन क्या है। बस...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नियम 372 में उपबंध है :

"जब सार्वजनिक महत्व के मामले पर किसी मंत्री द्वारा अध्यक्ष की सहमति से वक्तव्य दिया जाता है तो जिस समय वक्तव्य दिया जाता है उस समय कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा।"

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : यह प्रश्न नहीं है। यह सभा के लिए सूचना है।

श्री एस० बंगरप्पा : यह सभा के लिए सूचना है।

अपराह्न 3.15 बजे

वित्त विधेयक, 2000—*जारी*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब, माननीय वित्त मंत्री जी उत्तर देना आरंभ कर सकते हैं।

श्री राजेश पायलट (दौसा) : क्या वे हाथ खींचने जा रहे हैं?

श्री एस० बंगरप्पा (शिमोगा) : क्या वे हाथ खींचने जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : महोदय, मैं उस रुचिपूर्ण वाद-विवाद का उत्तर देने के लिए खड़ा हुआ हूं जो कि इस सभा में शाम तक आठ घंटे तक चली थी। कल शाम को माननीय श्री नारायण दत्त तिवारी ने चर्चा आरम्भ की थी। उन्होंने वाद-विवाद के उच्च मानक स्थापित किए। हमारी ओर से श्री वैंको तथा अन्य सदस्यों ने भी उस परंपरा का अनुसरण किया। यह वाद-विवाद आज तक मैंने जो इस सभा में वाद-विवाद देखे हैं उनमें से सर्वाधिक अच्छी चर्चा थी।

वित्त विधेयक के उत्तर तथा वित्त विधेयक पर मतदान के साथ ही इस सभा का बजट संबंधी कार्य समाप्त हो जाता है। वित्त विधेयक के बाद बजट का प्रस्तुतीकरण किया जाता है क्योंकि वित्त विधेयक में सरकार के कर संबंधी प्रस्ताव निहित रहते हैं। इसलिए, कल जब हम वित्त विधेयक पर चर्चा कर रहे थे उस समय कुछ माननीय सदस्यों ने वित्त विधेयक के विभिन्न उपबंधों का जिक्र किया था। चाहे उन्होंने उन उपायों को जिस भी आलोक्य में देखा हो लेकिन अन्य कतिपय सदस्यों ने कुछ सामान्य मुद्दों का संदर्भ भी दिया था। इस सभा में बजट पर चली कई घंटे की चर्चा में इन सामान्य मुद्दों को पहले ही शामिल कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि यह चर्चा 15 मार्च को हुई थी। इसलिए, यदि कल उठाए गए मुद्दों और जिन मुद्दों का उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं, में से कुछ छूट जाते हैं तो मुझे आशा है कि मुझे क्षमा कर दिया जाएगा।

मैं, माननीय, श्री नारायण दत्त तिवारी ने जो कुछ चर्चा के आरंभ में कहा उससे ही आरंभ करना चाहूंगा। मैं महसूस कर सकता हूं कि जिस चीज की वे आलोचना नहीं करना चाहते थे लेकिन राजनीतिक मजबूरियों के चलते उन्हें कहना पड़ा उसके लिए उन्हें काफी दिक्कत हुई। उन्होंने कहा कि बजट स्वप्न है और यह यथार्थ पर आधारित नहीं है। एक सामान्य सी छवि बनाई गई मानो कि हमारे कार्यकाल के दो साल आर्थिक क्षेत्र में व्यर्थ के वर्ष रहे हैं और जब अन्य पार्टियां सत्ता में थी उस समय यह सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था। मैंने कुछ सूचनाएं एकत्र की हैं। मैं दावा करना चाहूंगा क्योंकि विशेषकर जब विपक्ष की माननीय नेता सभा में बोल रही थी तो उन्होंने इसकी भी चर्चा की थी और कहा था कि कांग्रेस शासन के दौरान 1991-96 में लगभग आठ प्रतिशत विकास दर प्राप्त कर ली गई थी। उन्होंने कहा था कि विकास दर में छः प्रतिशत तक की भयंकर गिरावट चिंता का विषय है। उन्होंने कहा था कि यह ही वास्तविक मुद्दा है क्योंकि वे मुझे संदर्भित कर रही थीं और आर्थिक सुधारों के लिए राजनीतिक सहमति के बारे में बात कर रही थीं।

अपराह्न 3.19 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

अब, आंकड़े क्या हैं? मैं दूसरों का लिहाज करूंगा, इसलिए ईमानदारी के साथ मैं, जैसा कि हम सब अवगत हैं कि वर्ष 1991-92 संकट का वर्ष रहा है उसे शामिल नहीं कर रहा हूं। मैं कांग्रेस सरकार

[श्री यशवन्त सिन्हा]

के अगले उन चार वर्षों का औसत ले रहा हूं जो कि वर्ष 1992-93 से 1995-96 तक हैं। मैं संयुक्त मोर्चे की सरकार के दो वर्षों का तथा अपने कार्यकाल के दो वर्षों का औसत ले रहा हूं। यदि मैं उन आंकड़ों के बारे में कहूं तो सकल घरेलू उत्पाद में वास्तविक विकास, कांग्रेस सरकार के चार वर्षों में 6.5 प्रतिशत आता है। इस प्रकार से चार वर्षों में विकास दर 6.5 प्रतिशत थी। मैंने चार सर्वाधिक अच्छे वर्षों को ही लिया है। वर्ष 1995-96 में सर्वाधिक विकास की दर थी और यह मात्र 7.3 प्रतिशत रही।

यह आठ प्रतिशत के आस-पास भी नहीं थी तथा इसका औसत, जैसा मैंने कहा 6.5 प्रतिशत था। संयुक्त मोर्चा सरकार की दो वर्षों में क्या उपलब्धि थी? यह भी इसकी परछाई मात्र थी। इन दो वर्षों में यह 6.3 प्रतिशत था। श्री अटल बिहारी वाजपेई के नेतृत्व में जिन दो वर्षों में हम सत्ता में रहे उनकी क्या उपलब्धि रही ? यह उपलब्धि 6.4 प्रतिशत। जैसा कि मैंने कहा है कि कांग्रेस के शासन में 6.5 प्रतिशत, 6.3 प्रतिशत तथा 6.4 प्रतिशत विकास की सर्वोच्च दर थी। यह विकास दर आगे भी ऐसी ही चलती रही बल्कि संयुक्त मोर्चे की सरकार के समय भी बनी रही। यह दर 7.5 प्रतिशत थी। वर्ष 1996-97 में हमने अब तक की सर्वोच्च जो विकास दर दर्ज की थी वह वर्ष 1997-98 में 5 प्रतिशत तक गिर गई थी तथा जब 1998-99 में हमने सत्ता हासिल की तो यह 6.8 तक बढ़ गई थी और इसका प्राक्कलन 5.9 प्रतिशत तक किया जाता है। मैं सी०एस०ओ० के अनुमानों की बात कर रहा हूं, मैं वर्ष 1999-2000 में 5.9 प्रतिशत तक नहीं बढ़ रहा हूं। इसलिए, आंकड़े इस प्रकार कहते हैं।

मैं एक और संख्या को उद्धृत करना चाहूंगा क्योंकि यहां पर भी इस सभा में चर्चा चल रही है। यहां तक कि कल भी इसका उल्लेख किया गया और वह है कृषि क्षेत्र की उपलब्धि। इसे इस तरह से साबित किया गया मानो कृषि क्षेत्र संकट में आ गया हो। जब हम सत्ता में आए कृषि क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति हुई है। जब अन्य लोग सत्ता में थे, तो कांग्रेस के शासन में जहां तक कृषि उत्पादन का संबंध है इसका औसत 3.5 प्रतिशत था तथा सत्ता के हमारे दो वर्षों का औसत चार प्रतिशत है। इसलिए, आंकड़े अपनी कहानी स्वयं कहते हैं। इसलिए मैं सम्माननीय तिवारी जी को सुझाव दूंगा कि हमारे कदम निश्चित रूप से वास्तविकता के धरातल पर होंगे और हम हवा में ही परिभ्रमण नहीं कर रहे हैं।

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : यदि आप झुक सकते हैं, तो क्या आपको इस वर्ष के विकास की तुलना आपके पहले वर्ष से नहीं करनी चाहिए? यदि मैं ठीक कह रहा हूं तो आपके पहले वर्ष की विकास दर 7.2 प्रतिशत के आस-पास थी और यह इस वर्ष 0.8 प्रतिशत रही है। इसमें तीव्र गिरावट आई है। इसलिए, औसत मात्र चार प्रतिशत का स्तर ही दर्शाता है या कुछ ऐसा ही, लेकिन सच यह है कि इस वर्ष यह 0.8 प्रतिशत तक गिर गई है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (नैनीताल) : मैंने उन सभी बड़ी घोषणाओं की सूची का उल्लेख किया था जो माननीय वित्त मंत्री जी ने की है और अब तक लागू नहीं की गई। मैं इसी संदर्भ में 'स्वप्न दिखाने वाले बजट' का उल्लेख कर रहा था। क्या, कृपया, वह स्पष्ट करेंगे कि समाज के निर्धनतर लोगों के संबंध में की गई इन बड़ी घोषणाओं को लागू क्यों नहीं किया गया।

श्री यशवंत सिन्हा : माननीय तिवारी जी कल आदर की प्रतिमूर्ति थे। मैं चाहता हूं कि वे अपने धैर्य को थोड़ी देर और बनाए रखे क्योंकि मैं उठाए गए प्रत्येक मुद्दे का उत्तर देना चाहता हूं। मैंने अभी शुरुआत ही की है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इस प्रकार की आपसी-बातचीत चलती रही तो मेरे लिए प्रत्येक मुद्दे को लेना मुश्किल हो जाएगा।

श्री माधवराव सिंधिया : मैं आपको आपकी नम्रता पर धन्यवाद देता हूं।

श्री यशवंत सिन्हा : जब आप जैसे माननीय सदस्य या श्री नारायण दत्त तिवारी खड़े हों, तो शिष्टाचार यही कहता है कि मैं नम्रता दिखाऊं।

यह सच है कि इस वर्ष का सकल घरेलू उत्पाद जैसा कि श्री माधवराव सिंधिया ने कहा, 5.9 प्रतिशत है, क्योंकि कृषि उत्पादन घट गया है। यह 1998-99 में केवल 7.2 प्रतिशत था। 1999-2000 में इसके 0.8 प्रतिशत होने की अपेक्षा है और औद्योगिक क्षेत्र में अच्छे कार्य-निष्पादन के बावजूद भी समस्त विकास दर में कमी आई है। यदि आप इन सालों के कृषि उत्पादन को देखें तो जब मैं बजट पर सामान्य चर्चा पर उत्तर दे रहा था तब मैंने बताया था, मैंने पहली योजना के वार्षिक आंकड़े दिए थे—आप पाएंगे कि यह इसमें उतार-चढ़ाव होता रहता है। इस देश का कृषि उत्पादन ऐसा ही रहा है। यदि परिपाटी रही है और इसीलिए, यदि आप अपने आंकड़ों को देखें, उदाहरण के लिए 1995-96 के, हमारे मामले में यह 0.8 प्रतिशत है, जो कि सकारात्मक है।

1995-96 में यह 0.9 प्रतिशत थी। परंतु मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा क्योंकि हम जानते हैं कि जहां तक कृषि उत्पादन का प्रश्न है, इसके लिए कई कारक जिम्मेदार हैं, उदाहरण के लिए सरकार की नीति तथा मौसम भी इसमें शामिल है।

जहां तक विकास दर का प्रश्न है मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि यह सरकार क्यों अपने पिछले दो सालों में किए गए कार्य-निष्पादन पर खेद प्रकट करें। मैं यह कहना चाहूंगा कि औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है; इसका कार्य-निष्पादन काफी प्रभावशाली रहा है। चालू वर्ष में सभी अनुमान लगाने वाले—चाहे वह भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केन्द्र हो, चाहे वह रिजर्व बैंक हो या कोई भी हो जो इसके विकास की संभावना को देख रहा है, प्रत्येक इस चालू वर्ष में विकास की दर को सात या सात प्रतिशत से अधिक की सोच रहा है। महोदय, मैं इस सभा को, आपके माध्यम से यह आश्वासन देना चाहता हूं कि यही विकास दर का लक्ष्य हमने इस साल के बजट में रखा था और हम इसे पाने की पूरी कोशिश करेंगे और यह भी चाहेंगे कि इससे अधिक विकास दर पा सकें।

अब, जैसा कि मैंने कहा, वित्त विधेयक करों से संबद्ध है। मेरे मित्र, श्री रूपचंद पाल ने कुछ मूलभूत मामलों को उठाया था। मैं

कुछ मुद्दों का उत्तर देना चाहूंगा। उन्होंने यह कहा था कि करों और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात कम हो रहा है। यह सच्चाई है क्योंकि करों का और सकल घरेलू उत्पाद का 1990-91 में अनुपात 10.8 प्रतिशत था। वह वित्तीय संकट का वर्ष था, परंतु अभी भी करों और सकल घरेलू उत्पात का अनुपात 10.8 प्रतिशत ही है, यह आज तक का सर्वाधिक दर था और यह कम हो गया है और यह विभिन्न कारणों से लगातार कम हो रहा है। परंतु मुझे इस सभा को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि यह अनुपात 1998-99 के सकल घरेलू उत्पाद के 8.2 प्रतिशत से बढ़कर 1999-2000 में 8.9 प्रतिशत हो गया है। हम उन्नति के मार्ग पर हैं, पुन: एक बार, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह अनुपात बढ़ जाएगा। करों और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात बढ़ जाएगा। मैं यहां कुछ आंकड़ों का उल्लेख करना चाहूंगा।

श्री रूपचंद पाल ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का भी उल्लेख किया था। मेरे पास यहां कुछ आंकड़े हैं। प्रत्यक्ष कर से, अप्रत्यक्ष कर का 1991-92 का अनुपात प्रत्यक्ष कर 19.1 प्रतिशत था, अप्रत्यक्ष कर का 78.4 प्रतिशत था। हालांकि, 1999-2000 में, प्रत्यक्ष करों का भाग 33.5 प्रतिशत तक बढ़ गया और अप्रत्यक्ष करों का भाग 65.9 प्रतिशत तक नीचे आ गया। यह काफी बेहतर रुझान है। यह कोई अचानक नहीं हुआ है, परंतु उन सोची-समझी नीतियों का परिणाम है जिनका हमने अनुसरण किया।

वह कौन-सी सोची-समझी नीतियां हैं जिनका हमने अनुसरण किया? 1993-94 से 1996-97 तक—मैं इस अतिमहत्वपूर्ण तथ्य को सभा के समक्ष लाना चाहता हूं—प्रत्यक्ष कर के रूप में आयकरदाताओं की संख्या लगातार एक करोड़ के आस-पास पहुंच रही है। 1997-98 में कोई उछाल नहीं आया और कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। इसका श्रेय संयुक्त मोर्चे की सरकार के वित्त मंत्री श्री पी० चिदम्बरम को दिया जाना चाहिए, जो, दुर्भाग्य से, आज इस सभा में उपस्थित नहीं हैं। श्री चिदम्बरम दो पर चार का सूत्र लाए थे और इस दो पर चार के फार्मूले से 1997-98 में हमने 15.24 लाख के नए करदाताओं की वृद्धि की। इस सभा को याद होगा कि 1998-99 के बजट में मैंने इस सूत्र को दो पर चार से एक पर छ: में बदल दिया था, और इसके क्षेत्र का भी विस्तार किया था और अधिक पूंजी के कारोबार में पी०ए०एन० (पैन) को उद्धृत करना अत्यावश्यक कर दिया। इस सभा में भी कुछ आलोचना हुई थी कि मैं यह क्यों कर रहा हूं।

परंतु मुझे पता था कि इससे कर-अपवंचकों की संख्या में कमी आएगी। मुझे इस सभा को बताते हुए खुशी हो रही है कि 1998-99 में हमने 41.11 लाख नए करदाताओं की वृद्धि की है और दिसंबर में दो करोड़ के आंकड़े को पार कर गए हैं, और मार्च तक इस देश के करदाताओं की संख्या 2.15 करोड़ तक बढ़ गई है। यह दो सालों में हुई स्पष्ट वृद्धि है और यह हमारे द्वारा उठाए गए कदमों का परिणाम है। मैंने इस साल के बजट में इस 1/6 योजना को और 79 शहरों में लागू किया है और मैं काफी आश्वस्त हूं कि इसके परिणामस्वरूप इस साल करों से प्राप्त होने वाली आय में और अधिक वृद्धि होगी।

जहां तक अप्रत्यक्ष करों का संबंध है, यह मेरा प्रयास है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क के ढांचे को सरल और तर्कसंगत बनाया जाए और कार्यप्रणाली को आसान बनाया जाए। मुझे खुशी है कि 1999 के बजट में, सीमा शुल्क में भारी कटौती करने में, मैं सफल रहा, और 11 से इसे तीन प्रतिशत पर ले आया। इस वर्ष हमने केन्द्रीय वी०ए०टी० (वैट) 16 प्रतिशत किया है। इसे एक दर लाने का प्रयास किया गया और संपूर्ण राजस्व का 86 प्रतिशत इस स्लैब में जमा किया जाएगा। इसी प्रकार, सीमा शुल्क की प्रमुख सात दरों को घटाकर इस वर्ष चार किया है।

काले धन के संबंध में प्रश्न उठाया गया। हम अपनी ओर से यथा प्रयास कर रहे हैं कि इस बात को सुनिश्चित बनाएं कि अर्थव्यवस्था में काले धन के निर्माण पर नियंत्रण रखा जा सके। मेरे ख्याल में—और मैं पूरी ईमानदारी से कहता हूं—काले धन की समस्या को एक के बाद एक काले धन निवारण योजना को, सालों साल लाकर समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये ईमानदार करदाताओं के मनोबल को तोड़ता है, यह कर प्रवर्तन प्राधिकरण के मनोबल को भी तोड़ता है, और इसलिए, मैं अपने तीनों बजट में इस रास्ते पर जाने से बचता रहा हूं।

कर-समाधान योजना का भी उल्लेख किया गया है। यहां मैं यह भी कहना चाहता हूं, जिसका मैंने 1998 में भी स्पष्टीकरण दिया था—कि कर-समाधान योजना कोई छूट की योजना नहीं है; यह कर-दाताओं और सरकार के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए है। इसलिए, मैं अपने कुछ सम्मानीय पूर्ववर्तियों के नक्शे-कदम पर नहीं चला और मैं यह सुनिश्चित करना चाहूंगा कि सरकार की संपूर्ण मशीनरी काले धन के संग्रहकों की धर-पकड़ करेगी। हम उनके लिए कालदूत बनेंगे बजाय इसके कि उनकी इच्छाओं के आगे झुकते हुए हम उन्हें एक के बाद एक कर-छूट की योजनाएं प्रदान करें। इसलिए, हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस पर निश्चित कार्यवाही की जाए।

एक प्रश्न कर की बकाया राशि से संबंधित था। यह अतिमहत्वपूर्ण समस्या है। परंतु यह वह समस्या नहीं है जिसका उद्भव पिछले दो सालों में हुआ है। कर की विशाल बकाया राशि मुझे विरासत में मिली है। मैं इस सभा को विश्वास में लेकर यह कहना चाहता हूं कि मैं और मेरे मंत्रालय के सहयोगी, राज्य मंत्री, शहर के मुख्य केन्द्रों में जा रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से कराधान-अधिकारियों से बात करके यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कर की इस बकाया राशि को कम से कम किया जाए, और मुझे इस सभा को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इसकी बढ़ोतरी की दर को रोका जा रहा है और हम इस स्थिति पर काबू पाने का प्रयत्न कर रहे हैं। पुन: यहां, मैं सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारा प्रयत्न यह सुनिश्चित करना होगा कि निरंतर बकाया राशि और बकाया धन को जमा किया जाए।

अन्य मुद्दा जो उठाया गया वह स्थायी खाता संख्या से संबंधित था। मैं यह कहना चाहूंगा कि पिछले दो सालों में, हमने विभिन्न करदाताओं को 1.65 करोड़ स्थायी खाता संख्याओं का आबंटन किया।

इस साल के बजट में मैंने पहले ही कहा है कि पी०ए०एन० (पैन) सामान्य व्यवसाय में पहचान का कार्य करेगा और मुझे सभा

[श्री यशवन्त सिन्हा]

को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आयकर विभाग ने 1998 में 33 कंप्यूटर केन्द्रों की स्थापना के साथ तीन क्षेत्रीय कंप्यूटर केन्द्रों की और एक राष्ट्रीय कंप्यूटर केन्द्र की स्थापना की है। हम दोनों बोर्डों का कंप्यूटरीकरण करना चाहते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यवाही को न्यायसंगत और करदाताओं के अनुकूल बनाया जा सके।

अन्य मामला जो यहां उठाया गया—मैं सोचता हूं कि श्री रूपचंद पाल ने यह मामला उठाया था—वह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कर की अदायगी के विवाद से संबंधित था। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के मामले को यहां उठाया गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि गलतफहमी के कारण महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड उच्च न्यायालय में गए। एम०टी०एम०एल० को यह बताया गया कि आयकर विभाग सही है और, इसलिए, उन्होंने मांग की गई कर की राशि का भुगतान कर दिया।

परंतु दूसरा मुद्दा जो उठाया गया वह यह कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रति हमारा रवैया नरम है यह सरकार के आयकर प्रशासन के प्रति उचित आलोचना नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह मेरे नेतृत्व के अधीन ही वित्त मंत्रालय ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों की धरपकड़ की जो स्रोत पर कर अदा नहीं कर रहे थे। मैंने यह सुनिश्चित किया कि उनका सर्वेक्षण किया जाए। इसका यह नतीजा हुआ कि, 1998-99 में इस देश में कार्यरत मुख्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों से 600 करोड़ रुपए इकट्ठे कर पाए। यही हमारा बहुराष्ट्रीय कंपिनयों के प्रति रवैया है।

यहां मैं एक अन्य मामले का उल्लेख करना चाहूंगा जिसे इस सभा में माननीय श्री एन०डी० तिवारी, श्री कीरीट सोमय्या और कुछ अन्यों ने उठाया था। यह मारीशस के तरीके से कर अपवंचना के मार्ग को अपनाने से संबंधित था। इस संबंध में ऐसा कुछ नहीं है जिसे सरकार छुपाना चाहती है। दोहरे कर से बचने के संबंध में 1983 को समझौता किया गया था। यह बहुत पुरानी संधि है। 1992 में मारीशस ने अपने कानून में बदलाव किया और मारीशस में आफशोर निधि की स्थापना की गई।

1 जनवरी, 1993 से इस देश के शेयर बाजार को विदेशी निवेशक संस्थानों के लिए खोला गया। अब, यह लगभग एक के बाद एक ही हुआ कि हमने अपने शेयर बाजारों को विदेशी निवेशक संस्थानों के लिए खोला और मारीशस ने अपने कानून में बदलाव किया और विदेशी निवेशकों को मारीशस में आकर निवेश की आज्ञा दी।

अब, इस वर्ष क्या हुआ, मुझे मारीशस के माननीय वित्त मंत्री का पत्र मिला। इस पत्र की तारीख 27 मार्च, 2000 है। मैं इस पत्र को यहां उद्धृत करना चाहता हूं। उन्होंने पत्र में लिखा था :

> "सम्माननीय, मेरा ध्यान हाल ही की उन घटनाओं की ओर दिलाया गया जिससे भारत-मारीशस आर्थिक सहयोग के एक महत्वपूर्ण स्तंभ को खतरा हो सकता है।"

उनके अनुसार, भारत-मारीशस आर्थिक सहयोग का एक स्तंभ यह कर परिवर्जन संधि है। इस पत्र में उन्होंने आगे उल्लेख किया है कि :

> "हमारे तटवर्ती क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित की गईं कंपनियां कर के प्रयोजन के लिए मारीशस की निवासी हैं।"

माननीय सदस्य श्री सोमनाथ चटर्जी यहां बैठे हैं। वे इस बात की सराहना करेंगे। जिन अन्य सदस्यों ने इस क्षेत्र में वकालत की है, वे भी इस बात की सराहना करेंगे कि कर संधि के अंतर्गत वे मारीशस के निवासी हैं।

अब, मैं इस मामले में इसलिए कुछ विस्तार में नहीं गया कि मैं उनके शेयर बाजार के बारे में चिंतित था, बल्कि इसलिए गया कि मारीशस के वित्त मंत्री ने यह पत्र मुझे लिखा है। मुझे इसे पर्याप्त महत्व प्रदान करना पड़ा—क्योंकि भारत-मारीशस आर्थिक सहयोग का एक स्तंभ संकट में था। अत: मैं इस मामले की गहराई तक गया तथा मुझे एक पूर्वोदाहरण का पता लगा।

वह पूर्वोदाहरण क्या है? वर्ष 1994 में मुंबई में आयकर मुख्य आयुक्त ने सीबीडीटी को एक पत्र लिखा था कि केमैन द्वीप की पंजीकृत कंपनी, जो मारीशस की निवासी थी, के माध्यम से कुछ धनराशि प्राप्त हुई थी। जब यह पत्र लिखा गया, तब सीबीडीटी ने एक स्पष्टीकरण जारी किया। सीबीडीटी स्पष्टीकरण जारी करता है। महत्वपूर्ण मामलों में स्पष्टीकरण जारी करना सीबीटीडी के लिए कोई असामान्य बात नहीं है।

इसलिए, जब सीबीटीडी ने स्पष्टीकरण जारी किया, तब 8 अक्तूबर, 1999 को द इकॉनॉमिक्स टाइम्स में एक समाचार प्रकाशित हुआ। इसमें क्या कहा गया था? इसका शीर्षक था 'विदेशी निवेशकों को नुकसान पहुंचाने के लिए सीबीटीडी पूंजी अर्जन पर कायम'। जब यह समाचार प्रकाशित हुआ, तब वित्त मंत्रालय में इस संबंध में तेजी से प्रतिक्रिया हुई और सीबीटीडी ने, जिसने पहले एक स्पष्टीकरण दिया था, उसने उस स्पष्टीकरण में परिवर्तन कर दिया तथा इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया कि इस संधि के अनुसार वे मारीशस में कर-योग्य हैं, भारत में नहीं। अब, मेरी क्या गलती है? मेरी गलती यह है कि जब यह मामला मेरे ध्यान में आया, सीबीडीटी ने इस मामले की जांच की, इसे मेरे ध्यान में लाया गया, एक स्पष्टीकरण जारी करने का निर्णय लिया गया तथा जो एकमात्र स्पष्टीकरण जारी किया गया, वह यह था कि ऐसी कंपनियों के संबंध में जो मारीशस की निवासी हैं, कर के प्रयोजन के लिए हम मारीशस प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के अनुसार कार्रवाई करेंगे कि यह कंपनी मारीशस की निवासी है अथवा नहीं तथा हम इस संबंध में पूछताछ नहीं करेंगे कि वे कंपनियां मारीशस के नियमों का पालन कर रही हैं अथवा नहीं और यह कि मारीशस सरकार ने जो उन्हें निवास संबंधी प्रमाण-पत्र जारी किया है वह सही रूप में जारी किया गया है अथवा गलत तरीके से। मारीशस के वित्त मंत्री द्वारा उठाए गए मुद्दे पर विराम लगाने के लिए यह साधारण स्पष्टीकरण सीबीडीटी द्वारा जारी किया गया था।

महोदय, जबकि मैं इस विषय पर बोल रहा हूं, मैं यह कहना चाहूंगा कि कल चर्चा के दौरान यहां बहुत कुछ बोला गया जैसे कि मैं मुंबई शेयर बाजार का वित्त मंत्री हूं। ऐसा नहीं हूं। मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं शेयर बाजार के बारे में चिंता नहीं करता। मैं नहीं समझता कि किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था में कोई वित्त मंत्री यह कह सकता है कि वह शेयर बाजार के बारे में चिंता नहीं करता। परंतु मैं यह अवश्य स्वीकार करूंगा कि जिस प्रकार से शेयर बाजार का रवैया चल रहा है, इसने अपेक्षाओं के लिए बहुत संभावनाएं छोड़ दी हैं। मैं समझता हूं कि—यदि मुझे यह अभिव्यक्ति प्रयोग करने की अनुमति दी जाए—शेयर बाजार की ओर से यह अत्यंत मूर्खतापूर्ण रवैया है। मैं यह कल्पना कर सकता हूं कि शेयर बाजार अर्थव्यवस्था के मूलभूत तत्वों के प्रति संवेदनशील हो, मैं यह कल्पना कर सकता हूं कि शेयर बाजार कंपनी के परिणामों के प्रति संवेदनशील हो, परंतु मैं ऐसे शेयर बाजार की कल्पना नहीं कर सकता हूं जो केवल अफवाहों के प्रति संवेदनशील रहे। बम्बई शेयर बाजार ऐसा बाजार बन गया है जो अफवाहों से चल रहा है। यही कारण है कि इसका रवैया ऐसा है जो बहुत ही मूर्खतापूर्ण है। मैं आशा करता हूं कि शेयर बाजार का संचालन करने वालों में समझदारी का भाव पैदा होगा तथा वे अधिक जिम्मेवारी का रवैया अपनाएंगे, जैसा कि उन्हें अपनाना ही चाहिए।

महोदय, एक और मुद्दा यहां उठाया गया। मैं समझता हूं कि श्री रूपचंद पाल ने इस पर काफी विवाद किया। मैं बहुत भयभीत हो गया था क्योंकि मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझे कहां पकड़ा तथा श्री सोमनाथ चटर्जी भी उनसे सहमत होकर काफी आक्रोश में भरकर अपनी सहमति व्यक्त कर रहे थे। वह क्या था? वह वित्त विधेयक के खंड 100 और 101 के विषय में था। अब, वित्त विधेयक के खंड 100 और 101 क्या कहते हैं? पूर्व-व्यवस्था यह थी कि जिस कंपनी की हम लेखा-परीक्षा करवाना चाहते थे, उसके लेखों की लेखा-परीक्षा करने के लिए विभाग एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त कर सकता था तथा कानून यह था कि हम केवल उन लेख-परीक्षित लेखों के आधार पर कर ही वसूल नहीं करेंगे, वरन् हम उस कंपनी से लेखा-परीक्षक का शुल्क भी लेंगे। अब, मैंने इसे प्रयोक्ताओं के और भी अनुकूल बना दिया है। मैंने कहा है कि हम उस व्यक्ति अथवा कंपनी से चार्टर्ड अकाउंटेंट का शुल्क वसूल नहीं करेंगे। यदि विभाग चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त करता है, तो विभाग स्वयं ही उस शुल्क का भुगतान करेगा। अत: अब यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे...

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : तब, इसे क्यों बदला गया?

श्री यशवंत सिन्हा : इसे इसलिए बदला गया कि यह प्रयोक्ताओं के अधिक अनुकूल है। यदि मैं कुछ लेखों की लेखा-परीक्षा करवाना चाहता हूं, तो मुझे इसके लिए भुगतान करना होगा। इसके लिए कोई दूसरा भुगतान क्यों करे? इसलिए, हमने कहा है कि यदि विभाग चाहता है, तो हम एक लेखा-परीक्षक नियुक्त कर देंगे तथा वे शुल्क लेंगे।

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : कलकत्ता में पहाड़पुर कूलिंग टावर्स ने न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया था, जिन्होंने इसी प्रावधान पर स्थगन-आदेश प्राप्त किया था तथा इसके बाद अन्य मुकदमे भी दायर किए गए थे और सरकार ने उसे लड़ने की बजाय औद्योगिक महकमों के दबाव में आकर स्वयं को ऐसी स्थिति के वशीभूत कर लिया। मेरे कहने का यह तात्पर्य था।

श्री यशवंत सिन्हा : मैंने यह पहले भी सभा में कहा है। श्री रूपचन्द पाल, आपने भी संप्रभुता का प्रश्न उठाया था।

जब कभी भी हम कुछ करते हैं, देश की संप्रभुता के साथ हमें समझौता करना पड़ता है; जब कभी हम कुछ करते हैं, हमें वह औद्योगिक महकमों के दबाव के अंतर्गत करना पड़ता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम बहुत ही धैर्य से मौजूदा तस्वीर की अत्यंत सुबोध व्याख्या को सुन रहे हैं, जो देश की सच्ची तस्वीर नहीं है; वे ऐसा अत्यंत योग्यतापूर्वक कर रहे हैं तथा हम इसकी सराहना करते हैं। लेकिन, प्रश्न यह है कि लेखा-परीक्षकों द्वारा शुल्क के भुगतान के बारे में इन वित्त मंत्री को किस बात ने इतना चिंतित किया कि उन्होंने वित्त अधिनियम में सचेतन परिवर्तन कर दिए? तभी तो हमने कहा था, "इन लोगों के लिए आपने कितनी धनराशि बचाई है?"

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, जो मुद्दा उठाया गया था, वह एक अलग मुद्दा था। जो मुद्दा उठाया गया था वह यह था कि हमने इस विशेष प्रावधान को इसलिए संशोधित किया है ताकि लेखा-परीक्षकों की स्वतंत्रता को समाप्त किया जा सके। जो मुद्दा उठाया गया था वह यह था कि अब लेखा-परीक्षकों को स्वतंत्रता नहीं होगी। अब, मैं इस तर्क को नहीं समझ पाया हूं: कि यदि उन लेखा-परीक्षकों को भुगतान कंपनी कर रही है, तो वे स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करेंगे; यदि उन्हें भुगतान सरकार कर रही है, तो वे अंशत: कार्य करेंगे। इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है।

श्री रूपचंद पाल : यहां तक कि रिकार्ड भी औद्योगिक महकमों द्वारा रखे जाएंगे, सरकार द्वारा नहीं...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : जी हां, वह अधिक स्वतंत्र हो जाएंगे। यह वह मुद्दा है जो मैंने उठाया था।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपको एक बहुत बढ़िया समर्थक मिल गया है।

श्री यशवंत सिन्हा : मैं समझता हूं कि आप भूतपूर्व राजस्व सचिव का ओर इशारा कर रहे हैं।

ये वे सभी मुद्दे थे जो कर पक्ष की ओर से उठाए गए थे तथा मैंने कर पक्ष के सभी मुद्दों का जवाब दे दिया था। कुछ अन्य सामान्य मुद्दे भी उठाए गए थे।

श्री रूपचंद पाल : जो कंपनियां कर नहीं देती हैं उनकी स्थिति क्या है?

श्री यशवंत सिन्हा : यदि माननीय सदस्य ने मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट प्रावधानों का अध्ययन किया होगा तो उन्होंने महसूस किया होगा कि एमएटी (मैट), न्यूनतम वैकल्पिक कर ऐसी व्यवस्था है, जो

[श्री यशवन्त सिन्हा]

आज 7.5 एक्रास द बोर्ड पर लागू होती है। न्यूनतम वैकल्पिक कर व्यवस्था कंपनियों द्वारा कर-वंचन को रोकने के लिए बनाई गई थी, ...*(व्यवधान)* सभी को 7.5 प्रतिशत कर देना होता है क्योंकि मैंने सभी रियायतों को समाप्त कर दिया है। धर्मार्थ संस्थानों को छोड़कर मैंने सभी रियायतों को समाप्त कर दिया है क्योंकि ये रियायतें संविधि-संग्रह को नुकसान पहुंचा रही थीं।

महोदय, उठाया गया एक अन्य मुद्दा एनपीए से संबंधित था। मुझे याद है, प्रश्नकाल के दौरान मैंने यहां इस सभा में एक प्रश्न का उत्तर दिया था। उस दौरान मैंने एनपीए का मुद्दा भी शामिल किया था। अत: उस संबंध में मैं सभा का समय नहीं लेना चाहता हूं।

इसके बाद बाहरी ऋण का मुद्दा उठाया गया तथा एक बात कही गई कि क्या पिछले दो वर्षों के दौरान बाहरी ऋण में कई गुना वृद्धि हुई है। मैं इस दृष्टिकोण पर दृढ़ रहता आया हूं कि बाहरी ऋण पूरी तरह नियंत्रण में हैं। यह ऐसी जानकारी है जिसे हम संसद को प्रस्तुत करते हैं; प्रत्येक छह माह में बाहरी ऋण पर एक अवस्थिति-पत्र सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। जहां तक बाहरी ऋण का संबंध है, हम बहुत ही सुविधाजनक स्थिति में हैं। इस संबंध में चिंता करने की कोई बात नहीं है। जब हमने मार्च, 1999 में सरकार का कार्यभार संभाला था, तब अंशकालिक बाहरी ऋण 5.3 प्रतिशत था, इसे हमने 4.4 प्रतिशत तक नीचे ला दिया है। यह अभी और भी नीचे जाएगा। तथा अर्थशास्त्र के सभी विद्यार्थी यह जान जाएंगे कि अंशकालिक ऋण ही वह चीज है जो समूचे विश्व में अर्थव्यवस्था को विध्वंस करने की भूमिका निभाता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसके प्रति हम पर्याप्त सावधानी बरत रहे हैं तथा हम अंशकालिक ऋण को निरंतर नीचे ला रहे हैं।

वास्तव में हमें आंतरिक ऋण के बारे में ही चिंता करनी है। यह आंतरिक ऋण ही है, जिसमें बढ़ते हुए वित्तीय घाटे के परिणामस्वरूप वृद्धि हो रही है। इस संबंध में श्री तिवारी द्वारा फिकरमंद होना तथा इस बारे में चिंता व्यक्त करना बिलकुल सही ही है। परंतु मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी नीति यह नहीं है कि पैसा उधार लो और घी पियो। उन्होंने कहा है, "ऋणं कृत्वा घृतम् पीबेत।" यह हमारी नीति नहीं है। मेरे सहयोगी श्री किरीट सोमैया ने उस मुद्दे पर वाद-विवाद किया। मैंने यह कहकर हमेशा ही इस सभा को विश्वास में लिया है कि वित्तीय घाटे की समस्या को हम सभी द्वारा मिलकर हल किया जाना है। आपने राज्य सरकारों के वित्त का उल्लेख किया। आज, राज्य सरकारों की वित्त व्यवस्था वास्तव में चरमरा गई है।

यह क्यों चरमराई है? यह इसलिए चरमराई है क्योंकि मैं इस सूचना को केवल सभा में ही व्यक्त करना चाहूंगा—वेतन और पेंशन पर केन्द्र सरकार का कुल व्यय पांचवें वेतन आयोग से पूर्व वर्ष 1996-97 में 37,401 करोड़ रु० से बढ़कर चालू वर्ष में 73,646 करोड़ रु० हो गया है। यही समस्या है। इससे राज्यों के वित्त पर एक विशाल बोझ, एक असहनीय बोझ, एक विनाशकारी बोझ-सा आ पड़ा है। यह वह समस्या है जहां हम स्वयं पहुंचे हैं। अतएव, जब मुझसे यह पूछा जाता है कि क्यों मैं सरकार के व्यय को कम नहीं करता, मुझे यह साबित करने के लिए कि ऐसा करना कितना कठिन है, इन आंकड़ों को उद्धृत करना पड़ता है। तो भी, हमने इसे छोड़ा नहीं है।

मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष है कि राजनीतिक हदबंदी से परे, हम इस मुद्दे पर प्रत्येक राज्य सरकार के साथ संपर्क में हैं। मुझे सभा को यह सूचित करते हुए हर्ष है कि प्रत्येक मुख्यमंत्री, चाहे वह कांग्रेस पार्टी का हो, वाम दलों का हो, हमारी पार्टी या हमारी सहयोगी पार्टियों का हो, वेतन और मजदूरी के भुगतान की समस्या तथा उनके वित्त पर पड़ रहे प्रभाव से पूरी तरह अवगत है। अतएव, हमने उनके साथ बैठकर राजकोषीय दशा को अच्छी हालत में लाने के लिए उनके परामर्श से कुछ फार्मूले विकसित किए हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि उनमें से प्रत्येक उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। चाहे कोई मुख्यमंत्री राजनीतिक रूप से बाहर कुछ भी कहता हो, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब हमारी आमने-सामने बैठक होती है तो हममें उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में पूरी सहमति होती है। यदि मैंने राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों के साथ इस तरह की समझदारी विकसित नहीं की होती तो मैं उस उपलब्धि, नामत: बिक्री कर की न्यूनतम स्तर दरों के संबंध में राज्य सरकारों की संपूर्ण आम राय को, जिसे मैंने विगत वर्ष के नवंबर माह में किया था, प्राप्त कर पाने में सक्षम नहीं हो पाता।

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमारे लिए बहुत मुसीबत हो गई।

श्री यशवंत सिन्हा : कोई मुसीबत नहीं हुई है, मैं आपको बतलाऊंगा।

[अनुवाद]

सभी इससे सहमत हैं। यह राज्यों एवं केन्द्र स्तर पर करों को तर्कसंगत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मैंने बजट पर वाद-विवाद के जवाब में यह उल्लेख किया था कि 1 अप्रैल, 2001 से देश में बिक्री कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को एक साथ रखते हुए मूल्य वर्द्धित कर प्रणाली की ओर बढ़ने की ठान लिया है। इस प्रकार, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है।

दूसरा मुद्दा, विनिवेश का मुद्दा उठाया गया था। मैं विनिवेश पर सामान्य चर्चा पर नहीं जाऊंगा। इस तथ्य पर काफी कुछ कहा गया कि माडर्न फूडस लिमिटेड को सस्ते में बेच दिया गया है। सरकार की ओर से यह स्पष्टीकरण देना मेरा कर्त्तव्य है कि माडर्न फूडस लिमिटेड का मामला संपत्ति विक्रय का मामला नहीं था। इसमें माडर्न फूडस लिमिटेड के शेयरों को बेचा गया था। हमने माडर्न फूडस लिमिटेड को शत-प्रतिशत नहीं बेचा है; माडर्न फूडस लिमिटेड का 26 प्रतिशत हिस्सा अभी भी हमारे पास है। सभी उठाई गई आपत्तियों के बावजूद, 1998 के बजट भाषण में मैंने कहा था कि अधिकांश मामलों में सामरिक महत्व न रखने वाले उद्योगों में सरकार की हिस्सेदारी को 26 प्रतिशत तक कम कर दिया जाएगा और बाहरवीं लोक सभा द्वारा

उसे अनुमोदित भी किया गया था। माडर्न फूडस लिमिटेड सामरिक महत्व का उद्योग नहीं था। इस प्रकार, उस नीति के अनुसार हमने 74 प्रतिशत तक विनिवेश किया है।

किसी के द्वारा यहां एक मुद्दा उठाया गया था कि हमने 2,000 करोड़ रुपए के बराबर की संपत्ति को सस्ते में बेच दिया है। हमने सभी का मूल्यांकन किया था। सभी चीजों का मूल्यांकन किया गया था। माडर्न फूडस लिमिटेड की भूमि, भवनों, फ्लैटों इत्यादि सहित कुल संपत्तियों का बाजार मूल्य 109 करोड़ रुपया होता है। हमने उससे काफी ज्यादा प्राप्त किया। जिस शेयर का अंकित मूल्य 1,000 रुपए था, उसका हमें 11,489 रुपए प्राप्त हुए। यह वह मूल्य है जिसे हमने हमारे शेयरों के एवज में पाया है।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी (अमरोहा) : इवैल्यूएशन किससे कराया?

श्री यशवन्त सिन्हा : आपसे नहीं कराया, और लोगों से कराया जो इसमें ऐक्सपर्ट हैं। जिन्होंने कहा था 2000 का है, उनसे नहीं कराया था। उनको मैं इनवाइट करता हूं कि वह भी इवैल्यूएशन कर लें और करने के बाद बताएं।

[अनुवाद]

महोदय, कृषि क्षेत्र के बारे में भी प्रश्न उठाया गया था कि सरकार इस क्षेत्र की अवहेलना कर रही है। मैं संक्षिप्त में इसके संदर्भ में कहूंगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए तीन बजटों में मैंने कृषि को बढ़ावा देने के लिए पिछली परिपाटियों से हटकर कई नए कदम उठाए हैं। इस संबंध में मेरे पिछले बजट भाषण में मैंने इस अभिव्यक्ति का प्रयोग किया था कि :

[हिन्दी]

"किसानों को क्या चाहिए। किसान को पानी और पैसा चाहिए।" *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

आज हम सूखे की बात कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन) : खाद भी चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : उसके पास पैसा रहेगा तो खाद भी खरीदेगा और बीज भी खरीदेगा। मैंने कहा था कि किसान के लिए अगर हम यह सुविधाएं उपलब्ध करा देते हैं, सिंचाई और आवश्यक ऋण की सुविधा उपलब्ध करा देते हैं तो इस देश का किसान खुशहाल हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने क्षेत्र में जब मैं घूमता हूं और वहां के किसान कहते हैं कि हमारे लिए सिंचाई की व्यवस्था करा दीजिए, मैं इसको कश्मीर का चमन बनाकर दिखा दूंगा, लेकिन पानी नहीं है और आज हम इस सदन में ड्राउट का उल्लेख कर रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : उड़ीसा और गुजरात में लाइवस्टॉक का पॉपुलेशन खत्म हो गया।

पशुधन का विनाश हो गया है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री यशवंत सिन्हा : हमें दहशत नहीं फैलानी चाहिए... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, कृपया उन्हें पूरा करने दीजिए।

श्री यशवंत सिन्हा : हम एक कठिन परिस्थिति से जूझ रहे हैं परंतु दहशत फैलाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो भी हम कहते हैं उसका प्रभाव अन्य लोगों पर पड़ता है।...*(व्यवधान)* ऐसा नहीं है। मैं नहीं जानता...*(व्यवधान)* हमने गुजरात में दोनों शासन की ओर से एवं अपनी पार्टी की ओर से दल भेजे हैं और उन्होंने हमें ऐसी तस्वीर नहीं बताई है।...*(व्यवधान)*

महोदय, कृषि ऋण के बारे में, हमने 50 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए हैं। इस वर्ष के लिए क्या लक्ष्य है? इस वर्ष 75 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए जाने का लक्ष्य है। मैं विगत वर्ष वाटरशेड मैनेजमैंट स्कीम लेकर आया था। मैंने इसे 31 प्रतिशत तक बढ़ाया था। श्री नारायण दत्त तिवारी जी मुझसे पूछ रहे थे कि उसका 'क्या हुआ ?' हम आपकी कुटिर ज्योति योजना सहित सभी योजनाओं के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करते हैं। श्री नारायण दत्त तिवारी जी, आप मेरे प्रतिष्ठित पूर्ववर्तियों में से एक रहे हैं, आप जानते हैं कि जब कोई योजना पेश की जाती है तो उस पर अनुवर्ती कार्रवाई भी की जाती है। मैंने व्यक्तिगत रूप से संबंधित मंत्रालयों के सचिवों की बैठक बुलाई तथा न केवल पिछले वर्ष बल्कि उससे भी पहले के वर्षों में बजटों में की गई घोषणाओं के कार्यान्वयन के मुद्दे पर उनसे चर्चा की है। मैं कार्रवाई करता हूं और मैं कार्रवाई करूंगा जब मैं इस बजट पर क्रियाशील होऊंगा। परंतु सभी योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। लघु ऋण योजना सहित मेरे द्वारा बजट में घोषित योजनाओं की कारगरता के संबंध में किसी शंका को दिल में न रखें।

महोदय, इस वर्ष के बजट में ग्रामीण उद्योग विकास कोष को बढ़ाकर 4,500 करोड़ रुपया किया गया है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का 4,500 करोड़ रुपया बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों में सहायता देने में जाएगा।

महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि चाहे गरीबी हो या बेराजगारी, हमने यह सुनिश्चित करने, कि इन मुद्दों पर बजटीय सहायता के माध्यम से ध्यान दिया जाए, कई कदम उठाए हैं। और, हमने राज्य सरकारों से भी इसमें पूर्णरूपेण भाग लिए जाने को सुनिश्चित करने हेतु अनुरोध किया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि पहली बार हमने आर्थिक नीतियों के संबंध में एवं सुधार कार्यक्रमों के संबंध में राज्य सरकारों को पूरी तरह विश्वास में लिया है। महोदय, क्या मैंने ऐसा नहीं किया है?...*(व्यवधान)* मैं पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री से अत्यधिक मित्रवत

[श्री यशवन्त सिन्हा]

एवं हार्दिक आधार पर व्यवहार नहीं कर रहा हूं। यदि आप राज्यों के वित्त मंत्रियों की स्थायी समिति के संयोजन को देखें, जो इन मुद्दों पर विचार कर रहे हैं, हम अपने उत्तरदायित्वों को निर्वहन रहे हैं, और इसलिए शायद हम इस सभा में राजनीतिक रुख अपना सकते हैं। वाद विवाद के दौरान कटाक्ष करते हुए हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा बनाना बहुत आसान बात है, परंतु यह तथ्य अपनी जगह सही है कि हम सब, राजनीतिक दलों की दलबंदी से ऊपर उठकर, राज्य में, केन्द्र में जहां कहीं भी सत्ता में हैं, इस बात के प्रति जागरूक हैं कि समस्याएं क्या हैं और परेशानी कहां हो रही है। और इसीलिए, यह एक सामान्य उपाय है जिसे हमने इस तरह अपनाया है।

अपराह्न 4.00 बजे

यह आर्थिक नीतियों एवं आर्थिक सुधारों के बारे में राजनीतिक आम सहमति है, जो मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में इस देश के लिए उपयोगी सिद्ध होने जा रहा है।

यह अंतिम मुद्दा है जिसे मैं उठा रहा हूं एवं मैं पूरा कर दूंगा। पिछले दो वर्षों में हमने प्रधानमंत्री के गतिशील नेतृत्व में देश में ज्ञान आधारित उद्योग को बढ़ावा देने हेतु अपने रास्ते से हटकर कार्य किया है और मेरे द्वारा कल घोषित की गई कुछ अन्य छूटें भी मुख्यत: ज्ञान आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ही है। मैंने 17 जनवरी, 2000 के बिजनेस वर्ल्ड में प्रकाशित एक बहुत ही दिलचस्प लेख पढ़ा। जिसका शीर्षक है "ज्ञान ही ईश्वर है"। यह चर्मपत्र पर हस्त-लिखित पाठ है जिसकी खोज उन्होंने दौलताबाद में की है। यह पूर्व में देवनगरी के रूप में जाना जाता था। यह श्री भाष्कराचार्य की वार्ता है जिन्होंने तब अपने शिष्य को, अन्य बातों के अतिरिक्त कहा कि :

> "मैंने स्वप्न में देखा है कि आज से कई शताब्दियों के पश्चात् विश्व का संचालन महान संगणक यंत्र द्वारा किया जाएगा। हमारे लोग अनन्य रूप से इस युग पर प्रभुत्व जमाने के लिए प्रतिष्ठापित होंगे।"

यह चर्मपत्र पर श्री भाष्कराचार्य का 12वीं शताब्दी ईस्वी का अभिलेख था। वे कहते हैं :

> "हमारे लोग अनन्य रूप से इस युग पर प्रभुत्व जमाने के लिए प्रतिष्ठापित होंगे।"

वे आगे कहते हैं कि :

> "जब शून्य की समस्या विश्व को बाधित करने की धमकी देता है, यह सहायता के लिए हमारे लोगों के पास आएगा। वे समस्या का समाधान करेंगे और, इस प्रक्रिया में, ज्ञान के युग में अपनी प्रतिभा को सिद्ध कर देंगे। भूमि समृद्ध होगी। हमारे लोग एक बार फिर उपनिषदीय स्वप्न प्राज्ञा ब्रह्म, ज्ञान ही ईश्वर है, का अन्वेषण करेंगे।

यह 12वीं शताब्दी ईस्वी के श्री भाष्कराचार्य का कथन है जिसे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी पर उस स्वप्न को हकीकत में बदलने की जिम्मेदारी छोड़ दी गई है। यही हमने किया है।...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या प्रधानमंत्री ने इस विवरण को स्वीकार किया है? उन मुद्दों का क्या हुआ जो कि आज देश से सरोकार रखते हैं ? वित्त मंत्री बहुत अच्छे ढंग से इनका चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं और मैं कहता हूं कि वह देश का सही चित्र नहीं है। सच यही है। चाहे आप कुछ भी कहें, लेकिन उनके पास अस्थाई बहुमत है। डा० नितीश सेनगुप्ता जो कि हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हैं, के अलावा सभी के चेहरे खिन्न हैं। वित्त मंत्री जी ने आयकर की वसूली के बारे में बात की। उस खाद की धनराशि का क्या हुआ जिसे कि खाद कंपनियों द्वारा आहरित किया गया था और वह भी अपनी नामप्लेटों को स्वर्णिम अक्षरों में बनाकर के? उनके पास 2000 करोड़ रुपए बकाया हैं और यदि इसकी उनसे वसूली नहीं की गई तो इस राजसहायता में आप कमी नहीं कर पाएंगे। खाद पर राजसहायता का भुगतान किया जा रहा है। जिस धनराशि में कमी की गई है वास्तव में उसका भुगतान किसानों द्वारा किया जाता है। दुर्भाग्यवश, दूसरी सभा के नेता का कहना है कि खाद कंपनियों के देयों में कमी कर ली गई है। मुझे खेद यह कहना पड़ रहा है कि यह पूर्णरूप से भ्रामक है क्योंकि बिक्री मूल्यों में वृद्धि की गई है। खादों के बिक्री मूल्य बढ़ा दिए गए हैं और इसका पूरा भार उन किसानों के पास चला गया है जिनके लिए आप कुछ आंसू बहा रहे हैं। इसलिए, पूर्ण विनम्रता के साथ मैं आपसे जानना चाहता हूं कि खाद राजसहायता के संबंध में आपके पास क्या प्रस्ताव है।

मैं जानना चाहूंगा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित मूल्यों के संबंध में आपके पास क्या प्रस्ताव है। यहां मुझे विश्वास है कि सुबह की तरह, सभा के हर दल सदस्य इस मुद्दे पर मेरे साथ होंगे। सभा के अधिकतर सदस्य इस मुद्दे पर मेरे साथ होंगे जिनमें श्री मुरासोली मारन, वाणिज्य मंत्री भी शामिल हैं क्योंकि उन्हें भी अपने राज्य में यह बात खल रही है। मैं इस पर माननीय वित्त मंत्री से स्पष्ट उत्तर चाहूंगा।

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, मैं, श्री सोमनाथ चटर्जी के साथ गरीबी रेखा से नीचे के लोगों, किसान वर्ग तथा गृहणियों पर डाले गए इस कमरतोड़ बोझ के मामले पर अपने आपको भी पूर्णत: सहयोजित करना चाहूंगा। हम कुछ राहत लिए जाने की आशा कर रहे थे, जिससे कि किसी तरह से उनका बोझ कुछ कम हो सके विशेषकर उन किसानों का जो कि आज सूखे से पीड़ित हैं। माननीय वित्त मंत्री जी को यह कहते सुनकर मुझे अत्यधिक आश्चर्य हुआ कि उन्होंने गुजरात का दौरा किया और वहां की स्थिति इतनी भयावह नहीं है। उन्होंने कहा कि वहां इतनी भयावह स्थिति नहीं है। मैं कल गुजरात में था। वहां पर लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं वह अविश्वसनीय है, वहां राहत शिविरों में अव्यवस्था फैली हुई है तथा लोगों को मजदूरी भी नहीं दी जा रही है...*(व्यवधान)*

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : महोदय, यह ठीक नहीं है...*(व्यवधान)* मैं उस राज्य से हूं। मैं कह सकता हूं कि यह ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी यहीं पर हैं। वह उत्तर दे सकते हैं, कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मंत्री जी को बाधा नहीं डालनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*। मैं माननीय मंत्री जी से बाधा न डालने का आग्रह करूंगा। यह शोभा नहीं देता है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया अपनी सीट ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया : मैं नहीं समझता कि हम यह बताना चाह रहे हैं कि माननीय वित्त मंत्री को क्या कहना चाहिए और इसी तरह से हमसे यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि हमें क्या कहना चाहिए। संसद एक ऐसा मंच है जहां हर एक को अपने विचार बिना किसी दबाव के स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने चाहिए। दुर्भाग्यवश, संसदीय कार्यमंत्री द्वारा आज सुबह प्रस्तुत किए गए उदाहरण से अन्य सभी सदस्यों को प्रतिस्पर्द्धा नहीं करनी चाहिए। यह मेरा विनम्र निवेदन है।

हम सभी लोग यह सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे कि आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, किसानों तथा गृहणियों को इस कमरतोड़ महंगाई से क्या राहत देने जा रहे हो।

दूसरा स्पष्टीकरण मैं मार्डन फूड के बारे में मांगना चाहता था। आपने मार्डन फूड का जिक्र किया और बताया कि शेयरों का पुनर्मूल्यन किया जा रहा है। इस संबंध में मैं जानना चाहूंगा कि जब मार्डन फूड का पुनर्मूल्यांकन किया गया था तो क्या वास्तविक संपदा का मूल्य, मूल्यह्रास के रूप में लगाया गया था? या क्या वास्तविक संपदा मूल्य को बाजार लागत पर किया गया था और तब उन्हें उन पुनर्मूल्यांकित शेयर मूल्यों में शामिल किया गया जिन पर आपके लेखापरीक्षक या जिसने इसकी गणना की थी पहुंचे हैं? क्या वास्तविक संपदा का बाजार मूल्य लिया गया था? या यह कम करके आंका गया है? तभी, हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड ने स्पष्ट रूप से कहा है कि लगभग 4500 कर्मियों में से केवल 700 कर्मियों को ही नियोजित रखा जाएगा और 3800 कर्मियों को धीरे-धीरे छंटनी की जाएगी। मैं समझता हूं कि यह सरकार की जिम्मेदारी है। हम इनके सुरक्षा तंत्र की बात तो करते हैं लेकिन हम यह भी देखना चाहते हैं कि यह सुरक्षा तंत्र प्रचलन में रहे। क्या आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये लोग अपने काम से हाथ न धो पाएं? यदि वे ऐसा कर देते हैं तो क्या वहां ऐसा अवसर उपलब्ध है कि उनकी पुनर्तैनाती या काम बहाली हो सके? यदि सब बातें व्यर्थ हो जाती हैं तो सुरक्षा तंत्र उन्हें कितना देगा ताकि उन लोगों जिन्हें कि बाहर कर दिया जाएगा को उचित रूप से वास्तविक सेवानिवृति लाभ मिल सके?

[हिन्दी]

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्रीमन्, कल मैंने स्पष्टीकरण... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम इस विषय को चर्चा के लिए नहीं रख रहे हैं। इस समय, हम केवल दलों के नेताओं को स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति ही देंगे।

(व्यवधान)

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन) : जो कुछ मैंने कल कहा था, उन्होंने उसकी अनदेखी कर दी। मैं उसका उत्तर चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपने कल चर्चा में भाग लिया था। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्रीमन्, कल मैंने अपने निवेदन में गरीबी के बढ़ते हुए दबाव के संबंध में आंकड़े दिए थे। वह कोई पार्टी का प्रश्न नहीं है, राजनीति का प्रश्न नहीं है। साथ ही साथ पढ़े-लिखे नौजवानों में बढ़ती हुई बेरोजगारी के संबंध में हमारा नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री के इम्पलायमेंट पर तो ध्यान है, बाकी एम्पलायमेंट कहां से मिलेगा, सब जगह नोलिज बेस्ड पब्लिक स्कूल नहीं, कम्प्यूटर स्कूल नहीं है। मैंने उस ओर भी ध्यान दिलाया कि जो सरकार की नीति है कि बेकारी कम कैसे होगी, रोजगार कैसे बढ़ेंगे और फिर जो गरीब तबका है, जो पिछड़े वर्ग और पिछड़ रहे हैं, जो रीजनल इम्बेलेंस हैं, वह देश में बढ़ रहा है। पांच राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में ज्यादा गरीबी है, 13 राज्यों में कम गरीबी है और 5-6 राज्यों में ज्यादा है और वह गैप बढ़ रहा है। इस संबंध में मैंने सरकार की नीति का स्पष्टीकरण चाहा था। मैं जानना चाहूंगा और इस परिप्रेक्ष्य में जो अभी मेरे सहयोगी ने कहा कि क्या यह तथ्य नहीं है, क्या रिजर्व बैंक ने इस संबंध में नहीं कहा है, क्या रिजर्व करंसी ऑफ फाइनेंस रिपोर्ट में नहीं है, क्या जो दूसरी इसमें रिपोर्टें हैं, उनके बारे में नहीं है। यह पार्टी का प्रश्न नहीं है, यह सारे देश के सामने ज्वलन्त प्रश्न है। इस सवाल का मुझे स्पष्टीकरण चाहिए, जिसका दुर्भाग्यवश हमें स्पष्टीकरण नहीं मिला।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब केवल छोटे स्पष्टीकरणों के लिए अनुमति दी जाती है। श्री पांडियन।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : मैं वरिष्ठ नेताओं द्वारा स्पष्टीकरण पूछे जाने को समझ सकता हूं। अन्यथा हमने इस पर लगभग नौ घंटे तक विचार-विमर्श किया है।

श्री पी०एच० पांडियन (तिरुनेलवेली) : महोदय, सरकार ने अधिसूचित किया है कि दूध और दूध उत्पादों का आयात बिना किसी प्रतिबंध के किया जा सकेगा और उसी समय घरेलू उत्पादकों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं जो कि दूध और दूध उत्पाद आदेश 1992 में निहित है। क्या इन्हें हटाया जाएगा या ये ऐसे ही रहेंगे जिससे कि घरेलू निर्माताओं के हितों को संरक्षित रखा जा सके? मैं माननीय मंत्री जी से इसका उत्तर चाहता हूं।

श्री रूपचंद पाल : मैं एक विशेष मुद्दे पर बोलना चाहता हूं। मैंने अपने भाषण के दौरान कहा था कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें देश की सर्वाधिक लाभार्जक कंपनियों के रूप में देखा जाता है। वे उपबंधित न्यूनतम एल्टरनेट करके रूप में मात्र 7.5 प्रतिशत का भुगतान करते हैं जबकि अन्य विनिर्धारित 35 प्रतिशत का भुगतान कर रहे हैं। सरकार उन लाभार्जक कंपनियों के विरुद्ध क्या प्रस्ताव कर रही है जो कि सरकार को राजस्व की दृष्टि से वंचित कर रही है?

श्री एस० बंगरप्पा : यह मामला उन कतिपय वस्तुओं पर आयात शुल्क से संबंधित है जिनका कि हम आयात करते हैं। अखबारी कागज का ही उदाहरण लें। वास्तव में, इस पर कोई आयात शुल्क नहीं लगता। जहां तक अखबारी कागज का संबंध है। हमारे देश में कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश तथा अन्य जगह भी इसकी फैक्टरियां पूरी तरह से प्रभावित हुई हैं। सारे गोदाम भरे पड़े हैं और बाजार मूल्य पर इसे खरीदने के लिए खरीददार नहीं हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वे आयातित अखबारी कागज पर आयात शुल्क लगाने की सोच रहे हैं ताकि हमारा अखबारी उत्पादन उच्च दर पर बढ़ सके और कम कीमतों पर उपलब्ध हो सके...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : जब हम बजट पर चर्चा कर रहे थे तो मैंने माधवराव सिंधिया द्वारा उठाए गए मुद्दे पर भी प्रकाश डाला था। तब मैंने कहा था कि मैं समझ सकता हूं कि यह कीमतों का मुद्दा सोमनाथ चटर्जी उठाने जा रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपके सहयोगी दल ही ऐसी धमकी दे रहे हैं।

श्री यशवंत सिन्हा : लेकिन, उन्होंने इस समय इस मुद्दे को उठाया है। इस समय आपने यह मुद्दा उठाया है। बजट पर चर्चा का उत्तर देते हुए मैंने कहा था कि मैं समझ सकता हूं यदि वे इस मुद्दे को उठाते हैं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को क्यों उठाया है। यह बात बिल्कुल ही मेरी समझ में नहीं आई। मैं कुछ आंकड़ों के बारे में बता रहा था। मैं औसत की ही बात करूंगा। श्री माधवराव सिंधिया कह रहे थे, 'गरीबों पर मूल्य वृति का अत्यधिक बोझ', मैं इसे दोहराता हूं, 'मूल्य वृद्धि का अत्यधिक बोझ'।

वर्ष 1992-93 में जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी—मैं वर्ष 1991-92 को शामिल नहीं कर रहा हूं—उस समय मुद्रा स्फीति दर 7 प्रतिशत थी, वर्ष 1993-94 में 10.8 प्रतिशत तथा वर्ष 1994-95 में यह 10.4 प्रतिशत थी।

श्री माधवराव सिंधिया : आप इस मुद्दे से बचना चाहते हैं।

श्री यशवन्त सिन्हा : क्या बचना चाहते हैं? बचने की जरूरत आपको है।...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या आप उनका अनुसरण कर खुश हैं? क्या आप उनसे प्रतिस्पर्द्धा करके खुश हैं?

श्री यशवंत सिन्हा : उन चार वर्षों की औसत मूल्य वृद्धि 8.2 है। उस दौरान यह हुआ था।...*(व्यवधान)* जब संयुक्त मोर्चा सरकार दो वर्षों तक सत्ता में रही तो यह औसत 6.1 प्रतिशत था और हमारी सरकार के दो वर्षों के कार्यकाल में यह औसत 4.5 प्रतिशत है।

[हिन्दी]

आप कीमतों की बात करते हैं, यहां पर पी०डी०एस० और फर्टिलाइजर्स की बात कांग्रेस के लोग उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या क्रशिंग बर्डन डाल दिया है।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : सिर्फ कांग्रेस के लोग ही नहीं कह रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : चार बार 1991 से 1996 के बीच कांग्रेस की सरकार ने पी०डी०एस० और फर्टिलाइजर के दामों को उठाने का काम किया था।

[अनुवाद]

राजेश पायलट (दौसा) : यूरिया की कीमतें वापस ले ली गईं।

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा : 1991 में आपने थोड़ा-सा रोलबैक किया था। मेरे मित्र शांता कुमार जी यहां बैठे हैं। उन्होंने आठ-नौ घंटे चली डिबेट का उत्तर देते हुए इस सदन में यह कहा कि जब कांग्रेस ने ऑफिस छोड़ा, मई 1996 में, उस समय गेहूं की कीमत पी०डी०एस० में क्या थी, क्या आप लोगों को पता है, अगर पता है तो बताएं ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसीलिए तो हटा दिया।

श्री यशवंत सिन्हा : उस समय पी०डी०एस० में गेहूं चार रुपए दो नए पैसे आप बेचते थे। यहां मेरे मित्र देवेन्द्र प्रसाद यादव जी बैठे हैं, जब ये संयुक्त मोर्चा की सरकार में मंत्री बने तो इन्होंने ए०पी०एल० और बी०पी०एल० का फर्क शुरू किया और कीमतों को बी०पी०एल० के लिए कम किया। साथ ही साथ यह भी फैसला किया कि 50 प्रतिशत जो इकोनॉमिक कॉस्ट होगी उसका बी०पी०एल० को चार्ज किया जाएगा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : यह फैसला नहीं था।

श्री यशवंत सिन्हा : आप बिना फाइल देखे हुए बोल रहे हैं, उस समय आप सरकार का समर्थन कर रहे थे। इसलिए

प्राइसेज के बारे में पूरे सदन को अधिकार है, वह जो चाहे, मुझसे कहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को यह अधिकार नहीं है।... *(व्यवधान)* जो सोमनाथ बाबू आंसुओं की बात कह रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि घड़ियाली आंसू वे बहा रहे हैं या मैं बहा रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : इस तर्क का कुछ तर्कसंगत अंत होना चाहिए ...*(व्यवधान)* मैंने उर्वरकों के मूल्यों को वहीं रखने के लिए संशोधन प्रस्तुत किया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री राजेश पायलट मुझे स्थिति स्पष्ट करने दीजिए। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

वित्त विधेयक, 2000 में संशोधन की सूचना श्री राजेश पायलट द्वारा 3 मई, 2000 को अपराह्न 3.26 बजे दी गई थी। यह संशोधन, जिस रूप में सभा पटल पर रखा गया था, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के अधीन अस्वीकार्य है क्योंकि यह विधेयक के किसी भी खंडों के लिए उपयुक्त नहीं है।

इसके अलावा यह सूचना, प्रक्रिया के नियमों के नियम 345 के अधीन कालातीत हो गई है।

इसलिए यह संशोधन अस्वीकार किया गया और परिचालित नहीं किया गया।

श्री राजेश पायलट : महोदय, यह कोई तर्क नहीं है। इस सरकार ने कार्यकारी आदेश के द्वारा मूल्य वृद्धि की है। कृपया मेरी बात सुनिए। सरकार ने कार्यकारी आदेश से उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि की है। उसमें कोई खंड नहीं है। मैं कार्यकारी आदेश को किस प्रकार संशोधित कर सकता हूं? यह सही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह नियम है।

श्री राजेश पायलट : उन्होंने कार्यकारी आदेश के द्वारा मूल्यों में वृद्धि की है। आप कार्यकारी आदेश को किस प्रकार संशोधित कर सकते हैं?

श्री के० येरननायडू (श्रीकाकुलम) : महोदय, हम वित्त विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। कृपया मुझे भी एक मिनट बोलने की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : हमने प्रक्रिया भाग पहले ही आरंभ कर दिया है।

श्री के० येरननायडू : सभी सहयोगियों की ओर से मैं केवल एक स्पष्टीकरण लेना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपका स्पष्टीकरण क्या है?

श्री के० येरननायडू : पिछली बार लेखानुदानों को पारित करने पर चर्चा करते हुए माननीय वित्त मंत्री ने स्पष्ट कहा था 'मैं सहयोगियों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की छानबीन करूंगा और जो भी संभव होगा, मैं ध्यान में रखूंगा' कृपया इसका अर्थ स्पष्ट करें।

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, राजसहायता पर एक पत्र था जिसे तब तैयार किया गया था जब संयुक्त मोर्चा सरकार पदासीन थी। वह पत्र संसद में प्रस्तुत किया गया था। हमने अभी परिव्यय आयोग की नियुक्ति की है। परिव्यय आयोग की सेवा शर्तों में से एक यह है कि राजसहायता पर विचार करना, क्योंकि वह सरकारी व्यय का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। उस पत्र के अनुसार जो आपकी सरकार के समय में तैयार किया गया था, सकल घरेलू उत्पाद का 14 प्रतिशत से अधिक भाग हर समय राजसहायता द्वारा व्यय किया जाता रहा है। परिव्यय आयोग को मैंने जो कहा है वह यह है कि खाद्य और उर्वरक राजसहायता के संबंध में अति शीघ्र रिपोर्ट दी जाए। हम उस लक्ष्य को किस प्रकार बेहतर कर सकते हैं? विभिन्न उदाहरण है जो राजसहायता के लक्ष्यों को बेहतर करने के बारे में विभिन्न अन्य देशों में उपलब्ध है और यही दिशा है जिस पर हम नीति बनाना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, हम विरोध में सभा भवन से बाहर जा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 4.22 बजे

(इस समय श्री सोमनाथ चटर्जी और कुछ अन्य सदस्य सभा भवना से बाहर चले गए।)

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, हम विरोध में सभा भवन से बाहर जा रहे हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, इस सरकार ने गरीब लोगों को धोखा दिया है। अत: हम विरोध में सभा भवन से बाहर जा रहे हैं।

अपराह्न 4.22¼ बजे

(इस समय श्री माधवराव सिंधिया और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

अपराह्न 4.22½ बजे

(इस समय श्री रघुवंश प्रसाद सिंह और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ करेगी।

खंड 2

आयकर

अध्यक्ष महोदय : खंड दो पर सरकारी संशोधन है। श्री यशवंत सिन्हा।

संशोधन

पृष्ठ 2,

पंक्ति 11 से पंक्ति 17 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए–

"(क) किसी कंपनी से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी है, संघ के प्रयोजनों के लिए, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार बढ़ा दिया जाएगा;

(ख) किसी देशी कंपनी की दशा में, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार बढ़ा दिया जाएगा।" (12)

पृष्ठ 2,–

पंक्ति 21 से पंक्ति 26 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए–

"(क) किसी कंपनी से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी है, संघ के प्रयोजनों के लिए, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार बढ़ा दिया जाएगा;"। (13)

पृष्ठ 2,–

पंक्ति 27 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए–

(ख) किसी देशी कंपनी की दशा में, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार बढ़ा दिया जाएगा।" (14)

(श्री यशवंत सिन्हा)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 और 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 5

धारा-दस का संशोधन

अध्यक्ष महोदय : खंड 5 के लिए सरकारी संशोधन है।

संशोधित किए गए :

पृष्ठ 4,–

पंक्ति 15 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए–

"(खक) खंड 23 के तीसरे परन्तुक में मद (ग) के पश्चात् निम्नलिखित मद 1 अप्रैल, 2001 से अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्–

"(घ) भारत में खेल या क्रीड़ा या भारत में खेल या क्रीड़ा के प्रयोजन के लिए अवसंरचना के विकास के प्रयोजनों के लिए धारा 80(छ) की उपधारा (2) के खंड (ग) में निर्दिष्ट दान के रूप में प्राप्त रकम को उपयोजित करती है।"।" (15)

पृष्ठ 5,–

पंक्ति 7 से 8 का लोप करें। (16)

(श्री यशवंत सिन्हा)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 5, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 6

धारा 10क का संशोधन

अध्यक्ष महोदय : खंड 6 एक सरकारी संशोधन है।

संशोधन किए गए :

धारा 10क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

पृष्ठ 6 में,–

खंड 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए–

'6. आय-कर अधिनियम की धारा 10क के स्थान पर निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2001 से रखी जाएगी, अर्थात्–

मुक्त व्यापार क्षेत्र आदि में स्थापित नए उपक्रमों की बाबत विशेष उपबंध।

"10क. (1) इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे लाभों और अभिलाभों की कटौती, जो किसी उपक्रम द्वारा

उस पूर्व वर्ष से, जिसमें ऐसा उपक्रम, यथास्थिति, ऐसी वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर का विनिर्माण या उत्पादन प्रारंभ करता है, सुसंगत निर्धारण वर्ष से आरंभ होने वाले दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए उन वस्तुओं, चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात से व्युत्पन्न है, निर्धारिती की कुल आय मे अनुज्ञात की जाएगी:

परंतु जहां उपक्रम की किसी निर्धारण वर्ष के लिए कुल आय की संगणना करने में इसके लाभों और अभिलाभों को इस धारा के उपबंधों को लागू करते हुए सम्मिलित नहीं किया गया था, जैसा यह वित्त अधिनियम, 2000 द्वारा इसके प्रतिस्थापन से ठीक पूर्व थी, वहां उपक्रम इस उपधारा में निर्दिष्ट कटौती के लिए पूर्वोक्त दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों की अनवसित अवधि के लिए ही हकदार होगा:

परंतु यह और कि जहां किसी मुक्त व्यापार क्षेत्र या किसी निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में आरंभिक रूप से अवस्थित कोई उपक्रम तत्पश्चात् ऐसे मुक्त व्यापार क्षेत्र या निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में संपरिवर्तन के कारण किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में अवस्थित हो जाता है, वहां इस उपधारा में निर्दिष्ट दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों की अवधि की संगणना उस पूर्ववर्ती वर्ष से, जिसमें उपक्रम ऐसे मुक्त व्यापार क्षेत्र या निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में पहली बार प्रस्थापित किया गया था, सुसंगत निर्धारण वर्ष से की जाएगी:

परंतु यह भी कि वस्तुओं या चीजों का कंप्यूटर साफ्टवेयर के ऐसे घरेलू विक्रयों से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ जो कुल विक्रयों के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं है, वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ समझे जाएंगे:

परंतु यह भी कि इस धारा के अधीन कोई कटौती किसी उपक्रम के लिए 1 अप्रैल, 2010 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष और पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

(2) यह धारा ऐसे किसी उपक्रम को लागू होती है जो निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करता है, अर्थात्:–

(i) वह,–

(क) किसी मुक्त व्यापार क्षेत्र में 1 अप्रैल, 1981 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले; या

(ख) यथास्थिति, किसी इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क में 1 अप्रैल, 1994 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले; या

(ग) किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में 1 अप्रैल, 2001 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले;

निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर का विनिर्माण या उत्पादन प्रारंभ कर चुका है या करता है;

(ii) वह पहले से विद्यमान किसी कारोबार को खंडित या पुनर्गठित करके नहीं बना है:

परंतु यह शर्त ऐसे किसी उपक्रम की बाबत लागू नहीं होगी, जो निर्धारती द्वारा 33ख में यथानिर्दिष्ट किसी ऐसे उपक्रम के कारोबार की उस धारा में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में और कालावधि के भीतर पुरस्थापन, पुनर्गठन या पुनःचालन के बना है;

(iii) वह में किसी प्रयोजन के लिए तत्पूर्व प्रयुक्त किसी मशीनरी या संयंत्र का नए कारोबार को अंतरण करके नहीं बना है।

स्पष्टीकरण–धारा 80झ की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण 1 और स्पष्टीकरण 2 के उपबंध इस उपधारा के खंड (iii) के प्रयोजनों के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उस उपधारा के खंड (ii) के प्रयोजन के लिए लागू होते हैं।

(3) यह धारा उस उपक्रम को लागू होती है यदि भारत से बाहर निर्यात की गई वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर के विक्रय आगम भारत में निर्धारिती द्वारा संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में पूर्व वर्ष की समाप्ति से छह मास की अवधि के भीतर या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो सक्षम प्राधिकारी इस निमित अनुज्ञात करे, प्राप्त किए जाते हैं या लाए जाते हैं।

स्पष्टीकरण 1–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "सक्षम प्राधिकारी" पद से भारतीय रिजर्व बैंक या ऐसा अन्य प्राधिकारी अभिप्रेत है जो विदेशी मुद्रा के संदायों और उसमें व्यौहारों को विनियमित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अंतर्गत प्राधिकृत है।

स्पष्टीकरण 2–इस उपधारा में विनिर्दिष्ट विक्रय आगम भारत में प्राप्त किए गए वहां समझे जाएंगे जहां ऐसे विक्रय आगम निर्धारिती द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से भारत से बाहर किसी बैंक में इस प्रयोजन के लिए रखे गए पृथक् खाते में जमा किया जाता है।

(4) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात से व्युत्पन्न लाभ वह रकम होगी जो कारबार के लाभों के उसी अनुपात में है जो ऐसी वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर की बाबत निर्यात आवर्त का निर्धारिती द्वारा किए गए कारबार के कुल आवर्त से है।

(5) उपधारा (1) के अधीन कटौती 1 अप्रैल, 2001 को यहां उसके पश्चात् आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए तब तक अनुज्ञेय नहीं होगी जब तक निर्धारिती धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित किसी लेखाकार की रिपोर्ट आय-कर विवरणी सहित, यह प्रमाणित करते हुए कि इस धारा के उपबंधों के अनुसार कटौती का सही रूप से दावा कर लिया गया है, विहित प्ररूप में प्रस्तुत नहीं कर दी जाती।

(6) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, सुसंगत निर्धारण वर्षों में से अंतिम निर्धारण वर्ष के ठीक बाद के निर्धारण से सुसंगत पूर्ववर्ष की निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में या पश्चात्वर्ती किसी निर्धारण वर्ष में सुसंगत किसी पूर्ववर्ष की निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में,–

(i) धारा 32, धारा 32क, धारा 33, धारा 35 और धारा 36 की उपधारा (1) का खंड (9) उसी प्रकार लागू होंगे, मानो उनमें निर्दिष्ट प्रत्येक मोक या कटौती, जो किसी भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर के संबंध में जो ऐसे निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में उपक्रम के कारबार के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त है, सुसंगत निर्धारण वर्षों में से किसी से संबंधित या उसके लिए अनुज्ञेय है, या ऐसे पूर्ववर्ष में ऐसे कारबार के प्रयोजनों के लिए उपगत कोई व्यय उसी निर्धारण वर्ष के लिए पूर्ण रूप से प्रभावी किया गया है और तद्नुसार यथास्थिति धारा 32 की उपधारा (2), धारा 32क की उपधारा (3) के खंड (ii), धारा 33 की उपधारा (2) के खंड (ii), धारा 35 की उपधारा (4) या धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (ix) के द्वितीय परन्तुक के उपबंध ऐसे मोक या कटौती के संबंध में लागू नहीं होंगे;

(ii) धारा 72 की उपधारा (1) या धारा 74 की उपधारा (1) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट कोई हानि जहां तक ऐसी हानि उपक्रम के कारबार से संबंधित है, अग्रनीत या मुजरा नहीं की जाएगी, जहां ऐसी हानि सुसंगत निर्धारण वर्षों में से किसी के संबंध में है;

(iii) उपक्रम के लाभों और अभिलाभों के संबंध में, धारा 80जज या धारा 80जजक या धारा 80झ या धारा 80झक या धारा 80झख के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी; और

(iv) धारा 32 के अधीन अवक्षयण मोक की संगणना करने में, किसी आस्ति का जो औद्योगिक उपक्रम के कारबार के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त है, अवलिखित मूल्य इस प्रकार संगणित किया जाएगा मानो निर्धारिती ने प्रत्येक सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए अवक्षयण की बाबत कटौती का दावा किया हो और वह उसे अनुज्ञात की गई हो।

(7) धारा 80झक की उपधारा (8) और उपधारा (10) के उपबंध, जहां तक वे इस धारा में निर्दिष्ट उपक्रम के संबंध में लागू होते हैं जैसे वे धारा 80झक में निर्दिष्ट उपक्रम के प्रयोजनों के लिए लागू होते हैं।

(8) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी जहां निर्धारिती, धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी देने के लिए नियत तारीख से पूर्व निर्धारण अधिकारी को लिखित रूप में यह घोषणा देता है कि इस धारा के उपबंध उसको लागू न किए जाएं तो इस धारा के उपबंध किन्हीं भी सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए उसे लागू नहीं होंगे।

(9) जहां किसी पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान, उपक्रम में स्वामित्व या फायदाप्रद हित किसी साधन द्वारा अंतरित किया जाता है वहां उपधारा (1) के अधीन कटौती ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष और पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए निर्धारिती को अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण 1–इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसी कंपनी की दशा में, जहां किसी पूर्ववर्ष के अंतिम दिन, उस कंपनी में जिसके पास इक्यावन प्रतिशत से अन्यून मतदान शक्ति है, शेयर ऐसे व्यक्तियों द्वारा फायदाप्रद रूप में धारित नहीं है, जो उस कंपनी के शेयर धारित करते हैं जिसके पास उस वर्ष के अंतिम दिन इक्यावन प्रतिशत से अन्यून मतदान शक्ति है, जिसमें उपक्रम की स्थापना की गई थी वहां उस कंपनी के बारे में यह उपधारणा की जाएगी कि उसने उपक्रम में अपना स्वामित्व या फायदाप्रद हित अंतरित कर दिया है।

स्पष्टीकरण 2–इस धारा के प्रयोजनों के लिए,–

(i) "कंप्यूटर साफ्टवेयर" से,–

(क) किसी डिस्क, टेप, छिद्रित माध्यम या अन्य सूचना संग्रह युक्ति में अभिलिखित कोई कंप्यूटर कार्यक्रम; या

(ख) कोई ग्राहक-अपेक्षित इलेक्ट्रानिक डाटा या कोई उत्पाद या इसी प्रकृति की ऐसी कोई सेवा, जो बोर्ड द्वारा अधिसूचित की जाए,

अभिप्रेत है, जो भारत से बाहर किसी स्थान को किसी साधन द्वारा भारत से पारेषित या निर्यात की जाती है;

1973 का 46

(ii) "संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा" से ऐसी विदेशी मुद्रा अभिप्रेत है जो तत्समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 और तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य तत्समान विधि के प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा समझा जाता है;

(iii) "इलेक्ट्रानिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क" से, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित इलेक्ट्रानिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ई०एच०टी०पी०) स्कीम के अनुसरण में स्थापित कोई पार्क अभिप्रेत है;

(iv) "निर्यात आवर्त" से उपधारा (3) के अनुसरण में संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में निर्धारिती द्वारा भारत में प्राप्त

या लाई गई वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात के संबंध में प्रतिफल अभिप्रेत है किंतु इसके अंतर्गत भारत से बाहर वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर के परिदान से संबंधित भाड़ा, दूरसंचार प्रभार या बीमा अथवा भारत से बाहर उपलब्ध कराई गई तकनीकी सेवाओं में विदेशी मुद्रा में उपगत व्यय, यदि कोई है, सम्मिलित नहीं है;

(v) "मुक्त व्यापार क्षेत्र" कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र और सांताक्रुज इलेक्ट्रानिकी निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र अभिप्रेत है और इसमें कोई अन्य मुक्त व्यापार क्षेत्र सम्मिलित है जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा;

(vi) "सुसंगत निर्धारण वर्ष" से इस धारा में निर्दिष्ट दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों की अवधि के अंतर्गत आने वाला कोई निर्धारण वर्ष अभिप्रेत है;

(vii) "साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क" से ऐसी कोई पार्क अभिप्रेत है जो भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्कीम के अनुसारण में स्थापित किया गया है;

(viii) "विशेष आर्थिक क्षेत्र" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे इस धारा के प्रयोजनों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करें।" (17)

(श्री यशवंत सिन्हा)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 6, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 7

धारा 10(ख) का संशोधन

अध्यक्ष महोदय : खंड 7 में सरकारी संशोधन है। श्री यशवंत सिन्हा।

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 5 में,–

खंड 7 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए–

धारा 10ख के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

7. आय-कर अधिनियम की धारा 10ख के स्थान पर निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2001 से रखी जाएगी, अर्थात्:–

नवस्थापित शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रमों की बाबत विशेष उपबंध।

"10ख. (1) इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे लाभ और अभिलाभ की, जो किसी शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम को, वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात से, उस पूर्व वर्ष से, जिसमें ऐसा उपक्रम, यथास्थिति, वस्तु या चीज या कंप्यूटर साफ्टवेयर का विनिर्माण या उत्पादन आरंभ करता है, सुसंगत निर्धारण वर्ष से आरंभ होने वाले दस क्रमवर्ती वर्ष की अवधि के लिए व्युत्पन्न हुए हैं, कटौती निर्धारिती की कुल आय से अनुज्ञात की जाएगी:

परंतु जहां किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में उपक्रम की कुल आय की संगणना करने में उसके लाभ और अभिलाभ को इस धारा के उपबंधों, को जैसे वह वित्त अधिनियम, 2000 द्वारा इसके प्रतिस्थापन से ठीक पूर्व थे, लागू कर के सम्मिलित नहीं किया गया था वहां उपक्रम पूर्वोक्त दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्ष की अपर्यवसित अवधि के लिए भी इस धारा में निर्दिष्ट कटौती के लिए हकदार होगा:

परंतु यह और कि वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर के ऐसे घरेलू विक्रयों से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ जो कुल विक्रयों के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं है, वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ समझे जाएंगे:

परंतु यह भी कि इस धारा के अधीन कोई कटौती 1 अप्रैल, 2010 से प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष और पश्चात्वर्ती वर्षों में किसी उपक्रम को अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

(2) यह धारा ऐसे किसी उपक्रम को लागू होती है जो निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करता है, अर्थात्:–

(i) यह किसी वस्तु या चीज या कंप्यूटर साफ्टवेयर का विनिर्माण या उत्पादन करता है;

(ii) यह पहले से ही विद्यमान किसी कारोबार का विघटन या पुनर्संरचना करके नहीं बनाया गया है:

परंतु यह शर्त ऐसे किसी उपक्रम की बाबत लागू नहीं होगी, जो निर्धारिती द्वारा धारा 33ख में निर्दिष्ट किसी ऐसे उपक्रम के कारबार के उस धारा में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में और अवधि के भीतर पुनर्स्थापन, पुनर्संरचना या पुनरुज्जीवन के परिणामस्वरूप बनाया गया है;

(iii) यह किसी प्रयोजन के लिए पूर्व में उपयोग किए गए किसी मशीनरी या संयंत्र के नए कारबार में अंतरण द्वारा नहीं बनाया गया है।

स्पष्टीकरण—धारा 80झ की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण 1 और स्पष्टीकरण 2 के उपबंध इस उपधारा के खंड (iii) के प्रयोजनों के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उस उपधारा के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए लागू होते हैं।

(3) यह धारा उपक्रम को उस दशा में लागू होती है यदि भारत के बाहर निर्यात की गई चीजों या वस्तुओं या कंप्यूटर साफ्टवेयर के विक्रय आगम निर्धारिती द्वारा पूर्ववर्ष की समाप्ति से छह मास की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर जो सक्षम प्राधिकारी इस निमित्त अनुज्ञात करे, संपरिवर्तनीय मुद्रा में भारत में प्राप्त किए जाते हैं या लाए जाते हैं।

स्पष्टीकरण 1—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "सक्षम प्राधिकारी" पद से भारतीय रिजर्व बैंक या ऐसा अन्य प्राधिकारी अभिप्रेत है जो विदेशी मुद्रा में संदाय और व्यौहार विनियमित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्राधिकृत है।

स्पष्टीकरण 2—इस उपधारा में निर्दिष्ट विक्रय आगम वहां भारत में प्राप्त किए गए समझे जाएंगे जहां ऐसे विक्रय आगम निर्धारिती द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से इस प्रयोजन के लिए भारत के बाहर किसी बैंक में रखे गए पृथक् खाते में जमा किए गए हैं।

(4) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए वस्तु या चीज या कंप्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात से व्युत्पन्न लाभ वह रकम होगी जो कारोबार के लाभ के उस अनुपात में होती है जो ऐसी वस्तु या चीज या कंप्यूटर साफ्टवेयर की बाबत निर्यात आवर्त का निर्धारिती द्वारा किए जाने वाले कारोबार के कुल आवर्त में होता है।

(5) उपधारा (1) के अधीन कटौती 1 अप्रैल, 2001 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली किसी निर्धारण वर्ष के लिए तभी अनुज्ञेय होगी जब निर्धारिती धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित लेखाकार की रिपोर्ट आय की विवरणी के साथ विहित प्ररूप में यह प्रमाणित करते हुए प्रस्तुत करता है कि कटौती का दावा इस धारा के उपबंधों के अनुसार सही प्रकार से किया गया है।

(6) इस धारा के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी किसी निर्धारिती की सुसंगत निर्धारण वर्षों से ठीक उत्तरवर्ती अंतिम निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष की या किसी पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष की कुल आय की संगणना करने में,—

(i) धारा 32, धारा 32क, धारा 33, धारा 35 और धारा 36 की उपधारा (1) का खंड (ix) इस प्रकार लागू होंगे मानो उस निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में उपक्रम के कारबार के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किसी भवन, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर के संबंध में किसी सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए उसमें निर्दिष्ट और उससे संबंधित या अनुज्ञेय प्रत्येक मोक या कटौती या ऐसे पूर्ववर्ष में उस कारबार के प्रयोजनों के लिए उपगत किसी व्यय को स्वत: उस निर्धारण वर्ष के लिए पूर्ण प्रभाव दिया गया हो और तदनुसार, यथास्थिति, धारा 32 की उपधारा (2), धारा 32क की उपधारा (2) का खंड (ii), धारा 33 की उपधारा (2) का खंड (ii), धारा (35) की उपधारा (4), या धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (ix), का दूसरा परंतुक ऐसे किसी मोक या कटौती के संबंध में लागू नहीं होगा।

(ii) धारा 72 की उपधारा (1) या धारा 74 की उपधारा (1) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट हानि जहां तक ऐसी हानि उपक्रम के कारबार से संबंधित है, वहां अग्रनीत या मुजरा नहीं की जाएगी जहां ऐसी हानि किसी सुसंगत निर्धारण वर्ष से संबंधित है।

(iii) उपक्रम के लाभ और हानि के संबंध में कोई कटौती धारा 80जज या धारा 80जजक या धारा 80झ या धारा 80झक या धारा 80झख के अधीन अनुज्ञात की जाएगी।

(iv) धारा 32 के अधीन अवक्षयण मोक की संगणना करने में उपक्रम के कारबार के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किसी आस्ति का अवलिखित मूल्य इस प्रकार संगणित किया जाएगा मानो निर्धारिती ने प्रत्येक सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए अवक्षयण की बाबत कटौती का दावा किया था और उसे वास्तव में अनुज्ञात किया गया था।

(7) धारा 80झक की उपधारा (8) और उपधारा (10) के उपबंध जहां तक हो सके इस धारा में निर्दिष्ट उपक्रम के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे धारा 80झक में निर्दिष्ट उपक्रम के प्रयोजनों के लिए लागू होते हैं।

(8) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, जहां निर्धारिती धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से पूर्व निर्धारण अधिकारी को लिखित रूप में यह घोषणा प्रस्तुत करता है कि इस धारा के उपबंध उसे लागू नहीं किए जाने चाहिए वहां इस धारा के उपबंध किसी सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए उसे लागू नहीं होंगे।

(9) जहां किसी पूर्ववर्ष के दौरान उपक्रम में स्वामित्व या फायदाप्रद हित किसी साधन द्वारा अंतरित किया जाता है वहां ऐसे पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष और पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए निर्धारिती को उपधारा (1) के अधीन कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण 1—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ऐसी कंपनी की दशा में, जहां किसी पूर्ववर्ष के अंतिम दिन, उस कंपनी में जिसके पास इक्यावन प्रतिशत से अन्यून मतदान शक्ति है, शेयर ऐसे व्यक्तियों द्वारा फायदाप्रद रूप में धारित नहीं है, जो उस कंपनी के शेयर धारित करते हैं जिसके पास उस वर्ष के अंतिम दिन इक्यावन प्रतिशत से अन्यून मतदान शक्ति है, जिसमें उपक्रम की स्थापना की गई थी वहां उस कंपनी के बारे में यह उपधारणा की जाएगी कि उसने उपक्रम में अपना स्वामित्व या फायदाप्रद हित अंतरित कर दिया है।

स्पष्टीकरण 2—इस धरा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "कंप्यूटर साफ्टवेयर" से अभिप्रेत है,—

(क) किसी डिस्क, टेप, छिद्रित माध्यम या अन्य सूचना संग्रह युक्ति पर किसी कंप्यूटर प्रोग्राम का अभिलेखन; या

(ख) कोई ग्राहक-अपेक्षित इलेक्ट्रानिक आंकड़ा या समान प्रकृति का ऐसा कोई उत्पाद या सेवा, जो बोर्ड द्वारा अधिसूचित की जाए,

जो किसी साधन द्वारा भारत के बाहर किसी स्थान में भारत से पारेषित या निर्यात किया गया है;

1973 का 46

(ii) "संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा" से ऐसी विदेशी मुद्रा अभिप्रेत है जिसे विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 और तदधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य तत्स्थानी विधि के प्रयोजनों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तत्समय संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा समझा गया है;

(iii) "निर्यात आवर्त" से निर्धारिती द्वारा उपधारा (3) के अनुसरण में संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में भारत में प्राप्त की गई या लाई गई चीजों या वस्तुओं या कंप्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात की बाबत प्रतिफल अभिप्रेत है किंतु इसके अंतर्गत भारत के बाहर चीज या वस्तु या कंप्यूटर साफ्टवेयर के परिदान के लिए माना जा सकने वाला प्रभार, दूरसंचार प्रभार या बीमा अथवा भारत के बाहर तकनीकी सेवाएं उपलब्ध कराने में विदेशी मुद्रा में उपगत व्यय, यदि कोई है, नहीं है;

1951 का 65

(iv) "शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम" से ऐसा उपक्रम अभिप्रेत है जो उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 14 और उस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त बोर्ड द्वारा शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया है;

(v) "सुसंगत निर्धारण वर्ष" से इस धारा में निर्दिष्ट दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों की अवधि के भीतर आने वाला कोई निर्धारण वर्ष अभिप्रेत है।"। (18)

(श्री यशवंत सिन्हा)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 7, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8 से 10 विधेयक में जोड़ दिए गये।

नियम 80(i) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

श्री यशवंत सिन्हा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 80 के खंड (i) से संबंधित वित्त विधेयक, 2000 में सरकारी संशोधन सं० 19 को लागू होने को उस सीमा तक निलंबित करता है जहां तक इसके द्वारा यह अपेक्षित है कि यह संशोधन विधेयक की परिधि के भीतर है और उस खंड, जिससे वह संबंधित है, की विषय-वस्तु से सुसंगत है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 80 के खंड (i) से संबंधित वित्त विधेयक, 2000 में सरकारी संशोधन सं० 19 को लागू होने को उस सीमा तक निलंबित करता है जहां तक इसके द्वारा यह अपेक्षित है कि यह संशोधन विधेयक की परिधि के भीतर है और उस खंड, जिससे वह संबंधित है, की विषय-वस्तु से सुसंगत है और हय कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 10क

धारा 17 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 57 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए—

'10क. आय-कर अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) में, 1 अप्रैल, 2001 से,—

(क) उपखंड (iii) में किन्तु स्पष्टीकरण के पहले निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह कि इस उपखंड की कोई बात किसी कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को मुफ्त या कर्मचारी स्टाफ विकल्प योजना या उक्त कंपनी की स्कीम के अधीन प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: शेयरों, डिबेंचरों या वारंटों के रूप में रियायती दर पर उपलब्ध कराए गए किसी फायदे के मूल्य को लागू नहीं होगी।":

(ख) उपखंड (iiiक) का लोप किया जाएगा।' (19)

(श्री यशवंत सिन्हा)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नया खंड 10क विधेयक में जोड़ा जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 10क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 11

धारा 24 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 5.–

खंड 11 के स्थान पर निम्नलिखित प्रति:स्थापित किया जाए–

'11. आयकर अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (2) के दूसरे परन्तुक में, 1 अप्रैल, 2001 से,–

(i) "1 अप्रैल, 2001" अंकों और शब्दों के स्थान पर "1 अप्रैल, 2003" अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "पचहत्तर हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "एक लाख रुपए" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।'। (20)

(श्री यशवंत सिन्हा)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 11, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 11, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 12 से 14 विधेयक में जोड़ दिए गए।

नियम 80(i) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

श्री यशवंत सिन्हा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 80 के खंड (i) से संबंधित वित्त विधेयक, 2000 में सरकारी संशोधन सं० 21 को लागू होने को उस सीमा तक निलंबित करता है जहां तक इसके द्वारा यह अपेक्षित है कि यह संशोधन विधेयक की परिधि के भीतर है और उस खंड, जिससे वह संबंधित है, की विषय-वस्तु से सुसंगत है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 80 के खंड (i) से संबंधित वित्त विधेयक, 2000 में सरकारी संशोधन सं० 21 को लागू होने को उस सीमा तक निलंबित करता है जहां तक इसके द्वारा यह अपेक्षित है कि यह संशोधन विधेयक की परिधि के भीतर है और उस खंड, जिससे वह संबंधित है, की विषय-वस्तु से सुसंगत है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 14क

धारा 35 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 6,–

पंक्ति 19 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए–

'14क. आय-कर अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (2कख) के खंड (1) में, "व्यय के एक सही एक बटा चार के बराबर राशि" शब्दों के स्थान पर, "व्यय के एक सही एक बटा दो के बराबर राशि" शब्द 1 अप्रैल, 2001 से रखे जाएंगे।'। (21)

(श्री यशवंत सिन्हा)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नया खंड 14क विधेयक में जोड़ा जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 14क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 15 से 18 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 19

धारा 47 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 6,–

खंड 19 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए–

'19. आय-कर अधिनियम की धारा 47 में,–

(क) खंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक 1 अप्रैल, 2001 से अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"परंतु यह खंड ऐसी पूंजी आस्ति के जो किसी कंपनी द्वारा प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना या स्कीम के अधीन अपने कर्मचारियों को आबंटित शेयर, डिबेंचर या वारंट हैं, दान या अप्रतिसंहरणीय न्यास के अधीन अंतरण को लागू नहीं होगा।"

(ख) खंड (vi॥) के उपखंड (क) में, "कम से कम पचहत्तर प्रतिशत शेयरधारक" शब्दों के स्थान पर "तीन-चौथाई से अन्यून मूल्य के शेयरधारण करने वाले शेयरधारक" शब्द रखे जाएंगे।" (22)

(श्री यशवंत सिन्हा)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 19, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 19, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 20

धारा 48 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 6,–

खंड 20 के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाए–

'20 आय-कर अधिनियम की धारा 48 में,–

(i) तीसरे परंतुक के पश्चात् किंतु स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित 1 अप्रैल, 2001 से अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"परंतु यह भी कि जहां धारा 47 के खंड (iii) के परंतुक में निर्दिष्ट शेयर, डिबेंचर या वारंट किसी दान या अप्रतिसंहरणीय न्यास के अधीन अंतरित किए जाते हैं वहां ऐसे अंतरण की तारीख को बाजार मूल्य इस धारा के प्रयोजनों के लिए अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या उपगत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य समझा जाएगा।";

(ii) स्पष्टीकरण के खंड (v) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा और वह 1 अप्रैल, 1993 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात्:–

'(v) किसी पूर्व वर्ष के संबंध में, "लागत मुद्रास्फीति सुचकांक' से ऐसा सूचकांक अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार, शारीरिक श्रम न करने वाले नगरीय कर्मचारियों के लिए ऐसे पूर्व वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती वर्ष में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में पचहत्तर प्रतिशत की औसत वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित विनिर्दिष्ट करे।'। (23)

(श्री यशवंत सिन्हा)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 20, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 20, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80(i) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

श्री यशवंत सिन्हा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 80 के खंड (i) से संबंधित वित्त विधेयक, 2000 में सरकारी संशोधन सं० 24 को लागू होने को उस सीमा तक निलंबित करता है जहां तक इसके द्वारा यह अपेक्षित है कि यह संशोधन विधेयक की परिधि के भीतर है और उस खंड, जिससे वह संबंधित है, की विषय-वस्तु से सुसंगत है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 80 के खंड (i) से संबंधित वित्त विधेयक, 2000 में सरकारी संशोधन सं० 24 को लागू होने को उस सीमा तक निलंबित करता है जहां तक इसके द्वारा यह अपेक्षित है कि यह संशोधन विधेयक की परिधि के भीतर है और उस खंड, जिससे वह संबंधित है, की विषय-वस्तु से सुसंगत है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 20क

धारा 49 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 8,–

पंक्ति 41 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए–

20क. आय-कर अधिनियम की धारा 49 में उपधारा (2ख) का 1 अप्रैल, 2001 से लोप किया जाएगा। (24)

(श्री यशवंत सिन्हा)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नया खंड 20क विधेयक में जोड़ दिया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 20क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 21 से 23 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 24

नई धारा 54ङ ग का अंत:स्थापन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 7, पंक्ति 13 में, "पांच वर्ष" के स्थान पर "तीन वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाए। (25)

पृष्ठ 7, पंक्ति 30 में, "पांच वर्ष" के स्थान पर "तीन वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाए। (26)

(श्री यशवंत सिन्हा)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 24, संशोधित रूप में, विधेयक का अंक बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 24, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 25 से 27 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 28

धारा 80छ का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 7,–

पंक्ति 51 से 54 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए–

केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन या धारा 10 के खंड (23) के अधीन यथा अधिसूचित किसी अन्य संगम या संस्था को दान के रूप में संदत्त की गई राशि।"। (27)

(श्री यशवंत सिन्हा)

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"पृष्ठ 7, पंक्ति 54",

"भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन" के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए–

"अथवा राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला/संघ सरकार/ जिला परिषद स्तर पर किसी अन्य ख्याति प्राप्त क्रीड़ा संगठन।" (1)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"पृष्ठ 7, पंक्ति 54"

"भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन" के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए–

"अथवा राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला/संघ सरकार/ जिला परिषद स्तर पर किसी अन्य ख्याति प्राप्त क्रीड़ा संगठन।" (1)

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 28 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 28, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 29 से 32 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 33

धारा 80 जजड़ का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 9,–

पंक्ति 29 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए–

'(घ) उपधारा 5 के नीचे स्पष्टीकरण में मद ख के स्थान पर निम्नलिखित रखें,–

"(ख) कंप्यूटर सोफ्टवेयर से अभिप्रेत है,–

(i) किसी डिस्क, टेप, छिद्रित मीडिया या अन्य सूचना संचय युक्ति में अभिलिखित कोई कंप्यूटर कार्यक्रम; या

(ii) कोई रूढ़िगत इलेक्ट्रानिक डाटा या इसी प्रकृति की ऐसी कोई सेधा जो बोर्ड द्वारा अधिसूचित की जाए,

जो भारत से भारत के बाहर किसी स्थान को किन्हीं साधनों द्वारा पारेषित या निर्यात की जाती है।"। (28)

(श्री यशवंत सिन्हा)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 33, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 33, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 34 और 35 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 36

धारा 80 झख का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 9 में,–

पंक्ति 56 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए–

'(गक) उपधारा (8) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"(8क) किसी ऐसी कंपनी की दशा में, जो वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास का कार्य कर रही है, कटौती की रकम आरंभिक निर्धारण वर्ष से प्रारंभ होने वाले दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए ऐसे कारबार के लाभ और अभिलाभ की शतप्रतिशत रकम होगी, यदि,–

(i) ऐसी कंपनी भारत में रजिस्ट्रीकृत है;

(ii) ऐसी कंपनी का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान और विकास करना है;

(iii) ऐसी कंपनी 31 मार्च, 2000 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 2003 से पूर्व किसी समय विहित प्राधिकारी द्वारा तत्समय अनुमोदित की गई है;

(iv) ऐसी कंपनी ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करती है, जो विहित की जाएं;"। (29)

(श्री यशवंत सिन्हा)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 36 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 36, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 37 से 42 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 43

धारा 88 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 11,–

पंक्ति 6 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए–

'(ग) उपधारा (6) के खंड (ii) में, "चौदह हजार रुपए", शब्दों के स्थान पर, "सोलह हजार रुपए" शब्द 1 अप्रैल, 2001 से प्रतिस्थापित किए जाएंगे।'। (30)

(श्री यशवंत सिन्हा)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 43 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 43, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 44 से 48 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 49

नई धारा 115भख का अंत:स्थापन

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 11, पंक्ति 36–

"साढ़े सात प्रतिशत" के पश्चात् "नहीं" अंत:स्थापित किया जाए। (2)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री रूपचंद पाल द्वारा प्रस्तुत किया गया संशोधन संख्या 2 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 12, पंक्ति 5 में "धारा 10ख" के स्थान पर "धारा 10ख या धारा 11 या धारा 12" प्रतिस्थापित की जाए। (31)

पृष्ठ 12, पंक्ति 13 में, "धारा 10ख" के स्थान पर "धारा 10ख या धारा 11 या धारा 12" प्रतिस्थापित की जाए। (32)

(श्री यशवंत सिन्हा)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 49, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 49, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 50 से 53 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 54

नये अध्याय 12च का अंत:स्थापन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 12 में,–

खंड 54 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए–

"54. आय-कर अधिनियम के अध्याय 12ङ के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय 1 अप्रैल, 2001 से अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"अध्याय 12च

जोखिम पूंजी कंपनी और जोखिम पूंजी निधि से प्राप्त आय पर कर से संबंधित विशेष उपबंध

कुछ मामलों में आय पर कर

115च.(1) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, किसी व्यक्ति द्वारा किसी जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि में किए गए विनिधानों में से प्राप्त कोई आय उसी रीति से आय-कर से प्रभार्य होगी मानो वह ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त ऐसी आय होती, यदि उसने जोखिम पूंजी उपक्रम में सीधे विनिधान किया होता।

(2) किसी जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि की ओर से आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति और जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि, ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, ऐसी आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को और विहित आय-कर प्राधिकारी को, विहित प्रारूप में और विहित रीति में सत्यापित एक कथन प्रस्तुत करेगा, जिसमें पूर्व वर्ष के दौरान आय की प्रकृति के ब्यौरे और ऐसे अन्य सुसंगत ब्यौरे दिए जाएंगे, जो विहित किए जाएं।

(3) जोखिम पूंजी कंपनी और जोखिम पूंजी निधि द्वारा संदत्त आय ऐसी आय को प्राप्त करने वाले व्यक्ति के पास उसी प्रकृति की और उसी अनुपात में समझी जाएगी मानो वह पूर्व वर्ष के दौरान, यथास्थिति, जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि द्वारा प्राप्त की गई हो या उसे उद्भूत हुई हो।

(4) अध्याय 12घ या अध्याय 12ङ या अध्याय 17ख के उपबंध इस अध्याय के अधीन जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि द्वारा संदत्त आय को लागू नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, "जोखिम पूंजी कंपनी", "जोखिम पूंजी निधि" और "जोखिम पूंजी उपक्रम" के वही अर्थ होंगे जो धारा 10 के खंड (23चख) में क्रमशः हैं।" '

(33)

(श्री यशवंत सिन्हा)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 54, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 54, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 55

धारा 139क का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 13, पंक्ति 36 "तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन संदेय है" के स्थान पर "तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन संदेय है, जिसके अंतर्गत आयातकर्ता और निर्यातकर्ता भी हैं, चाहे कोई कर उनके द्वारा संदेय हो अथवा नहीं" प्रतिस्थापित किया जाए। (34)

(श्री यशवंत सिन्हा)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 55, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 55, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 56 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 57

धारा 194क का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 13,—

खंड 57 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

'57. आय-कर अधिनियम की धारा 194क की उपधारा (3) के खंड (i) में,—

(क) "दो हजार पांच सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर "पांच हजार रुपए" शब्द 1 जून, 2000 से प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ख) खंड (2) के परंतुक में, "भारत में बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत की गई है" शब्दों के स्थान पर "भारत में बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत की गई है और जो धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (viii) के अधीन कटौती के लिए पात्र है" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।'। (35)

(श्री यशवंत सिन्हा)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 57, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 57, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80(i) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2000 की सरकारी संशोधन संख्या 36 को लागू

करने के संबंध में निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।" (53)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2000 की सरकारी संशोधन संख्या 36 को लागू करने के संबंध में निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।" (53)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 57क

धारा 194ठ का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 13,–

पंक्ति 43 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए–

'57क. आयकर अधिनियम की धारा 194ठ में, परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक 1 जून, 2000 से अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु यह और कि 1 जून, 2000 को या उसके पश्चात् किए गए किसी संदाय से इस धारा के अधीन कोई कटौती नहीं की जाएगी।" '। (36)

(श्री यशवंत सिन्हा)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नया खंड 57क विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 57क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 58 से 89 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 90

धारा 4 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 18, में–

पंक्ति 11 से पंक्ति 14 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए–

"4(1) जहां इस अधिनियम के अधीन, किसी उत्पाद-शुल्क्य माल पर उत्पाद-शुल्क उनके मूल्य के प्रतिनिर्देश से प्रभार्य है, वहां माल के प्रत्येक हटाए जाने पर ऐसा मूल्य,–

(क) किसी ऐसे मामले में जहां माल का विक्रय हटाए जाने के समय और स्थान पर परिदान के लिए, निर्धारिती द्वारा किया जाता है, निर्धारिती और ऐसे माल का क्रेता संबंधित व्यक्ति नहीं है और कीमत विक्रय के लिए एकमात्र प्रतिफल है, वहां संव्यवहार मूल्य होगा;"; (37)

पृष्ठ 18 में,–

पंक्ति 22 से पंक्ति 31 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए–

'(ख) ऐसे व्यक्तियों को 'संबंधित" समझा जाएगा, यदि,–

(i) वे अंत:संबंधित उपक्रम हैं;

(ii) वे नातेदार हैं;

(iii) उनमें से क्रेता एक नातेदार है और निर्धारिती का वितरक है या ऐसे वितरक का उप-वितरक है; या

(iv) वे इस प्रकार सहबद्ध है कि उनका एक-दूसरे के कारबार में प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: हित है।

स्पष्टीकरण–इस खंड में,–

1969 का 4

(i) "अंत:संबंधित उपक्रम" का वही अर्थ होगा जो एकाधिकार और अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 2 के खंड (छ) में है; और

1956 का 1

(ii) "नातेदार" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड 41 में है;'

(ग) हटाए जाने के स्थान" से अभिप्रेत है,–

(i) कोई कारखाना उत्पाद-शुल्कीय माल के उत्पादन या विनिर्माण का कोई अन्य स्थान या परिसर;

(ii) भंडागारण या ऐसा कोई स्थान या परिसर जिसमें उत्पाद-शुल्कीय माल को शुल्क के संदाय के बिना जमा करने के लिए अनुज्ञात किया गया है;

जहां से ऐसा माल हटया जाात है;'; (38)

पृष्ठ 18,–

पंक्ति 32 से पंक्ति 37 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए–

"(घ) 'संव्यवहार मूल्य' से, जब विक्रय किया जाए तब माल के लिए वस्तुत: संदत्त या संदेय कीमत अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत कीमत के रूप में प्रभारित रकम के अतिरिक्त वह रकम भी है, जो क्रेता निर्धारिती को या उसकी ओर से, विक्रय के कारण या

उसके संबंध में संदाय करने का दायी है, चाहे वह विक्रय के समय या किसी अन्य समय पर संदेय हो, इसके अंतर्गत, किंतु यह उस तक सीमित नहीं है, विज्ञापन, प्रचार, विपणन और विक्रय संगठन व्यय, भंडारण, जावक हैंडलिंग, सर्विसिंग, वारंटी, कमीशन के लिए प्रभारित रकम या किसी अन्य विषय का उपबंध करना भी है, किंतु इसके अंतर्गत ऐसे माल पर वस्तुत: संदत्त वस्तुत: संदेय उत्पाद-शुल्क, विक्रय कर और अन्य कर, यदि कोई हो, की रकम नहीं है।''। (39)

(श्री यशवंत सिन्हा)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि खंड 90, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 90, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 91 और 92 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 93

धारा 11क का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 18,–

पंक्ति 49 और पंक्ति 50 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए–

''(क) प्रारंभिक भाग में, 'गलती से किए गए प्रतिसंदाय' शब्दों के स्थान पर, ''गलती से किए गए प्रतिसंदाय चाहें ऐसा अनउद्ग्रहण या असंदाय, कम उद्ग्रहण या कम संदाय या गलत प्रतिसंदाय इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन उत्पाद-शुल्कीय माल पर शुल्क की दर या उसके मूल्य के संबंध में किसी अनुमोदन, स्वीकृति या निर्धारण के आधार पर था,' शब्द रखे जाएंगे और वे 17 नवंबर, 1980 को या से रखे समझे जाएंगे;

(ख) 'छह मास' शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, 'एक वर्ष' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ग) परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण के पहले निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–''। (40)

(श्री यशवंत सिन्हा)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि खंड 93, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 93, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 94 से 99 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 100

धारा 14क का संशोधन

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 19, पंक्ति 53,–

''लोप किया जाए।'' के स्थान पर ''लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए एक वर्ष के पश्चात् पुनर्विलोकन किया जाएगा।'' प्रतिस्थापित किया जाए।... *(व्यवधान)* (10)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री रूपचंद पाल द्वारा पेश किए गए संशोधन संख्या 10 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि खंड 100 विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 100 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 101

धारा 14कक का संशोधन

श्री रूपचंद पाल : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 19, पंक्ति 54,–

''लोप किया जाए।'' के स्थान पर ''लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए एक वर्ष के पश्चात् पुनर्विलोकन किया जाएगा।'' प्रतिस्थापित किया जाए।...*(व्यवधान)* (11)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, ऐसी परंपरा नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री रूपचंद पाल द्वारा पेश किए गए संशोधन संख्या 11 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि खंड 101 विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 101 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 102 से 106 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 107

भूतलक्षी प्रभाव से राजनयिक या कौंसलीय मिशनों को दी गई छूट का विधिमान्यकरण

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 21,–

पंक्ति 9 में "11 मई, 1999" के स्थान पर "2 दिसंबर, 1997 प्रतिस्थापित किया जाए।" (41)

(श्री यशवंत सिन्हा)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 107, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 107, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 108

उच्च गति डीजल तेल पर संदत्त शुल्क के मुजरे से इंकार करने को विधिमान्यकरण

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 21,–

पंक्ति 15 से पंक्ति 18 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :

"108(1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के किसी नियम में किसी बात के रहते हुए भी, उच्च गति डीजल तेल पर संदत्त किसी शुल्क का मुजरा 16 मार्च, 1995 को प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको वित्त अधिनियम, 2000 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय अनुज्ञेय न किया जाने वाला समय समझा जाएगा।"। (42)

(श्री यशवंत सिन्हा)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 108, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 108, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 109 से 111 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 112

1994 के अधिनियम 32 का संशोधन

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 21,–

पंक्ति 47 में, "1 अगस्त" के स्थान पर "16 अक्तूबर" प्रतिस्थापित किया जाए। (43)

(श्री यशवंत सिन्हा)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 112, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 112, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड दिया गया।

खंड 113 से 118 विधेयक में जोड दिए गए।

प्रथम अनुसूची

श्री रूपचंद पाल (हुगली) महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 24, पंक्ति 40,–

"35 प्रतिशत" के स्थान पर "40 प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाए। (3)

पृष्ठ 24, पंक्ति 48,–

"30 प्रतिशत" के स्थान पर "35 प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाए। (4)

पृष्ठ 24, पंक्ति 55,–

"कुल आय का 35 प्रतिशत" के स्थान पर "कुल आय का 40 प्रतिशत प्रतिस्थापित किया जाए। (5)

अध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री रूपचंद पाल द्वारा पेश किए गए संशोधन संख्या 3, 4 और 5 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 26,–

पंक्ति 34 से पंक्ति 40 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए–

"इस भाग की मद 1 के उपबंधों के अनुसार काटी गई आय कर की रकम में,–

(i) संघ के प्रयोजनों के लिए, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार बढ़ा दिया जाएगा; और

(ii) इस भाग की मद 2 की उपमद (क) के उपबंधों के अनुसार ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार बढ़ा दिया जाएगा।"। (44)

(श्री यशवंत सिन्हा)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पहली अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पहली अनुसूची संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गई।

दूसरी अनुसूची

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 30,–

पंक्ति 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए–

'(2) अध्याय 2 में,

(i) स्तंभ 4 में सभी उपशीर्ष सं० (उपशीर्ष सं० 0207.13 और 0207.14 को छोड़कर) के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर "35%" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए;

(ii) स्तंभ (4) में उपशीर्ष सं० 0207.13 और 0207.14 में प्रविष्टि के स्थान पर "100%" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए; (45)

पृष्ठ 30,–

पंक्ति 31 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए–

'(8क) अध्याय 9 में,

(i) स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में उपशीर्ष सं० 0901.11, 0901.12, 0901.21, 0901.22 और 0901.90 के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर क्रमश: "35%" और "13 पैसे प्रति कि०ग्रा० घटाकर 35%" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं;

(ii) स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में उपशीर्ष सं० 0909.10, 0902.20, 0902.30 और 0902.40 के सामने आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमश: "35%" और "26 पैसे प्रति कि०ग्रा० घटाकर 35%" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं;'। (46)

पृष्ठ 31,–

पंक्ति 14 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए–

'(i) स्तंभ (4) में सभी उपशीर्ष सं० (उपशीर्ष सं० 1601.00 और 1602.32 को छोड़कर) के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, "35%" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए;

(ii) स्तंभ (4) में उपशीर्ष सं० 1601.00 और 1602.32 में की प्रविष्टि के स्थान पर "100%" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए;; (47)

पृष्ठ 31,–

पंक्ति 43 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए–

'(i) स्तंभ (4) में उपशीर्ष सं० 2701.11 में प्रविष्टि के स्थान पर "25%" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

(iक) स्तंभ (4) में उपशीर्ष सं० 2701.12 में की प्रविष्टि के स्थान पर, "55%" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;

(iख) स्तंभ (4) में उपशीर्ष सं० 2701.19 में की प्रविष्टि के स्थान पर "25%" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी;'। (48)

(श्री यशवंत सिन्हा)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दूसरी अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दूसरी अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेक में जोड़ दी गई।

तीसरी अनुसूची

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 42,–

पंक्ति 32 और पृष्ठ 33 में "30 रुपए प्रतिवर्ग" के स्थान पर "16%" प्रतिस्थापित किया जाए। (49)

(श्री यशवंत सिन्हा)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि तीसरी अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

तीसरी अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गई।

चौथी अनुसूची और पांचवीं अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

छठी अनुसूची

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 49, पंक्ति 12,–

"मूल्य का बीस प्रतिशत" के स्थान पर "मूल्य का पांच प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाए।" (6)

पृष्ठ 49, पंक्ति 13,–

"बीस प्रतिशत" के स्थान पर "पांच प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाए। (7)

पृष्ठ 49, पंक्ति 15,–

"बीस प्रतिशत" के स्थान पर "पांच प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाए। (8)

पृष्ठ 49, पंक्ति 16,–

"बीस प्रतिशत" के स्थान पर "पांच प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाए। (9)

अध्यक्ष महोदय : मैं अब रूपचंद पाल द्वारा पेश किए गए संशोधन संख्या 6, 7, 8 और 9 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि छठी अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

छठी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय, प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नय यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.52 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 5 मई, 2000/15 वैशाख, 1922 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत

और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)
गुरुवार, 4 मई, 2000/14 वैशाख, 1922 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

...

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय-सूची (i)	6	541 और 544	541 से 544
विषय सूची (i)	8	545 और 560	545 से 560
48	12	विवरण-I	विवरण-II
84	23	5984	5964
92	20 के पश्चात जोड़िए "(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?"		
94	15	भारतीय सेना	(क) भारतीय सेना
116	नीचे से 10	नागर विमान मंत्री	नागर विमानन मंत्री
129	9	(ग) और (ग)	(ग) और (घ)
146	नीचे से 3	(क) से (घ)	(क) और (घ)
174	23	महोदय :	अध्यक्ष महोदय :
174	24	वि प	विषय पर
174	25	श्री सुदी बंद्योपाध्याय	श्री सुदीप बंद्योपाध्याय
189	25	अध्यक्ष महोदय	उपाध्यक्ष महोदय
189	28	अध्यक्ष महोदय	उपाध्यक्ष महोदय
192	नीचे से 7	अध्यक्ष महोदय	उपाध्यक्ष महोदय
193	17	अध्यक्ष महोदय	उपाध्यक्ष महोदय
195	17	अध्यक्ष महोदय	उपाध्यक्ष महोदय
203	9	श्री खरवेले स्वाई	श्री खारवेल स्वाई
205	नीचे से 9	उपाध्याय महोदय	उपाध्यक्ष महोदय
206	1	उपाध्याय महोदय	उपाध्यक्ष महोदय
234	27	सभा भवना	सभा भवन